DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

ग्रामोत्थान के मार्ग

जिस में

मध्यप्रांतीय गवर्नर महोदय

हिज़ एक्सिलेन्सी सर हाइड क्लेरेन्डन गवन

बी. ए. (ऑक्सन), के. सी. एस. आइ., सी. आइ. ई.,

वी. डी., आइ सी. एस., जे. पी.

के दो शब्द सम्मिलित हैं।

लेखक—

राय साहिब हीरालाल वर्मा,

(बी. ए., एम, बी, ई.)

सी० पी० सिविल सर्विस,

धनतोली, नागपुर.

मुद्रकः नारायणदास डांगरा,

मारवाड़ी प्रेस, नागपुर.

मूल्य २)

दो शब्द।

ग्रामोत्थान विषयक सर्व साधारण प्रचार द्वारा ग्राम जीवन की स्थितियों में सुधार करने की कहांतक संभावना है इस बात का महत्त्व लोगों को अभी कुछ ही सालों से समझ में आने लगा है। मध्यप्रांत सरकार ने ग्राम-सुधार का कार्य सात साल पहिले हुशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक ग्राम के नजदीक एक चुने हुए केंद्र में संगठित रूप से शुरु किया। कुल कर्मचारी, जैसे एक एग्रिकलचरल असिस्टेंट, एक वेटेनरी असिस्टेंट, एक डाक्टर तथा एक कोआपरेटिव आडिटर, इस काम को करने के लिये खास तौर पर मुक़र्रर किये गए; और इस प्रयोग से जो अभीतक अनुभव मिला है, उसके आधार पर अब ग्रामसुधार के कार्य की सामान्य रूपरेखा का दिग्दर्शन किया जा सकता है।

ग्रामसुधार संबंधी सारे प्रचार का असल तत्त्व यह है कि ग्रामीण जनता में जो अज्ञानता उसकी आर्थिक तथा शारीरिक भलाई के बारे में फैली हुई है वह दूर की जावे। थोड़े परिश्रम तथा चैतन्यता से देहाती अपने पशुधन व खेत की उपज में उन्नति कर सकता है। उसी तरह अपनी पैदावार के विक्री विषयक कुछ ज्ञान होने से उसे पैदावार के अन्तिम मोल का एक बड़ा भाग मिल सकता है जिसका अधिकांश अभी मध्यस्थ लोग खा जाते हैं। कुछ सहायक उद्योग करके वह अपनी आमदनी भी बहुत कुछ बढ़ा सकता है, और स्वास्थ्य संबंधी कुछ सरल नियमों के पालन करने से वह बहुतेरी संक्रामक बीमारियों के पंजों से छुटकारे पा सकता है।

इस प्रकार की ग्राम-सुधार प्रचार संबंधी बातों पर विशेष ध्यान दिया जा चुका है और उनके अनुभवों को एकत्रित कर उन्हे एक किताब के रूप में लाना सचमुच मूल्यवान कार्य्य है। इस प्रांत की ग्रामीण आर्थिक स्थिति का गहन ज्ञान जो राय साहिब हीरालाल वर्मा ने बहैसियत जिला-दौरा व सेक्रेटरियट में रहकर संपादन किया है, उसने उन्हें अपने इस कार्य्य के लिये पूर्णतया योग्य बनाया है। मुझे आशा है कि ग्रामोध्यान के क्षेत्र में सब कार्य्यकर्ताओं को उनकी यह पुस्तक उपयुक्त प्रतीत होगी।

(हस्ताक्षर हाइड गवन, गवर्नर महोदय,
मध्यप्रदेश और बरार)

" प्रस्तावना "

पिछली मर्दुमशुमारी के नक़शों के देखने से मालूम होता है कि हिंदुस्थान में हर दसहज़ार की संख्या में आधे से कुछ अधिक याने ५६०९ मनुष्य काम न करनेवाले आश्रित जन हैं; और बाकी ४३९१ कमाऊओं में से २९२३ खेती और पशुपालन में, ७३१ पदार्थों के बनाने में और शेष ललित कलाओं में, सार्वजनिक शासन में, घरेलू कार्यों में, अथवा दूसरे विविध धंधों में लगे हुए हैं। यह देखते हुए कि जिन लोगों का रोज़गार ठेठ खेती नहीं है वे भी अपनी जीविका के लिये किसानों के साथ किसी न किसी रूप से व्यवहार करते हैं, स्पष्ट होता है कि इस देश के रहवासी कृषि उद्योग पर बहुतांश अवलम्बित हैं।

पुराने ज़माने में जब कि आबादी उतनी घनी न थी जितनी कि अब है, मोटी रीतियों से की हुई खेती से भी स्थानीय ज़रूरतों के लायक़ काफ़ी ग़ल्ला पैदा हो जाता था। हरएक गांव प्रायः स्व-संपन्न होता था, अर्थात् उसे बाहर से बहुतसी चीज़ों के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती थी; बल्कि जितना कोई गांव आम सड़क या शहर से दूर होता था उतनाही अधिक वह ख़ुद मुख्तार होता था। पहिले तो देहातियों की ज़रूरतें ही थोड़ी होती थीं और वे अपनी जीवनकला से संतुष्ट रहते थे। खाने पीने के लिये काफ़ी भोजन और तन ढांकने के लिये मोटा कपड़ा मिल जाना आनंद-दायक होता था; परंतु शहरों और बाहरी मुल्कों के संसर्ग से और कालचक्र के फेर से उन लोगों के रहन-सहन व विचारों में फ़र्क पड़

गया और साथ ही साथ जन संख्या बढ़ने से ज़मीन पर बोझ धीरे धीरे बढ़ने लगा। बहुत काल तक तो नई मांग पूरी करने के लिये नई ज़मीनें जोती जाने लगीं, लेकिन जब क़ाबिल काश्त ज़मीनें सब उठ गईं तो यह फ़िक्र हुई कि ज़मीनों की उपज बढ़ाने के लिये नई नई पौधें बोई जावें और खेती करने के तरीके भी सुधारे जावें। तजुर्बा करते करते कुछ समय के बाद खेती के कुछ तरीक़े स्थायी हो गये और यही तरीक़े अब बहुत काल से प्रचलित हैं। इनमें से बहुत से तो आजकल की व्यवस्था को देखते हुए भी लाभकारी प्रतीत होते हैं और उनमें उचित सुधार करना खेती के विशेषज्ञों को भी कठिन मालूम पड़ता है। परंतु बहुतसी बातें ऐसी हैं जिनमें नई रीतियों के उपयोग की आवश्यकता है और किसानों की आर्थिक दशाके सुधार के लिये उनके प्रचार की जरूरत है, क्यों कि खेतों की उपज यदि कम नहीं, तो स्थिर अवश्य हो गई है, और किसानों के खर्चे अधिक बढ़ गये और दिनोदिन विस्तृत होते जाते हैं। परिणाम यह है कि ज्यादातर किसान अपने जमाखर्च का तराजू सीधा नहीं रख सकते और बहुतसे बेचारे तो ऋण के बोझ से सिर ऊपर नहीं उठा सकते; फिर भी कुछ लोगों का मत ऐसा है कि किसानों के रहन सहन में उन्नति होने के कारण उनका जीवन पहले से अब ज्यादा सुखमय है। इस विषय पर मतभेद भले ही हो, परंतु यह बात अकाट्य है कि पिछले कई सालों से लगातार फसलें किसी न किसी कारण खराब हो जाती हैं और उनका भाव भी ठीक नहीं आता जिस से किसान अपने क़र्जे की अदाई नहीं कर सकते और उन के ऋण की सीमा अब विकलता के स्थान तक पहुंच गई है। इस में संदेह नहीं कि प्रांतीय सरकार जहांतक बन सकता है उनको मदद पहुंचाने की भरी पूरी कोशिश

कर रही है, याने क़ायदों के अनुसार लगान व तौज़ी में मुल्तवी व माफ़ी करती है, खुले हाथों से तकावी बांटती है, ऋण समझौता बोर्ड और लैंड मार्गेज बैंक खोलकर और दूसरे विविध सुधारक उपाय अमल में लाकर उनकी तकलीफों को मिटाने का प्रयत्न करती है। परंतु इन से जो मदद पहुंचती है वह परिमित होने के कारण जैसा चाहिये वैसा सहारा नहीं पहुंचा सकती। औसत दर्जे के किसानों की कठिनाइयां इतनी बढ़ गई हैं कि उन से पार पाने के लिये खास उपायों के उपयोग की आवश्यकता है, क्योंकि उनके सिर्फ ऋण ही का बोझा हल्का करने से उनका उद्धार नहीं हो सकता, बल्कि उनकी आमदनी में वृद्धि व खर्चे में कमी करने की बहुत जरूरत है। सच पूछो तो उसे उन सब प्रकार के मददों की जरूरत है जो सरकार दे सके, जो विज्ञान से मिल सकती हों, या जो संगठन, शिक्षा तथा ट्रेनिंग से, उन्हे पहुंचाई जा सकें। किसानों की बेहतरी के संबंध में सरकार का सिद्धांत तो सदैव यही रहा है कि हिंदुस्थान सरीखे कृषि प्रधान देश की उन्नति उसकी देहाती जनता की शान्ति और संतोष पर निर्भर है। भारत के वाइसराय लार्ड इर्विन ने अपने शासनकाल के एक भाषण में फ़रमाया था कि भारतीय किसान वह नींव है जिस पर भारतवर्ष की सारी आर्थिक उन्नति स्थित है और जिसपर यहां के सामाजिक और राजनैतिक भविष्य की इमारत बनानी चाहिये। उनका तो यहां तक कहना था कि कोई भी सरकारी प्रबंध प्रशंसा के योग्य नहीं समझा जावेगा यदि उसने देहातियों के रहन सहन में तरक्की करने का पूरा लक्ष्य न रखा हो या उसने उनको भारतवर्ष के भविष्य शासन में उचित भाग लेने के लिये तैयार न किया हो। सन १९२६ में भूतपूर्व सम्राट ने यहां की

देहाती हालत की जांच करने व ग्रामीण जनता की उन्नति और भलाई के लिये युक्ति बतलाने के हेतु एक रायल कमीशन नियत किया था। उस कमीशन ने सारे हिंदुस्थान में भ्रमण कर देहाती स्थिति की बारीकी से तहक़ीक़ात की और कई बड़े महत्त्व की तजवीजें बताईं, जिन में से बहुतांश को सरकार ने स्वीकार कर ली है, और जिनके अनुसार अब जरूरी कार्रवाई हो रही है। मध्य-प्रदेश में हिज एक्सेलेंसी सर हाइड गथन गवर्नर महोदय ने २० दिसम्बर सन् १९३८ को धमतरी के मिशन स्कूल का उद्घाटन करते समय कहा था कि ३२ वर्ष की नौकरी के अनुभव ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि ग्रामीण-सुधार इस देश के उन्नति का एक प्रधान अंग है जो कि जन समुदाय के हित में शासन विधान में परिवर्तन कराने के आंदोलन से कहीं अधिक महत्त्व रखता है। उन्होंने बतलाया कि कई साल पहिले एक जिले में बंदोबस्त करते समय उन्होंने किसानों के बीच में रहकर उनके शोक और आनंद को, उन के झगड़ों को, साहूकार और मालगुजारों के बर्ताव को, उनके ऋण में पड़ जाने के तरीक़ों को और उस ऋण के राई से पर्वत हो जाने के दृश्य को अच्छी तरह से देखा व सुना। उनका तजुर्बा यह है कि किसानों की विपत्तियों में जो उन्हें झेलना पड़ती हैं, सब में कठिन अज्ञानता है और यह अज्ञानता इस तरह विस्तृत है कि उन्हें विज्ञान का समझना ही कठिन नहीं है बल्कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उन के हक़ूक क्या हैं, जिस दस्तावेज़ पर उनके दस्तख़त लिये जाते हैं उसका मज़मून क्या है और उनके कर्ज में इतनी बाढ़ क्यों उठती है कि जिसके भीतर वे डूब मरते हैं। इस अज्ञानता के निवारण के वास्ते संतोष की बात सिर्फ यह है कि अब ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे हैं कि लोग ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्या

की ओर ध्यान देने लगे हैं, जिससे आशा की जाती है कि आने वाले नये विधान में लोग अधिक अपनी शक्तियां देहात की तरफ झुकावेंगे, क्योंकि प्रांत का सच्चा सुख ग्रामीणों के समृद्धि और संतोष ही पर निर्भर है। उसी विषय पर लिखते हुए मि० एफ. एल. ब्रेन, जो ग्रामोत्थान के लिये अपने जीवन के कई वर्ष अर्पण कर चुके हैं, अपनी पुस्तक " विलेज डाइनेमो " में लिखते हैं कि देहातों के पुनर्निर्माण में सब से मुख्य प्रश्न गांववालों की अनभिज्ञता और उदासीनता को दूर करना है। कृषि विषयक रायल कमीशनने भी अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यद्यपि उनकी सिफारिश की हुई तजवीजों से कृषि उत्पादन के सारे क्षेत्र में अधिक क्षमता हासिल होने की उम्मीद की जा सकती है, तथापि कोई पक्की तरक्की यथार्थ में नहीं होगी जबतक कि किसानों में खुद ऊंची रहन सहन हासिल करने का हौसला न हो जाय और उनकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल न हो जाय कि वे जो सुअवसर उनके सामने आवे उनका फायदा खुद उठा सकें। गरज कि इस विषय पर प्रमाणिकता के साथ कथन कर सकनेवाले सब महाशयों ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीणों की परिस्थिति सुधारने के साथ साथ उनको नैतिक शिथिलता की नींद से जगाकर उनकी मानसिक दशा में भी परिवर्तन करना चाहिये और उनकी शक्ति इतनी बढ़ाना चाहिये कि वे समझ सकें कि कौन बात उन के असली हितकी है और उसके हासिल करनेका सुगम तरीका कौनसा है। इसके हेतु हरएक प्रांत में सरकारने किसानों के बच्चों की तालीम के लिये शालाओं का प्रबंध किया है और उनके सामान्य उद्धार के लिये खेती की सुधरी हुई विधियों का प्रचार किया जारहा है। परंतु अभाग्यवश सरकार के पास

इतने कर्मचारी नहीं हैं कि वह ग्रामोत्थान के कार्यों को देशभर में हरठिकानों पर जारी कर सके। जबतक गैर सरकारी कार्यकर्ताओं का गुट सरकार की कार्रवाई में मदद देने के लिये अथवा खुद सब काम करने के लिये आगे नहीं बढ़ेगा, तबतक देहाती उन्नति धीमी ही रहेगी। जरूरत इस बात की है कि गैरसरकारी कार्यकर्ता गांवोंमें जाकर किसानों को बेहतर तरीके से जिन्दगी बसर करना सिखलावें और समझावें कि किन मार्गों पर चलने से उनके भाग्य का सुधार हो सकता है, व किस तरीके से वे विपत्तियों से बच सकते हैं। उन्हें यह भी बतलाया जावे कि वैज्ञानिक खेती के मायने क्या हैं और वे अपने छोटेसे कारोबार के अंदर अपनी पूंजी का सदुपयोग करते हुए अपनी परिस्थिति के क़ाबू में न रहकर थोड़े ही काल में उसके स्वामी कैसे बन सकते हैं। परंतु कठिनाई यह है कि इन गैरसरकारी कार्यकर्ताओं को अपने इस उपदेशक कार्य में सहायता देने के लिये कोई पुस्तक सुप्राप्य नहीं है, और यह भी स्पष्ट है कि दूसरों को सिखाने के पहिले उन्हें खुद खूब ज्ञानवान होना चाहिये। इस में शक नहीं कि सामान्य ग्रामोत्थान, कृषिविद्या, गोपरिपालन, सामाजिक स्वास्थ्य रक्षा, सहयोग, इत्यादि पर बहुतसी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, परंतु यह उम्मीद करना ज्यादती है कि गैरसरकारी कार्यकर्ता के पास इन विषयों के साहित्यको पढ़कर उसमें से स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने का मसाला निकाल लेने के लिये समय व रुचि होगी। प्रस्तुत पुस्तक में सब जरूरी ज्ञान को एकत्रित करके सुपाठ्य व सुचारु रूप से पेश करने का प्रयत्न किया गया है। वास्तव में यह पुस्तक सरकार द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक

पुस्तकों, पुस्तिकाओं, और परचों में से चुने हुए सार भागों का संकलन है, इस लिये हर श्रेणी के कार्यकर्ता इस पुस्तक को इस्तैमाल करते समय इस बात का पूरा इत्मिनान रख सकते हैं कि इसमें प्रकट किया हुआ हरकएक विचार किसी न किसी सर्वमान्य प्रमाण पर आधारित है। इस पुस्तक की सामग्री इकट्ठा केरन के लिये मुझे काफी वृहत साहित्य पढ़ना पड़ा जिसके लेखकों को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। मेरा पाईले इरादा था कि इस पुस्तक के कुछ परिच्छेदों को; अलग अलग पेम्फ्लेटों या परचों की माला क रूप में प्रकाशित करूं, लेकिन जब मैंने इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति मि० जे. एच. रिची, बी. ए., बी. एस. सी मध्यप्रांत के कृषि विभाग के डायरेक्टर साहिब को दिखलाइ तो उन्होंने उस पर निम्नलिखित राय दीः—

मैंने इस पुस्तक को बहुत सावधानता से पढ़ा और इसके विस्तृत क्षेत्र को देखकर मुझे बहुत प्रभावित होना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस विषय को पेम्फ्लेट के रुप में निकालने से जनता को कोई अधिक लाभ होगा, क्योंकि पेम्फ्लेट बहुत सूक्ष्म और संक्षिप्त होते हैं और भिन्न भिन्न परिच्छेदों के मज़मून को संक्षेप में बिना उनके रूप बदले लिखना बहुत कठिन होगा। तिसपर भी मैं आपको आग्रहपूर्वक सलाह देता हूं कि आप इस पुस्तक को प्रकाशित करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी मांग बहुत होगी। यदि इसके पूर्ण होने पर आप यह चाहें कि मैं इसको एक बार देख जाऊं, यह जांचने के लिये कि इसमें कोई बात अपने अनुभव के विरुद्ध तो नहीं है, तो मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि मुझे ऐसा करने में बड़ी खुशी होगी।

कृषि व्यवसाय पर लिखी हुई पुस्तकों का भारतवर्ष में बहुत अभाव है और इस कारण से आप सरीखी पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। इसलिये मैं अवश्य ही इस पुस्तक का स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे कृषि विभाग को ग्रामों की आर्थिक उन्नति तथा उनमें पुनर्जीवन संचार करने के कार्य में बहुत सहायता मिलेगी।

इस संग्रह ने मि० जी. एच. भालजा, बी. ए., आइ. सी. एस. मध्यप्रांत के उद्योग विभाग के डाइरेक्टर के ध्यान को भी आकर्षित किया। आप मध्यप्रांत के ग्रामोत्थान बोर्ड के सेक्रेटरी भी थे। उनके आदेशानुसार इस पुस्तक का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया जिससे कि जहां तक संभव हो यह संग्रह मध्यप्रांत के बोर्ड के द्वारा निश्चित किये हुए उस कार्यक्रम से मिलता जुलता हो जाय जो कि बोर्ड ने ग्रामोत्थान के कार्यकर्ताओं को मार्ग दिखाने के हेतु बनाया है। यह पुस्तक पांच भागों में विभाजित की गई है, अर्थात कृषिविद्या, गोपरिपालन, सामाजिक स्वास्थ्यरक्षा, कृषि सम्बंधी अर्थव्यवस्था और घरेलू उद्योग और सामान्य विभाग। हर विभाग के पहले अध्याय में कार्यकर्ताओं के निर्देश के लिये कुछ सूचनायें दी गई हैं और आगे के अध्यायों में उन सूचनाओं को कार्य संपन्न करने की विधि बतलाई गई है।

आशा है कि उत्थान कार्यकर्ता गण इस पुस्तकको उपयोगी पावेंगे और ग्रामीणों की उस अनभिज्ञता को दूर करने का हार्दिक प्रयत्न करेंगे जिसपर मध्यप्रदेशके गवर्नर महोदय, हिज एक्सेलेंसी सर हाइड गवन, ने उपर- कहे हुए धमतरी के भाषण में इतना जोर दिया है। परंतु उत्थानकार्य हाथ में लेते समय कार्यकर्ताओं को पंजाब में हासिल किए हुए तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिये।

उस प्रांत में अमलमें लाई जानेवाली कुछ योजनायें शुरू शुरू मे सफल नहीं हुईं क्योंकि सुधारका सारा कार्यक्रम गैरजरूरी, यद्यपि अविरोधी, ग्रामीणों के सिर पर करीब करीब जबरदस्ती से लादा गया था और उस कार्यक्रम की तफसील पर पहिले से गौर नहीं किया गया था। अपनी तकलीफों का मुकाबला करने के लिये किसानों को बगैर उनकी रजामंदी, वे हथियार सौंपे गये जिनका उपयोग करने की उनमें न तो रुचि थी न शक्ति, नतीजा यह हुआ कि ज्योंही सरकारी दबाव ढीला पड़ा वे हथियार उनकी पीठ पर से खिसक पड़े और सारी मेहनत निष्फल हुई। यहां किये हुये प्रयोगों से जो सबक मिला वह यह है, कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में किसी भी उपाय या सुधार को मुस्तकिल तौर पर अपनाये जाने के लिये सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह यह है कि लोगों को इतना समझाया जाय कि वे मानने लगें कि यह उपाय या सुधार सचमुच में उनके फायदे का है ताकि वे खुद उसे अमल में लाने के लिये तत्पर व कटिबद्ध हो जावें।

इसलिये उन हितैषी कार्यकर्ताओं को जो ग्रामीण पुनर्निर्माण के सत्कार्य का बीड़ा उठाना चाहें नीचे दी हुई सूचनाओं को ध्यान में रखना चाहिये:—

(१) कोई भी नये तरीके की सिफारिश करने के पहिले खुद इत्मिनान कर लो कि यह सचमुच में उपयोगी और करने योग्य है या नहीं।

(२) किसी भी काम में टिकाऊ सुधार होना गैर मुमकिन है जबतक कि उसको दीर्घ काल तक बराबर अमल में लाये जाने और दबाव डालने की मुस्तकिल संस्था कायम न की जावे।

(३) सुधार कराने में अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिये बल्कि बारबार समझाकर उसका यथोचित ज्ञान करा देना चाहिये।

(४) जिन सुधारों का प्रयत्न किया जाय वे मुकम्मिल होना चाहिये और उन के उद्देश को पूरा करने के लिये जितनी संस्थायें हों वे परस्पर मेल व सहयोग से काम करें।

नागपुर हीरालाल वर्मा

विषय-सूची.

भाग- पहिलाः— कृषि —

परिच्छेद-			पृष्ठ
,,	१.	ग्रामीणों को शिक्षित बनाने की आवश्यकता	१
,,	२	जुताई	५
,,	३	खाद	१०
,,	४	फसलों की अदल बदल	२१
,,	५	बीजका चुनना	२४
,,	६	योनी ...	२७
,,	७	पौधों की रेख देख या हिफाजत	३४
,,	८	सिंचाई	४५
,,	९	साग भाजी की खेती ...	४७
,,	१०	फसलों की कारत	५१
,,	११	अमराई-कुंज इत्यादि की पैदावारी	६२
,,	१२	पैदावार या उपजकी खपत ...	६५

भाग- दूसराः— पशुपालन—

,,	१३	साधारण सूचना ...	६८
,,	१४	उत्तम सांड़का चुनाव	७३
,,	१५	सरकारी सांड़ों के मिलने के कायदे	७६
,,	१६	गोरुओं की समुचित खिलाई ...	७९
,,	१७	भवेशियों की हिफाजत ...	८५
,,	१८	संक्रामक बीमारियां ...	८८
,,	१९	पशुओं के संक्रामक रोगों को रोकने के उपाय	९६
,,	२०	कुछ दवाइयां ...	९९

परिच्छेद			पृष्ठ
,,	२१	दूध का व्यवसाय ...	१०६
,,	२२	मुर्गियों का व्यवसाय ...	११०
		भाग तीसरा:—सार्वजनिक स्वास्थ्य	
,,	२३	सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्त्व ...	११४
,,	२४	स्वास्थ्य के सरल नियम	१२१
,,	२५	बीमारियों के कारण	१२६
,,	२६	क्षय रोग	१२८
,,	२७	सेरिब्रो स्पाइनल मेनिन जायटिस	१३१
,,	२८	मीजिल्स याने बोदरी माता ...	१३३
,,	२९	चेचक (बड़ी माता) ...	१३७
,,	३०	डिप्थेरिया (घट सरप) ...	१४०
,,	३१	इन्फ्लुएंजा याने सर्दीवाला बुखार	१४४
,,	३२	हैजा ...	१४७
,,	३३	आंव रक्त	१५४
,,	३४	महामारी (प्लेग)	१५५
,,	३५	मलेरिया बुखार (मौसमी ज्वर) ...	१५८
,,	३६	रिलेप्सिंग बुखार ...	१६०
,,	३७	टिटेनस याने लाकजा या धनुर्वात ...	१६२
,,	३८	आंतों का आन्त्र	१६४
,,	३९	रोग लगने के दूसरे जरिये	१६५
,,	४०	हाईड्रोफोबिया—याने पागल कुत्ते आदि के काटने से पैदा हुई बीमारी	१६६
,,	४१	सर्प दंश	१७१
,,	४२	संयोग जनित बीमारियां	१७४
,,	४३	बचपन में बच्चों की मृत्यु	१७७
,,	४४	प्रसव पीड़ा (जचकी)	१७९
,,	४५	बच्चों की हिफाजत	१८८
,,	४६	स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियम	१९१
,,	४७	आकस्मिक आपत्तियां और तुरत सहाय ..	१९४

परिच्छेद		पृष्ठ
४८	चन्द घरेलू दवाईयां	२०५
४९	गावों में रोगियों की सुश्रुषा की योजना	२१४
	भाग चौथा — अर्थ व्यवस्था और उद्योग	
५०	दिग्दर्शन	२२२
५१	खेती की व्यवस्था	२२४
५२	तकावी	२२८
५३	सहयोग	२३४
५४	देशी दस्तकारी और धंधे	२३८
५५	कपड़े रंगना और छापना	२४२
५६	दरी और क़ालीन बुनना	२४३
५७	निवाड़ और रस्सी बनाना	२४४
५८	खाल पकाना और चमड़े की चीजें बनाना	२४५
५९	मिट्टी के बर्तन बनाना	२४७
६०	साबुन बनाना	२४९
६१	अचार और मुरब्बा	२५२
६२	पापड़	२५७
६३	सिरका	२५९
	भाग पांचवां — विविध विषय	
६४	तरक्की के सब जरियों को काम में लाओ	२६०
६५	ग्राम शाला	२७२
६६	अनिवार्य या चाह शिक्षा	२७६
६७	स्त्री शिक्षा	२७८
६८	गांवकी स्कूल कमेटी	२८२
६९	माप तौल	२८४
७०	विविध नुस्खे	२८७
७१	परहेज गारी	२९१
७२	गावों में जान-माल की हिफाजत	२९४
७३	अर्थकर (इनकमटैक्स)	३०१

भाग-पहिला

कृषि

परिच्छेद १

"ग्रामीण जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता"

जिन महानुभावों ने हिन्दुस्थान के किसानों की बुरी हालत पर विचार किया है, उनकी राय है कि किसानों की निर्धनता के कई कारणों में से एक कारण यह है कि उनकी खेती की उपज बहुत कम होती जाती है। एक तो बहुत काल से ज़मीन बराबर जोती जा रही है और दूसरे खेती के तरीक़े भी आजकल की स्थिति के अनुसार नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि यदि उनकी खेती की तुलना पश्चिमी देशों से की जाय, तो मालूम होगा कि इस देश के खेती के धंधे में बहुत सुधार की ज़रूरत है, जैसा कि मध्यप्रांत के कृषि-विभाग के भूतपूर्व डायरेक्टर डॉ० क्लाउसटन ने कहा है,:—

"चाहे जिस माध्यम से जांच की जाय; याने चाहे यहाँ और वहाँ के किसानों के खेतों के क्षेत्रफल व हक़ का मुक़ाबला किया जाय, चाहे उनके खेती के औज़ार अथवा खाद देने के तरीक़े देखे जायँ, चाहे फ़सलों के अदल बदल, बोने की रीति, चाहे बीजों का चुनाव, चाहे सिचाई के तरीक़े, चाहे ज़मीन की उन्नति करने के उपाय, चाहे पैदावार के बाज़ार में बेचने की सुविधायें तथा बेचनेवालों के संघठन, चाहे पशु पालने की विधि या अन्य देहाती दस्तकारियां व रोज़गार इत्यादि की तुलना की जाय, तो विदित होगा

कि हमारे देश की खेती की व्यवस्था बहुत ही पिछड़ी और गिरी दशा में है।"

सम्भव है कि कोई सज्जन इस तुलना को पूरी तौर पर मानने के लिये तैयार न हों; परंतु यह बात अकाट्य है कि नई नई मशीनों व खादों के उपयोग से, व खेती को कीड़े मकोड़ों से बचाने के साधनों से, व दूसरे नये तरीकों के इस्तेमाल से दूसरे मुल्कों में खेती की उपज बहुत बढ़ाई जा चुकी है और कोई कारण नहीं है कि यदि उसी प्रकार के साधन इस देश में भी उपयोग में लाये जायँ, तो यहाँ की खेती न सुधरे।

"यहाँ का एक साधारण किसान भी अपने खेती के काम को मामूली तौर पर अच्छी तरह से समझता है और यदि उसको विश्वास दिलाया जाय कि किसी नये तरीके के बरतने से उसको लाभ होगा, तो वह निःसंदेह इस तरीके के उपयोग करने में आनाकानी नहीं करेगा। लोग कहते जरूर हैं कि इस देश के किसान लकीर के फकीर हैं और वे अपने बापदादों की रीतियों को बदलने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है कि यदि उनको ठीक तौर पर समझाया जावे तो वे अपनी भलाई के साधन क्योंकर न स्वीकार करें। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कोई नई तरह की उपयोगिता उन्हें अच्छी तरह समझा दी जावे।

गरज कि ग्रामीण सुधार के लिये पहिली बात यह है कि किसानों की मनोवृत्ति इस तरह से बदली जाय कि वे अपनी खेती सुधारने के लिये स्वयं इच्छुक हो जावें; और यह धारणा तभी पैदा हो सकती है, जब कि उनमें खेती की जुताई से लेकर फसल को

काटने, चूरने और बेचने के भिन्न भिन्न लाभदायक तरीक़ों के ज्ञान का प्रसार ठीक रीति से बार बार किया जावे।

आगे के परिच्छेदों में इन्हीं तरीक़ों को सरल भाषा में बतलाने की कोशिश की गई है और आशा है कि ग़ैर सर्कारी कार्यकर्त्ता उनको ख़ुद समझ कर किसानों को अच्छी तरह से समझावेंगे और देखेंगे कि वे इन तरीक़ों को काम में लाते हैं या नहीं। यदि इनका प्रचार ठीक तौर पर हो गया तो इसमें शक नहीं कि थोड़े ही समय में कृषि द्वारा किसानों की आर्थिक दशा सुधर जावेगी और इसका यश कार्य-कर्त्ताओं को भी मिलेगा। इस विषय में नीचे लिखी बातों पर लगातार आंदोलन करने की आवश्यकता है।

(१) सर्वोत्तम और सबसे अधिक उपयुक्त बीजों को चुनना व बोना।

(२) जहाँ सम्भव हो, वहाँ अधिक लाभदायक नई फसलों का प्रचार करना।

(३) खाद एकत्रित करने के लिये गड्ढे खोदना और सब प्रकार के खादों को तैयार करके खेतों को उपजाऊ बनाने के लिये उन को काम में लाना।

(४) जलाने के लिये कंडे बनाना या उनका बेचना बंद करना।

(५) हरी खाद और कृत्रिम खाद यथासंभव काम में लाना।

(६) नये प्रकार के सुधरे हुए औज़ारों को काम में लाना।

(७) नये सुधरे हुए तरीक़ों से खेती करने का अभ्यास

करना, जैसे कि एक क़तार में बोना, फ़सलों का अदल बदल करना इत्यादि।

(८) कीड़ों को नष्ट करने के उपाय सीखना तथा उनके नाश का प्रयत्न करना।

(९) ढेंकी, रहट और पंप इत्यादि से सींचने का प्रचार करना।

(१०) साग भाजी और फल की उपज को बढ़ाना।

(११) खेती और उपज की बिक्री को सहयोगी ढंग पर संगठित करना।

परिच्छेद २

"जुताई"

खेती ठीक ठीक करने के लिये किसान के पास केवल अच्छे बैल और अच्छे औज़ार ही न होना चाहिये, बल्कि उसे अपने खेतों के ज़मीन की किस्म का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिये, याने उसे यह समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके खेत की मिट्टी में किस क़िस्म की फसल पैदा करने की शक्ति है और भिन्न फसलों को पैदा करने के लिये उस खेत में कितनी जुताई करने की आवश्यकता है और कौन कौन प्रयोग की ज़रूरत है।

उसको जानना चाहिये कि खेत की मिट्टियाँ, रेत, कपा, चुनकंकड़ और वनस्पति अंश (ह्यूमस) के मिश्रण से बनती है। इनमें से चूना और वनस्पति अंश लेशमात्र होता है। जिस मिट्टी में रेत और चिकनी मिट्टी सम भाग में होती है, उसे लोम कहते हैं। जिस ज़मीन में, काली कपासी ज़मीन की भाँति, चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, वह मटियारी ज़मीन कहलाती है; और जिसमें सेहरा या बर्रा की भाँति रेत या कंकड़ की मात्रा अधिक होती है उसे रेतीली या कंकड़ीली ज़मीन कहते हैं। सर्वोत्तम खेत वे होते हैं जिनमें चारों पदार्थों की उपयुक्त मात्रा होती है। किसी भी ज़मीन पर फ़सल उगाई जाती है, तो ज़मीन से कुछ खनिज पदार्थ पौधों के शरीर रचने में लगातार खर्च होते रहते हैं। यदि ये पदार्थ समय समय पर फिर खादके रूपमें मिट्टी में न मिलाये जावें तो मिट्टी का सारा खनिज अंश जल्द ही खतम हो जाय। फिर भी दयालु प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि कोई किसान मूर्खता से गोबर को खाद के काम में न लाकर जलाने में खर्च करदे, लेकिन अपने

खेत की सिर्फ़ जुताई ही अच्छी तरह करता जावे, तोभी उस खेतकी उर्वरता में ज्यादा कमी न हो। इसका भेद यह है कि जब ज़मीन जोत डाली जाती है, तब सूर्य और हवा उस की शक्ति को फिर पूरा कर देते हैं। विज्ञानवेत्ता बतलाते हैं कि मिट्टी में असंख्य कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु मिट्टी और हवा में पौधों की मौजूदा भोजन सामग्री को ऐसे रूप मे बदल देते हैं कि जिससे वह पानी में घुल जावे और पौधे उसे अपनी जड़ों द्वारा खींच सकें। उनका यह भी कहना है कि हवा के बिना ये कीटाणु अच्छी तरह काम नहीं कर सकते, इसलिये ज़मीन को अच्छी तरह जोतना चाहिये, ताकि मिट्टी में बाहर-भीतर अच्छी तरह हवा लगसके। साधारण किसान यह भली भाँति समझता है कि जोतने से ज़मीन बराबर हो जाती है जिससे बोनी करने में सुगमता होती है; वह यह भी समझता है कि जोतने से मिट्टी ढीली हो जाती है और उसमें भोजन ढूंढने के लिये जड़ें आसानी मे फैल सकती हैं, परन्तु उसे अक्सर यह नहीं मालूम रहता कि मिट्टी को फोड़ डालने से वह उन कीटाणुओं को अपने महत्वपूर्ण कार्य, अर्थात् पौधों के खाद्य को जमा करने में सहायता देता है; और उसे शायद यह भी नहीं मालूम रहता कि जोतने से वह मिट्टी को बरसात का पानी सोखने और जमा करने मे मदद देता है। बिना जुते हुए खेत में मिट्टी गर्मी रहती है और बरसाती पानी का अधिकांश भाग नदी नालों में बह जाता है। सिद्धांत यह है कि जितना अधिक गहरा खेत जोता जाता है, उतना ही ज्यादा वह पानी सोखता है। इस लिये उन फसलों के लिये, जिनको बाढ़ के बाद ज्यादा पानी जमा रखने की ज़रूरत होती है, खेत को गहरा जोतने से फायदा होता है, जैसे, सूखे मौसम में पैदा की जानेवाली गेहूँ और अन्य उन्हारी फसलों के लिये गहरी जुताई करना चाहिये। खरीफ फसलों के लिये जो बरसात में पैदा की जाती हैं, गहरी जुताई हमेशा लाभकारी नहीं होती,

ख़ासकर जब कि खेत की मिट्टी भारी होती है। ग़रज़ कि किसानों को समझना चाहिये कि जुताई के उद्देश क्या है।

ऊपर बतलाया गया है कि जुताई करने से ज़मीन फिर से शक्तिशाली हो जाती है, पानी अधिक सोखती है, बीज बोने मे सुगमता होती है और पौधों की जड़ों को फैलने का मौका मिलता है। एक बड़ा फ़ायदा यह भी होता है कि कांस इत्यादि निरर्थक हरियाली जो मिट्टी के खाद्य पदार्थ को चुरा लेती है, वह जुताईसे नष्ट हो जाती है। जुताई के बाद बखर चलाने से ज़मीन का सोखा हुआ पानी जल्द उड़ने नहीं पाता।

अच्छे किसान बहुधा बरसात के बाद अपने खेत बखरते हुए देखे जाते हैं। वे ऐसा इस लिये करते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव से सीख लिया है कि धरती के ऊपर ढीली मिट्टी की थर रखने से खेत मे मिला हुआ पानी हवा के साथ जल्द उड़ जाने से रोका जा सकता है। यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस साल किस खेत को कितना गहरा या कितने बार जोता जाय। इसका निश्चय करने के लिये कई बातों पर विचार करना पड़ता है:—जैसे उस खेत की मिट्टी कैसी है, उसमे कौनसी फ़सल बोना है, मौसम किस क़िस्म का है, बैलों में ताक़त कितनी है, खेत में कांस वग़ैरा तो नहीं है, इत्यादि। इन पर विचार करते हुए ऊपर लिखे हुए सिद्धांतों द्वारा मार्ग ढूंढने मे सहायता मिलेगी। बेहतर होगा यदि एक नया या नातजुर्बेकार किसान अपने गाँव के चतुर किसानों से या खेती विभाग के एग्रिकलचरल असिस्टेंट से सलाह लेकर उचित जुताई के तरीके के बारे मे राय क़ायम करे फिर भी यह बात कहने योग्य है कि बिना सिंचाई की खेती की सफलता, विशेषकर जाड़े मे होनेवाली रबी की फ़सल पैदा करने के

लिये, अधिकतर गहरी और उत्तम जुताई पर निर्भर होती है। प्रयत्न यह होना चाहिये कि बीज बोने के पहले ज़मीन का थर कम से कम नौ इंच गहराई तक बिलकुल साफ, बारीक, भुरभुरा व तर हो। इस प्रकार ज़मीन बनाने के लिये खेत को कम से कम ९ इंच गहरा लोहे के हल से एकबार जोतना चाहिये। 'यदि लोहे का हल न मिले या बैल कम ताक़तवाले हों तो भारी देशी हल ही से,' कम से कम, तीन बार जोतना चाहिये। यह जुताई अगस्त महीने के मध्य में, जब जब पानी न बरसता हो या और कभी जब सम्भव हो, करनी चाहिये। इसके बाद ज़मीन को बक्खर से बखरना चाहिये। जुताई व बखरनी जबतक कि बोने का समय न आजाय, या ज़मीन बोने के लिये साफ तैयार न हो जाय, तबतक जारी रखना चाहिये। ऐसा करने से बीज बराबर ऊगेगा और पौधे हृष्ट-पुष्ट होंगे।

ख़रीफ की फसल के लिये जुताई साधारणतः जाड़े की ऋतु में होनी चाहिये, कारण यह है कि यदि गर्मी पड़ने के पहले खेत जोते जावेंगे, तो अंदरूनी मिट्टी तेज़ धूप और हवा के प्रभाव में आ सकेगी। ऐसा करने से पौधों के लिये आवश्यक भोजन पैदा होगा, क्योंकि इस समय सूर्य और हवा के असर से मिट्टी में रसायन क्रियायें तेज़ी से उत्पन्न होती हैं।

अच्छी खेती के लिये दो बातों की ज़रूरत होती है:— खेती के औज़ार और उन्हें चलाने की शक्ति। इस देश में बहुधा औज़ार बैलों द्वारा चलाये जाते हैं, इसलिये बैल इतने मज़बूत होने चाहिये कि वे अपना काम भली भाँति कर सकें। अच्छे बैलों के चुनने तथा उनके पालने की रीतियाँ आगे के परिच्छेदों में लिखी गई हैं।

औज़ारों के विषय में यहाँ इतना बतलाना काफी होगा कि यदि मौजूदा देहाती औज़ार यहाँ की परिस्थिति के लिये बहुधा ठीक

होते हैं, तोभी सरकारी खेती विभाग ने विदेश से आये हुए चंद नये किस्म के औज़ारों की उपयोगिता की भली भाँति परीक्षा कर रखी है। वे अमीर किसान जो ऊँचे दर्जे की खेती करना चाहते हों, अपने स्थान के खेती विभाग के अफ़सरों से सलाह ले सकते हैं कि उनकी खेती के लिये कौन से प्रकार के नये औज़ार लाभदायक होंगे। आजकल तो इस देश में भी अच्छे अच्छे खेती के औज़ार व कलें बनने लगी हैं, मसलन् किर्लोस्कर कंपनी के बनाये हुए हलों की बहुत तारीफ़ है। जिन काश्तकारों की हैसियत नये औज़ार खरीदने की हो उन्हे चाहिये कि वे उन्हे ज़रूर आज़मावे।

परिच्छेद ३

"खाद"

पिछले अध्याय मे समझाया गया था कि यदि किसान अपने खेत को भली भाँति जोतता रहे, तो कीटाणुओं द्वारा पौधों का भोजन मिट्टी में बनते रहने के कारण उस खेत की उपजाऊ शक्ति किसी क़दर ज्यों की त्यों, बनी रहेगी, परंतु यदि किसी खेत मे लगातार खेती की जाय तो यह स्पष्ट है कि कभी न कभी, उसके खाद्य का स्वाभाविक भांडार चुक जायेगा। इस कमी को पूरा करने की सब से सरल तरकीब यह है कि खाद चतुराई से दी जावे।

खादें दो प्रकार की होती हैं स्वाभाविक (भौद्रिय) और रासायनिक (खनिज)। स्वाभाविक खाद की भी दो क़िस्में होती हैं; स्थूल खाद; जैसे, हरी खाद और ठोस खाद, जैसे खली। स्थूल खादों में सबसे मुख्य और सब लोगों का जाना हुआ गोबर का खाद है। ठोस खाद से स्थूल खाद ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और अधिक पानी सोख सकती है। अच्छी खाद बनाने की सबसे सरल तरकीब यह है कि क़रीब चार फुट गहरे गड्ढे खोदकर उसमें गोबर और कूड़ा इकट्ठा करता जावे। ये गड्ढे आबादी से लगभग २०० गज़ की दूरी पर गांव की बंजर ज़मीन पर या खेतों में होने चाहिये। गड्ढों की लम्बाई और चौड़ाई किसान के जानवरों की तादाद के अनुसार होनी चाहिये। जब ये गड्ढे भर जावें तो उनको मिट्टी से ढांक कर उनके चारों ओर मेड बांध

देनी चाहिये, जिससे उनमें बरसात का पानी न जा सके। गड्ढे ढांकने के बाद लगभग नौ महीने मे खाद तैयार हो जाती है। हवा और धूप में गोबर के ढेरों के जमा करने का तरीक़ा बिलकुल ग़लत है, क्योंकि ऐसा करने से उसके बहुमूल्य गुण नष्ट हो जाते हैं और खाद बराबर सड़ती भी नहीं है। उस प्रकार की कच्ची खाद खेतों मे डालने से उनमे दीमक भी लग जाती है जो फ़सलों को बहुत नुक़सान कर डालती है।

खाद देने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि खूब पके हुए खाद को खेत पर एकसा फैलाकर खेत को फ़ौरन जोत डाले, जिस से खाद मिट्टी मे मिल जावे और उसे धूप और हवा से कोई नुक़सान न पहुँचने पावे। खाद के ढेरों को अधिक समय तक खेतों मे पड़े नहीं रहने देना चाहिये।

ऊपर बतलाया हुआ खाद, गोबर, मूत्र, व कूड़े कचरे के सड़ने से बनता है। एक दूसरा स्थूल खाद जो सफलता के साथ सरकारी खेतों में काम में लाया जा रहा है वह कम्पोस्ट खाद [*खिचड़ा*] कहलाता है। थोड़े दिन हुए, इंग्लैंड देश में प्रयोग करके यह सिद्ध किया गया है कि अच्छा खाद भिन्न प्रकार के कचरों से बिना अधिक गोबर या मूत्र के मिश्रण से भी बनाया जा सकता है।

सब प्रकार की फालतू वनस्पति जैसे, घास कांस-फूस, सड़े हुए पत्ते, नरोटा, मोटी घास, गन्ने की छूल, केले की गाभें, कपास, तुवर और मक्का के डंठल, चारे की जूठन, भूसा इत्यादि गाँवों में बहुत परिमाण मे मिल सकते हैं और इन्हीं से खिचड़ा खाद बन जाता है, जो स्वाभाविक गोबर के खाद से कुछ कम ताक़तवर नहीं होता। ज़रूरत सिर्फ इस

बात की है कि किसान लोग इस कचरे को खाद में तबदील करने की विधि सीखें। सब प्रकार के कचरे को पहिले छोटे छोटे टुकड़ो मे काट डाला जाय। इसके लिये यदि मिल सके तो चारा काटने की कल का उपयोग करे; वर्ना मोटे कचरे को या तो मार में बिछादे या जिस रास्ते पर से गाड़ी आती जाती हों, वहाँ बिछा दे। ऐसा करने से ढोरों के पाँवों के नीचे दबकर या गाड़ियों के चाकों मे कुचलकर यह कचरा जल्द ही चूरा होजावेगा। मार में बिछाने से वनस्पति मे गोबर और मूत्र भी मिल जावेगा जो खाद की ताक़त को और भी बढ़ावेगा। इस तरह जब हरी वस्तुएँ काफ़ी बारीक होजावें तो निम्न लिखित विधि काम में लानी चाहिये।

[१] एक दस फुट लम्बा, दस फुट चौड़ा, और छै इंच या एक फुट गहरा गड्ढा खोदो।

[२] फिर उपर्युक्त विधि के अनुसार तैयार किये गये सब कूड़ा-कर्कट को हलके तौर पर पोला पोला उसमे फैलाओ, जबतक कि तह एक फुट मोटी न हो जाय।

[३] बाद को निम्न लिखित मिश्रण का एक चौथाई भाग और थोड़ा सा खूब सड़ा हुआ गोबर का खाद इसके ऊपर बराबर छिड़ककर फैलाओ, जिससे कि आवश्यक वस्तुएँ एकत्रित होकर इस कूड़े कचरे को खाद के रूप मे परिणत कर दें:—

अमोनियम सलफ़ेट —	१० सर
चूने का कंकड़—	१५ सेर
सुपर फास्फेट या बोन कम्पोस्ट—	१० सेर
कुल	३५ सेर

उपर्युक्त पदार्थ काम में लाने के पहिले खूब अच्छी तरह से मिला लेना चाहिये। सुपरफास्फेट को चाहे तो निकाल भी सकते है और यदि गोमूत्र काफी परिमाण में, अर्थात् १० से १५ पीपे मिल सके, तो उसे कूड़े-कचरे के हरे पदार्थों की प्रत्येक तह पर छिड़क देना चाहिये। ऐसी हालत मे अमोनियम सलफेट की आवश्यकता न होगी। ऊपर कहे हुए सुपर-फासफेट और अमोनियम सलफेटकी जगह १० सेर "निसी-फोस ग्रेड २" भी काम मे लाया जा सकता है। अमोनियम सलफेट का परिमाण २० सेर तक बढ़ाया जा सकता है जिससे कि लकड़ी के समान मोटे व सख्त डंठल भी जल्दी पूर्ण रूप से सड़ जाते हैं।

[४] जब ऊपर लिखे मुताबिक कचरे की एक तह इकट्ठी हो जावे तो उसे गोबर के पानी मे खूब तर करना चाहिये। गोबर का पानी बनानेकी विधि यह है कि गोबर को उसके वज़नसे २.५ से लेकर ५० गुना अधिक वज़न के पानी मे खूब घोलना चाहिये।

[५] उपर्युक्त विधियाँ नं० २, ३ और ४ को बार बार काम मे लाओ, जबतक कि चार तहें कूड़े-कर्कट की जमा न हो जायँ और कुल ऊँचाई कचरे की ४ फुट न हो जाय।

(६) ढेर को समय समय पर, जब ज़रूरत हो, बाद में सींचते जाओ जिससे कि उसमे हमेशा तीन-चौथाई गीलापन बना रहे। इसकी पहिचान यह है कि यदि कोई शख्स अपना हाथ इस ढेर के अंदर डाले, तो वह हाथ भीगा हुआ बाहर निकलना चाहिये। ग़रज़ कि ढेर में पानी काफ़ी मिक़दार में रहना

चाहिये और पानी की कमी न हो, इसलिये सिंचड़ा सड़ाने का काम बरसात में शुरू करना चाहिये और हरे कूड़े-कचरे को गरमी के महिनों में एकत्रित करके बारीक बना रखना चाहिये।

(७) ढेर को जहाँ तक हो सके, घनघोर वर्षा से बचाना चाहिये तथा धूप से भी। इस हेतु उस पर एक कच्चा छप्पर डाल देना चाहिये।

(८) इस तरीके से पत्तेदार पदार्थ से कम्पोस्ट खाद प्रायः तीन या चार महीने में तैयार हो जाती है, परंतु अन्य मख्त पदार्थों से:— जैसे, कपास या अम्बाड़ी के डंठल से, खाद बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। जब गड्ढे से निकाला हुआ नमूना मामूली गोबर कचरे की खाद के समान दिखे, तो समझ लेना चाहिये कि खाद काम में लाने के लायक तैयार हो गई।

(९) ऊपर लिखे हुये नम्बर ३ में यह बतलाया है कि चंद अंग्रेजी दवाइयों के साथ खूब सड़ा हुआ गोबर की खाद हर तह पर डालनी चाहिये, जिससे इस खाद के कीटाणु वनस्पतियों को सड़ाने में मदद दें। यदि किसी जगह पहिले की बनी हुई 'कम्पोस्ट' खाद तैयार हो, तो गोबर की खूब सड़ी हुई खाद के स्थान में इसको उपयोग में ला सकते हैं।

उपर्युक्त १० फुट लम्बे १० फुट चौड़े और ४ फुट गहरे गड्ढे में खाद का ढेर बनाने के लिये कच्चे पदार्थ (हरा कचड़ा) का

वज़न ६० से ८० मन तक होता है। यह वज़न काम में लाये हुये पदार्थों के प्रकार पर निर्भर होता है। इससे २८ मन के क़रीब फ़ार्मयार्ड खाद तैयार हो जाता है जिसमें ४० से ५० फ़ीसदी तरी रहती है। इस खाद के बनाने का तरीक़ा इतना सहल है कि मामूली खलियान में काम करनेवाले मज़दूर बिना अधिक खर्चे के इसके बनाने में मदद दे सकते हैं और उसकी निगरानी उन्हें सौंपी जा सकती है। ऊपर लिखे हुये रसायनिक पदार्थों की क़ीमत (जिससे कि २८ मन या एक गाड़ी भर कृत्रिम खलियानी खाद तैयार कर सकते हैं) लगभग नीचे लिखे अनुसार होती है।

खाद बनानेवाले रसायनिक पदार्थ	एक टन कृत्रिम खलियानी खाद के काम में लाये जानेवाले रसायनिक की क़ीमत.	एक गाड़ीभर खाद बनाने के लिये रसायनिक की क़ीमत.
	रु. आ. पा. रु. आ. पा.	रु. आ. पा. रु. आ. पा.
अमोनियम सल्फेट १० सेर— कंकड १५ सेर	१—११—० से १—१४—० तक	०—९—० से ०—१०—० तक
अमोनियम सल्फेट १० सेर चूने का कंकड १५ से. सुपर फा. १० से.	२—७—० से २—१०—० तक	०—१३—० से ०—१४-० तक
निमिफाम ग्रेड २ १० सेर चूने का कंकड १५ सेर	२—४—० से २—७ —० तक	०—१२—० से ०—१३-० तक

सरकारी फ़ार्मों में किये हुये प्रयोगों से मालूम होता है कि कृत्रिम फ़ार्मयार्ड खाद जो कि ऊपर लिखे अनुसार भिन्न २ कच्चे

पदार्थों से बनाई जाती है उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि साधारण गोबर की। उन गावों में जहाँ कि पशुओं की संख्या कम है, या जहाँ की मिट्टी को खाद की आवश्यकता अधिक परिमाण में होती है, वहाँ कृत्रिम खाद को बनाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। ऊपर लिखे हुये रसायनिक पदार्थ या तो गवर्नमेंट फार्म या किसी भी कैमिस्ट [रसायनिक पदार्थ विक्रेता] के यहां से मंगा सकते हैं।

एक और स्थूल खाद जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है हरी खाद है। इसकी तरकीब यह है कि अक्सर ढैंचा या सन की एक घनी फसल बो दी जाती है और जब वह ५ हफ्ते की हो जाती है तब पैटला से लिटा दी जाती है और मिट्टी को उलटनेवाले हल से जोतकर मिट्टी के नीचे दवा दी जाती है। बरसात में यह फसल सड़ गल कर अच्छे स्वाभाविक खाद का रूप ले लेती है। उस का असर मिट्टी पर वैसाही होता है जैसा कि गोबर के या खिचड़े खाद का।

जानवरों का मूत्र भी खाद के लिये प्रायः उतने ही काम का होता है जितना कि गोबर। अपने सब जानवरों का मूत्र जमा करने से किसान अपने खाद के मूल्य को दुगना कर सकता है। मूत्र को जमा करने की कई विधियां हैं। जहाँ घास भूसा या सूखी पत्ती की बहुतायत हो वहां ये चीजें जानवरों के नीचे बिछा देना चाहिये, ताकि वे मूत्र को सोख लें; परंतु चूंकि बहुत से गांवों में घासफूस कम होता है, इस लिये उसके बदले में मिट्टी को ही काम में लाना चाहिये। सारों में सूखी ढीली मिट्टी की मोटी ६ इंच की तह बिछा देना चाहिये। जिसपर जानवर खड़े हो सकें। यह मिट्टी घास भूसा और सूखी पत्ती से भी अच्छी तरह से पेशाब को सोख लेती है।

तीन चार हफ्तों में इस मिट्टी को खुरचकर खाद के गड्ढे में डाल देना चाहिये और सार में ताज़ी मिट्टी की दूसरी परत बिछा देनी चाहिये। गोबर, मूत्र और खलियान के कूड़े को जमा करने में न तो बहुत मेहनत लगती है और न उनका खाद बनाने में बहुत होशियारी ही। मामूली देहाती उस विधि को और उसके फ़ायदे को समझता है; परंतु वह उस का उपयोग नहीं करता। इस त्रुटि को पूरा करने के लिये यह ज़रूरी है कि गांव के चंद समझदार काश्तकार नासमझदार व अलालों के सामने स्वयं अच्छा नमूना पेश करें। इस प्रचार के काम में भाग लेकर, ग़ैरसरकारी लोग देश का और अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं।

ठोस खादों में खली सब से अधिक मुख्य है। खली कई प्रकार की होती है। इन में से अलसी, तिली, मूंगफली, बिनौला और नारियल की खली जानवरों के लिये उत्तम खाद्य पदार्थ हैं, और इन्हें जानवरों को खिलाना चाहिये और उनके गोबर को खाद की तरह काम में लाना चाहिये। परंतु अंडी, करंज और गई की खली जानवरों को खिलाने के लायक नहीं होती, इस लिये उसे खाद के काम में लाना चाहिये। एक मन अंडी की खली से मिट्टी को उतनाही नाइट्रोजन (शोरे का वायुसार) मिलता है जितना कि १० मन गोबर के खाद में। महुआ की खली बहुत दिनों तक मिट्टी में नहीं सड़ती और उगते हुये अंकुरों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, विशेष कर गन्ने को, इसलिये इसको खाद के रूप में कभी भी काम में न लाना चाहिये। मामूली तौर पर खली की खाद फसल बोने के क़रीब ६ महीने पहिले ज़मीन में डालनी पड़ती है। लेकिन यदि तुरंत फायदा पहुंचाना हो तो उसे खाद की तरह उपयोग में लाने के पहिले खूब सड़ा लेना चाहिये। इसकी विधि इस प्रकार है:—

पहिले बारीक पिसी हुई खली में चौथाई भाग खेत की मिट्टी मिलावे, फिर ताज़ा गोबर पानी में गाढा घोलकर उसमे खली व मिट्टी के मिश्रण को सान ले। जितनी खली सड़ाना हो उसमे चौथाई गोबर का पानी लेना चाहिये। इस तरह तैयार की हुई खली को दबा दबा कर ढेर बना ले और उस ढेर को अच्छी तरह से गीली मिट्टी से थोप देवे। उस ढेर को भारी वर्षा से बचाने के लिये छप्पर के नीचे रखे। थोपी हुई मिट्टी तड़कने न पावे, इसलिये उसपर पानी सींचते रहना चाहिये। दस पद्रह दिन में यह ढेर सड़ जावेगा और उसमें से बहुत तेज़ बदबू पैदा होगी। इसके बाद ढेर को फोड़ डालना चाहिये, ताकि हवा लगकर कुछ समय में बदबू निकल जावे। चार मन सड़ी हुई खली एक एकड़ कपास को ऊपरी खाद देनेके लिये काफी होती है। चंद फसलो में खली की खाद देने के तरीक़े नीचे दिये जाते हैं:—

"गन्ना"

बारीक पिसी हुई व बिना सड़ाई हुई खली एक एकड़ पीछे २५ मन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिये। इसमें से करीब १२ मन गन्ने के रोपे लगाने के पहिले डाला जावे, और बाकी गोड़ते समय ऊपर से दिया जावे। खली देने के बाद उसे मिट्टी में मिला देना चाहिये और उसके बाद फसल को सींचना चाहिये।

"गेहूं"

खली का खाद केवल उस गेहूं में देना चाहिये जिसकी सिंचाई कुयें या तालाब से हो। यदि पिसी हुई खली काम में लाना हो तो, जैसे बीज के साथ, बोनी के समय, एक एकड़ पीछे

क़रीब ५ मन के हिसाब से डालना चाहिये। यदि सड़ाई हुई खली देना हो, तो उसे जब गेहूं ३–४ इंच ऊंचा हो जावे तब ऊपर से छोड़ना चाहिये। एक एकड़ पीछे क़रीब खाद तीन मन खाद काफ़ी होती है।

" फल के दरख़्त "

फल के दरख़्तों को भी बारीक पिसी हुई खली की खाद देने से फ़ायदा होता है। एक मामूली झाड़ पीछे क़रीब ७ सेर खली पौड़ के आसपास झुरककर खुर्पी से मिट्टी में मिला देना चाहिये। यह खाद बरसात के शुरू में देनी चाहिये और इसे दिसम्बर में फिर दुबारा दे सकते हैं।

" दूसरी फसलें "

किसी भी सींची जानेवाली फसल को खली की खाद दी जा सकती है। मिर्ची, तम्बाकू और केलों के आसपास थोड़ा थोड़ा खाद उनकी बाढ़ के समय छिड़का जा सकता है। हरदफ़े खाद डालने के बाद हलके तौरपर मिट्टी गोड़ देनी चाहिये।

रासायनिक पदार्थों के खादों में अक्सर इस्तेमाल किये जानेवाले " सलफेट आफ अमोनिया " और " सोडियम नाइट्रेट " हैं। ये विलायती खनिज खादें बहुत मंहगी नहीं होतीं। और किसी भी सरकारी फार्म से आसानी से मंगाई जा सकती हैं। स्वाभाविक और रासायनिक खादों में फ़र्क यह है. कि स्वाभाविक खादों को पौधों से काम लायक होने के पहिले उन्हें खुद रूपांतर होना पड़ता है; व रासायनिक खादें इस रूप में रहती हैं कि उन से पौधों को ज़रूरी नाइट्रोजन एकदम पहुँच जाता है। स्वाभाविक खादों का असर धीरे धीरे होता है और उनमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ीसी होती है। इसलिये खनिज खादों की अपेक्षा स्वाभा-

विक (गोबर की खाद) खाद अधिक मात्रा में देनी पड़ती है और इसी लिये गोबर की या कूड़े कचरे की खादों को स्थूल खाद कहते हैं। रासायनिक खादों का असर जल्दी होता है परंतु वे मंहगी होतीं हैं और इन के इस्तेमाल का तरीका सीखने की ज़रूरत पड़ती है।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि जहाँ मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम है, वहाँ सोडा नाइट्रेट के समान जल्दी असर करनेवाले खाद को काम में लाने से शायद ही लाभ हो सकता है। जहाँ कहीं ऐसी खादों का उपयोग किया भी जावे, तो वहाँ पहिले हरी या गोबर की स्थूल खाद की पुट दे देनी चाहिये, और फसल ज़मीन के ऊपर अच्छी तरह निकल आने पर ही ऐसी खादें दी जा सकती हैं। यदि वे बोनी के पहिले ही दी जायें तो अधिक वर्षा में उनके बह जाने का डर रहता है। ऐसी खादों का मुख्य उपयोग यह है कि यदि किसी फसल के पूरे बाढ़ के लिये काफ़ी समय नहीं है, तो ऐसी खादें पौधों की बाढ़ में जल्द तरक्की कर देती हैं। लेकिन इन खादों के इस्तेमाल में होशियारी की ज़रूरत होती है। बेहतर होगा कि वे किसान जो रसायन काम में लाने का इरादा रखते हों, उसे आज़माने के पहिले खेती विभाग के किसी अफ़सर से सलाह ले लें।

साधारण किसान लोगों को तो यह चाहिये कि वे पहिले अपने गोबर के खाद की रक्षा करें और उसका उपयोग अच्छी तरह सीखें। जब वे खुद अपने हाथ से परीक्षा करके देख लेंगे कि गोबर के खाद से उनकी फसल तिहाई से डेवढ़े तक बढ़ाई जा सकती है, तब उन्हें अपनी फसल अधिक गाढ़े खादों और दूसरी कृत्रिम विलायती खादों द्वारा और भी अधिक बढ़ाने की लालसा अपने आप पैदा हो जायगी।

परिच्छेद ४

"फसलों की अदलबदल"

पिछले परिच्छेदों में कहा गया है कि उचित रीति से खेती करने और खाद देते रहने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति क़ायम रखी जा सकती है। कम ताक़तवर ज़मीन की शक्ति क़ायम रखने का एक उपाय यह भी है कि उसे कुछ समय तक पड़ती रखकर आराम दें। परंतु आजकल पैसे की तंगी की हालत में ज़मीन को अधिक समय तक पड़ती रखने में, पहाड़ी देशों के अतिरिक्त किफ़ायत नहीं होती। ज़मीन को उपजाऊ बनाये रखने का एक उपाय फसलों का अदल बदल करना भी है। किसानों को अनुभव से मालूम ही है कि फसलों में अदलबदल करने और बिर्रा बोने से क्या लाभ हैं। यद्यपि उन्हें इसका वैज्ञानिक कारण नहीं मालूम है, तथापि वे समझते हैं कि फली (छीमी) वाली फ़सल (दाल इत्यादि) से उसी खेत में अगले साल की गेहूं की फ़सल सुधर जाती है, और जिस खेत में गेहूं की फसल मामूली आने की उम्मीद हो उसमें बिर्रा, याने गेहूं और चना की मिलवां फ़सल, अच्छी तरह पनपती है। इसी तरह कपास और ज्वार के साथ अक्सर तुवर (अरहर) मिलाई जाती है। तुवर की क़तारें साल व साल थोड़ी आसपास सरका दी जाती हैं, जिससे ज़मीन का प्रत्येक भाग उनके तले हो जाये। कोदों और कुटकी अक्सर ज्वार और तुवर के साथ मिलाई जाती है और उसी खेत के छोटे छोटे टुकड़ों में ग़रीफ़ की फसलों के बोने के

रिवाज से किसी क़दर एक प्रकार का अदल बदल हो जाता है। मध्यप्रांत के कुछ भागों में ऊंचे दर्जे की सिहार ज़मीन पर गेहूं और चना, तुवर, कोदो और धान को तीन तीन साल की फेरी से बोने का रिवाज है। मामूली तौर से चना अक्सर धान या किसी दूसरी ख़रीफ की फ़सल के बाद बोया जाता है। गेहूं को धान के बाद बोने से कई जगह फ़ायदा हुआ है।

फ़सलों में अदलबदल करने या पारी बांधने का कारण यह है कि छीमीदार फसलों की जड़ों में बहुतसी छोटी छोटी गठानें होती हैं जिनमें असंख्य कीटाणु रहते हैं जो खुराक के तौर पर हवा में नाइट्रोजन ले सकते हैं। यह गुण इन कीटाणुओं के अतिरिक्त अन्य प्राणियों या वनस्पतियों में नहीं होता। इन जड़-वाली गठानों की तादाद जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक नाइट्रोजन हवा में से खिचकर ज़मीन में इकट्ठा होगा।

फ़सलों के अदलबदल करने में एक दूसरा सिद्धांत यह भी है कि सब फ़सलें अपने बाढ़ के लिये ज़मीन से एक ही प्रकार के तत्वों को नहीं खींचतीं। किसी को कोई तत्व की ज्यादा ज़रूरत होती है किसी को कम की। फ़सलों के अदलबदल करने से ज़मीन को मौक़ा मिल जाता है कि पहली फ़सल के खींचे हुये तत्वों की कमी को दूसरे प्रकार की फ़सल के होते समय पूरी कर दे। अर्थात् ज़मीन को एक प्रकार का आराम मिल जाता है जिससे उसकी उपज शक्ति में कमी नहीं होने पाती। एक दूसरी बात यह भी है कि गेहूं व ज्वार सरीखी फ़सलों की जड़ें ज़मीन की ऊपरी सतह में रहती हैं, व चना, कपास व तुवर सरीखी फ़सलें अपना आहार गहरी तहों से खींचती हैं। इस प्रकार की फ़सलों के अदल बदल करने से ज़मीन के निचले

सतह के खाद्य पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अदलबदल करने का एक फ़ायदा यह भी है कि एक प्रकार की फ़सल को नुक़सान पहुंचाने वाले कीड़ों को दूसरे प्रकार की फ़सल अक्सर पसंद नहीं होती। इसलिये पहली फ़सल को चरने के लिये जो कीड़े खेत में आते हैं वे फ़सल तबदील हो जाने पर बहुधा भूखों मर जाते हैं, क्योंकि उनको आसपास में कोई उपयुक्त वस्तु खाने को नहीं मिलती।

यद्यपि प्रचलित अदल-बदल क्रम के, जो स्थानीय ज़मीन और आबहवा के मान से और पुरखों पुरत के तजुर्बे पर निर्धारित होने के कारण ज़रूर उत्तम होंगे, तोभी सरकारी खेती विभाग के अफ़सरों से राय लेनी चाहिये कि आजकल की स्थिति देखते हुये इस क्रम में तबदीली की जा सकती है या नहीं। यह भी देखा जाता है कि अदल-बदल के फ़ायदे समझते हुये भी बहुतसे किसान ज़्यादा पैसा कमाने की ग़रज़ से हरसाल लगातार अपने खेतों में कपास ही बोते जाते हैं; लेकिन परीक्षाओं द्वारा सिद्ध हो चुका है कि किसी भी खेत में लगातार कपास बोते रहने से फसल की उपज में कमी होने लगती है। उसी खेत में मका, गेहूं और छीमियों (दालों) सहित चार साल अदल-बदल करने से कपास की उपज दुगुनी होने लगती है और तीन साल की फेरी से ड्योढ़ी। कपास के साथ अदल बदल करने के लिये मूंगफली बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है और उस समभूमिवाले ज़िलों की खेती में सन और कपास के अदल-बदल की रीति बहुत प्रचलित होती जाती है।

परिच्छेद ५.

"बीज का चुनना"

अपने खेतों को अच्छी तरह तैयार करने के बाद हरएक किसान की स्वाभाविक इच्छा यही होगी कि उनमें ऐसे बीज बोये जाएं जिनकी केवल उपज ही उत्तम न हो; बल्कि कीमत भी अच्छी आवे। इस विषय में यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि हर क़िस्म की ज़मीन में, या हरजगह, मनमानी फसलें पैदा नहीं की जा सकतीं, जैसे, यदि कोई खेत धान की खेती के लिये उपयुक्त हो, तो उसमें कपास बोना सरासर अनुचित होगा, हालांकि धान के मुक़ाबले में कपास अधिक दामों में ज़रूर बिकता है। किस स्थान में कौनसी फ़सलें पनपेंगी, यह वहां की ज़मीन व आबहवा पर निर्भर रहता है, और किस ज़मीन को कौनसी फसल मान करती है, यह थोड़े तजुर्बे से मालूम हो जाता है। सवाल सिर्फ यह रहता है कि किसान की माली हैसियत और परिस्थिति को देखते हुए उसे कौनसी फ़सल बोना सबसे अधिक लाभदायक होगा। इसका निश्चय कर उसे उस फ़सल के लिये जितना अच्छा बीज मिल सके इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिये। अच्छी फ़सल की पसन्दगी कोई मुश्किल बात नहीं है; परंतु यदि उसे दुविधा हो तो वह गांव के उन सयानों से सलाह ले सकता है, जिन्हें खेती का तजुर्बा हो, या जिनने उसके पसंद की फ़सल की उत्तम क़िस्मों को खेती विभाग की सिफारिश के अनुसार बोकर लाभ उठाया हो। यदि वह साल में एक ही फसल बोना चाहता हो, तो उसे ध्यान से विचार करना

चाहिये कि उसके बदले मिलवाँ फ़सल बोने से या किसी दूसरी फ़सल के साथ अदल-बदल करने से क्या उसकी पैदावार बढ़ नहीं सकती। यदि उसे अपनी पैदावार से कोई शिकायत न भी हो, तो भी उसे विचार करना चाहिये कि क्या उसे दूसरे फ़सल के ज़रिये, जैसे कपास के बदले मूंगफली बोने से, कुछ ज़्यादा पैसा न मिल सकेगा। यह सुनकर उसे प्रसन्नता होगी कि खेती-विभाग ने वर्षों के धैर्य और परिश्रम के बाद फ़सलों की उत्तम उत्तम क़िस्मों का प्रचार किया है और उन फ़सलों के शुद्ध बीज बाँटने का प्रबंध भी किया है। बारीकी के साथ बहुतसी परीक्षायें और आज़माइशें करके खेती विभाग ने कई उत्तम क़िस्में निकाली हैं। जिन सुधरी हुई क़िस्मों की सिफ़ारिश खेती-विभाग करता है वे या तो अच्छी उपज देनेवाली होती हैं, या जल्दी पकनेवाली होती हैं, या रोग से अधिक बच सकनेवाली होती हैं, या उनके बाज़ार में अधिक अच्छे दाम आते हैं। इसलिये इन क़िस्मों की आज़माइश करने से किसानों को बड़ा लाभ होगा, ख़ासकर इस वजह से कि सुधरी हुई क़िस्मों के बोने से कोई सिवाय ख़र्च नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी या बढ़ी हुई उपज से उसे निस्संदेह मुनाफ़ा ही होगा।

जो किसान सुधरी हुई क़िस्म का बीज ख़रीदना चाहे, वह अपनी आवश्यकता सरकारी फ़ार्म के बीज भांडार से, अथवा किसी भी फ़ार्म से, या पंचायती दूकान से या कुछ तहसील-कृषक-सभाओं (तालुक़ एग्रिकल्चर एसोसियेशन) द्वारा संचालित दूकानों से पूरी कर सकता है। गेहूं पैदा करनेवाले ज़िलों में कुछ सहयोगी सभायें (कोआपरेटिव्ह सोसायटीज़) भी सहयोगी नियमों पर बीज का रोज़गार करती हैं। उनसे भी सम्मिलित ज़मानतदारी पर बीज प्राप्त किया जा सकता है। जिन किसानों के पास

नकद रुपया न हो, वे तहसीलदार को तकावी क़र्ज़ के लिये दरख़ास्त दे सकते है। यह क़र्ज़ हल्के ब्याज पर दिया जाता है। तिसपर भी बहुतेरे किसान ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण अपने अपने मालगुज़ार से या साहूकार से बीज उधार लेते हैं और फ़सल पकनेपर सवाई ब्याज सहित अदा करते हैं। इन बेचारों को भारी ब्याज देने के सिवाय बीज पसंद करने का भी मौक़ा नहीं मिलता। जैसा भी बीज साहूकार के बंडे या कोठे में मौजूद होता है उन्हें वैसा ही लेना पड़ता है; परंतु यदि यह बीज बोनी के लायक न हो, तो वे उसे बेच सकते हैं और बिक्री से आये हुए दामों से अच्छा बीज खरीद सकते हैं, या कमसे कम वे साहूकार के यहां से पाये हुये माल को साफ़ कर सकते हैं और बोने के पहले उत्तम उत्तम दाने चुन सकते हैं।

जो किसान निजी बीज जमा करते हैं उन्हें चाहिये कि अपने खेत की फ़सल में से सबसे उत्तम बालें या भुट्टे चुन लें और उन्हें बीज के लिये अलग रख छोड़ें। यदि वे सुधरी हुई क़िस्में बो रहे हैं, तो उन्हें इनकी हिफ़ाज़त करनी चाहिये ताकि दूसरी क़िस्मों के मेल से उनकी किस्मों की शुद्धता में फ़र्क न पड़ने पावे। सबसे अच्छी बालों या भुट्टों की अलहदा उड़ावनी और गहानी की जावे और उनकी शुद्धता सावधानी से सुरक्षित की जावे। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह ज़रूरी नहीं है कि खूब खाद पाई हुई पुष्ट फसल से निकला हुआ बीज ही उत्तम होता है। उन भुट्टों को चुनना चाहिये जिनमें ग़ैर मामूली तौरपर ज्यादा दाने हों या जिनमें कोई ग़ैर मामूली गुण: जैसे, कई कोपलों का फूटना नज़र आवे। मामूली किसान अगर अगली फसल बोने के लिये हृष्ट-पुष्ट रोग रहित दाने चुन लें, तो उन के लिये इतना ही काफी है।

परिच्छेद ६

"बोना"

अच्छा बीज चुन लेने के बाद किसान को दूसरी फिक्र यह होनी चाहिये कि बीज को ठीक तौर से बोया जावे। कुछ फ़सलों को विधिपूर्वक बोने के नियम नीचे दिये जाते हैं:—

धान

जहां तक हो सके छिड़क छिड़क कर बोने के बदले रोपा लगाना अर्थात् परहा गाड़ना अच्छा तरीक़ा है और इसी रीति का अनुसरण करना चाहिये। बिथराने के तरीक़े से यानी हाथ से छिड़क छिड़क कर बोने की विधि से नुक़सान होता है, क्योंकि बिथराने में प्रति एकड़ ५० सेर बीज लगता है और रोपा लगाने से सिर्फ़ १२॥ सेर काफ़ी होता है। दूसरे, बिथराने में उपज कम होती है। मोटे हिसाब से जल्दी पकने वाली और मध्य समय में पकनेवाली क़िस्मों का रोपा तब लगाना चाहिये, जब परहा (अँकुर) चार से पांच हफ़्तों के होजावें और देर से पकनेवाली क़िस्मों के जब उनके परहा चार से सात हफ़्तों के। यदि इस समय के बाद अंकुर रोपे जावेंगे तो उनमें गठाने निकल चुकेंगी और फिर कोंपें न फूटेंगी। परहा लगाने से यह लाभ होता है कि:—

(अ) कास्तकार को ज़मीन को अच्छी तरह से कास्त करने के लिये मौक़ा मिलता है जिससे कि ज़मीन अधिक उपजाऊ हो जाती है तथा पौधों को

किया है। आधी छटाक कापर कारबोनेट पाऊडर चौबीस सेर बीज के लिये काफी होता है। किसी मिट्टी के बर्तन में बीज को भरकर कापर कार्बोनेट को महीन पीसकर उसमें डाल देना चाहिये। फिर बर्तन का मुंह एक कागज से ढँककर उसे रस्सी से बांध देना चाहिये, फिर उस बर्तन को उल्टा कर कई बार हिलाना चाहिये। ऐसा करने से सब बीज में पाऊडर लग जायगा।

"कपास"

अच्छी तरह धुनने के बाद भी बिनौले में कुछ रुएँ लगे रह जाते हैं, जिससे कई बीज एक दूसरे में चिपक जाने की वजह से वे बोनेवाली पोंगली में से सरलता से नहीं निकलते; इसलिये बिनौलों को बोने के पहिले विशेष रीति से चिकना कर लेना चाहिये जिसकी विधि यह है:—

बीज में गोबर मिलाकर उसे खूब घनी बिनी हुई चारपाई पर यहां तक मसलना चाहिये की उसपर गोबर का लेप चढ़ जावे और सूखने पर उसपर चिकनाहट आजाये, जिससे कि वह बोने की पोंगली में से सरलता से निकल जा सके। बोनेवाला बीज एकही किस्म का शुद्ध और बिना मेल वाला होना चाहिये।

"मूंगफली"

इसका बीज पोंगली द्वारा या हाथ से बोया जाता है। शीघ्र आनेवाली फसल जैसे छोटी जापानी या "स्पेनिश पी-नट" करीब साढ़े तीन महीने में पक जाती है और अक्टूबर के शुरू में गाही जा सकती है। उसके बाद उसी खेत में गेहूं या कोई दूसरी रबी की फसल बोई जा सकती है और इस तरह एक साल

में दो दो फसले ली जा सकती हैं। दूसरी क़िस्मे जैसे,—बड़ी जापानी और "ए० के० नं० १०" पांच महिने में पकती है, परंतु पैदावार बहुत ज्यादा होती है। सीधी खडी रहने वाली किस्मो की गहाई करना सरल है, क्योंकि उनकी फल्लियां मिट्टी की तह के पास ही जड़ों पर गुच्छित होती हैं और पौधे को हाथ से उखाड़ने पर जड़ो के साथ साथ उखड़ आती हैं। देर से पकनेवाली मूंगफली के झाड़ प्रायः बढ़ने पर फैलकर छिछलते हैं। उनका गाहना कुछ कठिन होता है, क्योंकि उनमे फल्लियां दूर पर लगती हैं। उनकी गाहनी अधिक तर इस तरह कीजाती है कि पहिले बेल काट लेते हैं फिर देशी हल से ज़मीन को जोत डालते हैं और ढीली मिट्टी मे से फल्लियां हाथो से चुन लेते हैं।

"आलू"

जमीन मे अच्छी तरह खाद डालकर और जोतकर जब खूब तैयार हो जावे तब उसमें हल से पारें और नालियां पंद्रह इंच की दूरी पर बनावे। उनके बीच बीच में आड़ी गहरी नालियां पानी आने जाने के लिये दस दस फुट की दूरी पर बनावे। सींचने के सुभीते के लिये फावड़े से दस फुट लम्बे और दस फुट चौड़े टुकड़े कर लेना चाहिये। नालियो में तीन इंच गहरे गड्ढे नौ नौ इंच की दूरी पर खोदे, और आलू यदि छोटे हों तो समूचे और बड़े हों तो काटकर, प्रत्येक गड्ढे में बोवे। आलू काटने में इस बात का ख्याल रहे कि हर टुकड़े में कम से कम एक आँख हो। कटे हुये टुकड़ों को चूना और राख में लपेट कर और कटी हुई सतह को नीचे की ओर रखकर बोना चाहिये। बोने के बाद बीज पर सावधानी के साथ मिट्टी डालना चाहिये और फौरन पानी से सींच देना चाहिये। आलू की आँखों

में से जबतक अँकुर न निकलें, तबतक वे आलू बोने के लायक़ नहीं होते; इसलिये टुकड़े काटने के पहिले यह देख लेना चाहिये कि बीज के आलू अंकुरित हो गये या नहीं। बड़े बड़े आलू को जैसा कि ऊपर कहा गया है, तीन टुकड़ों में काटकर बोना चाहिये और कटे हुये टुकड़ों को चूना और राख समान भाग में मिलाकर इस वजह से लपेट देना चाहिये कि जिससे उन पर कीड़ों का धावा न होसके और वे सड़ न जॉय। जाड़े के दिनों में आलू का बीज नालियों में बोना चाहिये और बरसात के मौसम में पारों पर। अच्छे किस्म के बीज बोने से माल अच्छा तैयार होता है और इसके दाम भी अच्छे आते हैं।

"गन्ना"

तजुर्बे से यह सिद्ध हुआ है कि जो गन्ने फरवरी या मार्च के महिनों में लगाये जाते हैं उनकी अपेक्षा पहिले बोनी वालों की उपज अधिक होती है। गन्ने की फसल, गन्नों के टुकड़ों (पोरों) को लगाने से पैदा होती है। कहीं कहीं समूचे गन्ने बोने का भी रिवाज है। बीज के लिये अव्वल तो अच्छे अच्छे बेरोग वाले गन्ने चुनना चाहिये और उनके टुकड़े बनाने के बाद अच्छे अच्छे पोरें बोने के लिये अलेहदा कर लेना चाहिये। ३००० पूरे गन्नों से क़रीब १६००० बोने लायक़ पोरें निकल आती हैं जो एक एकड़ ज़मीन में लगाने के लिये काफी होती हैं। एक टुकड़ा लगभग एक फुट लम्बा होता है, उसमें तीन आँखें, अर्थात् प्रत्येक गठान पर एक एक आँख, होती है। ये टुकड़े हमेशा गन्ने के ऊपरी भाग से काटना चाहिये, क्योंकि नीचे के आधे भागके पौंड अक्सर जमने में कमज़ोर होते हैं।

पेड़ी के गन्नों को छोड़कर, बाक़ी प्रकार के गन्नों को उसी ज़मीन में चार साल में एक बार से ज़्यादा न बोना चाहिये। गन्ना

बोने के पहिले टेंचा, सन या बर्बटी की हरी फ़सल बो लेना लाभकारी होता है। इस फ़सल को अगस्त में जब वह फूलपर हो, काटकर ज़मीन में जोतकर, हरी खाद के बतौर मिला देना चाहिये।

परिच्छेद ७.

पौधोंकी देखरेख या हिफ़ाज़त

यदि ऋतु अनुकूल हुई और खेत अच्छी तरह तैयार कर उसमें अच्छा बीज ठीक समयपर बोया गया तो बीज से मज़बूत अंकुर निकलेंगे। परंतु उसके बाद पौधों की बाढ़ और तरक्की उनकी देखरेख और रक्षा के अनुसार होगी। पौधों के भी शत्रु होते हैं जैसे घास-कचरा, कीड़े, मकोड़े, चिड़ियां और जंगली जंतु। उन्हें भी सदा रक्षा की ज़रूरत होती है और उनका पालन भी करना पड़ता है, इसलिये जुताई बोनी के समयपर ही ख़तम नहीं कर देना चाहिए। हर प्रकार के फ़सलों को हाथ की निंदाई से, या बैलों द्वारा गुड़ाई से, अच्छा फ़ायदा होता है। इन क्रियाओंसे सिर्फ़ घास-कचरा ही नहीं दबता, बल्कि नमी भी क़ायम रहती है। इसके अलावा हर क़िस्म की मिट्टी बारिश के बाद सूखकर पपड़िया जाती है; लेकिन बखरौनी करने पर कड़ी पपड़ी पिस जाती है और मिट्टी के अन्दर हवा आ जा सकती है, और दूसरे फलों का पानी भी आसानी से ज़मीन में प्रविष्ट होता है। हर प्रकार की फ़सल की शुरू की बाढ़ के समय मिट्टी के बार बार उलटने पलटने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि उससे मिट्टी में की मात्रा पौधों के लेने लायक़ हो जाती है। घास कचरे से फ़सल को हानि होती है क्योंकि ज़मीन में पोषण के लिये जो खाद नमी और हवा रहती है वह घास-कचरा अपनी बाढ़ के लिये निकाल लेते हैं। घास-कचरे दो तरह के होते हैं:—

एक वे जो हर साल बीज से पैदा होते हैं और दूसरे वे जो मिट्टी के अन्दर मौजूद रहनेवाली जड़ों और कंदों से पैदा होते हैं। पहिले प्रकार के खास-कूमर 'वार्षिक' कहलाते हैं, और दूसरे प्रकार के 'स्थायी'। दूब, नागरमोथा और कांस दूसरे प्रकार के हैं। गर्मियों में गहरी जुताई करके उनकी जड़ों को उखाड़कर और कड़ी धूप में सुखाकर उन्हें नष्ट करना पड़ता है। उनके निकालने का तरीका ज़मीन को तैयार करने के विषय में बतलाया गया है। वार्षिक कूमर को, फ़सल के पौधों के बीच में डौरन या निदाई करके नाश करना पड़ता है। इस तरह की डौरन के लिये 'डौरा" और "डहिया" का, जो हलके प्रकार के बकखर होते हैं, उपयोग करना चाहिए। कुछ फ़सलों की (जैसे कपास) पकते पकते तक तीन चार बार डौरन करना पड़ता है। और इतने ही दफ़े हाथ से निदाई करनी पड़ती है। ज्वार को इतना ज़्यादा डौरन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंची लहलहाती हुई फ़सल से उसकी ज़मीन पर छाया हो जाती है, और धूप न पाकर कचरा दब जाता है। ज्वार की आख़िरी निदाई करते समय नीचे की दो पोरोंसे सूखे पत्ते निकाल डालने की प्रथा है, क्योंकि ऐसा करने से हवा अधिक मिलती है और भुट्टे अच्छे भरते हैं। वनस्पतियों के शत्रुओं में कीड़े-मकोड़े सबसे अधिक घातक होते हैं, क्योंकि ये बहुधा छिपकर काम करते हैं और इनके वार को रोकना मुश्किल हो जाता है। कीड़ों में कई प्रकार की इल्लियाँ, पतिंगे, चींटी, दीमक, सुसरीले और टिड्डे इत्यादि गिने जा सकते हैं।

कभी कभी कीड़ों के द्वारा बहुत हानि होती है; परन्तु मामूली तौर से भी साधारण किसानों के ध्यान न देने से क़रीब क़रीब

फसल का दसवाँ हिस्सा कीड़ों के द्वारा नष्ट हो जाता है। कुछ कीड़े पत्तियाँ, बोंड़ियाँ या फूल खा जाते हैं या रस चूस लेते हैं और दूसरे कीड़े डंठुओं या जड़ों को कोल डालते हैं या छाल को कुतर खाते हैं। यदि किसान ठीक तरकीबें काम में लायें तो वे कीड़ों से किये जानेवाले नुक़सान को बहुत कुछ बचा सकते हैं। बहुत से कीड़े मिट्टी में अंडे देते हैं। ठीक तरीके से हल चलाने से ये अंडे धूप लगते ही नष्ट हो जाते हैं। बरसात से और आब-पाशी से खेत पानी से भर जाते हैं और जो कीड़े धुपकाले में मिट्टी के अन्दर या दरारों में छिपे रहते हैं, बाहर आजाते हैं। तब या तो उन्हें चिड़ियां चुनकर खाजाती हैं या वे धूप से मर जाते हैं। फसल की अदलबदल करने से भी कीड़ों की संख्या बढ़ने नहीं पाती और वे हानि नहीं पहुंचा पाते। भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़ों को खुराक के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे चाहिये। यदि एक ही प्रकार की फसल हमेशा उसी ज़मीनपर बोई जावे तो उस फसल पर चरने वाले कीड़ों को हमेशा अपनी रुचिके अनुसार भोजन मिलता रहता है; परन्तु यदि बीच में कोई दूसरी फसल बोई जावे जो उन्हें रुचिकर न हो तो यातो वे भूखे मर जाते हैं या उन्हें किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है।

चूँकि खाद देने से पौधे हृष्ट पुष्ट होते हैं, इस लिये वे कीड़ों से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। अंडी की खली जैसी कुछ खादों से भी कीड़े भाग जाते हैं। निराई और स्वच्छ जुताई करने से भी फ़सलों के शत्रु-कीड़ों की बाढ़ में रुकावट होती है। धान का कीड़ा धान पर रहता है और जंगली घासों पर भी। यदि खेत की बंधियोंपर ये घास उगने दी जायँ तो उन में रहने वाले

को टीन के टुकड़ों के दोनों तरफ़ लेपन करदो। जब इस टीन के टुकड़े को कीड़ों से लदे हुए गन्ने के ऊपर हिलाओगे, तो कीड़ों में हलचल मच जावेगी और वे उड़कर उस टीन के टुकड़े के ऊपर चींकी में चिपक जावेंगे। इस उपाय की आज़माइश खेती के मुहकमें वालों ने मध्यप्रान्त में की है, और कीड़ों को शीघ्र नाश करने के लिये इस उपाय को बहुत ही कारगर पाया है। गन्ने का एक हानिकारक कीड़ा एक प्रकार का टिड्डा होता है जो कि पौधों की पत्तियों को अधिकतर खाजाता है और इस तरह से फसल को बहुत नुकसान पहुँचाता है। इन टिड्डों को पकड़ने के लिये एक बोरे को काम में लाओ जिस के मुँह की चौड़ाई पांच या छै फुट हो और जो पीछे की तरफ सकरा होता चला गया हो। दो बाँस के टुकड़ों को इस बोरे के मुँह पर बाँध दो, जिस से कि दो आदमी [एक-एक प्रत्येक ओर] बाँस के सिरों को पकड़ कर आसानी से बोरे को खेत में जहाँ कीड़े लगे हों उस स्थान पर ले जा सकें। इसे ले जाते समय इस के मुँह को खुला रखें और नीचे के सिरे को ज़मीन से जितना हो सके उतना नज़दीक रखें। यदि यह बोरा हवा के विरुद्ध चलाया जावे तो आदमियों के चलने वो बोरे के घसिटने से पत्तियों में हलचल पैदा हो जावेगी और टिड्डे पौधों से कूद कर हवा के बहाव के कारण बोरे के अन्दर घुस जावेंगे। जब बोरा भर जावे तो उन कीड़ों को मारकर ज़मीन में गाड़ देना चाहिये।

"इन्द्रबेला" एक छेद करनेवाले कीड़े का नाम है जो कि सन्तरे के पेड़ों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। यह बिही और आड़ू पर भी धावा करता है। यह पेड़ में सूराख बनाकर उसी में

रहता है। साधारणतः किसी डाल के कोने में छेद बनाता है और उसी में दिनभर रहकर रात को छाल खाने के लिये बाहर आता है। जब छाल में कीड़े का रोग फैल जाता है तो पेड की शक्ति नष्ट हो जाती है और इस की उपज भी कम हो जाती है। भाग्यवश इस हानिकारक कीड़े को वश में करना बहुत सरल है थोडासा कारबन बाई सलफाइड किसी सरकारी फार्म से या किसी केमिस्ट की दूकान से ख़रीद लो। यह दवा बिना रंग की एक वास देनेवाली द्रव पदार्थ है जो बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाती है और आग पकड़ती है। इस लिये इसे बंद बोतल में रखना चाहिये। और इस के नज़दीक कोई रोशनी या आग (कोई सुलगाई हुई चुरट और सिगरेट भी) नहीं लाना चाहिये। इस द्रव पदार्थ में रुई का एक पहला तर कर के कीड़े की बनाई हुई सुरंग में घुसेड़ दो, और कीचड़ से उस के मुँह को बंद कर दो। छाल का वह भाग जो गंदा डाला गया हो, मिट्टी के तेल में डुबाए हुए एक चिथड़े से रगड़ दो, जिस से कि उस भागपर जो रेशम के समान जाली पड़ गई है वह निकल जाय। इस प्रकार वह कीड़ा कुछ मिनट में मर जायगा, और फिर पेड़ को कोई क्षति न हो सकेगी। एक पौंड कारबन बाइसलफ़ाइड की बोतल सिर्फ २) रु० में मिलती है, और क़रीब १०० छेदों में डालने के लिये काफ़ी होती है।

लालरंग का एक कीड़ा कपास को बड़ा नुक़सान पहुँचाता है। बचपन में इसी की शक्ल का होता है और कपास की बोंडी में घुस कर बीज को खाने लगता है। ऐसे पेड़ की रुई भी खराब हो जाती है। जिस खिलेपर इसका आक्रमण होता है उस

के तेल का परिमाण भी कम हो जाता है। यह कीड़ा एक कपासी फसलमे आगे आनेवाली कपासी फसल में बिनौले के द्वारा पहुंच जाता है। गरमी भर यही कीड़ा इल्ली की हालत मे, जिसे लार्वा कहते है, बिनौले के भीतर व्यतीत करता है। जब वर्षा आरम्भ हो जाती है तब एक हफ्ते में नौजवान कीड़े की दशा मे बाहर निकलता है और नई फसलपर आक्रमण करता है। सब से अच्छा और सरल तरीका इस हानिकारक कीड़े को नष्ट करने का यह है कि बोनेके लिये रखे हुये बिनौले को मई महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते मे, जब कि खूब कड़ी धूप पड़ती है, ज़मीन के ऊपर फैला दो। बिनौलों को खूब पतला फैलाओ और उनको बार बार उलटते रहो जिससे उनके प्रत्येक भागको कमसे कम दो घंटे तक सूर्य की तेज़ धूप लग जाय। इस से बिनौले के अन्दर जो लार्वे होंगे वे मर जायंगे और बिनौले की उगने की शक्ति भी न घटेगी। जो बिनौले तेल निकालने के लिये या जानवरों को खिलाने के लिये रखे हो उन्हें भी इसी तरह सुखाना चाहिये। गैर सरकारी लोगों को, जो ग्रामोद्धार के कार्य में दिलचस्पी रखते हों, चाहिये कि वे गांव वालों को इस तरीके को अमल मे लाने के लिये समझावें। उस में कोई खर्च भी नहीं लगता और फसल की उपज तो अवश्य बहुत बढ़ जाती है।

ऊपर बतलाये हुये कीड़ों के अलावा जो कि आंख से नज़र आते हैं बहुतसी ऐसी फफूंद होती हैं जो कि पौधों के आधार पर रहती हैं। इनमें से कान्ही या कजली का ज़िक्र उपर किया गया है जो ज्यादातर ज्वार, गेहूं, बाजरा, गन्ना इत्यादि पर बार

तौर पर पसंद करती है, जिसको वह बड़े चावसे खा जाती है। ये चिड़ियां इतनी ज्यादा संख्या में आती हैं कि यदि किसान ज़रा भी असावधान हुवा तो उसके खेत में केवल कड़वी और फुकली के और कुछ नहीं बचता। पकती हुई फसल की रक्षा के लिये किसानों को ये चिड़ियां खाली टीन बजाकर या गोफन द्वारा भगानी पड़ती हैं। उन्हें अपनी फसल की रखवाली सूर्योदय से सूर्यास्त तक करनी पड़ती है।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि चूहे भी उन जीवों में से हैं जो फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। वे फसलें जिनपर कि वे अक्सर आक्रमण करते हैं गेहूँ, चना, मक्का, गन्ना और ज्वार हैं। फसल को खेत के चूहों से बचाने के लिये ज़हर या धुएँ (अथवा गैस) का प्रयोग किया जाता है। धुएँ या गैसके प्रयोग के लिये एक खास यंत्र की ज़रूरत होती है जो कि ७५) रु. में मिलता है। इस यंत्र को काम में लानेके लिये और धुओं के प्रयोग की विधि सीखने के लिये कृषि विभाग के एक उच्च कर्मचारी से सलाह लेना परमावश्यक है। रहगया ज़हर का उपयोग, सो इसके लिये निम्नलिखित रीति काम में लाना चाहिये:—

२॥ छटाक कुचला के बीज बारीक काट डालो और देरतक उनको पानीमें उबालो जिससे कि उनका ज़हर पानीमें निचुड़ आवे। पके हुए बीजों को फेंक दो और अर्क को अलग रखलो। दो सेर शक्कर का गाढ़ा शीरा करीब आधा सेर पानी में उबाल कर तैयार करो। इसमें कुचला के अर्क को मिला दो और १५ सेर पहिले से भिगाये हुए चने या गेहूँ को इससे सुखा दो अर्थात इनके दानों को करीब १२ घंटे तक इसी घोलमें पड़े रहने दो।

यह अनाज करीब ४५० बिलों के लिये काफ़ी होगा। इस ज़हरीले चारेमें से आधी आधी छटांक लेकर प्रत्येक बिल में जिसमें चूहे रहते हों डाल दो और बिलों के मुहँ को बन्द कर दो। यह जानने के लिये कि बिलमें चूहे हैं या नहीं सब से सरल तरीक़ा यह है कि एक शाम को सब बिलों को बन्द कर दो और जो प्रातःकाल खुले हुए दिखें उनमें समझ लेना चाहिये कि चूहे ज़रूर हैं।

अन्तमें, जिन जानवरों से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचता है वे बनैले पशु हैं। जंगल से मिले हुये हिस्सों में ख़ास तौर से जंगली जन्तुओं द्वारा बहुत नुक्सान होता है। उन के बार से खेतों की रक्षा तार की घनी बागुड़ द्वारा की जा सकती है; परन्तु यह छोटे छोटे किसानों की ताक़त के बाहर होता है। जो लोग उस का खर्च बर्दाश्त कर सकें, उन्हें बन्दूक़ का लाइसेन्स हासिल कर लेना चाहिये। इन लैसेन्सों के लिये दी जाने वाली दरख़ास्तों पर स्टांप नहीं लगता और वे तहसील के छोटे साहेब (हाकिम परगना) के पास दी जाती हैं और वह लाइसेंस प्रदान कर सकता है। जंगली जनावरों के, और ख़ासकर जंगली सुवरों के, मारने में कई किसान मिल कर हांका वग़ैरह करें तो ज्यादा कारगिर होता है बनिस्बत इस के कि दो चार शिकारी कभी कभी अलग अलग कोशिश करें। बन्दूकें न हों, तो पटाकों से जंगली जानवर भगाये जा सकते हैं; परन्तु वे भागकर किसी दूसरे खेत में घुस जाते हैं, इस लिये उन के मारने का प्रयत्न करना चाहिये।

फ़सलों के पक जाने पर उन्हें काटना, दाउनी करना (दाँवना) और उड़ावनी करना पड़ता है, तब ये बिक्री के लिये

बाज़ार में लाने लायक़ होती हैं, ये सब काम ठीक समय पर ही नहीं करना होता बल्कि किफ़ायत से भी करना चाहिये और किफ़ायत तभी हो सकती है, जब कि मज़दूरों पर कड़ी नज़र रखी जाय और मेहनत बचाने वाली युक्तियाँ काम में लाई जावें।

चंद मशीनें जो महँगी भी नहीं होतीं और जिन की उपयोगिता साबित हो चुकी है, मेहनत बचाने के लिये ख़रीदने से फ़ायदा होता है। ऐसी मशीनों में से कुछ नीचे लिखी जाती हैं—

फ़ाडर कटर याने चारा या कड़बी काटने की मशीन। विनोइंग याने गल्ला उड़ाने की मशीन। गन्ने को पेरने की मशीन या कोल्हू। इत्यादि।

परिच्छेद ८.

"सिंचाई"

कई वर्षों से भारतवर्ष के कुछ भागों में वर्षा बहुतही असामयिक होती आरही है और खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिये आवश्यक समय पर वर्षा ने लोगों को निराश कर दिया है। जब बरसात काफी होती है, तब सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती, परंतु जब बरसात कम होती है, तब कृत्रिम उपायों द्वारा खेतों को सींचने के लिये प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ स्थानों में खेतों को सींचने के लिये साधन बनाये हैं और किसानों को उनसे लाभ उठाना चाहिये, जिससे कि वे अपने फसलों की रक्षा तथा उन्नति कर सकें। परंतु उन स्थानों में जहाँ पर कि गवर्नमेंट ने सींचने के साधन नहीं बनाये हैं और जहाँ मुमकिन हो, वहाँ मालगुज़ार और किसानों को चाहिये कि सींचने की सुविधायें कुयें और तालाबों के द्वारा पूर्ण करें, क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि बिना सिंचाई की अपेक्षा सिंचाई का प्रबंध करने से कृषि में अधिक उन्नति होती है।

रोपा लगाये हुये धान को यदि सींचा जावे, तो उपज साधारण बियासी फसल से तिगुनी होगी। सींचे हुये गेहूं से बिना सींचे हुये गेहूं की अपेक्षा अधिक फसल पैदा होती है। सिंचाई करने से नीची श्रेणी की ज़मीन से भी अधिक गम्भीर फसलें प्राप्त की जा सकती हैं।

कुयें और तालाब खुदवाना साधारणतः जनता ही का व्यक्तिगत काम है; परंतु गवर्नमेंट से भी इस काम के लिये बड़ी रक़म तकावी के रूप में मिल सकती है। नहर विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारी सदा ज़मींदारों को अपनी सलाह से मदद देने के लिये तैयार रहते हैं। जबकि सरकारी कर्ज़ द्वारा सींचने का कोई साधन बनाया जाता है, और उसकी मदद से ज़मीन की पैदावार बढ़ जाती है, तभी उस ज़मीन पर अड़तीस बंदोबस्त होने तक इज़ाफा लगान नहीं किया जाता।

बहुतसी जगहों में कुओं से आबपाशी करने की प्रथा प्रचलित है। नदियों के किनारे जहाँ पर कि ज़मीन हलकी होती है और जहाँ नीचे पानी का प्रभाव काफी होता है, वहाँ प्रायः कुएं से ही आबपाशी होती है। परंतु कुएं अक्सर कच्चे ही छोड़ दिये जाते हैं जिसमें उन्हें प्रत्येक साल खोदना पड़ता है। इनके पक्के बना लेने से बहुत सुभीता होता है और हरसाल खुदाई का खर्च और दिक्कत मिट जाती है। पानी निकालने के लिये प्रायः चमड़े की मोट इस्तेमाल की जाती है। जहां सम्भव हो, पम्प, रहाट तथा "पावर-लिफ्ट" का प्रचार करना चाहिये जो कि चमड़े के मोट से कहीं अधिक अच्छे हैं।

रहट और पम्प कृषि विभाग के द्वारा खरीदना चाहिये। कम से कम कृषि विभाग की सलाह अवश्य ही लेना चाहिये जिससे कुएं में पानी की गहराई, सींचे जाने वाले खेतों का क्षेत्रफल और बोई जानेवाली फ़सलों इत्यादि का विचार करके सबसे अच्छा पानी निकालने का साधन सोचकर निश्चित किया जावे।

परिच्छेद ९

" साग भाजी की खेती "

एक एकड़ पीछे बगीचे की खेती से जो लाभ होता है, वह मामूली सूखी खेती के लाभ से कहीं अधिक होता है, इस लिये शहरों के नज़दीक जहाँ कि तरकारी भाजी की मांग अच्छी हुआ करती है, साग भाजी के विधि पूर्वक पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये। मामूली तौर से देहात में लोग साग भाजी पैदा करने के तरीके को अच्छी तरह समझते हैं और कई जाति के लोग जैसे काछी और माली तो देशी तरकारी पैदा करने में सिद्ध ही नहीं होते, बल्कि आज कल वे फूलगोभी, पत्तागोभी, नोलखोल, टमाटर इत्यादि को पैदा करने के तरीक़ों को भी भली भाँति समझते हैं। फिर भी नौसिखियों के लिये नीचे दिये हुये साधारण नियम उपयोगी सिद्ध होंगे।

(अ) हर प्रकार के छोटे बड़े बीज जैसे चौड़ी सेम के, जिन के छिलके रखे रखे मख्त हो गये हों, यदि वे सूखी मिट्टी में बो दिये जावें, तो बहुत देर में अंकुर देंगे; इस लिये बोने के पूर्व उन्हें बारह घंटे गरम पानी में भिगा लेना बेहतर होता है।

(ब) उन तरकारियों के लिये जिन का बीज छरों देकर बोया जाता है, चार चार फुट चौड़ी क्यारियाँ

बना लेना चाहिये और क्यारियों के बीच में एक फुट चौड़ा रास्ता छोड़ना चाहिये जहाँ से कि पौधों तक पहुँच हो सके और उन की निंदाई सिंचाई हो सके।

(म) क्यारियों की मिट्टी को खूब खोद कर बिलकुल फोड़ डालना चाहिये और उस में अच्छी तरह खाद मिला देनी चाहिये।

(ङ) यदि गमलों और किस्तियों का उपयोग किया जाय तो सब से उत्तम खाद यह होगा:—

१ हिस्सा सड़ाये हुए पत्ते

१ हिस्सा मामूली बाग़ की मिट्टी और

१ हिस्सा बारीक रेत

सब अच्छी तरह मिश्रित करके इस्तेमाल करे।

(च) बोते समय मिट्टी सूखी और धूल भरी नहीं होना चाहिये, बल्कि बोने के एक दिन पहिले उसे खूब सींचकर गीली और नरम कर लेना चाहिये।

(छ) पोंगली द्वारा लाइन में बोनी करने से सिंचाई में सुविधा होती है। परन्तु यदि बीज का छर्रा छोड़ना हो, तो उसमें तिगुनी बारीक सूखी रेत पहिले मिला लेना चाहिये। ऐसा करने से बह बीज क्यारी भर में बराबर फैल जाता है।

(ग) बोनी करने के बाद थोड़ा पानी हज़ारे से सींचना चाहिये। इसके बाद जबतक अंकुर न फूटे, तबतक मिट्टी को बराबर तर रखो। देहात में पैदा की जानेवाली बाग़ की फ़सलों में मिर्चा और प्याज़ की ज़्यादा चलन है।

अच्छे बहाववाली काली ज़मीन मिर्च के लिये उत्तम समझी जाती है। ज़मीन को गर्मी के दिनों में मीधे और आड़े जोत डालना चाहिये और फिर बखर डालना चाहिये। यदि ज़मीन कछार न हो तो उसमें एकड़ पीछे क़रीब तीस गाड़ी खात छोड़ना चाहिये और फिर बखर से बखर देना चाहिये।

तम्बाकू की खेती की तरह रोपा या खार तैयार कर लेना चाहिये और मई के महीने में एक एकड़ पीछे अढ़ाई पाव के हिसाब से बीज बो देना चाहिये। जब अंकुर पांच छः हफ्ते के और चार या छः इंच ऊंचे होजावें, तब उन्हें रोंप देना चाहिये।

जिस रोज़ दलदी दुपहरी में फुहार पड़ रही हो या बदली छाई हो, उस दिन रोपा लगाना चाहिये। रोपे सीधी क़तारों में बीस बीस इंच के अंतर से लगाना चाहिये। ऐसा करने से बैलों द्वारा आड़ी खड़ी बखरौनी करते बनता है।

क्यारियों का बहाव अच्छा होना चाहिये क्योंकि अधिक पानी रहने से मिर्च को हानि पहुंचती है। मिर्च की क़ीमत उसकी चिरपिराहट के कारण होती है। इसलिये सिर्फ़ ज़्यादा चिरपिरी जाति के बीज को खेती मुहकमें की सिफ़ारिश के अनुसार पसंद करके बोना चाहिये। मिर्च कई रंग की होती हैं जैसेः—मैंदुरी,

पीली, गहरीलाल और प्रायः काली। ज्यादातर लाल किस्मों के दाम अच्छे आते हैं।

मामूली तौर से मिर्च सिर्फ बरसात में पैदा की जाती है; परंतु यदि आबपाशी का प्रबंध हो, तो बारहों महीने उगाई जा सकती है। खेती मुहकमें ने सिंचाई वाली और बिना सिंचाई वाली दोनो प्रकार की अच्छी जातियां तैयार की हैं। उन्हे मंगाकर आज़मावो।

प्याज़ बहुधा करेला, मेथी, धनिया इत्यादि दूसरी फ़सलों के साथ फेरी में पैदा की जाती है। वह अक्टूबर मे खूब खाद दी हुई ७॥ फुट लम्बी, ७॥ फुट चौड़ी क्यारियों मे बोयी जाती है। हर पांचवे छटवें दिन सिंचाई की जाती है और दो महीने बीतने पर पत्ते हंसिया से काटकर बेच डाले जाते हैं। प्याज़ के कांदे जनवरी में चार चार इंच के अंतर से रोप दिये जाते हैं। मई में फसल काटने के लिये तैयार हो जाती है और कांदो को या तो हाथ से उखाड़ लिया जाता है या खुरपी से खोद लिया जाता है। प्याज़ की दो जातियां होती हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तरकारी के लिये, तथा लाल कच्ची खाने के लिये अच्छी होती है।

परिच्छेद १०

" फलों की काश्त "

पिछले परिच्छेदो में साधारण कृषि के सुधार के विषय में सलाह दी गई है, लेकिन कुछ उत्साही किसान जिनके पास पैसा है वे अवश्य चाहेंगे कि वे साधारण खेती की फसलो के अलावा कुछ फल और शाकभाजी पैदा करके अपनी आमदनी की वृद्धी करें। इसमें शक नहीं कि फल की खेती महंगी होती है, क्योंकी आरम्भ में वग़ीचा लगाने के लिये कुछ लागत की ज़रूरत होती है और बिक्री के लायक़ फल कई सालके बाद पैदा होते हैं। अलावा इसके साधारण किसान को अच्छे किस्म के पौधे पसद करने में, उनको विधि पूर्वक लगाने मे, उनकी ठीक वक्त पर छटनी करने में, कलम बांधने आदि बातों में दिक्कत मालूम पड़ती है; साथही साथ अधिकतर फल और शाक के लिये अच्छे दाम देनेवाले ख़रीददार कम मिलते हैं और यदि वग़ीचा बाज़ार से दूर हुवा तो माल की ढुलाई करने की सुविधाएँ भी नहीं मिलतीं। परंतु यह देखते हुये कि बड़े बड़े शहरों में उत्तम तरकारी और फल की माँग तेज़ी से बढ़ती जा रही है, कोई वजह नहीं है कि थोडा पैसा, थोडी बुद्धि और व्यापारिक चतुराई रखनेवाला ऐसा व्यक्ति, जिसके पास शहरों के पड़ोस में ज़मीन हो, बड़े पैमाने मे बाग़ की खेती करके बहुतसा लाभ न उठा सके। घनी खेती करने के लिये गहरी उपजाऊ ज़मीन व खाद की बहुतायत और सींचने के लिये काफी पानी के प्रबंध की ज़रूरत है। जहां ये सामग्री सुलभ हों, तो किसान की माली हालत साधारण ग़ल्लों के बदले आधी या पूरी बाग़ की खेती करने से

बहुत कुछ तरक्की कर सकती है। परंतु पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये यह बहुत आवश्य है कि उसकी ज़मीन अलग अलग टुकड़ों में विभाजित न हो; अर्थात पूरा खेत एकही स्थान पर हो और उस खेत का किसान वहीं पर मकान बनाकर रहे जिससे वह पकती हुई फसल की निगरानी और रक्षा भली भांति कर सके। फल की खेती के लिये तीन से छः एकड़ तक रक़बे में बाग़ का काम आरम्भ कर देना काफी होगा। बाद को जैसे जैसे अनुभव तथा निजी पूंजी की बढ़ती होती जावे, वैसे वैसे बाग़ का रक़बा बढ़ाया जा सकता है। जबतक फल की फसल न आवे तब तक बाक़ी ज़मीन में भाजी तरकारी और दूसरी फसलें पैदा की जा सकती हैं।

यद्यपि इस देश में समशीतोष्ण आब हवा होने के कारण कई प्रकार के फल पैदा किये जा सकते हैं, तथापि आरम्भ केवल उन फलों से करना चाहिये जिनकी बिक्री अच्छी हो, जैसे संतरा, आम, नीबू, बिही, केला, कटहर इत्यादि। सरकारी खेती का मुहकमा ऐसे विषयों पर सलाह देने के लिये सदा तत्पर रहता है इसलिये बाग़-बानी का इरादा करनेवाले किसान को इस सलाह से लाभ उठाना चाहिये। बाग़ लगाने के पहले इस बात का विचार करना चाहिये कि जो खेत चुना जावे उसकी किस्म ज़मीन फलदार दरख्तों के लिये मौजूं है या नहीं। बहुतसे खेतों की ऊपरी सतह की मिट्टी तो उपजाऊ दिखती है लेकिन फुट दो फुट के नीचे उन के मुरम रहती है और बहुत से खेतों मे पानी का बहाव ठीक नहीं रहता। बाग़ के लिये ठीक खेत का चुनाव करके उसमें दो एक कुएँ ऐसे हिस्सों में खोद लेना चाहिये कि जहां से खेत के कोने कोने की सिंचाई सरलता पूर्वक की जा सके। खेत की रक्षा के लिये उसके

आसपास की सीमा पर बागुड़ लगा देनी चाहिये और कुओं पर पानी खींचने के लिये माकूल साधन का प्रबंध करना चाहिये। चूंकि इस देश में २५ फुट से कम गहरे कुएँ बहुत थोड़े होते हैं इसलिये उन पर पंप या रहट बैठा लेने से अंत में फायदा ही होता है। ये कलें किसी भी सरकारी फार्म के मार्फ़त या सीधे किर्लोस्कर कम्पनी या उसी तरह की दूसरी दूकानों से मंगवाई जा सकती हैं। परंतु यदि सिंचाई करनेवाला रकबा छोटा हो तो एकहरी या दोहरी मोट ही लगा लेना काफी होता है। चमड़े की मोट से लोहे की मोट जिसके दाम लगभग ५) रु. होते हैं, अधिक उपयुक्त होती है, क्यों कि ज्यादा टिकाऊ होती है और हर दफ़े में पानी भी ज्यादा भरती है। जब यह तय हो जावे कि कौन प्रकारके वृक्ष लगाना है, तो खेत को क्यारियों में बांट देना चाहिये। क्यारियों के बीच बीच छोटी छोटी मेड़ें रखना चाहिये और रास्तों के किनारे थोड़ी ढालवाली नालियां बना देनी चाहिये। नालियां इस तरह बनानी चाहिये कि जब चाहे तब खेत की किसी भी क्यारी में पानी पहुंचाया जा सके। बड़े बगीचे के लिये जहां तक हो सके उत्तर-मुखी ज़मीन चुनना चाहिये जिसमें फलों के दरख्तों के अलावा और दूसरे वृक्ष न हों। यदि बन सके तो सरहदी दीवाल उठावे, नहीं तो मज़बूत तार ही बांध दे या करौंदे की बागुड़ लगावे। इस दीवाल या बागुड़ के किनारे किनारे बड़ी जातिके, परंतु मामूली फलों के, पेड़ लगावे; जैसे जामुन, कटहल इत्यादि। फिर बगीचे के अंदर और चारों तरफ इन बड़े पेड़ों के अंदर अंदर आठ फुट चौड़ा रास्ता बनाना चाहिये जो और ज़मीन से करीब एक फुट ऊपर उठा हुआ हो इस रास्ते के दूसरे किनारे पर कम से कम बारा बारा फुट के फासले पर छोटी

जाति के पेड़, जैसे बिही, सीताफल, चकोतरा इत्यादि लगावे। यह रास्ता पेड़ो की दोनो क़तारों के बीच में हमेशा टहलने के लिये सुहावनी होगा। बाकी ज़मीन में चौके काट लेना चाहिये जिनके बीच बीच में आठ फुट चौड़े रास्ते हों। जितनी लम्बी चौड़ी ज़मीन होगी उसी के अनुसार छोटे या बड़े और थोड़े या बहुत चौक होंगे। हरएक चौक में एक एक ही जाति के पेड़ लगाना चाहिये; एक ही चौक में संतारा और आम के पेड़ो को नहीं मिलाना चाहिये। हर भिन्न प्रकार के पेड़ एक ही स्थान में एकत्रित रहने से उनकी देखरेख करने में बहुत सुविधा होती है। इस बात की बहुत सावधानी रखनी चाहिये कि पेड़ बहुत पास पास न लगाये जावें।

यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिये कि शुरू में नींव डालते समय जितनी सावधानी की जायगी अंत में उतनी ही सरलता होगी। इस वास्ते तीन तीन फुट लम्बे चौड़े और तीन तीन फुट गहरे गड्ढे खोदना चाहिये और खास तौर से तैयार की हुई उत्तम उपजाऊ मिट्टी से उन्हें पूर देना चाहिये। शुरू में ऐसा करना महँगा ज़रूर पड़ेगा, परंतु अंत में इस मिहनत और खर्च की अदाई मूल से ज्यादा हो जावेगी। मामूली बड़े बगीचे में आम, संतरा, सीताफल, बिही, सपोटा, (चीकू) केला, कटहल, पपीता इत्यादि रुचि अनुसार बोना चाहिये। पेड़ों को पसंद करते समय इस बात का ध्यान रहे कि उत्तम से उत्तम जाति के पेड़ चुने जावे। आम और अमरूद के पेड़ों की पसंदगी खास खबरदारी से करनी चाहिये। अच्छी जाति के पेड़ चुनने मे कुछ अधिक दाम ज़रूर देने पड़ेंगे, क्यों कि इन पौधों को

कभी कभी बाहर से मंगाना पड़ता है, परंतु बाद मे देखरेख का खर्च उतना ही पड़ेगा और जबतक पेड़ जीवित रहेंगे तबतक सदैव इन पेड़ों के फल से अधिक आमदनी का ज़रिया रहेगा।

जिन फलों की ज्यादा मांग होती है उन की खेती के विषय मे कुछ हिदायतें नीचे दी जाती हैं:—

आम

वे पेड़ जो बीज से उगाये जाते हैं अच्छी खासी ऊंचाई पर पहुंचते हैं; अतः इन्हे एक दूसरे से ३० फुट की दूरी पर लगाना चाहिये। वे बाग के लिये बहुत ठीक नहीं रहते इस लिये उन्हे अमराई में या सड़कों के किनारे लगाना चाहिये। बाग़ में क़लमी आमों के पौधे कम से कम २५ फुट के अंतर पर लगाना चाहिये। नीचे लिखी हुई क़िस्में चुनने के क़ाबिल है:—नागिन, अलफॉज़ो (हापुस) प्यारी, लँगडा, मोहन भोग व सफेदा। इन्हे विश्वासनीय बागों से प्राप्त करना चाहिये। दूसरे सब प्रकार के फलों के दरख्तों के समान आम को भी नवम्बर के महिने में दो तीन हफ्तों के लिये आसपास की मिट्टी हटाकर जड़ो को खोल देने से बहुत लाभ होता है। अगले महीने मे जड़ों को खूब खाद देकर ताज़ी मिट्टी से ढाँक देना चाहिये न कि उसी मिट्टी से जो कि हटाई गई थी। इसी तरह अप्रेल के महीने में जब कि फल बाढ़पर रहता है पेंड़ के आसपास मिट्टी को पानी या गीले खाद से खूब तर करने से अच्छा फायदा होता है। मामूली तौर से आम साल में दो दफे बढ़ता है: एक फरवरी के अंत में और दूसरे जुलाई मे। कभी कभी अक्टूबर में तीसरी बाढ़ होती है, परंतु जब ऐसा होता है तब आगामी फरवरी मे फूल नहीं आता।

संतरा

इस पेड़ के लिये सब से अच्छी ज़मीन गहरी चिकनी मिट्टीवाली होती है जिस में ह्यूमस खूब हो। संतरा बीज से नहीं उगाया जाता। पहिले गर्मियों में मीठा नीबू या जंभीरी बोकर पौधे उगाये जाते हैं। जब अंकुर आठ इंच के हो जावें तब उन्हें उखाड़कर नर्सरी क्यारी में रोप देना चाहिये। उन्हें रोपते वक्त खुरपी को उनके पास कम से कम चार इंच तक गाड़ना चाहिये और उनकी जड़ों को सावधानी से गोल मरोड़कर नर्सरी में ले जाना चाहिये। नर्सरी की ज़मीन को खूब अच्छी तरह तैयार करना चाहिये और उसमें सड़ी हुई खाद ज्यादा मिक्दार में डालनी चाहिये। पौधे कम से कम १८ इंच की दूरी पर रोपना चाहिये और उतना ही फासला दो क़तारों के बीचमें रखना चाहिये। जब पौधे साल देढ़ साल के हो जावें तब उनपर, जितना अच्छा मिल सके उतने अच्छे, नागपूरी संतरे की कली बांधना चाहिये, कली बांधने का काम जो, कि आसानी से सीखा जा सकता है, नवम्बर या दिसम्बर में करना चाहिये।

कली लगाने के बाद उसके आसपास केले के बल्कल की पट्टी मजबूती से बांध देना चाहिये। इस पर ध्यान रहे कि कली में हवा तो लगती रहे, परंतु उसका अंदरूनी हिस्सा गूदे से चिपका रहे। फिर पौधे की फुनगी कली लगाये हुये स्थान से क़रीब एक फुट ऊपर से काट देना चाहिये। यदि कली ठीक तौर से लगाई गई है तो एक हफ्ते में उसमें बाढ़ नज़र आना चाहिये। इस बाढ़ को और तेज करने के लिये पौधे की फुनगी एक दफे फिर काट देना चाहिये जिससे कि कली के ऊपर सिर्फ दो इंच डंठुआ रह जाय।

कली लग जाने के बाद पौधे को कम से कम ९ से १२ महीने तक नर्सरी में रहने देना चाहिये। इसके बाद उसे दूसरी जगह रोप सकते हैं। नर्सरी से पौधा उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके आसपास की मिट्टी को तिरछी खोदें जिससे कि पौड़ भौरे के आकार में मुख्य जड़ों सहित उठ आवे। फालतू जड़ो को तेज़ कैंची से कतरकर बराबर कर देना चाहिये। इसके बाद पौधे को उठाकर मिट्टी के लौंदे को टाट के टुकड़े में कस के बांध देवे।

बाग़ के अंदर पेड़ो को अठारह अठारह फुट के अंतर से लगाना चाहिये। चार पांच बरस तक, जब कि ये पेड़ पूरी तरह से बढ़ते हैं, उनके बीच की ज़मीन में मूंगफली, मिर्च, पत्तागोभी, मटर, इत्यादि की फसलें ली जा सकती हैं।

बिही या अमरूद

बरसात में आसानी से बीजों से अंकुर पैदा किये जा सकते हैं; परंतु वे अच्छे क़िस्म के निकलें इसका भरोसा होने के लिये बहुधा डब्बा बांधने का तरीक़ा काम में लाया जाता है। पौधोंको करीब पन्द्रह फुट की दूरी पर लगाना चाहिये। होशङ्गाबाद और बिलासपुर ज़िलों में अच्छी जाति के अमरूद पैदा होते हैं। अलाहाबाद के अमरूद स्वाद के लिये प्रसिद्ध है और जहांतक हो सके उन्हें प्राप्त करना चाहिये। अमरूद की खेती में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती और वे हरप्रकार की ज़मीन में पनप जाते हैं।

सफ़ेटा

इसका पेड़ संतरे के पेड़ के बराबर होता है परंतु उसकी पत्ती इतनी सुंदर होती है कि केवल उसी कारण से उसे हर बग़ीचे में स्थान देना चाहिये। खिरनी के ऊपर क़लम लगाकर इसके पेड़ पैदा

किये जाते है। और अच्छी अच्छी कलमें महाराज बाग़ नागपुर से मिल सकती हैं कम से कम १५ फुट की दूरी पर पेड़ों को लगाना चाहिये। इस पेड़ में साल में दो बार फल लगता है; एक दफ़े अगस्त में जब कि फल अधिक कीमती नहीं होता और दूसरी दफ़े फरवरी या मार्च में। यद्यपि इसके फल की खपत अधिक नहीं होती तो भी दाम अच्छे आते हैं।

केला

केले को भारी ज़मीन बहुत पसंद होती है। पौधों को तीन फुट चौड़ी और १ फुट गहरी नाली में ६ से ८ फुट के अंतर पर लगाना चाहिये, और थोड़े समय पर ताज़ा गोबर डालते रहना चाहिये और खूब पानी देना चाहिये। हर पौधे में तीन से अधिक तने न रहने देना चाहिये और "कोंपल" को जो सदा निकलते रहते हैं, ज्योंही निकलें त्योंही छांट डालना चाहिये; क्यों कि उस में कभी फिर दुबारा फल न लगेगा। परंतु केला जिस ज़मीन पर लगाया जाता है उसे जल्दी ही चूस डालता है। इस लिये उसे हर दो या तीन साल में नई ज़मीन पर लगाना चाहिये। जबतक गहर के सबसे ऊपर के दो तीन फल पक न जायें तब तक उसे काटना नहीं चाहिये। ठीक समय पर काटकर उसे सुतली से बांधकर घर में लटका देवे तो बाक़ी के फल धीरे धीरे उत्तमता से पक जाते हैं। केला ही एक ऐसा फल है जो बारहो महीने मिल सकता है। फल का सिलसिला टूटे नहीं इस वास्ते दो-दो महीने के अंतर में पौधे लगाना चाहिये और सदैव अच्छी जाति के अंकुर रोपने चाहियें।

नीबू

नीबू की कई जातियां होती हैं। इनमें से परी और कागज़ी की अचार के लिये ज्यादा मांग होती है। इसकी पैदावारी की वही

विधि है जो संतरे के लिये बतलाई जा चुकी है। नीबू बीज से आसानी से पैदा किया जा सकता है, परंतु कलमी किस्में लगाना अधिक लाभदायक होता है।

पपीता

इस देश में पपीते बहुत अच्छी तरह से पनपते हैं। और उनकी कोई खास निगरानी नहीं करनी पड़ती। फरवरी, मार्च या सितम्बर में बीज बोकर पौधे लगाये जाते हैं। ये बड़ी जल्दी बढ़ते हैं और एक ही साल में फलने लगते हैं। यदि बड़े बड़े फल लेना हों तो जब वे छोटे छोटे रहें तभी थोड़े से चुने हुये फलों को छोड़कर बाकी सब तोड़ लेना चाहिये और पेड़ के ऊपरी भाग में फूलनेवाले फूलों को भी तोड़ते जाना चाहिये। जब फल बाढ़ पर हों तब खूब पानी सींचना चाहिये।

सिंचाई

अमराई या बाग लगाने के विषय में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पौधों को पानी देने का तरीका कौनसा है। जब तक पौधे नन्हे रहें तब तक पानी जड़ों के पास ही देना चाहिये, जिससे जड़ें छिछल जायें। जड़ों के छिछल जाने से पेड़ को अपना खाद्य खींचने के लिये ज्यादा बड़ा रकबा मिल जाता है। बीच दोपहरी में पेड़ की छाया कहां तक फैलती है इसे देख लो, और इस के आस पास एक गोल घेरा खींच लो। यह चक्कर बतलावेगा कि वहां तक जड़ें फैल चुकी हैं। पानी इसी चक्कर के बाहर बाहर देना चाहिये। नौ इंच गहरी नाली खोद लेना चाहिये और यदि कई पेड़ हों तो इन गोलाकर नालियों को सीधी सीधी नालियों द्वारा मिला देना चाहिये जिससे पानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक

बहकर जा सके। ये सीधी नालियां बरसाती हल द्वारा बनाई जा सकती हैं। पहिले एक दिशा में हल चलावे और फिर उसी रास्ते से लौटावें। नालियों में धीरे धीरे पानी छोड़ना चाहिये, जिससे उनमें पानी भीतर जज्ब हो जावे। पानी सींचने के दूसरे दिन नालियां ऊपर से सूखी और तिड़की हुई पाई जावेंगी। यदि इस पपड़ी को खुर्पी या बक्खर से फोड़ दिया जाय तो वह ढीली मिट्टी भीतर के पानी को उड़ने न देगी और बार बार पानी देने की आवश्यकता न रहेगी। अपने देश में मालियों की अक्सर आदत होती कि वे आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब मिट्टी में पानी भरा रहता है तब जड़ सांस नहीं ले पाती और सांस न ले सकने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं और मर भी जाते हैं। अतएव जबतक पौधे कुम्हलाये न मालूम पड़ें तबतक पानी न देना चाहिये।

पौधों की बनावट

यदि पौधे बगैर काट-छांट के बढ़ने दिये जावें तो ये बेढंगे रूप में हो जाया करते हैं और उनमें ऐसी फालतू शाखाएं हो आती हैं जिन्हें बाद में काटकर दूर करना पड़ता है इसलिये यह आवश्यक है कि जब पौधे नन्हें रहें तब उन्हें कतरते रहना चाहिये। यदि कोई पेड़ अच्छी तरह कतरा गया हो तो उसका आकार छोटे छाते के समान होना चाहिये, जिसमें तीन-चार फुट की साफ पींड़ हो और नीचा गोल तना हो। कतरे हुये पेड़ में ज्यादा अच्छी फसल लगती है, और ज्यादा आसानी से वह बटोरी जा सकती है। पौधों की कतरन तेज चाकू या आरी से करना चाहिये जिसमें कि घाव चिकने आवें। एक हिस्सा गोंद

और तीन हिस्सा राल मिलाकर अलसी के तेल मे धीमी आंच पर पकालो और कटे हुये घावो पर इस मलहम को लगाओ। इससे नई छाल जल्दी पैदा होकर घाव को भरकर टांक लेगी।

ग्राफ्टिंग [क़लम लगाना] आर्चिंग [गूट बांधना] लेयरिंग [डब्बा बांधना] बडिंग [कली लगाना-आंख बांधना] की क्रियायें कठिन नहीं होतीं और किसी बगीचे मे उनके करते समय आँख से देखकर सीखी जा सकती है।

परिच्छेद ११

अमराई-कुंज इत्यादि की पैदावारी

सड़कों के किनारे कुंज लगाने का भार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (बारीक मामूली मुहकमा) पर रखा गया है और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट-कौंसिल तथा म्युनिसिपालिटी की ज़िम्मेदारी है कि वे अपनी सड़कों के किनारे झाड़ लगावें। परंतु यदि कोई मालगुज़ार या अन्य व्यक्ति किसी सड़क के किनारे या सार्वजनिक पड़ाव पर वृक्ष लगाना चाहता हो तो उसे इस बात के लिये सरकार से इजाज़त दे दी जाती है और जब वह अमराई या कुंज लगाने में सफल हो जाता है, तो डिपुटी-कमिश्नर साहेब उसे एक सनद प्रदान करते हैं जिस में लगाये हुये वृक्षों पर उस व्यक्ति और उस के वारिसान का हक तसलीम किया जाता है। याने लगानेवाला शख्स उन झाड़ों का मालिक समझा जाता है और वह बिना रोक टोक उन वृक्षों की पैदावार को ले सकता है और उपयोग कर सकता है। जो वृक्ष मर जावें या सरकारी मंजूरी से छाँटे जावें या काट डाले जावें, तो उन वृक्षों की लकड़ी को भी वह ले सकता है। झाड़ों के स्थापित हो जाने पर यदि उनका मालिक उन्हें बेचना चाहे, तो सरकार उन्हें कूते हुये भाव से खरीद भी लेती है। जिन लोगों के पास माकूल निजी ज़मीन न हो, परंतु जो नामवरी का काम करना चाहते हों, तो उन्हें चाहिये कि वे सड़कों के किनारे कुंज लगावें या पड़ाव और बाज़ारों में अमराई लगावें। जिन पेड़ों का लगाना उपयुक्त हो

सकता है वे ये हैं:—आम, जामुन, महुआ, इमली खिरनी या कुसुम। कुसुम में फल नहीं होता, परंतु यह लाख पैदा करने के लिये उपयोगी होता है।

यदि बहुत से पेड़ लगाना हो तो उन के बीज पहिले एक अच्छी तैयार की हुई क्यारी में बोना चाहिये सूखे बीजों को बरसात तक रख छोड़ना चाहिये और जामुन तथा महुआ जैसे गूदेवाले बीजों को पकते ही बो देना चाहिये। इमली की तरह सख्त छिलके वाले बीजों को पहिले गीली खाद में गाड़कर नरम कर लेना चाहिये। बोनी, बरसात के शुरू में करना चाहिये जिस से कि अंकुर पूरे दो महीने क्यारी में रह सकें फिर रोपों को नर्सरी (याने ज़ख़ीरे के एक बड़े तख्ते) में ६ से ८ इंच की दूरी पर लगा देना चाहिये। परंतु यदि हर पौधे को अलग अलग गमले में लगाया जाए तो बेहतर होगा, क्यों कि ऐसा करने से उन्हें नर्सरी से लगाने की जगह को ले जाने में सुविधा होती है। पौधों को जमीन में एक साल के बाद लगाना चाहिये। जब पौधे तीन-चार फुट ऊंचे हो जावें तब उन्हें नर्सरी से हटाकर जहां लगाना हो, तीन फुट लम्बे चौड़े वो गेहरे गड्ढे खोदकर और उनमें खाद भरकर लगाना चाहिये। जैसा फलदायक पेड़ों के विषय में बतलाया जा चुका है उसी तरह इन गड्ढों में पानी देना चाहिये और दूसरी देखरेख करना चाहिये।

केवल एक बात जिस पर यहां ज़ोर देना आवश्यक है वह यह है कि हर पेड़ की रक्षा के लिये उसके आस-पास कठघरा या लोहे की पतली पट्टियों का घेरा या ईंट की जालीदार

की तरफ से बड़े बड़े शहरों में एजंट नियत रहते हैं जो गल्ला या तो खुद खरीदते हैं या प्रायः दलालों के द्वारा व्यापार करते हैं। ये दलाल गांव के बनियों के जरिये माल इकट्ठा करते हैं जो कि किसानों को पेशगी रुपया या अनाज देकर पहिले से सस्ता भाव ठहरा लेते हैं। और यदि कोई किसान अपना माल खुले बाजार में ले जाये, तो भी उसे प्रायः ठीक दाम नहीं मिलते, क्योंकि दलाल लोग खरीदनेवालों ही के लाभ के लिये प्रयत्न करते हैं न कि अज्ञानी किसानों के लिये। रुई के बेचने के लिये कई प्रदेशों में, जैसे पंजाब या बरार में, हाल में मंडियां संगठित की गई हैं। इसके अलावा खरीद या बिक्री के लिये सहकारी संस्थायें भी कायम की गई हैं। इनसे किसानों को बहुत लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार का संगठन अनाज के क्रय विक्रय के लिये भी सब प्रदेशों में होना चाहिये। परंतु जबतक कि जगह जगह अनाज की मंडियां क़ायम न हो जावें या बाजारों के प्रबंध के क़ानून न बन जावें तबतक किसानों को चाहिये कि वे स्वयं आपस में मिलकर सहकारी समितियां अपने माल बेचने के लिये स्थापित करें। ऐसी समितियों के बनाने में कृषि-विभाग और सहकारी-विभाग सदा आवश्यक सहायता देने के लिये तैयार रहते हैं। जरूरत सिर्फ थोड़ी शिक्षा, परस्पर विश्वास और औद्योगिक संगठन की है। ये काम मामूली किसान की योग्यता के परे नहीं है और प्रयत्न करने से उन्हें अवश्य लाभ होगा। इस विषय में यह बात याद रखनी चाहिये कि किसान को अपनी कृषि-उपज की वृद्धि के लिये ही प्रयत्न करना काफी नहीं है, बल्कि उसे अपनी उपज के बदले में अधिक से अधिक मूल्य भी मिलाना चाहिये। इसलिये उसे खरीद फरोख्त की कुंजियों को भी

सीखना चाहिये। मुश्किल तो अक्सर यह होती है कि साहूकार या मालगुजार के दबाव से उसे अपनी फसल फौरन बेचनी पड़ती है और अच्छे भाव आने तक वह अपनी फसल को रोक ही नहीं सकता। या पूंजी न होने के कारण वह सस्ते समय में अपने जरूरत की चीजें खरीदकर जमा नहीं कर सकता। इन कठिनाइयों के दूर करने का एक उपाय है कि सब किसानों का संयुक्त रूप से संगठन किया जाय; क्योंकि यह प्रत्यक्ष है कि जो बात एक अकेला आदमी नहीं कर सकता वह दस-पांच मिलकर आसानी के साथ कर सकते हैं। किसानों के संगठन हो जाने से दलालों का झगड़ा व फुटकर बिक्री व खर्च कम हो जाता है और माल का एक जगह रखना, ठीक भाव का पता लगाना इत्यादि कई बातों का सुभीता हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की समितियों को पूर्ण रूप से संगठित होना चाहिये। इसी संस्था को सहकारी क्रय-विक्रय की समिति कहते हैं। जो इन सहकारी समितियों के सदस्य होंगे उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये प्रत्येक प्रांत की सरकारने चंद नियम बनाये हैं जो कि कृषि विभाग या सहकारी-विभाग के किसी भी आफिसर के द्वारा जाने जा सकते हैं।

भाग २ रा

पशुपालन

परिच्छेद १३

"साधारण सूचना"

इस देश में प्रति वर्ष हजारों मवेशी संक्रामक रोगोंसे मरते हैं और इससे गांव वालों को जो हानि होती है उसका अंदाज लगाना मुश्किल है तेहक़ीकात से पता चलता है कि हल में जोते जाने लायक हृष्ट-पुष्ट पशुओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि ठीक रूप से खेती करने के लिये आवश्यक है। और इसकी भी शिकायत है कि मौजूदा जानवरों की हालत में हरसाल धीरे धीरे खराबी होती जा रही है। कुछ लोगों के मत के अनुसार इस खराबी का कारण यह बतलाया जाता है कि हाल में खेती के फैलाव से चरागाह का रक़बा बहुत कम होगया है। इसमें भले ही कुछ सत्य हो; परंतु सबसे अच्छे जानवर तो ऐसे स्थानों में पाये जाते हैं कि जहां चरागाह बहुत थोड़े हैं, और सबसे खराब पहाड़ी जगहों में जहां चरागाह की कमी नहीं या धान के मुल्क में जहां धान का पैरा बहुतायत से होता है। कारण चाहे जो हो, इसमें

जरा भी मत भेद नहीं है कि खेती के सुधार के लिये बैलों की हालत फौरन दुरुस्त होना लाजमी है और जानवरों की तरक्की करने का सिर्फ एक जरिया यह है कि अच्छे जाति के जानवर पैदा किये जावें और किसान लोग उन्हें अच्छी तरह चरावें और उनकी हिफाजत करें। मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिये सरकार ने कई फार्म खोल रक्खे हैं जहां कि सस्ती क़ीमत मे सांड़ मिल सकते है, परंतु अड़चन तो यह है कि औसत दर्जे के गांव मे बहुत कम ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास इतनी ज्यादा गायें हों कि उन्हें अपने लिये अच्छी जाति का सांड़ खरीदने में पड़ता पड़ सके। फिर गांव वालों में इतना सहयोग भी नहीं है कि कई लोग मिलकर एक सांड़ खरीदकर उसकी मिलजुलकर हिफाजत करें। यदि गांववाले फार्म वाला अच्छा सांड़ नहीं खरीद सकते तो वे कम से कम अपने ही जानवरों में से, या पड़ोस के जानवरों में से अच्छा सांड़ चुन सकते हैं। उन्हें इस बात की निगरानी करनी चाहिये कि चुने हुए सांड़ों के अलावा दूसरे कच्चे सांड़ गांव में न रहने पावें। रद्दी या कच्चे सांड़ों को बधिया कर डालना चाहिये जिससे कि फिर उनके जरिये नस्ल बिगड़ने का डर न रहे। यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि सिर्फ अच्छी गौओं को साथ अच्छे सांड़ का मेल कराने से ही अच्छे बैल पैदा किये जा सकते हैं। गांवों की गायें बहुधा हलकी या कमजोर जाति की होती हैं और उनकी सिलाई भी अच्छी नहीं होती। खेती विषयक शाही कमीशन ने यह फर्माया है कि इस देश में हालां कि हिंदू जनता गाय को इज्जत की नजर से देखती है, तो भी सब घरेलू जानवरों में गाय ही सबसे खराब तरीके से पाली जाती है। यहां तक कि उसकी उचित सिलाई भी नहीं की जाती। गांव में अक्सर तरीका

यह है कि सारे में चारा खेती के बैलों के देने बाद यदि बचगया तो गाय और बछड़ों के सामने डाल दिया गया, वरना बगैर दूध देने वाली गायें तो बिचारी खुली छोड़ दी जाती हैं, ताकि यहां वहां चरकर वे अपना पेट भरलें। हां जब तक गाय घर के लिये दूध देती रहती है तब तक उसे थोड़ा रातब अवश्य दिया जाता है जिससे कि वह ज्यादा दूध देवे, परंतु ज्योंही दूध सूख जाता है त्योंही रातब बन्द कर दिया जाता है और वह चराई पर छोड़ दी जाती है। सच तो यह है कि भैंस की ज्यादा हिफाजत होती है, हालां कि गाय माता से ही बैल पैदा होते हैं जिनके बल पर सारी खेती होती है। यदि किसान अपने मवेशियों की तरक्की चाहते हैं तो उन्हें अच्छे सांड व गायें रखना चाहिये और उनकी अच्छी हिफाजत करनी चाहिये इतना ही नहीं बल्कि बेकाम मवेशी बेच डालना चाहिये, जिससे कि उनका थोड़ा सा चारा निकम्मे जानवरों की खिलाई में बर्बाद न होकर थोड़े से अच्छे जानवरों को मजबूत बनाने में काम आवे। खिलाई के बारे में, किसान लोग काम के दिनों में तो अपने बैलों को अच्छी तरह खिलाते हैं, परंतु खाली दिनों में उनकी लापरवाही करते हैं। यह कंजूसी का रिवाज ठीक नहीं; क्योंकि खाली दिनों में जानवरों की हालत गिर जाने पर वे एकदम से फिर मौके पर काम करने के लिये उत्तेजित नहीं किये जा सकते। इसलिये किसानों को चाहिये कि वे हमेशा अपने गोरुओं की मुनासिब हिफाजत करते रहें। प्रायः जो जानवर हमेशा अच्छी हालत में रक्खे जाते हैं, वे बीमार भी नहीं पड़ते। जानवरों को तन्दुरुस्त और स्वच्छ रखने से उनकी बहुत सी मृत्युएं बरकाई जा सकती हैं। इस तरह से यदि नफा और नुक्सान की दृष्टि से भी देखा जाय तो जानवरों

की ठीक हिफाजत करना फायदे की ही बात है। जरूरत सिर्फ इतनी ही है कि जानवरों को साफ पानी पीने को, काफी चारा खाने को और साफ स्थान रहने को मिले। यदि उनकी सारें ठीक समय पर साफ करदी जावें तो वे मक्खियों, पिस्सुओं तथा अन्य कीड़े मकोड़ों के काटने से बचे रहेंगे। उन्हें सर्दी और जोर की बारिश में भीगने से भी बचाना चाहिये। यदि गांव में या पड़ोस में कोई छुनैली मवेशियों की बीमारी हो तो फौरन उन्हें अलग दूर रखना चाहिये। यदि किसी जानवर को चोट लगजाय अथवा उसका चमड़ा छिल जाय अथवा वह बीमार हो तो फौरन उसका इलाज करना चाहिये, और उसे ठीक दवाइयां देना चाहिये। और जब तक उसकी चोट अच्छी न हो जाय, या बीमारी दूर न हो जाय, तब तक उसे आराम देना चाहिये। यह तो सब मोटी सलाहे हैं। हर एक विषय का खुलासा विवरण पुस्तक के अन्य परिच्छेदों में दिया गया है। ग्रामोद्धार में दिलचस्पी रखने वाले सज्जनों से निवेदन है कि वे ग्रामवासियों को ऐसे सब नियम समझा दें, जिनसे कि वे उनके आश्रय में रहनेवाले मूक पशुओं को बहुतसी हैरानियों से बचा सकें। वे सज्जन निम्न लिखित दिशाओं में प्रचार करने का भी बंदोबस्त करें:—

१ अच्छी नस्ल के पशुओं को पैदा करने तथा पालने के लिये उत्तेजन देना।

२ कम उम्र में 'बरडिजो' नामक यंत्र द्वारा निकम्मे सांड़ों का खस्सी करना।

३ अच्छी जाति के सांड़ों का प्रचार।

४ पशुओं की ठीक खिलाई तथा पालन का महत्व।

५ मवेशियों की छुतैली बीमारियों के रोकने के ज्ञान का प्रचार।

६ संक्रामक बीमारियों के फैलने की फौरन रिपोर्ट करने की व्यवस्था।

७ बीमार जानवरों के इलाज करने के लिये सुविधाओं का प्रचार।

८ जानवरों के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार को रोकना।

९ दूध और घी की अधिक उपज करना।

१० मुर्रीयों के व्यवसाय की तरक्की करना।

परिच्छेद १४

"उत्तम सांडका चुनाव"

ढोरों की दशा में तरक्की करने के उपायों के मुख्य दो भाग हैं। एक तो यह है कि उनकी अच्छी नस्ले पैदा करना और दूसरी उनकी अच्छी देख रेख करना। पहिली बात के निस्बत यह जरूरी है कि निकम्मी गायें अलेहदा करके उनके बदले बढ़िया गायें पाली जायं, और उन्हें अच्छे सांड़ से फलाया जावे,—क्योंकी नस्ल सुधार के विषय में कहावत है कि एक अच्छा सांड़ गायो के एक झुंड के बराबर होता है। इस लिये सांड़ का चुनना विशेष महत्व की बात है। गॉवों में उत्तम सांड़ मौजूद होते हुए भी तरक्की की कोई आशा नहीं की जासकती जबतक कि वहाँ पर छोटे निकम्मे बछड़ों द्वारा गायें फलती रहेगी। इसलिये इन रद्दी सांडों का खस्सी करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छे सांड़ का चुनना। अच्छी तरह खाये पिये देशी सांड़ ढाई से तीन वर्ष की उम्रमें गायो से संभोग करने के लायक हो जाते हैं। इसलिये उन्हे इस उम्र तक पहुंचने के पहिले ही खस्सी करवा देना चाहिये। इससे एक फ़ायदा यह होता है कि जानवर नेक मिज़ाज निकलता है। 'बर्डिज़ो' नामक खस्सी करने के यंत्रने इस क्रिया को बहुत आसान बना दिया है। जिन काश्तकारो को अपने बछड़े खस्सी करवाना हो उन्हें चाहिये कि वे नज़दीकी वैटरिनरी असिस्टेंट (ढोर डाक्टर) को लिखें, ताकि वह उनके गॉव जाकर बग़ैर फ़ीस के ठीक उम्र वाले बछड़ो को बधिया करदे।

सांड़ को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें खास जरूरी सिफ़तें अवश्य मौजूद हों। देहात में दूध के वास्ते या जोतने के वास्ते जानवरों की जरूरत होती है। बोझा ढोने के काम के वास्ते बैल की छाती और गर्दन बलवान होनी चाहिये, कोहनी बड़ी तथा कन्धे के नीचे का भाग और जांघें चौड़ी तथा मजबूत होनी चाहिये। तेज चाल और दौड़ के वास्ते चौड़ी गहरी छाती वाले, हलके और फुर्तीले जानवर उत्तम होते हैं। भारी और धीरे काम के वास्ते जो बैल उत्तम होते हैं उनके अक्सर सिर बहुत बड़े और कान लम्बे और लटकते हुए होते हैं, उनकी गर्दन छोटी और मोटी तथा हड्डियां भद्दी होती हैं। उनकी गर्दन, कांधेर और मुतान पर बहुतसा ढीला चमड़ा रहता है। हलके फुर्तीले काम के लिये जो बैल उत्तम होते हैं उनके सिर स्वच्छ होते हैं, स्वभाव तेज व फुर्तीला होता है, उनके कान छोटे और खड़े होते हैं, और गर्दन कांधेर और मुतान पर ढीला चमड़ा नहीं रहता या बिलकुल थोड़ा रहता है। यह भी याद रखना चाहिये कि भिन्न भिन्न जगहों के लिये भिन्न भिन्न जाति के बैल उपयुक्त होते हैं। जैसे कि कपास पैदा होने वाले भागों में जमीन तथा जलवायु के अनुसार, मंझोले क़द के लेकिन क़रीबन भारी जानवरों की जरूरत होती है जो कि फुर्ती से चल सकें और खड़ी हुई फसल की क़तारों के बीच की जुताई का काम जल्दी से निपटा सकें, क्यों कि यह जुताई या गोड़ाई इन प्रदेशों में एक महत्व पूर्ण काम है। ऐसे भागों में जहां धान की खेती होती है और जहाँ कि प्रायः जानवरों को हल्का चारा मिलता है, खुराक के लिहाज से बहुत बड़े बैल न होना चाहिये। इस लिये पशु-सुधारक मालगुजारों और काश्तकारों को चाहिये कि खेती मुहकमे के अफ़सरों की सलाह लेकर ठीक

किस्म का सांड़ खरीदें। सांड़ की ठीक क़िस्म मुकर्रर होजाने पर खरीदार इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान करले कि जो सांड़ उसे मिल रहा है वह खूब हृष्ट-पुष्ट है व नहीं। इस के चिन्ह ये हैं:—नरम चमड़ा, सुन्दर बाल, चमकीली आंखें, चौड़ा माथा, मजबूत और चौड़ी छाती, सीधी और साफ चाल, और सुन्दर सुडौल रूप। अच्छा सांड़ खरीदकर ठीक खिलाई पर तो ध्यान रखना ही चाहिये, परन्तु साथ ही साथ उसका ठीक हिसाब से इस्तैमाल भी होना चाहिये। उसे जानवरों के झुंड के साथ आवारा नहीं छोड़ देना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से उसका अक्सर छोटी उम्र की कलोरों से संयोग होजाता है और फिर मांज में आई हुई गायों के साथ हमेशा रहने से उसकी बहुत सी शक्ति व्यर्थ नष्ट होजाया करती है। इस लिये उसे अलग कटघरे में रखना चाहिये और गरम गायों को फलवाने के लिये उसके पास लेजाना चाहिये। ठीक तरीके का एक ही संयोग गाय को गाभिन करने के लिये काफी होता है और संभोगों की संख्या पर बंधेज रहने से सांड़ की उत्पादन शक्ति सुरक्षित रहती है।

परिच्छेद १५

"सरकारी सांड़ों के मिलने के क़ायदे"

पहिले परिच्छेद में कहा जा चुका है कि अच्छी नस्ल के सांड़ का चुनना उत्तम पशु पैदा करने के लिये बहुत आवश्यक है। पशुओं के मालिक प्रायः अपने मवेशियों के मुन्ड में सरकारी सांड़ों को रखने के लिये हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे सांड़ों के लिये कुछ रुपया खर्च करना पड़ता है, अथवा नियमों के अनुसार उनकी देखरेख करनी पड़ती है। इस के अलावा दूसरे लोगों से सांड़ के उपयोग की फ़ीस लेने की गांव में कोई प्रथा ही नहीं है, जिससे सांड़ के पोषण का कुल खर्च निकल आवे। कई प्रान्तों में सरकार ने नियम बनाये हैं जिनके अनुसार सरकारी सांड़ या तो मुफ्त में मिल सकते हैं या कुछ शर्तोंपर रियायती क़ीमत में खरीदे जा सकते हैं। इन में से कुछ शर्तें नीचे दी जाती हैं:—

[अ] सरकारी सांड़ ऐसे ग्रामीण केन्द्रों में रखे जायँ जिन्हें कि कृषि मुहकमा निश्चय करे।

[ब] ऐसे केन्द्रों में सरकारी सांड़ों को छोड़कर और कोई दूसरे सांड़ नहीं रक्खे जायँ। दूसरे सांड़ या तो बधिया कर दिए जायँ या अन्य किसी प्रकार हटा दिये जायँ।

[स] मुक़र्ररः पैमाने के मुताबिक़ सांड़ों को खिलाने तथा रखने का खर्चा सांड रखने वाले बरदाश्त करें।

उपर लिखी हुई बातों से यह स्पष्ट है कि जो शर्तें रखी गई हैं उन का पालन करना किसी तरह कठिन नहीं है। इस विधान का अन्दरूनी मतलब यह है कि खासखास जगहों में पूरे नियंत्रण के साथ नस्ल सुधार का काम हो।

उपर लिखे हुए तरीक़ों के अलावा प्रीमियम, अर्थात सरकार की ओर से इनाम देकर सांड़ वितरण, की भी एक प्रथा है। इस के अनुसार मालिक मवेशियान असली शुद्ध नस्लों के जानवर तथा सरकार द्वारा स्वीकृत नस्लों के सांड़ रखने के लिये बाध्य किये जाते हैं। और फिर कुछ चन्द शर्तों पर अमल करने से उन्हें सालाना एक इनाम की रक़म दी जाती है जिससे कि उन की खिलाई पिलाई का खर्च निकल आता है और सांड़ की क़ीमत में भी रियायत की जाती है। कारबारी मुहकमे से इन सब क़ायदों का पता लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में पशु सुधार केन्द्रों और अच्छे मवेशियों के झुंडों में अच्छी नस्लों के सांड़ों का प्रचार करने के लिये एक ज़ोरदार अपील निकाली गई है। उम्मेद की जाती है कि ग्रामोत्थान के कार्यकर्ता, तथा अन्य ग्राम सुधारक इस ओर उचित ध्यान देकर वाइसराय महोदय की अपील का गौरवपूर्ण प्रत्युत्तर देंगे। ग्रामोत्थान के कार्यकर्ताओं को ये क़ायदे गांव के लोगों को समझना चाहिये, विशेष करके उन रक़बों में जहां कि पशु-पालन के लिये सुभीते हों या जहाँ पहिले ही से मवेशियों के पालन का खास व्यवसाय हो। कुछ साल पहिले यह रिवाज था कि लोग किसी मृत धनी पुरुष के क्रिया-कर्म के अवसर पर सांड़ छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उन का विश्वास था कि ऐसे सांड़ों के दान से मृत व्यक्ति की आत्मा को शान्ति प्राप्त होगी।

यह रिवाज अब धीरे धीरे निकलवा जा रहा है; लेकिन इस रिवाज का जारी रखना जरूरी है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे मौकों पर जो सांड़ छोड़े जायँ वे अच्छे चुने हुए होने चाहिये और हिन्दुओं के धर्म पर कोई आघात न करते हुए परस्पर के सहयोग से ऐसे सांड़ों पर नस्ल सुधार की दृष्टि से उचित देखरेख करनी चाहिये।

परिच्छेद १६

"गोरुओं की समुचित खिलाई"

—— o: ——

पशुपालन में नस्ल सुधार के साथ ही साथ जानवरों को अच्छी तरह से खिलाना भी बहुत जरूरी है। यदि ठीक खिलाई न की गई, तो ऊँचे दर्जे के जानवर भी घटिया हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में अच्छे चारे की उपज और उसके संचय का प्रश्न बड़े महत्व का है। परंतु बहुत थोड़े किसान चारे के लायक फसलें बोने की तकलीफ उठाते हैं। यह नुक्स सफल पशुपालन में बड़ा बाधक होता है; क्योंकि ठीक प्रकार का चारा न होने पर अनाज की फसलों का भूसा ही खिलाना पड़ता है जो कि अक्सर पौष्टिक नहीं होता। उदाहरण के लिये, कई धान के प्रदेशों में धान का पयाल या पैरा ही एक मात्र चारा मिलता है, परंतु इसमें पोषण शक्ति बहुत ही कम होती है। इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे स्थानों के पशु नाटे और दुबले होते हैं। ज्वार की कड़वी का चारा पुष्टकारी होता है, परन्तु कपास के मुल्क में पैसे की लालच से किसान लोगों ने ज्वार की खेती कम करके उसके बदले कपास बोना शुरू कर दिया है। एक और मुसीबत यह है कि जहां कहीं ज्वार की कड़वी और गेहूं का भूसा काफी तादाद में हो जाता है वहां के काश्तकार इन चीजों को जमा करके तो नहीं रखते बल्कि नक़द दामों की गरज से बेच दिया करते हैं और अपने जानवरों को गांव के बंजर की रूखी सूखी चराई के भरोसे ही छोड़ देते हैं। फसल पैदा करने में किसानों को सिर्फ रुपये की आमदनी पर ही सारा ध्यान न रखना

चाहिये, बल्कि साथ ही साथ ढोरों के चारे की व्यवस्था पर भी गौर करना चाहिये। उदाहरण के लिये चांवल के मुल्क में जाड़े के दिनों में रबी फसलों के साथ रबी ज्वार आसानी से चरी या कड़वी के लिये बोई जा सकती है। चारे वाली ज्वार की कुछ उत्तम किस्में नीचे लिखी जाती हैं: सुंडिया, लाम्बकर्नी, निलधा, अम्बर और कोलियर। इनमें से सुंडिया सबसे जल्दी पकती है। ज्वार की फसल ढोरों को हरी तथा सूख जानेपर भी खिलाई जा सकती है। हरी ज्वार को यदि गड्ढों में बारीक काटकर रक्खें तो वह आसानी से साइलेज के रूपमें अच्छी रह सकती है। इस रूप में ज्वार ढोरों को गर्मी के दिनों में, जब कि दूसरा हरा चारा नहीं मिलता, बहुत रोचक होती है। इस प्रकार की साईलेज खिलाने से दुधारू जानवरों का दूध नहीं टूटने पाता। ज्वार को इस तरह से गड्ढों में भरने से पहिले उन गड्ढों को गोबर और मिट्टी से लीप लेना चाहिये। लीपने के बाद सूख जाने पर पहले गड्ढों के पेंदे में तथा आसपास क़रीब तीन चार इन्च मोटा अस्तर सूखी घास या भूसाका दे देना चाहिये। फिर हरी फूल में आई हुई ज्वार की कटिया खूब ठूंस कर भर देना चाहिये। भरते समय कटिया को खूब रौंदना चाहिये। और थोड़ा पानी भी छिड़कते रहना चाहिये। ऐसा करने से चारा सूखने नहीं पाता। भूसे का अस्तर देने से नीचे ऊपर तथा आस-पास का चारा खराब नहीं होने पाता। फिर ऊपर से सूखी घास या भूसे से ढांक देना चाहिये। और गड्ढे को मिट्टी से अच्छी तरह से छाप देना चाहिये, जिसमे कि हवा बिल्कुल अन्दर न जाने पावे। अन्दर हवा रह जाने से चारा सड़कर जल जाता है। ज्वार ही नहीं, बल्कि कोई भी हरा चारा जैसे कि घास, मक्का, इत्यादि भी इसी तरह हरी हालत में साइलेज के रूप में संचय किया जा सकता है।

मवेशियों की खुराक दो प्रकार की होती है। (१) चारा (२) दाना। चारा जैसे हरी घास, सूखी घास, फोल या भूसी कड़वी, भूसा इत्यादि जानवरों के पेट भरकर क्षुधा शान्ति के लिये परम आवश्यक है, यद्यपि इनमें पुष्टई का अंश थोड़ा ही होता है। दाना जैसे खली, बिनौला अनाज इत्यादि पुष्टि कारक होता है; परन्तु मवेशियों की खुराक केवल दाने ही की न होना चाहिये। यदि जानवर कठिन काम नहीं कर रहा है या दूध नहीं दे रहा है, तो उसकी गुजर केवल अच्छे चारे से हो सकती है; परन्तु ज्योंही उससे काम लिया जाय या उससे दूध मिले तो उसे चारे के अलावा दाना भी मिलना चाहिये। काम वाले बैल तथा दुधारू जानवरों के लिये नीचे लिखा हुआ रातब देना ठीक होगा।

काम वाला बैलः—१० सेर सूखी घास या सूखा चारा और २ से ३ सेर तक रातब जिस में बिनौला (सरकी) तिल खली और चूनी बराबर बराबर मिली हो।

२ सांड़ः—१० सेर सूखा चारा जैसे सूखी घास इत्यादि और तीन से चार सेर तक रातब।

३ प्रतिदिन ६ सेर दूध देनेवाली गायः—१० सेर सूखा चारा और तीन सेर रातब।

४ प्रतिदिन ८ सेर दूध देने वाली भैंसः—१२ सेर सूखा चारा और चार या पांच सेर रातब।

दूध देनें वाले जानवरों को हरा चारा मिलना जरूरी है। इससे दूध की मिक़दार बढ़ती है और जानवर की हालत अच्छी

रहती है। हर समय व हर जगह हरा चारा नहीं मिलता है; फिर भी यदि संम्भव हो तो आधी या एक तिहाई खुराक हरे चारे की अवश्य होनी चाहिये। यदि सब जानवरों को हरा चारा मिले तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हरा चारा देते समय यह ध्यान रहे कि १ सेर सूखा चारा क़रीब तीन या ४ सेर हरे चारे के बराबर होता है मोटे हिसाब से जितना दूध होता हो उसका आधा रातब देना चाहिये। भैंस के दूध में गाय के दूध से चिकनाई अधिक होती है, इस लिये उसे आधे भाग से कुछ अधिक रातब देना आवश्यक है। इस हिसाब से दूध के वजन का ६० फ़ीसदी रातब देना ज्यादा ठीक होगा। बिनौले को आम तौर से बिना कुचले हुए और बिना भिगोये खिलाते हैं; परन्तु ऐसी हालत में उसका ठीक पचना संभव नहीं है; इस लिये भिगोकर देने में विशेष लाभ होता है। यद्यपि मोटे हिसाबसे खुराक की मात्रा का विवरण ऊपर बतलाया गया है, तथापि यह ख्याल रखना चाहिये कि जानवर को खुराक पूरी मिले और जब मेहनत ज्यादा करनी पड़े तो रातब बढ़ा देना चाहिये। सब मवेशियों को रोजाना रातब के साथ थोड़ा सा नमक भी देना चाहिये। आधी छटाक से १ छटाक तक नमक प्रतिदिन औसत दर्जे के जानवरों को मिलना चाहिये। और छोटे बच्चों को क़रीब पाव छटाक।

हालांकि सांड़ प्रायः ३ वर्ष की अवस्था के बाद संयोग कराने लायक होता है, परन्तु इस उम्र के बाद पहले दो वर्षों तक उससे बहुत सी मादियों को न फलवाना चाहिये। जब वह पांच या छः वर्ष का होजाय तब आसानी से साठ गायों को गाभिण कर सकेगा। अच्छी सन्तान के लिये अच्छे माता पिता

होना चाहिये। परन्तु यदि छोटे बछड़े और बछियों की खिलाई और देखरेख अच्छी न हुई, तो वे आगे चलकर अच्छे गाय बैल के रूप में तैयार न होंगे। ग्वाले जो दूध के लिये अच्छी गायें पालते हैं, अक्सर बच्चों के साथ लापरवाही करते हैं। दूसरे लोग भी अपने इस्तैमाल के लिये ज्यादा दूध निकालने की गरज से बच्चों को काफी दूध नहीं पीने देते। किफायत की दृष्टि से तथा बच्चे की उचित बाढ़ की दृष्टि से भी यह बेहतर है कि बच्चों को हाथ से दूध पिलाया जाय और वह शुरू से ही बरतन में से उंगलियों द्वारा दूध पीना सीख जाय। पहिले दस दिन तक बच्चे को अपनी मां का दूध याने चौक या तेली दिन में तीन बार मिलना चाहिये। आम तौर से प्रतिबार लगभग १ सेर तेली देना चाहिये। ग्यारहवें दिन से तीसवें या पैंतालीसवें दिन तक उसे ढाई सेर से चार सेर तक शुद्ध दूध रोजाना पिलाना चाहिये। यह भी दिन में ३ खुराकों में बांट देना चाहिये। दूध पिलाते समय कुनकुना होना चाहिये। इसके बाद शहरों में जहां दूध महंगा बिकता है, शुद्ध दूध को क्रमशः कम करके उसकी जगह पर मशीन का या मलाई निकाला हुआ दूध या मठा या छांछ देना चाहिये। मशीन के दूध के साथ पहिले चम्मच भर और फिर क्रमशः अधिक, अलसी का पेज मिला देना चाहिये। अलसी का पेज, एक हिस्सा साफ पिसी हुई अलसी, छः हिस्सा पानी में उबालकर बनाना चाहिये। उसे थोड़ी चूनी और गेहूं का चोकर भी क्रमशः थोड़ी मात्रासे प्रारंभ करके देना चाहिये इसके अलावा करीब आधा सेर चूनी इत्यादि का दाना तथा हरी घास या दूसरा नरम चारा भी देना चाहिये। दूध और दाना दो भागों में बांटकर सुबह और शाम देना चाहिये। इसके

बाद क्रमशः दूध कम कर देना चाहिये और चारा और रातब बढ़ाते जाना चाहिये। लगभग ८ महीने की उम्र तक दूध बिल्कुल बंद या कम कर देना चाहिये, परन्तु रातब क़ायम रखना चाहिये। जब बच्चा तीन या चार हफ्ते का हो जाय तब से उसे पीने का साफ पानी भर प्यास देना चाहिये। बच्चे की सार में सुभीते से सेंधे नमक के ढेले, तथा नमक और अन्य क्षार पदार्थों की ईंटें और खड़िया के बड़े बड़े टुकड़े चाटने के लिये रख देना चाहिये, जिससे वह उन्हें चाटा करे और गन्दी मिट्टी न खाये इस तरह से बच्चों को क्षार पदार्थ उचित मात्रामें मिलने से उनकी बाढ़ ठीक होती है और पेट शुद्ध रहता है। एक साल का होने पर बच्चे को झुन्ड के साथ चरने को छोड़ना चाहिये और फिर उसकी खास हिफ़ाजत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेढ़ दो साल का होने पर उसे नाथ देना चाहिये और यदि सांड़ नहीं रखना हो तो खस्सी या बधिया करा देना चाहिये। इस तरह से पाले हुये बछड़े बड़े होने पर बढ़िया बैल निकलेंगे और अपने मालिक का खेत अच्छी प्रकार से जोतकर, और उपज बढ़ाकर अपनी खिलाई पिलाई का बदला उचित रीति से चुका सकेंगे।

परिच्छेद १७

"मवेशियों की हिफ़ाज़त"

ढोरों को भर पेट चारा और पानी देना ही काफी नहीं है; बल्कि उनकी तन्दुरुस्ती ठीक रखने के लिये दया और प्रेम के साथ उनकी देख रेख भी करनी चाहिये। जानवरों की देखभाल ठीक होनेपर वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं; क्यों कि बीमारी का आक्रमण प्रायः तभी होता है जब कि उनकी सिलाई में गड़बड़ होने से उनका शरीर टूट जाता है। इसमें शक नहीं कि शुद्ध संक्रामक बीमारियां तन्दुरुस्त ढोरों को भी होजाया करती हैं; परन्तु बहुधा यह उनके मालिकों की लापरवाही से होती हैं। उनकी लापरवाही यह है कि वे अपने ढोरों को रोगी ढोरों के साथ मिलने देते हैं। यदि नीचे लिखी हुई बातों पर ग़ौर किया जाय तो मवेशी प्रायः अपनी तन्दुरुस्ती अच्छी तरह से क़ायम रखकर अपने परिश्रम से अपने मालिकों को अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। मवेशियों की सार आसपास की ज़मीन की सतह से ऊंचे पर होना चाहिये, और फर्श से तथा आसपास से पानी बह जाने के लिये काफी ढाल होना चाहिये। सार की छत ऐसी होनी चाहिये जिससे कि ढोरों की बरसात के पानी तथा धूप से पूरी बचत हो और दीवालें ऐसी होनी चाहियें कि जो जाड़े और बरसात में उनकी पूर्ण रक्षा कर सकें। सारें खूब रोशनीदार व हवादार होनी चाहियें। सारों के दरवाज़े काफी चौड़े होने चाहियें जिनसे कि ढोर आसानी से उनमे घुस सकें। सार और उसके

आसपास की जमीन गोबर तथा मूत्र को हटाकर साफ रखना चाहिये। यदि किसी मवेशी को चोट लग जाय या उसका चमड़ा छिल जाय तो उसका इलाज फौरन करना चाहिये, नहीं तो उन चोटों के द्वारा बीमारियों के कीटाणु उसके शरीर में घुस जायंगे और वह ढोर बीमार पड़ जायगा। किसी घाव की चिकित्सा करने के लिये पहिले पहिल खून का बहना बन्द करना चाहिये। यह ठंडे उपचारों से हो सकता है जैसे बर्फ या ठंडे पानी के उपचारों से, या घाव को दबाने या उसमें कोई दवा लगाने से। यदि खून ठंडे उपचारों से या दबाने से बन्द न हो, तो निम्न लिखित उपाय करना चाहिये:—थोड़ा सा पिसा हुआ कत्था लेकर उसके आधे परिमाण में फिटकरी लो। दोनों को खूब मिलाकर घाव के ऊपर भुरक दो उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रखकर उसे दबा दो या कसकर एक पट्टी बांध दो।

घाव अच्छा करने की दूसरी तरकीब यह है कि उसे पहले साफ करलो। साफ करने के लिये एक साफ प्याले में थोड़ासा साफ गरम पानी लेकर उसमें चन्द चुटकी नमक डाल दो। एक सेर पानी में आधा तोला नमक काफी होता है। फिर थोड़ीसी रुई लेकर उसे इस नमकीन पानी में भिगोकर अच्छी तरह से घाव को साफ करो। उसमें से सब कचरा निकाल दो। यदि उसमें बाहरी चीजें जैसे कांच के टुकड़े या कोले इत्यादि हों, तो उनको निकाल डालो और फिर उसमें कोई दवा लगाओ। एक उम्दा दवा जो कि सब गांवों की दूकानों में मिल सकती है यह निम्न लिखित है:—

[१] थोड़ासा नारियल या अलसी का तेल उबालकर उस में थोड़ा कपूर मिलाओ (कपूर १ छटाक

जब की तेल ८ छटाक हो) फिर उसे खूब हिलाओ और एक काग वाली बोतल में भर दो। इस तेल को घाव के ऊपर रुई से दिन भर में तीन बार लगाओ।

[२] आधा तोला तूतिया खूब बारीक पीसकर एक सेर भिगाये हुये चूने में अच्छी तरह मिला दो। इस को घाव पर दिन में दो दफे लगाओ।

घाव को रोजाना कम से कम दो बार साफ करना चाहिये और ऊपर बताई हुई दवाइयों में से किसी को भी लगाना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये की घाव मक्खियों और कचरे से सुरक्षित रहे। अगर कोई मक्खी घाव पर बैठ जाती है, तो उस में कीड़े पड़जाना संभव है और तब उस को अच्छा करना बहुत कठिन हो जाता है। मामूली घाव पूर्वोक्त दवाओं के लगाने से बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं; परन्तु यदि घाव बहुत खराब हो और किसी नाड़ी के कट जाने से बहुत खून बहता है, तो नजदीक के मवेशी अस्पताल से फौरन मदद लेनी चाहिये। कभी कभी ढोरों को साफ पानी से नहलाना चाहिये और उन के चमड़े को साफ सुथरा रखना चाहिये। जहाँ तक संभव हो उन को कीड़े, मकोड़ों, मक्खियों तथा किल्लियों के काटने से बचाना चाहिये। जानवर को साफ शुद्ध पानी पीने को देना चाहिये, क्योंकी गन्दे पानी से अक्सर बीमारी हो जाती है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि बरसात के मौसम में सार की फर्श पर सीड़ न आने पावे। गोबर और कचरा-कूड़ा सार से दूर रखना चाहिये। यदि गांव या पड़ोस में कोई छूत से फैलनेवाली बीमारी हो जाय,

तो मवेशी डाक्टर को फौरन बुलाकर जानवरों को मुनासिब टीका लगवा देना चाहिये। ऐसा करने से मवेशी आसपास फैली हुई संक्रामक बीमारी से सुरक्षित हो जाते हैं। मवेशियों को यदि रोजाना दाने में नमक न मिलता हो, तो कम से कम हफ्ते में एक बार एक मुट्ठीभर तो अवश्य खिलाना चाहिये, जिस से कि उनकी खुराक पचने में सुविधा हो और पेट ठीक रहे।

परिच्छेद १८

संक्रामक बीमारियां

यदि ढोरों की सिलाई और हिफ़ाज़त ठीक तरह से की जाय, तो जो बड़ा नुक्सान अभी बहुतसे ढोरों के मर जाने से हुआ करता है वह बच सकता है। हर साल बहुत से ढोर छुतैली बीमारियों से मर जाते हैं, इसका नतीजा यह होता है कि ग़रीब किसानों को अपने ढोरों की संख्या पूरी करने के लिये बहुत कड़े सूद पर क़र्ज़ लेना पड़ता है। इन रोगों में से कुछ इलाज से अच्छे किये जासकते हैं और रोके तो सबही जा सकते हैं। इसलिये इन रोगों के विषय में कुछ ज्ञान रखना और उनके मुक़ाबिले के लिये उपाय जानना प्राणियों के लिये बहुत ज़रूरी है। जो बीमारियां ढोरों को बहुधा हुआ करती हैं उनमें से मुख्य मुख्य ये हैं:—

(१) रिन्डर पेस्ट—माता, शीतला, मरी, महामारी।

(२) हैमोरेजिक सेप्टिसीमिया—गलफुला, गरगटी या गलाघोंटू।

(३) ऐन्थ्रेक्स—गिल्टी।

(४) ब्लैक क्वार्टर—इक टंगिया।

(५) फुट एंड माउथ डिज़ीज़—मुंह और खुरी।

ये सब बीमारियां चंगे ढोरों को लग जाती हैं, यदि वे रोगी ढोरों के साथ रहें या उनी खुराक और पानी को खायें

या पियें जिसमें रोग के कीटाणु हों। लापरवाह नौकर या मालिक रोगी जानवरों की सेवा करने के बाद अपने हाथ व कपड़े न धोने के कारण अपने दूसरे चंगे ढोरों के चारे और पानी में बीमारी के कीटाणुओं का प्रवेश कर देते हैं; इस तरह से जानवरों में छुतैली बीमारियां फैलाने के मुख्य कारण उनकी सेवा करने वाले लोगों की लापरवाही, अज्ञानता, और अलाली है। छूत के फैलाव को रोकने के उपाय आगे बतलाये जायंगे। अभी नीचे इन बीमारियों के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बताई जाती हैं।

१ रिन्डर पेस्ट या कैटल प्लेग अर्थात् महामारी।

यह रोग माता, पोखना, शीतला और चेचक के नामों से प्रसिद्ध है और बहुत घातक होता है। उसके लक्षण ये हैं:- (१) बुखार (२) विशेष शिथिलता, जिसके फल स्वरूप जानवर सार में या चारागाह में सिर और कान लटका के चुपचाप अगल खड़ा रहता है। (३) भूक का मिट जाना तथा पागुर करना और दूध देना बंद होजाना (४) आँखों में सूजन और आंसू झरना (५) नाक में सर्दी और बदबूदार और पीप के समान नाक बहना, बाद में मुंह में जबान के नीचे और ओंठों के भीतर छाले निकल आते हैं, इस के बाद बदबूदार पतले दस्त बहुत होने लगते हैं जिन में अक्सर खून मिश्रित रहता है।

इस बीमारी की म्याद चार से आठ रोज तक है। यह बीमारी रोगी जानवर के गोबर और मूत्र से दूषित चारे द्वारा फैल जाती है। दवा दारू से कोई नतीजा नहीं निकलता है, यद्यपि 'य

कहा जाता है कि " टिंचर आफ आयोडिन " की नसों के अन्दर पिचकारी देने से रोगी को फायदा होता है। रुकावट का उपचार ज्यादा महत्व पूर्ण होता है और ज्योंही पता चलें कि गांव या पड़ोस में किसी जानवर को यह रोग होगया है, त्योंही रुकावट की तरकीबों को अमल में लाना चाहिये। इस रोग के हो जाने की रिपोर्ट फौरन सब से पास ढोरों के अस्पताल में भेज देना चाहिये, कि रिपोर्ट पहुँचने पर डाक्टर आवे और सब चंगे ढोरों को माता का टीका लगावे। इस टीके से खतरा नहीं होता, और न उस के कारण ढोरों को काम सेही बन्द करना पड़ता है गाभिण गैयों को भी टीका लगाने से गर्भपात का कोई डर नहीं रहता है। इस साधारण टीके से भी अच्छा तरीका यह है जो कि गोट व्हाइरस के टीके के नाम प्रसिद्ध है। इस से तीन या अधिक साल तक रोग से भय नहीं रहता है। इस तरीके से तो जब सुभीता हो तभी आराम से जानवरों को टीका लगवा सकते हैं।

पहले बताये हुए साधारण सिरम के टीके से केवल ९ दिन असर रहता है और उतने दिन बिमारी का डर नहीं रहता। इस लिये यह बहुत जरूरी है कि गांव के सब के सब जानवरों को टीका लगा दिया जाय, जिस से इस बात का डर न रहे कि कोई बगैर टीका वाला जानवर रोग पकड़ ले और छूत गांव के अन्दर मौजूद रह जावे। ढोर डाक्टर के मिलने तक या उस के आने तक नीचे दिये हुये साधन अमल में लाने चाहियेः—

(१) रोग ग्रसित जानवरों से तन्दुरुस्त जानवरों को फौरन अलग कर देना चाहिये।

(२) जिन जगहों पर बीमार जानवर बंधे रहे हों उन्हें अच्छी तरह से फिनाइल इत्यादि औषधियों द्वारा शुद्ध कर लेना चाहिये।

(३) छुतैला चारा, गोबर, इत्यादि जला डालना चाहिये।

(४) चंगे जानवरों को रोगी जानवरों के पास नहीं जाने देना चाहिये।

(५) यदि रोग गांव में फैल चुका हो, तो चंगे बिना टीका लगे हुए जानवरों को खेतों में रखना चाहिये और जब तक बीमारी मिट न जावे तब तक गांव में वापिस नहीं आने देना चाहिये, तथा गांव की चारागाह में चरने को भी नहीं जाने देना चाहिये।

(६) जो जानवर रोग से मर जायें उन की खाल नहीं उतारने देना चाहिये; उन की लाशों को जला देना चाहिये या गड़वा देना चाहिये।

२. हैमोरेजिक सेप्टिसीमिया:—

इसे घोटवा, गला घोट्टू, या गलफुल्ला और घटसरप कहते है। भैंसोंपर इस रोग का असर ज्यादा होता है यद्यपि यह गायों तथा बैलों को भी हो जाता है। अक्सर बूढ़े जानवरों की अपेक्षा कम उम्र वालों को ज्यादा हो जाया करता है। बहुधा बरसात शुरू हो जाने के बाद यह दिखाई देता है। रोग का आक्रमण होने पर रोगी में बीमारी के चिन्ह दिखाई देने की अवधि १ से ३ दिन तक की है। रोग दिखाई देने पर इस की म्याद चंद घंटों से लेकर कई दिनों तक की है। आक्रमण की

तीव्रता के अनुसार ५० फी सदी से लेकर ८० फी सदी तक मृत्यु संख्या घटती बढ़ती रहती है। परन्तु गाय और बैलों की अपेक्षा भैंसों में मृत्यु संख्या अधिक होती है। तेज़ बुखार, कठीन सांस और लार टपकने के साथ साथ इस रोग के लक्षण तो हैं गले में दर्द देने वाली गरम और कड़ी सूजन जोकि सिर, गर्दन, लोरी और कभी कभी कंधे तथा अगली टांगों तक फैल जाती है, जीभ फूल जाती है और बाहर निकल आती है और दमघोटू खांसी आती है। जब कभी अतड़ियों में रोग लग जाता है तब शूल पैदा हो जाता है और पेट झरने लगता है तथा आंव गिरने लगती है। रोग नाशक दवाइयों से कुछ काम नहीं निकलता; क्यों कि रोग बहुत तेजी से दौड़ता है। बीमारी से रोकने का उपचार यह है कि चंगे जानवरों को टीका लगाया जावे। जब जानवरों को टीका लगा दिया जाता है, तब वे कम से कम ३ महीने तक इस बीमारी से बरी रह सकते हैं। बीमारी फैल जाने की हालत में केवल सिरम द्वारा जो टीका लगाया जाता है उसका असर सिर्फ २ हफ्ते तक रहता है। बीमारी से जानवरों को सफलतापूर्वक बचाने के लिये प्रतिरोधक उपायों को ठीक समय पर अमल में लाने में देरी न करना चाहिये। इसलिये यह जरुरी है कि रोग की घटना की रिपोर्ट फौरन ही सबसे पास के मवेशी डाक्टर को भेज दी जावे। डाक्टर के आते तक जैसा माता की बीमारी के विषय में बतलाया गया है सफाई तथा बचाव के लिये रोगियों से तन्दुरुस्तों को अलग करना इत्यादि उपचार अमल में लाना चाहिये।

ऐनथ्रैक्सः—

इसे गोली, गिल्टी, या फांसी कहते हैं यह रोग बड़ी तेज़ी से आता है, इस बीमारी में बुखार बहुत तेज आता है, आंस और

मुँह में सूजन होती है और गोबर पतला और अक्सर खूनी होता है, साँस लेने में कठिनाई होती है, जानवर खड़खड़ाता है, गिरजाता है और छटपटाता है, और बहुधा थोड़ी ही देर में मर जाता है, और शरीर के सब द्वारों से खून निकल पड़ता है। यह रोग प्रचंड रूप से घातक होता है और इसकी छूत मनुष्यों को भी लग सकती है। इससे बचने के लिये और बीमारी को गांव भर में फैलने से रोकने की गरज़ से कभी भी इस रोग से मरे ढोरों की खाल न उतारने देना चाहिये। ढोर डाक्टर फौरन बुलाना चाहिये जो कि आकर चंगे जानवरों को पिचकारी द्वारा टीका लगा देवे। यह रोग घोड़ों, भेड़ों और बकरियों को भी होता है।

४ ब्लेक क्वार्टर या ब्लेक प्लेगः—

इसे गोली, एकटंगिया चिरचिरा कहते हैं। यह गाय, बैलों भैसों और भेड़ों को होता है। तीन महीने से लगाकर दो साल के छोटे जानवरों को इससे विशेष भय रहता है। यह रोग एकाएक बुखार से शुरू होता है। उसके पीछे जानवर लंगड़ा होजाता है। बहुधा लंगड़ापन एक ही टांग में रहता है। जानवर खाना, चरना और पागुर करना, छोड़ देता है और पड़ा रहता है, साँस लोहार के भाँते या धुकनी की तरह चलती है और साथ ही साथ घुरघुराहट होती है, पिछली टांग के ऊपर की सूजन दबाने से कड़कड़ बजती है। इस रोग से बहुत मृत्यु होती है और अच्छे तो बहुत कम रोगी होते हैं। प्रतिरोधक उपचार ही बहुत फायदे के हैं। यह रोग अपने मौसम में ही होता है, इसलिये इसके मौसम के यदि एक महीने पहिले ही डाक्टर को बुलाकर पिचकारी लगवादी जाय, तो कम से कम एक मौसम भर जानवर इस बीमारी से सुरक्षित

रह सकते हैं। यदि यह रोग फूट ही निकले तो माता की बीमारी के विषय में बतलाई हुई ताकीदों पर अमल करना चाहिये।

"५ फुट एन्ड माउथ डिज़ीज़"

इसे खुरी या बैका कहते हैं, इसकी अक्सर आम शिकायत रहती है। यह बीमारी एक छूतैला बुखार है जिसके साथ साथ मुँह में, खासकर जीभ पर, और पैरों में चमड़े और खुरों के नीचे फफोले आजाते हैं। इलाज के देशी तरीक़े के मुताबिक़ रोगी जानवर को पानी के पास बांध दिया जाता है जिससे उसके खुर हमेशा कीचड़ में रहें। घायल खुरों के बीच में डीकामाली की मालिश की जाती है। डाक्टर लोग छालों को धोकर उनपर मलहम लगाने के ठीक तरीक़े को समझा देते हैं और एक नीली दवाई की पिचकारी भी देते हैं जिससे बहुत फायदा होता है। इस रोग से मृत्यु बहुत कम होती है, परन्तु जानवर कमज़ोर होजाने से बहुत समय तक काम करने के योग्य नहीं होता।

परिच्छेद १९

" पशुओं के संक्रामक रोगों को रोकने के उपाय "

अधिकांश प्रान्तों में पशुओं की बीमारियां अधिकता से पाई जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े मेलों और भिन्न बाजारों में बहुत से मवेशी आसपास की रियासतों से इकट्ठे होते हैं और स्थानीय पशुओं में छुतैली बीमारियां फैलाते हैं। कुछ सूबों में सरकार ने पशुओं की बीमारी की रुकावट के निमित्त क़ानून बनाए हैं, जिन से कि प्रांतीय सरकार को निम्न लिखित अधिकार मिले हैं।

(१) प्रांतीय सरकार को अधिकार है कि वह बाहर से प्रांत में पशु लाने का समय तथा रास्ता निश्चित करदे।

(२) वह ऐसे केन्द्र स्थापित करें जहाँ कि बाहर से आए हुए पशु एकत्रित किये जायं और उनका निरीक्षण हो और आवश्यकतानुसार वे वहाँपर एक नियत समय तक रोके जा सकें।

(३) यदि आवश्यक हो तो पशुओं को टीके लगाए जायं।

(४) बिना टीकावाले पशुओं को बिकने से रोक दें।

(५) पशुओं के बाजार, मेले या नुमायशों [प्रदर्शनी] को बंद करदें। या उन के भरने के लिये नियम

बनावें; परन्तु इन उपायों से पूरा फायदा तो तभी प्राप्त होगा, जब कि लोग स्वयं इस काम में सरकार से सहयोग करें। इस लिये यह आवश्यक है कि गांव वालों को समझाया जाय कि इन संक्रामक या लगने वाले रोगों के कारण क्या हैं और वे इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं।

पिछले परिच्छेद में कुछ खतरनाक बीमारियों के कारण समझाये जा चुके हैं और यह भी साफ तौर से बतला दिया गया है कि इन में से अधिकांश बीमारियां जानवरों में फैल जानेपर पीड़ित पशुओं का सफलता पूर्वक इलाज नहीं हो सकता। इस लिये यह और भी जरूरी है कि चंगे जानवरों में रोग न फैलने के लिये उपायों को फौरन अमल में लाया जाय। माता की बीमारी के वर्णन में बतलाए हुए उपायों के अलावा गांव वालों को इस बातपर निगरानी रखनी चाहिये कि गांव के ढोरों के साथ अन्य गांवों के छूटे जानवर न मिलने पावें और जब किसी जानवर में बीमारी के चिन्ह दिखाई पड़ें, तो गांव के चतुर पुरुषों को चाहिये कि वे इस बात की खोज करें कि उसे कोई छुतैली या लगनेवाली बीमारी तो नहीं है यदि ऐसा होतो उस जानवर को फौरन अलग कर देना चाहिये। यदि पड़ोस के किसी गांव में इन बीमारियों के होजाने की खबर मिले, तो उस गांव के ढोरों से सब संपर्क बचाना चाहिये। गांव में यदि बंजारों के ढोरों का पड़ाव पड़ता हो, तो गांव के ढोरों को उनके साथ न मिलने देना चाहिये। यदि बाहर के बाजार या मेले से कोई जानवर मोल लाया जाय तो उसे कम से कम पंद्रह दिन तक गांव के ढोरोंसे

अलग रखना चाहिये। यदि कोई जानवर अकस्मात मर जावे और उसकी मृत्यु के कारण का पता न चले, तो उसकी लाश को जला या गाड़ देना चाहिये और उसकी खाल न निकलवाने देना चाहिये। जहां तक बने लाश को गहरा गाड़ना चाहिये और उसके ऊपर जानवर के वजन के बराबर चूना पूर देना चाहिये जिस सार में रोगी जानवर बंधा रहा हो या जहां उसकी मृत्यु हुई हो वहां की मिट्टी खुरच डालना चाहिये और दूर ले जाकर गाड़ देना चाहिये। जब तक ढोरों को टीका लगाने के लिये डाक्टर न पहुंचे तब तक हर एक चीज जहां की तहां रहने देना ही उत्तम है। अर्थात एक घर के जानवरों और चाकरों को दूसरे घर के जानवरों और चाकरों से नहीं मिलने देना चाहिये। और गांव के चरागाह में चरने के लिये जानवरों को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिये। यों समझो कि जानवरों का सब चलना फिरना बंद कर देना चाहिये। पश्चिमी देशों में छूत को फैलाने से रोकने का यह उत्तम उपाय सिद्ध हुआ है।

परिच्छेद २०

कुछ दवाइयां

पिछले परिच्छेद में वर्णित बड़ी बड़ी बीमारियों के अलावा ढोरों को और भी कई बीमारियां होती हैं जैसे कि लाल पेशाव, छोटी माता, सूखी, हमल गिरना, बांझपन, इत्यादि। इनके इलाज के लिये किसी होशियार डाक्टर से सलाह लेना चाहिये। गांव में लोग अक्सर तो मवेशियों के इलाज की परवाह ही नहीं करते और अगर दवाई की भी तो लापरवाही के साथ, जिसने जो बतलादी। ढोरों के मालिकों को याद रखना चाहिये कि मवेशियों की तंदुरुस्ती पर उनकी खेती की उन्नति निर्भर है और उनके इलाज में ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। बहुतसी छोटी बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका देहातवाले खुद ही इलाज कर सकते हैं या कम से कम बीमारी को खौफनाक होने से रोक सकते हैं। इस सम्बन्ध में नीचे दिये हुए नुसखे उपयोगी सिद्ध होंगे। औषधियों की मात्रा जो नीचे दी गई है वह पूरे बड़े जानवर के लिये है। छोटे जानवरों और बच्चों के लिये उनके वजन और अवस्था के अनुसार खुराक कम करके देनी चाहिये। नीचे लिखी हुई पूरी खुराक का छटवां भाग एक बड़ी भेड़ या बकरी को दिया जा सकता है।

१. जुलाब—अलसी या अंडी का तेल ... ५ छटाक
मीठा तेल ... ५ छटाक
जमाल गोटा का तेल .... २० बूंद

या जमाल गोटे के १० बीज पीसकर मिला दो। मिलाकर पिला दो।

२. उत्तेजक—(अ) देशी शराब ... ४ छटाक
पिसी हुई सोंठ ... १॥ तोला
पिसी हुई काली मिर्च.... -॥:- तोला

मिलाकर दस छटाक पेज के साथ पिलाओ और जब तक जरूरत हो चार चार घंटे में खुराक देते जाओ।

(ब) नौसादर ... १॥ तोला
पिसी हुई सोंठ ... १॥ तोला
पिसा हुआ कुचले का बीजा. १॥ तोला

मिलाकर ऊपर कहे मुताबिक़ पिलाओ।

३. पौष्टिक और कृमि नाशक।
पिसा हुआ हीरा कसीस ... १॥ तोला
पिसा हुआ कुचले का बीजा ... ॥॥. तोला
पिसा हुआ चिरायता ... २॥ तोला

मिलाकर एक पुड़िया रोज रात्रि के साथ या दस छटाक पेज के साथ देओ।

४. संकोचक—[ऐस्ट्रिन्जेन्ट]
पिसी हुई खड़िया मिट्टी ... २॥ तोला
पिसा हुआ कत्था ... १॥ तोला
पिसी हुई अजवाइन ... १॥ तोला

मिलाओ और रोज दो बार दस छटाक पेज के साथ देओ।

५. दर्द नाशक और कृमिनाशक—

तारपीन का तेल	...	॥. छटाक
अल्सी का तेल	...	११ छटाक

मिलाकर पिलादो।

६. कृमिनाशक—

पिसी हुई हींग	...	१॥ तोला
पिसी हुआ गंधक	...	२॥ तोला
पिसे हुए पलास के बीज	....	१॥ तोला

मिलाकर रोज एक पुड़िया १० छटाक पेज के साथ १० दिन तक पिलाओ।

७. चर्म रोग के लिये लेप या औषधि—

(अ)	पिसा हुआ गंधक	...	१० छटाक
	कड़ुवा [सरसों का] तेल	...	१० छटाक

खूब मिलाओ और चमड़े को गरम पानी और साबुन से खूब धोकर लेप लगादो फिर पांच दिन के बाद धोकर लेप दुबारा लगाओ।

(ब)	तम्बाकू के पत्ते	....	१ हिस्सा
	पानी	...	१० हिस्सा

तम्बाकू को पानी में आध घंटे तक खौलाओ या चुरने दो, फिर छान लो और लगाओ।

८. जखम के लिये दवाई:—

(अ)	फिनाईल	...	१ हिस्सा
	पानी	....	१०० हिस्सा

यह चर्म रोगों के लिये भी उपयोगी है।

(घ) कपूर ... १ हिस्सा
मीठा तेल ... १ हिस्सा

९. संकोचक [एस्ट्रिन्जेन्ट] बाहर लगाने के लिये।

पिसा हुवा नीला थोथा ... पांच आने भर
,, हीरा कसीस .... पांच आने भर
,, फिटकरी .... २॥ तोला
गरम पानी .... १० छटाक

घोलो और ठन्डा होनेपर लगाओ, यह खून बंद करने के लिये अच्छी दवा है।

१०. मालिश का तेल—

तारपीन का तेल .... १ हिस्सा
राई का तेल .... १ हिस्सा

मिलाकर मालिश करो।

बीमारियों के अलावा घाव, फोड़े, छाले, रगड़, मोच, गांठ पड़ जाना व हड्डी टूटने आदि से भी जानवर दुख पाते हैं और अभाग्य वश कोई उन पर ध्यान नहीं देता। जब कभी इस प्रकार की कोई चोट हो, तो जानवर से कोई ऐसा काम नहीं लेना चाहिये जिससे तकलीफ बढ़ जावे। रगड़ और मोच के लिये गरम गरम सेक, टिंकचर आफ आयोडिन या मालिश का तेल लगाना चाहिये। घाव और फोड़ों को धोकर कचरा निकाल देना चाहिये और कोई फिनाइल इत्यादि छूत नाशक दवाई लगाना चाहिये, अथवा सिर्फ नमक के पानी से धोकर और पट्टी बांधकर मक्खियों से बचाना चाहिये। यदि जरूरत हो तो डाक्टर को बुलाना चाहिये या जानवर को अस्पताल भेजना चाहिये।

११. घोड़ों की शक्ति वर्धक बुकनी:—

मेथी	....	१०० भाग
बड़ी सौंफ	....	२० भाग
बादियान सौंफ	....	१० भाग
सुरमा	....	१० भाग
नौसादर	....	२.५ भाग
हींग	....	१ भाग
सोंठ	....	१० भाग
शोरा	....	५ भाग
गंधक	....	५ भाग

इनको बारीक पीसकर मिला दो और आधी छटाक प्रतिदिन दो बार रातब में मिलाकर खिलाओ।

१२. घोड़े का मलहम।

लोभान	....	४ तोला
मोम	....	४ तोला
चर्बी	....	८ तोला
शहद	....	२ तोला

इनको मिलाओ और धीरे धीरे चुरने दो जब तक कि उबलने लगे फिर उस में एक बोतल तारपीन का तेल डालो, फिर आग पर से हटाकर चलाते रहो जब तक कि ठंडा न हो जावे।

१३. अड़ियल घोड़ों को दुरुस्त करने की तरकीब:—

जब घोड़ा पहिले पहल अड़े तो उसको बिना सोचे समझे चाबुक मे मत मारो। यानी उसे कोई दर्द होगा या वह देखने, सुनने, या सूंघने की शक्ति से यह समझता है कि आगे कुछ खतरा

है। यदि सबब मालूम हो जाय, तो उसे रफा करो। यदि वह जिद के कारण या काम न करने की इच्छा से अड़ता है, तो उसे गाड़ी से अलग करलो और उसे इस प्रकार से जल्दी जल्दी चक्कर दिलाओ जिससे कि उसे चक्कर आने लगे। इस काम के लिये दो आदमियों की जरूरत होती है; क्योंकि एक आगे रहेगा और एक को पीछे दुम की तरफ रखना होगा। उसको खड़ा मत होने दो और एक छोटे से दायरे के अन्दर घुमाओ। एक ही मर्तबे ऐसा करने से वह प्रायः ठीक हो जायगा। खराब से खराब घोड़ों के लिये जो कि अड़ जाते हैं और अपनी जगह से हटते ही नहीं, दो बार इस तरह चक्कर दिलाना काफी होगा। दूसरी तरकीब यह है कि उस के मुँह में सड़क की धूल या कंकड़ भरदो, तब वह फौरन चल देगा। इसका सिद्धान्त यह है कि ऐसा करने से घोड़े का ख्याल बदल जाता है।

१४. खरोंच.—

जहाँ खरोंच लगी हो वहाँ के बाल कतर लो और उस जगह को मूत्र से या सिरका से या गरम नमक के पानी से धो डालो और ऊपर लिखे हुए मलहम, चर्बी या घी को उस पर लगाओ।

१५. कुत्तों की खुजली दूर करने की दवा।

[अ]	अजवायन	...	॥ तोला
	नीलाथोथा.	...	॥ ,,
	आमाहल्दी	...	॥ ,,
	गन्धक	...	॥ ,,

लेकर बारीक पीस डालो। फिर इसकी ६ पुड़ियां बनाओ। एक पुड़िया के चूर्ण को एक छटांक राई के तेल में मिलाकर इस मिश्रण को कुत्ते के ऊपर मालिश कर दो और उसे धूप में बांध दो। फिर इसी तरह और पांच रोज़ तक उपचार करना चाहिये।

[च]	डामर	....	२ तोला
	गन्धक	...	१ ,,
	अलसी का तेल	....	३ ,,

लेकर इनको मिला दो और चमड़े के ऊपर खूब मालिश कर दो। २४ घण्टे तक यह लेप उसके बदन पर लगा रहे। उसके बाद साबुन और पानी से धो डालो। फिर तीन या चार बार और ऐसा ही करो।

परिच्छेद २१

"दूध का व्यवसाय"

यदि गोरुओं की अच्छी खिलाई और देख रेख कीजाय और साथ ही साथ नस्ल भी सुधारी जाय, तो खेतों के वास्ते अच्छे बैल तो मिलेंगे ही परंतु साथ ही साथ अच्छी गायों से दूध की भी वृद्धि होगी। आजकल यह आम शिकायत है कि लोगों को काफ़ी घी और दूध नहीं मिलता। इस सूरत के दो कारण हो सकते हैं; दूध की पैदावारी में कमी या दूध की मांग की बढ़ती इसमे शक नहीं है कि आजकल मनुष्य संख्या मे बहुत वृद्धि हुई है और दूध की पैदावार मांग के बराबर नहीं है। इसलिये आधुनिक तरीके पर डेरियों (दूध-शालाओं) की संख्या बढ़ाने की बहुत जरुरत है और यदि पढ़े लिखे नौजवान खासकर किसान समाज वाले, छोटी छोटी बाबूगिरी की नौकरियां ढूंढ़ते फिरने के बदले डेरी का धंदा करें, तो बहुत लाभ उठा सकते हैं। सभी प्रान्तों की कृषि शालाएं दूध के धन्दे की शिक्षा देती हैं; परन्तु लोग इससे पूरा फायदा उठाते नहीं मालूम पड़ते। शायद इस का कारण यह है कि दूध बेचने का धंदा कम इज्जतदार समझा जाता है परन्तु उसकी कम क़दरी पानी मिलाने के दुर्व्यवहार के कारण से है। अच्छे खानदान के लड़कों के लिये इस धन्दे के अपनाने में कोई भी अड़चन नहीं है, बशर्ते कि वे ठीक रास्ते से काम करें। अच्छे लोगों के हाथ में आने से धन्दे की भी क़दर बढ़ जायगी। दूध का व्यवसाय होशियारी से करने के लिये निम्न लिखित बातों

को सीखना चाहिये। गोरुओं की नस्ल सुधारना, ठीक ठीक खिलाई करना, गोशाला के जानवरों की उचित देख रेख करना और अच्छा मक्खन और घी बनाना। नस्ल सुधारने के विषय में खेती मुहकमे की कार्य प्रणाली का वर्णन एक पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है। दूध के व्यवसाय की सफलता के लिये यह बहुत जरूरी है कि गोशाला के जानवर दुधारू हों। और इस लिये गाय और भैंस खरीदने के पहिले उनकी दूध देने की शक्ति की जांच दुहकर कर लेना चाहिये। सरकारी फार्म से जानवर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्यों कि वहाँ हर एक जानवर के दूध का वजन गेजाना रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। और इन रजिस्टरों का मुलाहिज़ा किया जा सकता है। गोशाला के वास्ते वही जानवर अच्छा होता है जो कि अधिक चिकनाईदार ज्यादा दूध देता है और हर एक ब्यात के बाद सिर्फ चंद हफ्ते ही सूखा रहता है। खरीदने के लिये एक या दो ब्यात वाली गाय या भैंस अक्सर उत्तम होती है। जानवर खरीदते समय नीचे लिखी हुई मुख्य बातों को देखना चाहिये:— शरीर साम्हने की अपेक्षा पीछे ज्यादा भारी हो और पुट्ठे दूर दूर हों। ऐन भरे रहने पर विस्तृत दिखे और खाली रहने पर झुर्री दार हों और थन मंझोले और दूर दूर हों दूध की नस बड़ी और मुड़रीदार हो। चपला, पच्चर के आकार वाली यानी भारी पिछले धड़ वाली गाय जिसकी कि गर्दन और कोहनी पतली हो, कंधों पर अधिक मांस न हो और रीढ पैनी हो बहुधा ज्यादा दुधार निकलती है। इस किस्म की गाय खुराक ही अच्छी तरहसे नहीं पचाती, बल्कि पची हुई खुराक परिणित करने में दक्ष होती है। देख रेख के विषय में पहले ही कहा जा चुका है कि जानवरों को अच्छे

स्थान में बांधना चाहिये और अच्छी तरह से खिलाना पिलाना चाहिये। उन्हें बराबर नियमानुसार घूमने फिरने का भी अवसर देना चाहिये।

दुहते समय ध्यान रखना चाहिये कि जानवर पहिले नहला कर साफ कर दिये जावें, थन बिल्कुल साफ हों, दुहने वालों के हाथ साफ हों और दूध के बर्तन साफ और सुथरे हों और दूध दुहते समय उनमें धूल या कचरा न गिरे। ज्योंही दुहना पूरा हो जाय, त्योंही बर्तन को ढांक देना चाहिये जिससे कि उसमें मक्खी और धूल न घुस सके। यदि गोशाला किसी शहर के नजदीक है तो दूध के बेचने में कोई दिक्कत न होगी। ऐसे स्थानों में तो मक्खन की भी मांग होती है; परन्तु यदि सब दूध न बिक सका तो उसका घी बनाना पड़ता है। घी ज्यादातर भैंस के दूध से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें छः से आठ प्रतिशत चिकनाई होती है। गाय के दूध में केवल ४ से पांच प्रतिशत चिकनाई होती है। घी का स्वाद और खुशबू बहुत कुछ दूध की स्वच्छता और शुद्धतापर निर्भर होती है। दुहने बाद फौरन दूध को एक मटके में धीमी आंच पर करीबन छः घंटे तक रखना चाहिये जिससे कि चिकनाई ऊपर आजावे। सब दूध को ठन्डा करके मलाई को दूसरे बर्तन में निकालकर रख लेना चाहिये और उसमें थोड़ा सा दही जामन के लिये मिला देना चाहिये। दूसरे दिन इस मलाई के दही को मथना चाहिये। मथने से लगभग आधे घंटे में मक्खन बन जावेगा। मलाई निकालने पर बचा हुआ दूध खाया पिया जा सकता है या बछड़ों को पिलाया जा सकता है यह दूध खुराक की दृष्टि से काफी अच्छा होता है। पुरानी परिपाटी के अनुसार गरम दूध में से मलाई नहीं निकाली जाती बल्कि

पूरे दूध का ही दही जमा दिया जाता है और फिर मथा जाता है और मक्खन निकालने के बाद छांछ बांट दिया जाता है या बच्चों को पिला दिया जाता है। दूध में से मलाई निकालने से यह फायदा है कि बचे हुए दूध का खोया बनाया जा सकता है। दही मथकर मक्खन बनाने और खोया बनाने के तरीक़ों को हरएक देहाती जानता है और इनके विषय में कोई नई बात नहीं बताई जा सकती। गाय के घी का रंग कुछ पीला होता है और जमने पर उसका दाना छोटा होता है; परन्तु भैंस का घी सफ़ेद और बड़े दाने वाला होता है। बिनौला खिलाए जानेवाले जानवरों का घी बड़े दाने वाला और स्वादिष्ट होता है। एक सेर भैंस के अच्छे दूध से क़रीब सवा छटाक और एक सेर गाय के दूध से क़रीब चार तोला घी तैयार होता है।

परिच्छेद २२

"मुर्गियों का व्यवसाय"

—:o:—

कुछ बरस पहिले ऊँची जाति के हिन्दुओं को मुर्गी और अंडे खाने से मजहबी परहेज था; परन्तु यह अरुचि अब तेजी से मिट रही है। बहुत छोटी पूंजी से ही एक नौजवान किसी शहर के पास मुर्गी-खाना खोलकर खासी जीविका पैदा कर सकता है। देहात में भी किसानों को एक सहायता धन्धे की तरह मुर्गियां पालना चाहिये। यह भी कहा जाता है कि यदि मुर्गियां जुते हुये खेतों में छोड़ दी जांय, तो वे उन कीड़ों और इल्लियों को खाजाती हैं जिनसे कि फसलों को नुकसान पहुँचता है। अब कई सरकारी फार्मों पर मुर्गी पालना शुरु होगया है। वे लोग जिन्हें इसमें दिलचस्पी हो, इन फार्मों का निरीक्षण करें और इस धन्धे को सीखें। नौसिखियों के लिये नीचे दिए चुटकिले उपयोगी होंगे।

१ एकही जाति की मुर्गियां या बतखें पालो। जो मुर्गियां बैठने के पहिले करीब दस अण्डे देती हैं और साल में सिर्फ तीन बार अण्डे देना शुरु करती हैं, वे पैदावारी के लिये और बच्चों की देख रेख के लिये अच्छी होती हैं।

२ मुर्गी-खाना, जहाँ मुर्गियां आराम करती हैं और अंडे देती हैं, सब मौसमों में सुरक्षित और खूब हवादार होना चाहिये। उसे रोज साफ करके उसमें राख बिछा देना चाहिये। एक ही घर में बहुतसी मुर्गियों की भीड़ न होने देना चाहिये। ५ फुट लंबे, ५ फुट चौड़े और ८ से

६ फुट की उंचाई के उतार वाले दरबे में एक मुर्गा और पांच मुर्गियां रखना उत्तम होता है दरबे के अन्दर जमीन से १८ इंच की उँचाई पर एक चार इंच चौड़ी बैठक होनी चाहिये जिस पर कि वहां परिन्दे आराम कर सके।

३ अण्डे के सेने के लिये एक छपरी रहना चाहिये जो कि सामने से खुली हो।

४ झुन्ड मे हमेशा नौजवान परिन्दे रखना चाहिये, और २ वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बेच डालना चाहिये।

५ खाने के लिये चिड़ियों को उतना ही देना चाहिये जितना कि वे खुशी से खावे, ज्यादा नहीं। चिड़ियों के लिये ताजे और अच्छे पानी का इन्तिजाम होना चाहिये, ताकि वे जब चाहे तब पानी पी सके।

६ जहां तक हो सके ताजे अंडों से बच्चे लिये जायं। वे मुर्गी के सेने के लिये रखने के वक्त एक हफ्ते से ज्यादा पुराने कभी न हों।

७ उथले मिट्टी के बर्तन, जैसे घमेले, मुर्गी बैठाने के काम में लाने चाहिये। उनमें राख भर देना चाहिये और उस पर थोड़ी ताजी हरी घास बिछा देना चाहिये। एक मुर्गी के लिये १० से १२ तक मुर्गी के अंडे और ६ से ८ तक बतख के अंडे काफी होते हैं।

८ बैठने वाली मुर्गियों को दिन में एक बार खिलाना चाहिये, उन्हें खिलाने पिलाने के लिये घमेले से उतारने के लिये परं पकड़कर उठाने की जरूरत पड़ना संभव है।

९ सेने वाली छबरी में रेत और राख का ढेर होना चाहिये जिसमें मुर्गियां रोज लोट सकें। ऐसा करने से मुर्गियों में जुएं नहीं पड़ने पाते। धूल में लोटने, खाने, पीने, और खेलने के लिये आधा घंटा काफी होगा। उसके बाद उन्हें घमेले के घोंसले में जाने के लिये उकसाना चाहिये।

१० २१ दिन के सेने के बाद बच्चे निकलते हैं। अंडों से बाहर निकलने के बाद २४ घंटे तक उन्हें कोई खुराक की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें खिलाने की कोशिश करने के बजाय बेहतर होगा कि मां को बच्चों के साथ बाहर निकल आने दिया जाय।

११ नये पैदा हुए चूजों के लिये सबसे उत्तम खुराक सख्त पकाई हुई अंडों की जर्दी और दूध में भिगोई हुई बासी रोटी होती है। एक या दो दिन के बाद बारीक पिसा हुआ दाना या कीमा दिया जा सकता है। एक हफ्ते तक चूजों को एक एक घंटे में खिलाना चाहिये। इसके बाद चापर मिला हुआ आलू का भर्ता और बारीक कतरी हुई हरी घास दे सकते हैं।

१२ मुर्गी हाल में निकले हुए चूजों के साथ अलग एक खाने में रखनी चाहिये। जालीदार बड़े टोकने इस काम के लिये अच्छे होते हैं।

१३ जब बच्चे कुछ महीने के होजायं, तब उनमें से उत्तम उत्तम चिड़ियों को बच्चे पैदा करने के वास्ते छांट लेना चाहिये और बाकी फरोख्त कर डालना चाहिये।

मुर्गी पालने को एक सहायक धन्धा बनाने की गरज से कई गवर्नमेन्ट फार्मों में मुर्गी पालने का काम तजुर्बे के बतौर शुरू किया गया है। इन फार्मों पर नये तरीके से मुर्गी-खाने और दूसरी जरूरी विधियां वैज्ञानिक रीति से अमल में लाई जाती हैं। इन प्रयोगों का अन्तिम ध्येय यह है कि देहात की मुर्गियों की नसलें अच्छे मुर्गों द्वारा ऐसी सुधारी जावें जिससे कि वे बड़े और अच्छे अंडे देने वाली होजावें। कुछ प्रांतीय सर्कारों की अनुमति से इसके लिये जो योजना बनाई गई है, उसके अनुसार गांव की मुर्गियों के मालिकों को मुफ्त में अच्छे मुर्गे दिये जावेंगे, बशर्ते कि वे गांव के मुर्गों को जो कि उनके पास हैं बेंच डालें या अन्य प्रकार से उनको अलग करदें और अच्छी नस्ल के मुर्गों को अच्छी तरह से पालकर रक्खें।

भाग ३ रा

सार्वजनिक स्वास्थ्य

परिच्छेद २३

" सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्व "

यह बात निर्विवाद है कि इस देश में काश्तकारों की माली हालत अच्छी नहीं है। इस के कई कारण हैं। कुछ काल हुआ विलायत के एक रॉयल कमीशनने यहाँ की खेती की उन्नति के सम्बन्ध में जाँच की थी जिस से यह मालूम हुआ कि गांव के बहुत से लोगों की हालत खराब होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि वे अक्सर ऐसी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं जिन से कि वे यदि माक़ूल एहत्यात करें, तो अवश्य बच सकते हैं। इन बीमारियों से उनकी काम करने की ताक़त कम हो जाती है यहाँ तक कि रोगों के कारण जो आर्थिक हानि होती है उस का अंदाज़ ही नहीं किया जा सकता। हर साल एक मलेरिया ज्वर सेही सैकड़ों किसान अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं और हजारों की मेहनत करके पैसे कमाने की ताक़त घट जाती है। किसानों की

मैली कुचैली आदतों, तथा भोजन के कमी, से भी उनकी कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है; इस लिये जब तक किसानो के रहन सहन में तरक्की न की जाय, तब तक कृषि में कोई उन्नति खास तौर पर नहीं हो सकती। इस प्रकार जनता के स्वास्थ्य की उन्नति करने का प्रश्न महत्वपूर्ण है; क्योंकि सुखी और स्वास्थ्य जनता ही राष्ट्र का सच्चा धन है न कि भौतिक उन्नति। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में लोग स्वास्थ्य के नियमों तथा स्वच्छता पर बहुत कम ध्यान देते हैं और खासकर देहात के लोग तो इन्हें जानते ही नहीं। वे खुली हवा में रहकर काम जरूर करते हैं, मगर स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ मूल नियमों से अपरिचित रहने की वजह अक्सर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। ये बीमारियां क्यों होती हैं, इस का यदि थोड़ासा भी ज्ञान उनको हो जाय, तो वे उन से आसानी के साथ बच सकते हैं। इस लिये उन्हें स्वास्थ्य के कुछ साधारण नियम सिखाने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही उन्हें यह भी समझा दिया जावे कि यदि किसी प्रकार बीमारी आही जावे, तो वे उस का भली भांति इलाज करावें। इस विषय के सुधार करने में दो तरह की कठिनाइयां अक्सर सामने आती हैं। एक तो लोगों को आज कल के नये तरीक़े के इलाज से घृणा-सी है और दूसरी सरकारी या गैर सरकारी सुसम्पूर्ण अस्पतालों की संख्या इतनी कम है कि वह अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। कोई लोग यह प्रश्न करते हैं कि सरकार हरएक मुख्य गांव में एक एक अस्पताल क्यों नहीं खोल देती। इस का कारण यह है कि मामूली तौरपर एक देहाती अस्पताल के लिये कम से कम २०००) रुपयों की वार्षिक आवश्यकता होती है। इस हिसाब से अगर २५ गांवों के बीच में भी एक अस्पताल खोला जावे, तो

कुल खर्च इतना ज्यादा होगा कि मौजूदा माली हालत का ख्याल करते हुये कोई भी प्रांतीय सरकार इतना बोझ उठाने के लिये तयार नहीं हो सकती। तो भी सरकार धीरे धीरे अपने अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में प्रयत्नशील है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व दीगर स्थानीय संस्थायें भी इस ओर अपना हाथ बढ़ा रही हैं। इस के अलावा स्थायी दवाखानों के अतिरिक्त कुछ प्रांतों में गश्ती दवाखाने भी खोले गये हैं जिन से हैजा, प्लेग, महामारी आदि फैलनेवाली बीमारियों को रोकने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो रही है। ये गश्ती दवाखाने एक प्रकार के छोटे संगठित अस्पताल होते हैं जिनमें साधारण बीमारियों के इलाज के लिये हर प्रकार की दवाइयां रहती हैं। ऐसा एक अस्पताल किसी एक मुख्य गांव में करीब १ हफ्ता ठहरकर दूसरे गांव को चला जाता है। प्रातःकाल जो रोगी डाक्टर के पास आते हैं उनका इलाज किया जाता है और दो पहर के बाद डाक्टर गांवों में घूमता है तथा मुफ्त में दवाइयां बांटता है। ये डाक्टर प्लेग और हैजा रोकने वाले टीके लगा सकते हैं। ग्राम निवासियों को चाहिये कि जब पड़ोस में कोई फैलनेवाली बीमारी हो तो इन डाक्टरों से जल्द ही टीका लगवावें।

जहाँ मेले भरते हैं वहाँ भी ये दवाखाने रखे जाते हैं। वहाँ के कुल कुओं तथा तालाबों में लाल दवा छोड़ते हैं, मेले की सफाई का प्रबंध करते हैं और जो यात्री बीमार पड़ते हैं उनका इलाज करते हैं। वे स्वास्थ्य के विषयों पर भाषण भी देते हैं। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि ये दवाखाने बहुत उपयोगी काम करते हैं इसलिये ग्राम निवासियों को चाहिये कि वे उनसे पूरा फायदा उठावें। प्रांत के धनी मानी लोग दवाखाना खोलने से

बढ़कर कोई और दूसरा धर्मार्थ का काम नहीं कर सकते। यदि वे अपने व्यय से मुश्किल औषधालय नहीं खोल सकते, तो अपने मंडिल में कम से कम एक एक वर्ष के लिये गश्ती दवाखाने ही खोलें। परंतु इलाज करने की अनिस्बत बीमारी को रोकना कहीं अच्छा होता है। इसलिये सरकार और ग्रामोत्थान के कार्यकर्ताओं को उचित है कि वे ग्रामीणों को स्वास्थ्य के मोटे नियम सिखाने का भरसक प्रयत्न करें। वे नियम कठिन नहीं हैं और इनका अनुकरण सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

ग्रामीणों को फैलने वाले रोगों तथा उन से बचने के उपायों का भी थोड़ासा ज्ञान करा देना चाहिये। और सरकारी कार्यकर्ताओं के लिये इस से बढ़कर और दूसरा कोई उपकारी काम नहीं हो सकता कि वे गांव वालों के कष्ट को दूर करने और उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये संगठित प्रयत्न करें, तथा स्वास्थ्य के नियमों को न जानने और मैले कुचैले जीवन के कारण अकाल मृत्यु से उन्हें बचावें और उपदेश देकर बालकों की मृत्यु संख्या कम करें। धनवान् लोगों के लिये सब से बढ़कर धर्म कार्य यही हो सकता है कि वे अपना रुपया जहाँ जल की कमी हो ऐसे गांवों में जल की सुविधा बढ़ाने में खर्च करें। वे अपने रुपयों का सदुपयोग अस्पतालें, गश्ती दवाखानें या बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी केंद्र खोलने और इन्हें चलाने में और मुफ्त दवा बटवाने में भी कर सकते हैं।

ग्रामोत्थान के उत्साही कार्य कर्ताओं के लिये निम्न लिखित कार्यक्रम उपयोगी होगाः—

(१) सार्वजनिक स्वच्छताः—

[अ] कार्य कर्ताओं को देखना चाहिये कि वे कुएँ, तालाब आदि जहाँ से ग्रामीण लोग पीने का

पानी लाते हैं स्वच्छ हैं और उन में लाल दवा डाली गई है वा नहीं।

[आ] पखाने की प्रणाली चलाई जाय अथवा मल मूत्रादि त्यागने के स्थान नियत कर दिये जायें।

[इ] सार्वजनिक स्वच्छता के नियमों का पालन कराया जाय।

[ई] चमड़ा निकालने तथा पकाने और अन्य ऐसे घृणोत्पादक कामों के लिये आबादी से दूर प्रबंध किया जाय।

[उ] नागफनी, नरोटा तथा अन्य बेकाम पैदावार को उखाड़ के फिकवाने का प्रबंध किया जाय।

[ऊ] खाद और कूड़ा-कचरा गांव के बाहर एकत्रित किया जाय।

[ए] जिन कमरों में किसान रहते या सोते हों उनके पास कोई पशु न बांधे जावें।

[ऐ] ग्रामीणों को उत्साहित किया जाय कि वे बड़े मकान बनावें जिन में वायु तथा प्रकाश आने का समुचित प्रबंध हो।

[ओ] ग्रामीण पाठशालाओं के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा का प्रबंध किया जाय।

[औ] स्वास्थ्य के साधारण नियमों तथा "प्राथमिक-सहायता" की शिक्षा शालाओं में ठीक प्रकार से दी जाय।

[अं] बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षा के लिये केंद्र स्थापित किये जायें और वहाँ पर किस प्रकार से बच्चों को खिलाना तथा किस प्रकार उनका पालन-पोषण करना आदि के प्रदर्शन तथा शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाय।

[अः] ग्रामीण दाइयों के शिक्षण (ट्रेनिंग) का प्रबंध किया जाय और यह भी इन्तजाम किया जाय कि वे दूर से दूर गांवों में भी पहुँच सकें।

[ऋ] नशीली चीजों के उपयोग के विरुद्ध-आन्दोलन किया जाय और विशेष करके माताओं द्वारा छोटे छोटे बच्चों को अफीम देने की प्रथा का अन्त किया जाय।

(२) फैलनेवाली बीमारियों के रोकने के उपायः—

(१) मलेरिया (मौसमी ज्वर) के लियेः—

[अ] कुनेन बांटी जाय और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किया जाय।

[आ] मसेहरी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाय।

(२) हैजा के लियेः—

[अ] कुओं में लाल दवा डालने की आवश्यकता पर तथा पीने के पानी के कुल स्थानों में सफाई रखने पर ज़ोर दिया

जाय और जनता को स्वच्छ पानी पीने को मिल सके ऐसा प्रबंध किया जाय।

(आ) हैजा के रोगियों को अलग रखा जाय और उनके मल-मूत्र आदि फेंकने का उचित प्रबंध किया जाय।

(३) चेचक 'माता' के लिये:—

जनता में टीका लगाने की प्रथा लोक प्रिय बनाई जाय। आवश्यकतानुसार टीके द्वारा भी लगाने पर जोर दिया जाय।

[४] लेग 'महामारी या ताऊन के लिये:—

(अ) चूहे मारने पर जोर दिया जाय।

(आ) लोगों को घर छोड़ने तथा लेग का टीका लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।

ऊपर बतलाई हुई केवल कुछ सूचनाएं हैं। ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिये और भी कई ऐसे काम हैं जिनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। वास्तव में इस प्रकार के कार्य करने का क्षेत्र अपरिमित है।

आगे के परिच्छेदों में ऊपर लिखे हुए विषयों के संबंध में विस्तृत सूचनायें दी गई हैं; और आशा की जाती है कि ग्रामोत्थान के कार्यकर्त्ता तथा ग्रामीण लोग इन्हें कार्यरूप में परिणत करेंगे।

परिच्छेद २४

"स्वास्थ्य के सरल नियम"

जीवन मनुष्य की सबसे अधिक मूल्यवान जायजाद है और उसके पश्चात् सबसे ज्यादा कीमती चीज़ तंदुरुस्ती है। बिना तंदुरुस्ती के जीवन की बहुत कुछ उपयोगिता तथा उसके आनंद नष्ट हो जाते हैं। एक रोगी पुरुष न तो सिर्फ अपने ही लिये भार स्वरूप होता है बल्कि अक्सर अपने नज़दीकी हरएक व्यक्ति के लिये हानिप्रद तथा खतरनाक होता है क्योंकि बहुतसी बीमारियां एक मनुष्य द्वारा दूसरे को पहुंचा दी जाती हैं, अर्थात् बीमारी छूत से फैलती है। रोग प्रायः स्वास्थ्य के नियमों के उल्लघन के कारण पैदा होते हैं, इसलिये यह जरूरी है कि ये क़ायदे खूब अच्छी तरह से समझ लिये जायें और इनका पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

स्वास्थ्य के क़ायदों में सर्व प्रथम नियम यह है कि ताज़ी हवा का खूब सेवन किया जावे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ठण्डी हवा लेने से सर्दी और खांसी हो जाती है परंतु यह बड़ी भूल है। कम हवादार कमरों में कभी नहीं रहना चाहिये और सोते वक्त मुंह को कभी नहीं ढांकना चाहिये। जाड़े के दिनों में सिर को कंटोप द्वारा गरम रख सकते हैं और मच्छड़ों से बचने के लिये यदि मसहरी का प्रबंध न हो सके, तो चेहरे पर जालीदार पतला कपड़ा डाला जा सकता है। मकान के दरवाज़ों और खिड़कियों को हमेशा खुला रखना चाहिये। केवल बड़ी गर्मी के

मौसम में कभी कभी दोपहर के वक्त ठंडक की गरज से दरवाजे खिड़की आदि बंद करने की जरूरत हो सकती है।

सड़े हुये पदार्थों को छू जाने से हवा खराब हो जाती है इस लिये मकान के पास गोबर कूड़ा वगैरह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिये। हवा के साथ धूल भी नथनों में घुस जाती है। इस लिये मकान, आंगन और उस के आस पास की जगह रोज झाड़कर साफ की जानी चाहिये। धूल की तरह क्षय आदि बीमारियों के कीड़े भी हवा द्वारा घुसते हैं, इस लिये खांसी के मरीज के साथ एक ही कमरे में रहना हमेशा खतरनाक है। जिस मर्ज से उसे खांसी आती हो, चाहे वह मामूली सर्दी या इनफ्लुएन्जा (सर्दी या बुखार) या तपेदिक हो, उस मर्ज के कीटाणुओं से उस कमरे की हवा दूषित हो जाती है और वही मर्ज दूसरों को भी लग जाने की सम्भवना रहती है। जब किसी को खांसी हुई हो, तब उसे बरामदे में या किसी अलग कमरे में रहना चाहिये। परंतु यदि खांसी वाले मरीज को खास कमरे में अलग करने का प्रबंध न हो सके और दूसरों को उस के साथ उसी कमरे में रहना या सोना पड़े, तो उस कमरे के सब दरवाजे खिड़कियां खुली रखना चाहिये जिस से कि दूषित हवा बाहर निकल जा सके।

स्वास्थ्य का दूसरा नियम यह है कि पीने का पानी शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिये। पानी से बढ़कर और दूसरा पेय नहीं है। शराब तो पेय वस्तु है ही नहीं। वह एक जहर है और तंदुरुस्त आदमी को उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, इस लिये जिन्हें किसी भी रूप में शराब पीने की आदत हो, उन्हें उसे छोड़ देना चाहिये। यदि किसी को कोई तेज पेय पीना ही हो

तो ये चाय ले सकते हैं; परन्तु गाढ़ी चाय से कब्ज होता है और बहुत गरम पेयों से पेट में केन्सर (फोड़ा) हो सकता है। बाज़ार में आम तौर से बिकने वाले सोडा लेमोनेड इत्यादि भी हानिकारक होते है, क्योंकि ये खराब पानी से और मैली कुचैली शीशियों में बनाये जाते हैं। इस लिये शुद्ध पानी ही पीना सब से उत्तम है। हैज़ा पेचिश वगैरा कई मर्ज़, मैला पानी पीने के कारण होते हैं। जिस तालाब या नदी में लोग नहाते या कपड़े धोते हों या जिस के पास झाड़े जंगल फिरते हों वहां का पानी कदापि न पीना चाहिये. पीने का पानी गहरे पक्के कुवे से लेना चाहिये। इन कुवों को समय समय पर दो तोला [परमेंगेनेट ऑफ़ पोटाश] लाल दवाई से साफ़ करते रहना चाहिये। जब कभी पानी के बिलकुल शुद्ध होने में शक हो, तो उसे उबालकर पीना चाहिये। पानी को साफ़ बरतनों में रखना चाहिये। मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा रहता है और यदि वह ढांककर रक्खी जावे, तो पानी शुद्ध बना रहता है।

स्वास्थ्य का तीसरा नियम यह है कि अच्छा और पौष्टिक भोजन खाया जावे। शाकाहारियों को प्रतिदिन क़रीब सेरभर दूध लेना चाहिये। यदि दूध से पेट फूले या दस्त लगे, तो उसमें बराबर पानी मिलाकर धीरे धीरे पीना चाहिये या उसका दही बनाकर खाना चाहिये। दूध शुद्ध होना चाहिये और पीनेके पहिले उसे उबाल लेना चाहिये; किंतु ध्यान रहे कि दूध को बहुत ज्यादा उबालना ठीक नहीं। खाने के पदार्थों में चांवल ज्यादा पौष्टिक नहीं होता। चिकनाए हुए चांवल को तो कभी न खाना चाहिये गेहूं और दाल पौष्टिक होते हैं। उसी तरह ताज़ी सब्ज़ी और फल भी फ़ायदे मंद होते हैं। यदि तुम मांस खाते हो, तो हमेशा ख्याल रक्खो कि वह अधकच्चा न हो। अंडे, मलाई, तथा पकाई

हुई मछली भी लाभकारी भोजन है। भोजन को पूरी तौर से चबाओ और भोजन के साथ अधिक पानी मत पिओ। भोजन के बाद और भोजनों के बीच में पानी पीना, भोजन के साथ पीने की अपेक्षा अधिक अच्छा है। खासकर बच्चों को जड़ भोजन न करना चाहिये। दिन में दो बार भोजन करने की अपेक्षा चार बार हल्का भोजन करना ज्यादा अच्छा है। भारी भोजन करने के पश्चात् एक घंटा आराम करना अच्छा होता है। जहां तक हो सके बाजारू मिठाइयां न खानी चाहिये।

स्वास्थ्य का चौथा नियम यह है कि अपना शरीर साफ रखा जावे। इसका अर्थ यह है कि हरी नीम या बबूल की दतौन से या मंजन से जिसका एक नुस्खा बाद में दिया जावेगा रोज अपने दांत साफ करो। साफ पानी से अपना शरीर धोओ और बने तो साबुन का उपयोग करो। शरीर और बालों में थोड़ा मीठा या कड़ुआ तेल दिन में एक दफे अवश्य मलो। इससे चमड़ा नरम होकर रोग से बचाव भी होता है। भोजन करने के पहिले हाथों को हमेशा खूब साफ धो लेना चाहिये। पोशाक साफ और हवादार होना चाहिये। पलंग और बिस्तर को रोज धूप में डालना चाहिये जिससे उनमें के सब कीड़े और रोगों के कीटाणु मर जावें। इस बात की खबरदारी रखो कि रहने के कमरे के नज़दीक या मुकर्रर संडास के बाहर कोई गलत पेशाब या पाखाना न फिरने पावे। मकान या आंगन के अंदर जमीन पर कभी मत थूको, क्योंकि थूक में अक्सर बीमारी के कीटाणु रहते हैं और जमीन पर चलते समय नन्हें बच्चों की अंगुलियों में उनके चिपक जाने का भय रहता है।

ऊपर बतलाये हुये स्वास्थ्य संबधी नियमों का पालन करना कठिन नहीं है; परंतु उनके उल्लघन करने से मनुष्य कमजोर और रोगी हो जाता है। यदि इन आदेशों का हमेशा पालन किया जावे, तो मनुष्य का स्वास्थ्य और उसकी जिन्दगी बढेगी।

परिच्छेद २५

"बीमारियों के कारण"

बहुतेरे लोगों का यह ग़लत ख़याल है कि रोग एक अनिवार्य आपत्ति है। दूर के गांव खेड़ों में जहां अन्धाविश्वास का साम्राज्य बना है, वहां अब भी लोगों का यह विश्वास है कि चेचक की बीमारी देवी माता के प्रकोप के कारण होती है। परंतु डाक्टर और वैज्ञानिक लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बीमारियां विशेष कारणों से उत्पन्न होती हैं। कुछ बीमारियां जैसे कि सूखी रुकी आदि अपौष्टिक भोजन के कारण होती हैं; और कुछ जीवित विषैले कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क़ब्ज़ियत जैसे कुछ रोग हमारी ख़राब आदतों से पैदा हो जाते हैं। परंतु इन रोगों में से नौ रोग तो कीटाणुओं द्वारा ही होते हैं। ये कीटाणु हमारे शरीर में कई रास्तों से घुस जाते हैं जैसे:—

(१) क्षय, गर्दनतोड़ ज्वर, छोटी माता, शीत व माता (चेचक) इन्फ्लुएंजा, खांसी, घटसरप, सर्दी और फेफड़ों की दीगर बीमारियों के कीटाणु सांस में ली हुई हवा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।

(२) हैजा, मोतीझिरा, पेचिश वग़ैरा अंतड़ियों की बीमारियों के कीटाणु हमारे भोजन, पानी आदि के साथ प्रवेश करते हैं।

(३) लेग (महामारी) और मलेरिया (जूड़ी बुखार) के कीटाणु कुछ कीड़ों के काटने से हमारे शरीर में कोंच दिये जाते हैं।

(४) खून में जहर पैदा करनेवाले तथा धनुर्वात के कीटाणु घाव और फोड़ों द्वारा प्रवेश करते हैं।

(५) वे कीटाणु जिनके कारण आंख आ जाती है, मैली अंगुलियों या मैले कपड़ों से आंख मलने के कारण या उन मक्खियों के द्वारा, जो दूसरे मनुष्यों की आई हुई आंखों से कीटाणुओं को यहां वहां ले जाती हैं, प्रवेश करते हैं।

यह जानने पर कि विविध रोगों के कीटाणु किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हम उन रोगों से बचने के लिये उपाय कर सकते हैं। मसलन तुम्हें यह मालूम हो जाय कि किसी व्यक्ति को क्षय, ब्रांकाइटस, इन्फ्लुएंजा, सर्दी या खांसी हुई है, तो उस व्यक्ति के साथ एकही कमरे में मत रहो। यदि किसी स्थान में हैजा फैला हुआ है तो उबाले हुये पानी का उपयोग करो और बाजार से आई हुई कच्ची सब्ज़ी और कच्चे फलों को मत खाओ। मलेरिया (जूड़ी बुखार) वाली जगहों में मसहरी का इस्तेमाल करो, जिससे मच्छड़ तुम्हारे शरीर में जूड़ी बुखार के कीटाणुओं को न बोंचने पावें।

निराले रोगों के कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश होने की विधियों के विषय में ऊपर दिया हुआ वर्णन पूर्ण ब्यौरेवार नहीं है; इसलिये कुछ ऐसे रोगों की बाबत अधिक बारीक ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है जिनसे कष्ट होता है या मृत्यु हो जाती है, परंतु जो समय पर खबरदारी लेने से रोके जा सकते हैं। ऐसे रोगों का अलग अलग विचार आगे के परिच्छेदों में किया जावेगा।

परिच्छेद २६

"क्षय-रोग"

पिछले परिच्छेद में यह बतलाया जा चुका है कि क्षय रोग पैदा करने वाले कीटाणु हमारे शरीर में श्वास द्वारा प्रवेश पाते हैं। जब किसी व्यक्ति को क्षय होता है तब बहुधा वह बहुत खाँसता है। खाँसते समय वह हवा में कफ के असंख्य छोटे छोटे कण फैला देता है जिन में अक्सर क्षय के कीटाणु भरे रहते हैं। इस तरह क्षयी के कमरे की वायु को जो व्यक्ति श्वास में लेता है उसे हवा के साथ साथ क्षय के कुछ कीटाणुओं को भी अपने फेंफड़ों में खींच ले जाने की सम्भावना रहती है। क्षय होने का दूसरा कारण यह है कि क्षयी अक्सर जमीन पर थूक देता है। जब थूक सूखता है, तब हवा थूक के साथ कीटाणुओं को भी उड़ा लेती है। जब ये कीटाणु फेंफड़ों में बैठ जाते हैं, तो फेंफड़े धीरे धीरे खराब हो जाते हैं; परंतु जब ये अंतड़ियों में पैठते हैं, तब अंतड़ियों का क्षय होता है इस लिये मनमाना कहीं भी थूकना खतरनाक है। इस खतरे को दूर करने के लिये किसी भी शख्स को फर्श या दीवाल पर, मकान के अन्दर या आम सड़क पर, सड़क की पटरियों पर, रेलगाड़ी, ट्रामगाड़ी तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में कभी न थूकना चाहिये।

दुनियाभर के रोगों की अपेक्षा इस रोग से अधिक मृत्युयें होती हैं तथा कष्ट भी बहुत होता है। यह रोग गुप्त रीतिसे हो जाता है और जबतक तेजी पर नहीं पहुँचता तबतक मुश्किल से

पहिचाना जाता है और फिर उसे अच्छा करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि खांसी और बुखार लगातार एक हफ्ता या अधिक दिनों तक रहे या कफ के साथ खून गिरे तो एकदम डाक्टर से सलाह लेकर इलाज शुरु कर देना चाहिये; क्योंकि यदि इलाज जल्द शुरु हो जाय तो यह रोग अच्छा किया जा सकता है। परंतु इलाज करने के बजाय रोग को न आने देना कहीं अधिक अच्छा और आसान है। इस वास्ते लोगों को चाहिये कि खांसने-वाले के कमरे में न रहें और इस सादे नियम का पालन कर अपने को बीमारी लगने से बचावे। अलावा इसके यदि शरीर ताजी हवा, पौष्टिक भोजन और कसरत द्वारा हृष्ट-पुष्ट रखा जावे तो क्षय के दो चार कीटाणु शरीर में प्रवेश हो जाने पर भी पनपने नहीं पावेंगे।

यदि दुर्भाग्य से किसी पर इस रोग का आक्रमण हो भी जाये, तो नीचे दिये हुये सुलभ नियमों को पूरी तौर से पालना बहुत जरुरी है।

(१) रोगी को बरामदे मे रखना चाहिये और यदि उसे कमरा दिया जावे, तो उस कमरे में दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं रहने देना चाहिये। जहां तक हो सके, उसे खुले में रखा जाय।

(२) रोगी के पास एक थूकदानी या मिट्टी का बर्तन रखना चाहिये जिसमें थोड़ी राख या फिनाइल का पानी हो। इसमें थूके हुये थूक को नष्ट कर देना चाहियें वा उसे दूर खुली जगह में गहरा गड्ढा करके गाड़ देना चाहिये।

(३) रोगी के भोजन करने के बर्तन अलेहदा रखना चाहिये और उसे घरके दूसरे लोगों से अलग भोजन कराना चाहिये।

(४) मुमकिन हो, तो उसे किसी सेनिटोरियम याने क्षय के इलाज करने के केंद्र (स्थान) में ले जाना चाहिये।

(५) अगर किसी कमरे में पहिले कोई क्षय रोगवाला रहता रहा हो, तो उसके चले जाने बाद उस कमरे को फिनाइल आदिसे अच्छी तरह से स्वच्छ कर देना चाहिये। इतना करने के बाद ही उसमें कोई स्वस्थ मनुष्य का रहना उचित है।

अंधेरे कमरों में जिनमें स्वच्छ वायु का प्रवेश कम होता है, यदि कोई क्षय रोगी रहता रहा हो, तो उन कमरों में इस रोग के कीटाणु महीनों बने रहते हैं। यदि सूर्य की सीधी किरणें उनमें प्रवेश कर पावें, तो वे क्षय रोग के कीटाणुओं को चंद घंटे में ही नष्ट कर सकती हैं। अन्य प्रकार से यदि उनमें सूर्य का प्रकाश पहुंचाया जाय, तो उनमें के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये एक हफ्ता तक लगता है। कमरे के अंधेरे कोनों में ये कीटाणु आठ से अधिक महीनों तक जीवित पाये गये हैं।

(६) रोगी के बिस्तर के तथा पहिनने के मैले कपड़े और ऐसी चीजें जैसे, तौलिया, रूमाल आदि जिनको कि रोगी काम में लाता रहा हो, पानी में उबाल डालना चाहिये या धूप में डाल देना चाहिये और तब धोबी को धोने के लिये देना चाहिये।

(७) क्षय रोगी जब बाहर जावे तो अपने साथ थूंकने के लिये एक बर्तन रखे जिसमें तेज फिनाइल का पानी हो और वह जब कभी थूंके तो उसी में थूंके।

परिच्छेद २७

" सेरिब्रो स्पाइनल-मेनिन जायटिस (गर्दन तोड़ बुखार) "

थोड़े दिनों से इस रोग का बहुत फैलाव हो गया है और क़रीब क़रीब हर जगह लोग इस से ग्रसित सुने जाते हैं। यह बहुत ही भयानक बीमारी होकर प्रायः प्राण घातक होती है। यह रोग एक छोटे से कीटाणु से पैदा होता है जो कि मस्तिष्क में नाक के छिद्रों द्वारा प्रविष्ट होता है। यह रोग भी डिपथेरिया (घटसरप) के समान छूत से फैलता है। छोटे छोटे बच्चे और युवकों पर इस का असर अधिक होता है, प्रौढ़ावस्था के मनुष्यों को भी यह बीमारी हो सकती है।

यह रोग एकाएक बुखार के साथ आरम्भ होता है। इस में सिर दर्द करता है और गर्दन और पीठ की पेशियां अकड़ जाती हैं, मरीज आयं बायं बकने लगता है और उस का शरीर कभी कभी कांप उठता है तथा ऐंठता है। उस के बाद वह क्रमशः बेहोश हो जाता है और प्रायः एक हफ्ते के अंदर मर जाता है।

इस रोग के कीटाणु किसी ले जाने वाले व्यक्ति द्वारा फैलते हैं, न कि खास रोगी द्वारा। जब कि यह रोग फैलता हुआ सुनाई पड़े, तो भीड़वाले मौक़ों को जैसे, सिनेमा, नाटक-गृह, बाजार आदि का परित्याग करना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिये, जहाँ कि खूब प्रकाश व हवा मिल सके। ऐसे वक्त पुष्टिकारक भोजन करना और खुली हवा में कसरत

करना लाभदायक होता है। रोग के कीटाणु फैलाने वालों को भी ढूंढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये और ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिये जिन्हें इस बीमारी होने का शक हो। बीमार लोगों का तुरंत इलाज करना जरूरी है।

जिस स्थान में रोग फैला हो, वहाँ के रहवासियों को नथनों द्वारा लाल दवा मिश्रित पानी डालकर नाक को धोना फायदेमंद होता है। उसी तरह लाल पानी के कुल्ले भी करना चाहिये। नमक घुले पानी से या एक प्याला पानी में एक चाय के छोटे चम्मच भर टिंचरआयडिन डालकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इस रोग को रोकने के दूसरे उपाय उसी प्रकार के हैं जैसे घटसरप के।

परिच्छेद २८

"मीज़िल्स याने बोदरी माता"

ऐसे बहुत थोड़े मनुष्य हैं जिन्हें बचपन में यह रोग न हुआ हो। यह रोग सब जगह होता है और कभी कभी तो विस्तृत प्रमाण में फैल जाता है। इस रोग में ज्वर के साथ आँखें आती हैं और सर्दी खांसी भी हो जाती है। बुखार आने के तीसरे और चौथे दिन शरीर पर विचित्र प्रकार के लाल और विविध रंग के दाने निकल आते हैं। यह रोग शीघ्रही एक मनुष्य से दूसरे को लगता है और बहुधा बच्चों को तो तुरंत लग जाता है। संतोष की बात यह है कि यह रोग एक मर्तबे आ जाने पर फिर नहीं लगता। निरोगी मनुष्य को यह रोग रोगी के स्पर्शद्वारा, उसकी सांस द्वारा और उसके इस्तैमाल किये हुए कपड़े याने रुमाल, तौलिया इत्यादि द्वारा लग जाता है।

किसी मनुष्य के शरीर के अंदर कीटाणु घुसने के बाद थोड़े दिनों तक तो कोई ऊपरी लक्षण नहीं दिखाई देते, पर अंदर ही अंदर रोग के कीटाणु बढ़ते रहते हैं। यह समय जिसे रोग की गर्भावस्था कहते हैं औसत में १२ या १४ दिन तक का रहता है और इस वक़्त रोगी को बहुधा या तो अपनी तबियत ठीक-मालूम होती है या कभी कभी उसे कुछ अनमना मालूम पड़ता है। इस काल के बाद एकाएक ज्वर हो आता है और पहिले दिन की शाम को ही टेम्प्रेचर (तापमान) १०२ या १०३ डिग्री तक पहुंच

जाता है। आँखों में दर्द होकर लाली आजाती है और आँसू खूब झरते हैं। रोगी को सूर्य की रोशनी बरदाश्त नहीं होती, सिर और गले में दर्द होता है और आवाज़ भर्रा जाती है, खांसी और छींक आती है, नाक बहती है, और गला अंदर से सूजकर लाल हो जाता है।

दूसरे दिन ज्वर कुछ कम हो जाता है, पर जीभ सुरदरी और मैली होकर भूक मारी जाती है। मेदा सख्त होकर रोगी का जी मचलाने लगता है। चौथे दिन ज्वर फिर बढ़ जाता है और ललाभी लिये हुये भूरे दाने पहिले चेहरे पर और गर्दन की बाजुओं पर निकल कर धीरे धीरे नीचे की तरफ फैल जाते हैं। हरएक दाना १२ घंटे तक बढ़ता है और फिर मुलायम होकर सिकुड़ने लगता है। और ४८ घंटे के बाद वह मिटने लगता है और ८ वें या ९ वें दिन तक बिलकुल मिट जाता है। इसके बाद चमड़े पर भूरा रंग कुछ समय तक बना रहता है।

यह रोग दाने निकलने के पेश्तर ही रोगी मनुष्य से निरोगी को लग सकता है; इस लिये यदि यह मालूम हो कि मुहल्ले में छोटी माता फैली हुई है तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे ज्वर हो, जुकाम हो, आँख नाक से पानी बहता हो, गले में जलन हो, खांसी अथवा स्वरभंग हो तबतक अलग रखना चाहिये जबतक यह इत्मीनान न हो जावे कि उसे छोटी माता नहीं है। बहुधा बच्चों को बहुत तेजी से और अधिक संख्या में यह रोग होता है। इस रोग के कारण छोटे बच्चों की मृत्यु संख्या अधिक होकर पांच साल के नीचे के बच्चों की मृत्यु संख्या का प्रमाण प्रतिशत ७० होता है। खुद इस ज्वर से तो बहुत कम मृत्यु होती है, परंतु

उसके साथ पैदा हुई उलझनों के कारण और विशेषकर निमोनिया से मृत्यु हो जाती है। बच्चे की बीमारी के समय खूब सावधानी से उसका इलाज करना चाहिये और अच्छा हो जाने के बाद भी कुछ समय तक ऐसे उपचार करना चाहिये जिससे इस रोग के परिणामस्वरूप कोई दूसरे रोग विशेषकर क्षय रोग न हो जाय। छोटी माता के रोगी के पास किसी बच्चे को नहीं जाने देना चाहिये। ऐसे लोग भी रोगी के पास न जाने दिये जायं जिनकी सेवा की रोगी के आराम के लिये ज़रूरत न हो। जो लोग रोगी की सेवा सुश्रूषा करें वे नहा धोकर और कपड़े बदलकर दूसरे लोगों से मिलें जुलें। किसी मनुष्य का रोग हल्का होनेपर भी अगर वह दूसरों को लग जाय, तो उनपर तेज़ी के साथ असर कर सकता है, इसलिये रोगी से लगे हुये किसी भी मनुष्य, ढोर या पदार्थ को निरोगी मनुष्य के पास नहीं आने देना चाहिये। इस ज्वर के रोगी को दूसरे मनुष्यों से जहांतक हो सके अलग ही रखना चाहिये। उसे किसी खूब हवादार कमरे में रखना चाहिये और सेवकों के अलावा दूसरों को उसके अंदर न जाने देना चाहिये। बेहतर तो यह होगा की रोगी के सेवक ऐसे हों जिन्हें यह रोग हो चुका हो। रोगी के कमरे में कोई सामान ऐसा न रखा जावे जो खूब साफ़ या नष्ट न किया जा सके। रोगी के उतारे हुये कपड़े याने तौलिया बिस्तर वगैरह कम से कम एक घंटे तक नीम की पत्तियों के साथ पानी में उबालकर साफ़ किये जावें और फिर खूब धोकर और सुखाकर दुबारा काम में लाये जायं। कुल प्याले, गिलास व दूसरे बर्तनों को बिल्कुल शुद्ध कर लेना चाहिये और अंत में कमरे को भी गंधक के धुएं से शुद्ध कर लेना चाहिये।

छोटे बच्चों को इससे बचाने की विशेष आवश्यकता है। यह रोग बहुधा स्कूलों से फैलता है। जब यह बीमारी फैली हो तो जो लड़के इस बीमारी से पहिले ग्रसित हो चुके हों उन्हें स्कूल जाने से बंद करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस रोग से ग्रसित लड़कों को १४ रोज तक अलग रखना चाहिये और अच्छा होने पर भी उन्हें १४ दिन तक स्कूल में नहीं आने देना चाहिये। ये दिन दाने दिखाई देने के दिन से गिनना चाहिये।

परिच्छेद २९

" चेचक " (बड़ी माता)

चेचक इस देश में बहुत पुराना प्रकोप है। इस रोग का विस्तार अब अधिक नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग टीकों से सुरक्षित रहते हैं, फिर भी हरसाल बहुत सी मृत्युयें इसीसे होती हैं। यह बीमारी अत्यंत कष्टदायक और घृणित होकर कुरूपता पैदा करने वाली होती है। इस कारण प्राचीन काल से ही लोग इससे बहुत भय खाते आये हैं। इससे केवल बहुत मृत्युयें ही नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग अंधे भी हो जाते हैं और विशेषकर स्त्रियों को तो यह रोग कुरूप बना देता है।

चेचक शायद सब रोगों से अधिक छुतैली बीमारी है। बाहर से आये हुये एक ही रोगी से कभी कभी बहुत दूर तक यह संक्रामक बीमारी फैल जाती है। चेचक के रोगी के आसपास की हवा बड़ी छुतैली होती है और वैसे ही उसके कपड़े, बिस्तर वगैरह और कमरे का अन्य सामान भी छुतैला हो जाता है। यों तो बीमारी के शुरू से ही रोगी छूत की जड़ हो जाता है; परंतु दाने निकलने से उनके सूखने तक खास तौर से वह ऐसा रहता है। चेचक से मरे हुये मनुष्य की लाश से भी यह बीमारी आसानी से फैल सकती है। जहां यह बीमारी होती है, वहां ज्यादा भीड़ और गन्दगी के सबब जल्द फैल जाती है।

चेचक का सबसे अच्छा बचाव टीका है, परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अविश्वास, आलस्य या लापरवाही के कारण अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाते।

चूंकि समय बीतने पर टीके का असर कम हो जाता है, इसलिये हर छटवें साल टीका लगवाना जरूरी है। जो शख्स हर छटवें साल टीका लगवाता है वह कभी भी चेचक से बीमार नहीं हो सकता। चेचक की कोई अचूक औषधि नहीं है और टीका ही बचाव का एक मात्र उपाय है। सरकार लोगों को इस भयानक प्रकोप से बचाना चाहती है, इसलिये उसने मुफ्त में टीका लगाने का प्रबंध किया है। टीका न लगवाना सचमुच बड़ी भूल है। यह बीमारी साल में चाहे, गर्मी जाड़ा या वसंत किसी भी समय फैल सकती है, इसलिये लोगों को टीका लगवाकर सर्वदा इससे बचने के लिये तैयार रहना चाहिये। हर पिता को चाहिये कि उसके जिन बच्चों को टीका न लगा हो, उन्हें जाड़े ही में या किसी भी समय टीका लगवा देवे। इस रोग से बचने के कुछ उपाय नीचे बतलाये जाते हैं:—

(१) यदि किसी घर में चेचक की बीमारी हो जाय, तो अन्य कुटुम्बियों को फौरन टीका लगवा लेना चाहिये, चाहे उनमें से किसी ने पहिले भी टीका क्यों न लगवा लिया हो।

(२) जिस घर में यह बीमारी हो तो उस घर के रहने वालों को मरीज के बदन पर से पपड़ी गिर जाने के बाद १५ दिन तक दूसरे लोगों से नहीं मिलना-जुलना चाहिये।

(३) मरीज के कपड़े धोने के पहिले उन्हें खौलते हुये पानी में रखना चाहिये। याद रहे कि जब तक ऐसा न कर लिया जावे तब तक कपड़े धोबी को न दिये जांय।

(४) नाई को भी घर में नहीं आने देना चाहिये; क्योंकि वह पड़ोस में छूत फैला सकता है।

(५) मकान को जहां तक बने हवादार रखना चाहिये।

[६] केवल एक सेवा-सुश्रूषा करने वाले को छोड़कर मरीज को अन्य सब चंगे लोगों से दूर रखना चाहिये और वह सेवा करने वाला भी ऐसा हो जिसको पहिले यह बीमारी हो चुकी हो या जिसे टीका लगा हो।

यदि सम्भव हो तो चेचक के सब रोगियों को तुरत किसी डाक्टर के सुपुर्द कर देना चाहिये और उनका इलाज बड़ी सावधानतापूर्वक कराना चाहिये आधे से लेकर दो ग्रेन की कुनैन की खुराक दिनमें दो या तीन बार देना फायदे मन्द होता है इस से हृदय मजबूत होता है। इस रोग में सब से ज्यादा खतरा दिल की धड़कन बंद हो जानेका है। दानों के दाग और गड्ढे रोकने के लिये इक्थियल का तेल मीठे तेल में मिलाकर दिन में कईबार तमाम बदन पर लगाना हितकर है। आँखों का बचाव सावधानी से करना चाहिये और बार बार उन को लाल पानी या बोरिक लोशन से धोना चाहिये। जहाँ तक बने रोगी को अंधेरी परंतु हवादार जगह मे रखना चाहिये। और दरवाजे व खिड़कियों में लाल पर्दे डाल देना चाहिये। खाने के लिये दूध या दूध के किसी पदार्थ का उपयोग करना चाहिये। नमक बिलकुल मना है। चमड़े और आँखों को कुनकुने पानी से स्पंज द्वारा पोंछ देना चाहिये और मुँह और गले को धो देना चाहिये। मरीज़ की सावधानी से निगरानी करना चाहिये, खासकर जब वह बेहोश हो।

परिच्छेद ३०

" डिप्थेरिया (घटसर्प) "

यह कंठ की एक बीमारी है जिस में ज्वर और गले में घाव और निगलने, बोलने तथा सांस लेने में कष्ट होता है। इस बीमारी से अक्सर दिल की धड़कन बंद होने की आशंका रहती है। या गले की पेशियों में लक्वा लगने का डर रहता है या गुर्दे की बीमारी पैदा हो जाती है।

दो और पाँच वर्ष की अवस्था के बीच के बालकों को इस बीमारी से बड़ा डर रहता है, यद्यपि किसी भी अवस्था में इस बीमारी के हो जाने की सम्भावना है।

इस बीमारी से गला लाल हो जाता है और उस में सूजन आ जाती है। गले के अंदर देखने से गले की गिल्टी बहुधा बढ़ी हुई तथा मोटी सी दिखलाई पड़ती है और गले की दीवाल पर पीली चर्बी की झिल्ली जमी हुई मालूम होती है। यह छोटे छोटे धब्बों में या एक बड़ी झिल्ली की शकल में दिखाई देती है। गले में रुई का फोहा लगाने पर भी यह झिल्ली जल्दी नहीं निकलती और यदि वह किसी तरह निकाल भी ली जाय, तो इसके नीचे के कच्चे चमड़े में से लोहू निकलने लगता है। छोटे बच्चों को जिनके गले का छेद साधारणतया छोटा होता है, सांस लेने और निगलने में जल्द कष्ट होने लगता है। मां का दूध या बोतल का दूध पिलाने पर बच्चे के मुँह से बाहर गिर

पड़ता है, सांस कठिनाई से आती जाती है, गला बैठ जाता है और बलगम गाढ़ा और सख्त होने से बाहर नहीं निकलता। बहुत से लड़कों का गला इस बीमारी के कारण रुंध जाता है और सांस फूलने के कारण वे मर जाते हैं। कभी कभी तो गले में एक सूराख कर एक नली डालना पड़ती है ताकि बच्चा सांस ले सके। अगर इस रोग का इलाज आरम्भ ही में दो या तीन दिन के अंदर ठीक तौर से न किया जाय, तो प्रायः रोगी की मृत्यु हो जाती है।

अगर बीमारी के शुरू ही में एंटिटिक सिरम की सुई लगाई जाय तो अवश्य फायदा होता है। यदि किसी लड़के को बुखार आता हो या उसका गला दर्द करता हो तो उसे तुरंत ही डाक्टर को दिखाना चाहिये।

यह रोग बहुत ही संक्रामक याने छूत से फैलनेवाला होता है। इसके कीटाणु गले व नाक के छिद्रों और मुंह में रहते हैं और रोगी के थूक में भी पाये जाते हैं। बच्चे के बातचीत करते समय, खांसते छींकते या चिल्लाते समय जो थूक के छींटे उड़ते हैं, उनमें कीटाणु अवश्य रहते हैं। उन्हीं को यदि कोई चंगा शख्स सांस द्वारा खींच ले तो उसे फौरन यह बीमारी हो जाती है। कभी कभी चंगे मनुष्यों के गले में ये कीटाणु ऐसे लोगों द्वारा पहुंचाये जाते हैं जो कि पहिले कभी डिप्थेरिया से बीमार हो चुके हों। अक्सर इन लोगों के गले के टानसिल्स [घोंटी] बढ़े रहते हैं। रोग के कीटाणु को फैलाने वाले ऐसे शख्स बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्रता से दूसरे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और उन्हें रोग के फैलाने का कोई शक भी नहीं कर सकता। इस

लिये दूसरों के तौलिये, रूमाल, पानी पीने के प्याले, हुक्के आदि को काम में लाना बहुत ही खतरनाक है।

बच्चों को अक्सर अपनी कलमें और पेंसिलें मुँह में डालकर चूसने की बड़ी खराब आदत होती है। अगर रोग वाले किसी लड़के की पेंसिल या क़लम दूसरे लड़के काम में लायें और उसी प्रकार उसे चूसें तो इस रोग के कीटाणु उनके गले में पहुंच जायंगे। स्कूल मास्टरों और लड़कों के मा-बाप को चाहिये कि अपने लड़कों को ऐसी आदतें बनाने से रोकें और उन्हें स्लेट को थूक से साफ करने से भी मना करें। लड़के प्रायः उँगली में थूक लगाकर किताब के पन्ने उलटते हैं इससे किताबों में भी कीटाणु का प्रवेश हो सकता है। यह लड़कों में बहुत गन्दी आदत है जो आसानी से पड़ जाती है।

स्कूलों से जहाँ कि बहुत से लड़के एकत्रित होते हैं और पास पास बैठते हैं, यह बीमारी बहुत आसानी से फैलती है। लड़कों के स्वास्थ्य परीक्षा के समय ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना चाहिये जो इस रोग के या दूसरे रोग जैसे मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार वगैरह के कीटाणु वाहक हों, और उनको अलग कर उनका इलाज करना चाहिये। ऐसे लड़के को जिसे कि यह बीमारी हुई हो या जिसने किसी रोगी का साथ किया हो किसी स्कूल में तबतक नहीं आने देना चाहिये, जबतक कि वह डाक्टर द्वारा इस रोग के कीटाणुओं से मुक्त न घोषित किया जाय।

डिप्थेरिया के रोगी का सामान जैसे कि किताबें, स्लेटें, पेंसिल, कलम, कपड़े इत्यादि पूर्ण रूप से या तो शुद्ध किये जायं या नष्ट कर दिये जायं। ऐसा करना बहुत जरूरी है।

फैलनेवाली इन बीमारी को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि स्कूलों में लड़कों की संख्या परिमित रक्खी जाय जिसमे कि वे सटकर न बैठे। स्कूल के कमरों में भी खूब प्रकाश तथा शुद्ध हवा का प्रवेश होना चाहिये और उन्हें रोज झाड़कर साफ करना चाहिये।

परिच्छेद ३१

"इन्फ्लुएंज़ा याने सर्दीवाला-बुख़ार"

जिस मनुष्य को यह बीमारी होती है उसकी सांस में, कफ में, तथा नाक के श्राव में इसके कीटाणु पाये जाते हैं। हवा में उड़ते हुये इन पदार्थों के ज़र्रों को सांस में खींचने से दूसरे मनुष्य को भी यह बीमारी लग जाती है। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि इस ज्वर के रोगी को चंगे मनुष्यों से अलग रखना चाहिये। रोगी की सेवा करनेवालों को यह आवश्यक है कि वे दूषित हवा की सांस न लेवें, पर यह तभी हो सकता है जब कि रोगी को हवादार कमरे में या बरामदे में रखा ज़ावे। हवा में रखने से मरीज़ और सेवकगण दोनों का भला होगा। मरीज़ खुद जल्द अच्छा होगा और सेवक तथा अन्य घर के लोग भी बीमारी से बचेंगे। ताज़ी हवा सर्दी बुखार के मरीज़ों के लिये ही नहीं बल्कि फेफड़ों के दूसरे रोगों से पीड़ित लोगों के लिये भी बहुत, हितकर होती है। यदि हरएक मनुष्य सदा खुली हवा में रहे तो शायद ही कभी किसी को फेफड़े की बीमारी हो। यदि हरवक्त खुली हवा में रहना मुमकिन न हो, तो भी दरवाज़ों और खिड़कियों को खुले रख सकते हैं। यदि किसी को इन्फ्लुएंज़ा या और कोई बुखार सांसी वाला रोग हो जावे, तो उसे एकदम बिस्तर पर आराम करना जरूरी है। उसका पलंग बरामदे में या हवादार कमरे में होना चाहिये। ध्यान रहे कि कमरे के दरवाज़े और खिड़कियां खुली रखी जांय। निम्न लिखित नियमों का पालन करने से सम्भवतः इस रोग से बिल्कुल बच सकते हैं:—

[१] मकानों के अंदर दरवाज़े तथा खिड़कियां बंद करके मत सोओ। सूखे दिनों में खुली जगह में सोना अच्छा होता है और बरसात में बरामदे में जिससे कि स्वच्छ से स्वच्छ हवा मिल सके।

[२] गीले कपड़े पहिनेहुए मत फिरो, क्योंकि इससे शरीर में सर्दी भिद जाती है और शक्ति कम हो जाती है। इसलिये जहाँ-तक बने सूखे और गरम बने रहो।

[३] तुम्हारे गांव या शहर में यह बीमारी फैली हुई हो तो पास के अस्पताल में जाकर कुनैन लेओ जिससे तुम्हें मलेरिया, (जूड़ी बुखार) न होने पावे, क्योंकि आसपास इन्फ्लुएंज़ा का ज़हर मौजूद होने पर मलेरिया के मरीज़ को इन्फ्लुएंज़ा भी ज़रूर हो जाता है।

[४] परमेंगेनेट सोल्यूशन (लाल दवा) ले आओ तथा उससे दिन में कई बार कुल्ला करो और नाक में भी सुड़को। ऐसा करने से गले और नाक के अंदर के कीटाणु मर जाते हैं और बीमारी से बचने की अधिक सम्भावना रहती है।

[५] यदि लाल दवाई न मिल सके तो एक गिलास पानी में चाय के एक चम्मचभर नमक डालकर उसी प्रकार दिन में कई बार कुल्ला करो और नाक से भी सुड़को, क्योंकि यह भी रोग को रोकनेवाला है।

[६] यदि तुम्हारे ही घर में किसी को यह रोग हो जावे, तो उनके नाक और गले को फौरन धोने से अक्सर रोग बढ़ने से रुक जाता है। मरीज़ को कोई हवादार कमरे में रखो और उसे

गरम रखकर फ़ौरन नज़दीक के डाक्टर को बुलाकर इलाज कराओ।

इन्फ़्ल्युएंज़ा के मरीज़ों को बुखार उतर जाने के बाद कम से कम दो तीन दिन तक बिस्तर नहीं छोड़ना चाहिये और कई दिनों तक कठिन परिश्रम भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से हृदय की क्रिया बंद होने का डर रहता है। जबतक भूख न खुले दो या तीन घंटे के अंतर में थोड़ा थोड़ा दूध दिया जावे। बाद में थोड़ा भोजन लिया जा सकता है।

परिच्छेद ३२

"हैज़ा"

हैज़ा सबसे ज्यादा लगनेवाला रोग है और हरसाल देश के किसी न किसी भाग में फैला ही रहता है। यदि उचित खबरदारी जल्द न ली जाय, तो बाहर से आने वाला हैज़े का एक भी रोगी इस बीमारी को फैलाने के लिये काफी होता है।

यह रोग खासकर मैला पानी पीने से या खराब भोजन करने से होता है। इसमें इसके कीटाणु आदमी की अंतड़ियों में घुस जाते हैं और बीमारी पैदा कर देते हैं। हैज़े के कीटाणुओं से दूषित वस्तु खाने या पीने के १२ से १८ घंटों के अंदर पेड़ू में दर्द उठता है, फिर दस्त होने लगते हैं जिनकी तेज़ी यहाँतक बढ़ जाती है कि चांवल के धोवन के समान पतले दस्त प्रायः लगातार होने लगते हैं। कभी कभी इस रोग के शुरू में ये लक्षण होते हैं:— जूड़ी लगना, प्यास लगना, जीभ पर मैल जमजाना, पेड़ू में हलका दर्द होना, और दिन के समय तीन या चार पानी समान पतले दस्त होना, ज़ोर की उल्टी भी होती है। शुरू में खायाहुवा भोजन ही उल्टी में गिरता है। परंतु बाद में क़े का रूप भी बहुत कुछ दस्तों जैसा हो जाता है। प्यास बहुत तेज़ हो जाती है, और हाथ पैर पीठ और दूसरे अंगों में बहुत दर्द पैदा होता है। ज्यों ज्यों रोग बढ़ता जाता है, त्यों त्यों पेशाब कम उतरती है। आँखें सिकुड़ जाती हैं, ओंठ नीले पड़ जाते हैं और शरीर ठण्डा हो जाता है। मरीज़ बहुत ही जल्द कमज़ोर होकर, अंत में बेदम हो जाता है।

हैज़ा फैलने के समय ज्योंही किसी को दस्त लगना शुरू हो, त्योंही उसका इलाज हैज़े के इलाज के समान शुरू कर देना चाहिये। रोगी को बिस्तर पर लिटा देना चाहिये और उसके पास ऐसे बर्तन रख देना चाहिये जिनमे पड़े पड़े वह पाखाना, पेशाव आदि फिर सके और उसे बिस्तर से न उठना पड़े। उसे उबाला हुआ ठंडा पानी जिसमें निब्बू का रस मिला हुआ हो अधिक मात्रा में पिलाना चाहिये। चांवल के मांड और अंडों की सफेदी के अलावा दूसरा भोजन नहीं देना चाहिये। यदि उल्टी हो, तो थोड़े समय के लिये भोजन देना बंद कर देना चाहिये और पानी मनमाना देना चाहिये। पेट और कमर को सेंकने से फायदा होता है। डाक्टर को फौरन बुलाना चाहिये। वह बहुत करके नमक के पानी की सुई लगावेगा। डाक्टर के आने तक मरीज का शरीर गरम पानी की बोतलों से सेंककर और कपड़ों में लपेटकर, गरम रखना चाहिये। यदि प्रबंध हो सके तो हर तीसरे घंटे मरीज को आधी बोतल में दो चम्मच नमक घुले हुये गरम पानी का एनिमा देना चाहिये। मरीज़ को पीने के लिये दिये जानेवाले पानी में थोड़ा (एक गिलास में एक दो रत्ती) पोटेशियम परमेगनेट (लाल दवाई) घोलदेना चाहिये। जब तक मरीज को पेशाव न उतरने लगे, तब तक उसे खतरे से बाहर न समझना चाहिये। मरीज़ को किसी तरह की नशैली चीज़ मत दो।

हैज़े को दूर रखने के लिये निम्नलिखित आदेशों का पालन करना चाहिये:—

(१) ज्योंही किसी स्थान में हैज़े का केस हो, त्योंही फौरन वहां के मेजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन या हेल्थ आफिसर के पास या

पोलिस थाने में रिपोर्ट करना चाहिये, ताकि वे लोग फ़ौरन बीमारी रोकने की कार्रवाई कर सकें।

(२) सरकार या म्युनिसिपैलिटी या दूसरे स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई होने का इंतज़ार न करते हुए गांव के सब कुओं में लाल दवाई छोड़ देना चाहिये। यह लाल दवाई तहसीलों, थानों और अस्पतालों में मिलती है।

(३) हैजे के मरीज़ की कै और मल को फ़ौरन गरम राख या चूने में थोप देना चाहिये या उसपर तेज़ फ़िनाइल डालकर या तो उसे जला देना या गाड़ देना चाहिये, जिससे उसपर मक्खियां बैठकर बीमारी न बढ़ाने पावें। अगर मल भूल ज़मीन पर गिरे, तो फ़ौरन ज़मीन पर फ़िनाइल या गरम राख डाल देना चाहिये। थोड़ीसी सूखी घास या पैरा उस ज़मीनपर बिछाकर जला देना चाहिये और फिर ज़मीन को खुरच करके वहाँ से हटा देना चाहिये।

(४) जब तक पानी उबाला हुआ न हो, उसे पीने के या कुल्ला करने के लिये मत काम में लाओ। इसी तरह बग़ैर उबाले हुये दूध का भी इस्तेमाल मत करो।

(५) पकाये हुये और गरम गरम पदार्थों के अलावा दूसरा भोजन मत खाओ।

(६) ककड़ी, खरबूजा इत्यादि कच्चे या अधिक पके हुये फल और तरकारियों को मत खाओ। जिन फलों को खाना हो उनको पहिले लाल पानी से धो डालो और उसमें आधे घंटे तक भिगोये रखो।

(७) बासे या ऐसे भोजन को जिसपर मक्खियां पहुँच सकी हों, मत खाओ।

(८) नमकीन चूरन या जुलाब न लेना चाहिये और यदि किसी को दस्त लगते हों, तो फौरन इलाज करना चाहिये।

(९) खट्टा पानी जैसे पतला गंधक का तेजाब पन्द्रह पन्द्रह बूंद दिन में दो बार या ताजे निम्बू के रस को पीना चाहिये। सिरके का इस्तेमाल भी खूब करना चाहिये।

(१०) हैजा फैलने के समय हाजमे को दुरुस्त रखना चाहिये और सिर्फ हल्का खाना खाना चाहिये।

(११) बाजार की मिठाई वगैरा मत खरीदो और सड़कों पर खरीदी हुई किसी भी चीज को जब तक पहिले उबाल न लो मत खाओ।

(१२) हैजे के मरीज की इस्तेमाल की हुई कोई चीज जैसे बोलिया, कपड़े, बर्तन वगैरह जबतक ये उबाले न जावें या एक या दो घंटे किनाइल के घोल में न रखे जावें, मत छुओ।

(१३) यदि तुम्हें ऐसी कोई चीज छूना ही पड़े, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से खूब धो डालो और फिर लाल पानी या किनाइल के घोल से भी धोओ।

(१४) अपने घर और आंगन को खूब साफ रखो और घर के हर शख्स को हैजे का टीका लगवादो।

(१५) हैज़े के मरीज़ को मकान के अलग कमरे में रक्खो और इससे तो बेहतर यह होगा कि उसको अस्पताल में भेज दिया जाय। मरीज़ के सेवकों को लाल दवा पड़ा हुआ पानी देना चाहिये, क्योंकि उन्हें छूत से यह बीमारी होने का बड़ा डर रहता है। उन्हें आधी छटाक पानी में तीन बूंद अर्कों का तेल मिलाकर भी देना चाहिये। इस अर्क के तेल का नुस्खा यह है:—

स्पिरिट ईथर	—	३० बूंद
लौंग का तेल	—	५ ,,
केजापुट का तेल	—	५ ,,
जुनीपर का तेल	—	५ ,,

एसिड सलफ्यूरिक एरोमेट–१५ बूंद

मरीज के वास्ते खुराक आधा औंस पानी में १ ड्राम हर आधे घंटे में देना और बचाव के वास्ते पानी में १ ड्राम दिनमें एक या दो दफे लेना चाहिये।

चूंकि हैज़ा वस्तुतः पानी द्वारा होनेवाला मर्ज है, इसलिये पानी को दूषित होनेसे बचाना बहुत ही जरूरी है। कुएं का पानी सबसे ज्यादा महफूज होता है और तालाब और नदी के पानी की अपेक्षा उसे ही पसंद करना चाहिये। शुद्ध पानी के लिये नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी होना चाहियेः—

(१) कुएं को बस्ती के मकान, नाला या तालाब से दूर अच्छी मिट्टी की जगह में खोदना चाहिये।

(२) ऊपर का पानी उसमें न जा सके इसलिये कम से कम २० फुट की गहराई तक उसमें चूने या सिमेंट का एक इंच मोटा पलस्तर लगाना चाहिये।

(३) कुएं के मुंहपर जगत कम से कम तीन फुट, ऊंची होना चाहिये और ऐसी ढाल बनाना चाहिये कि पानी आसानी से दूर बह जावे।

(४) कुंए के मुंह के आसपास कम से कम ६ फुट चौड़ा पक्का चबूतरा बनाना चाहिये।

(५) कुंए में पानी खींचने के वास्ते गिर्रियां लगानी चाहियें।

(६) हरसाल गर्मी के मौसम के अंत में उसकी सफाई और मरम्मत करनी चाहिये।

(७) जिस घर में हैजे से कोई बीमार हो उस घर का कोई बर्तन कुंए से पानी निकालने के लिये काम में नहीं लाने देना चाहिये। सबसे सुरक्षित उपाय तो यह है कि किसी को अपने बर्तन से पानी न निकालने दे और पानी निकालने के लिये अलग एक बर्तन विशेष रुप से रखा जावे। जब किसी गांव या शहर में हैजा की बीमारी शुरु हो जाय, तो फौरन कुल कुओं में लाल दवा डाल देना चाहिये, और हर दूसरे या तीसरे दिन फिर यह दवा डालकर सफाई कीजानी चाहिये जबतक कि हैजे की बीमारी मिट न जाय। कुएं में लाल दवाई सिर्फ इतनी ही डाली जावे जिससे कि कुएं का पानी हल्का लाल रंग का हो जाय। बहुत ज्यादा लाल दवा डालने से पानी का स्वाद बिगड़ जाता है।

यदि हैजे का केस होने की खबर सिविल सर्जन को भेजी जावेगी, तो वे फौरन उस गांव को सस्ती अस्पताल या टीका लगाने वाले डाक्टर को भेजेंगे जो मरीजों का इलाज करेगा और बीमारी के फैलाव को रोकने की कार्रवाई करेगा।

जब जिले में हैजा शुरू होगया हो तो लोगों को मेला वगैर में न जाना चाहिये और बरातों में शरीक न होना चाहिये। यदि हैजे के स्थान में जाना जरूरी हो तो रवाना होने के पेश्तर हैजे का टीका लगा लेना चाहिये और उबाले हुए पानी, दूध, गरम भोजन इत्यादि के विषय में ऊपर दिये हुए आदेशों का पालन करना चाहिये।

परिच्छेद ३३
"आंव रक्त"

यद्यपि यह रोग हैज़ा के समान भयानक नहीं है तथापि आंव रक्त की बीमारी समस्त देश में है। इस में उसी प्रकार के ढीले दस्त होते हैं जैसे डायरिया या पेचिश में, लेकिन पाखाने की हाजत के समय पेट में मरोड़ और दर्द पैदा होता है। दस्त बार बार होता है, लेकिन मल बहुत कम परिमाण में गिरता है। मल में रूधिर और बलगम रहता है। कभी कभी इस रोग के साथ साथ सख्त ज्वर भी आ जाता है। आम तौर पर इस बीमारी में जो दस्त होते हैं उन में अक्सर खून और आंव रहती है। यह एक ऐसे सूक्ष्म जीव के द्वारा पैदा होती है जो कि शरीर में भोजन और पानी के साथ प्रवेश हो जाता है। हैज़े के समान आंव भी केवल उबाला हुआ पानी पीने से तथा साफ भोजन करने से रोकी जा सकती है। गांव के लोग इस मर्ज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसको बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन असावधानता के कारण यह रोग इतना बढ़ जाता है कि जिससे पसुलियों के नीचे, दाहिने तरफ, सामने और कभी कभी दाहिने कंधे के नीचे भी दर्द होता है।

इस रोग की दवा करना कठिन नहीं है। रोगों को पूरा आराम देना चाहिये और एक या दो तोले भर एरंडी का तेल पिलाकर आंतों को साफ करना चाहिये। मिल सके तो कोई वैद्य या डाक्टर को बुलाना अच्छा है। एमेटाइन की सुई लगाने से यह रोग बहुत जल्दी अच्छा होता है। भोजन पनीले पदार्थों का होकर जहां तक हो सके कमही लेना चाहिये। शाकभाजी बिलकुल नहीं देना चाहिये।

परिच्छेद २४

"महामारी (प्लेग)"

सर्वप्रथम जानने योग्य बात यह है कि प्लेग असल में चूहों की बीमारी है। काले घरेलू चूहों की जाति इस बीमारी के लिये जिम्मेदार है। मनुष्यों में इस बीमारी के फैलने के पहिले वह चूहों मे फैलती है। चूहे का पिस्सू इसके जहर को एक चूहे से दूसरे चूहे में और चूहे से मनुष्यों मे पहुंचाता है। यदि चूहों की संख्या थोड़ी हो, तो यह बीमारी अक्सर फैलती ही नहीं और यदि फैली भी तो थोड़े समय तक रहती है। इस तजुर्बे से चूहों को नष्ट करने का महत्व सिद्ध हो गया है। चूहों के मारने का प्रयोग नागपूर और दूसरे शहरों में किया जा चुका है जिसका नतीजा यह निकला है कि जबतक चूहों के विनाश का संगठन बड़े पैमाने पर न किया जावे और साल ब साल जारी न रखा जावे, तबतक उसका कोई फल नहीं होता। महामारी को निर्मूल करने के लिये मकान और सफाई में तरक्की करने की बड़ी जरूरत है क्योंकि महामारी के कीटाणुओं को मारनेवाली शक्तियों में सूर्यप्रकाश, ताजी हवा, मकानों की हवादारी और सूखापन प्रधान है। अनुभव मे पाया गया है कि जिन मकानों और मोहल्लों में महामारी सबसे अधिक काल तक टिकती है वे अंधेरे कुंद और सीड़वाले होते हैं। इन हालतों की वजह चूहे और दीगर कीड़े ऐसे मकानों में आते हैं और प्लेग के कीटाणुओं को बहुत समय तक जिंदा रखते हैं। इसके विपरीत यह पाया गया है कि ऐसे मुहल्लों मे भी जहां प्लेग

ज़ोर पर रहता है, वे मकान जो सूखे, पक्के बने हुये, हवादार और रोशनीदार होते हैं इस रोग से बहुत कुछ बच जाते हैं। इसलिये प्रत्येक आदमी को चाहिये कि वे अपने घरों में चूहे न रहने दें। उनको पकड़ने व मारने के लिये पिंजड़ों तथा जहर की गोलियों को काम में लाना चाहिये और इधर उधर अनाज, तरकारी, या दूसरी खाने की चीजें नहीं फेंकना चाहिये जिससे कि घरों में चूहे आवें। घर को खूब झाड़ बुहारकर साफ रखना चाहिये और सब कूड़ा कचरा घर से निकालकर कचरेघर में डाल देना चाहिये। चूहों के सब बिल बंद कर देना चाहिये और सम्भव हो तो नीम की पत्ती का धुंआं देकर चूहों को उनके बिलों से निकाल देना चाहिये। घर के अंदर नीम की पत्तियां या गंधक जलाने से चूहे भाग जाते हैं और उनके ऊपर के पिस्सू मर जाते हैं।

बचाव के और दो मुख्य रास्ते ये हैं, याने बस्ती खाली कर देना और टीका लगाना। पड़ोस में प्लेग के जाहिर होते या अपने मकान छोड़ देने और निरोग स्थान में चले जाने का महत्व लोग समझने लगे हैं। टीका लगाने के फ़ायदे भी लोग समझने लगे हैं; किंतु बहुतेरे अपढ़ लोग अब भी टीका लगवाने के खिलाफ रहते हैं। जैसे जैसे इन लोगों को टीके के फ़ायदे मालूम होते जावेंगे वैसे वैसे उनके गलत ख्यालात भी अनदय हो जाते रहेंगे। अनुभव से मालूम हुआ है कि टीका लगाये हुये लोगों को ऊंचे दर्जे की रक्षा प्राप्त हो जाती है और ऐसे लोगों में मृत्यु की औसत भी बिना टीका लगाये हुये लोगों की अपेक्षा क़रीब छटवां हिस्सा ही होती है।

टीका लगवाने से एक यह भी फ़ायदा होता है कि आदमी को हिम्मत आ जाती है और दहशत नहीं सताने पाता। यह

पाया गया है कि यदि गांव के अधिकांश लोग टीका लगाये हुये हों तो बीमारी बहुत तेजी के साथ नहीं होती और आसानी से काबू में लाई जा सकती है। इस प्रसंग में एक मुख्य बात याद रखने योग्य यह है कि टीका लगाने के बाद ही चंद रोज तक उस से प्रदान की हुई रक्षा की मात्रा अधिक नहीं होती इस लिये यह बहुत जरूरी है कि जब अपने स्थान में सेग प्रगट हो तो टीका लगवाने में तनिक भी देर नहीं करना चाहिये।

परिच्छेद ३६

" रिलैप्सिंग-बुखार "

(रुक के फिर से आनेवाला ज्वर)

इस बुखार का आक्रमण बहुधा अचानक होता है। शुरू होने के लक्षण इस प्रकार हैं:—बुखार का पहिला धावा ५ से ७ दिन तक एक बराबर रहता है और इसमें बुखार के सभी लक्षण वर्तमान रहते हैं। फिर यह एकाएक उतर जाता है और शरीर की गर्मी इतनी कम हो जाती है कि कभी कभी रोगी का दम उखड़ जाता है या तो फिर ५–६ दिन तक बुखार बंद हो जाता है। उसके बाद फिर चढ़ आता है। और ४–५ दिन तक जारी रहता है। आरंभ के धावे में इस का प्रकोप अधिक रहता है। इस देश में यह बीमारी जूं और खटमल के जरिये फैलती है।

सौभाग्य से इस रोग का अकसीर इलाज है। "साल वर्सन" 'नीओसालवर्सन' 'मैलील खार्सियन' इत्यादि संखियासे बनी हुई चंद दवाइयों की एक या दो खुराक से अकसर तेहत हो जाती है। इन दवाइयों में से किसी के दो ग्राम के इंजेक्शन से पूरा आराम हो जाता है। बुखार घटाने के लिये बुखार की हालत में क्वीनर मिक्श्चर दिया जाता है। जब बुखार बहुत तेज होता है, तब सिर को बरफ इत्यादि से ठंडक पहुंचाई जाती है। बाद की नाजुक दशा में हृदय की गति ठीक रखने के लिये उत्तेजक औषधि दी जाती है जिससे कि जीवन-शक्ति कम न होने पावे। नाजुक दशा के बाद रोगी को जीवित रखने के लिये शरीर में गर्मी पहुंचाना

जरूरी होता है। रोगी को दूध इत्यादि देना जरूरी है जिससे कि उसकी ताकत बनी रहे यह ख्याल गलत है कि रोगी को लंघन से लाभ होता है। यदि भोजन रोक दिया जावे तो वह कमजोर होता जाता है और अंत में थकावट व शिथिलता से मृत्यु हो जाती है। नाजुक दशा के बाद रोगी को स्वाभावतः बहुत भूख लगती है, लेकिन उसको अधिक भोजन नहीं करने देना चाहिये तथा गरिष्ट पदार्थ भी खाने को नहीं देना चाहिये। इलाज से रोक बेहतर होने के कारण यह आवश्यक है कि जब शहर में या गांव में या अतराफ में यह रोग नजर आवे तो उसे रोकने की फौरन कार्रवाई की जावे।

पहिले कहा जा चुका है कि जूं और खटमल से यह बीमारी होती है इसलिये इनकी पैदायश और वृद्धि रोकने की युक्तियां करना चाहिये। कुल पोशाक को, और खास तौर से सबसे अंदरवाली पोशाक को, तथा बिस्तर को रोज कुछ घंटे धूप में सुखाना चाहिये या पानी में उबालना चाहिये इससे जूं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आवेगी और मर जावेंगी। साफ धुले हुये कपड़े पहिनना चाहिये और अंदरूनी कपड़े जल्दी जल्दी बदलना और धोना चाहिये।

प्रतिदिन कारबोलिक साबुन लगाकर स्नान करना आवश्यक है; क्योंकि ऐसा करने से शरीर साफ रहता है और जूं बढ़ने नहीं पाते। रोगी के कपड़ों को खौला देना चाहिये। चंगे मनुष्यों को रोगी के बिस्तर पर न बैठना और न सोना चाहिये।

सिरके बालों में से जूओं को निकालने के लिये सिरको उस्तरे से साफ करवाना या मिट्टी का तेल उसमें लगाना फायदेमन्द होता है।

परिच्छेद ३७

" टिटेनस याने लॉकजा या धनुर्वात "

यह बतलाया जा चुका है कि इस रोग के कीटाणु मनुष्य के शरीर में घाव या चोट के जरिये अंदर घुस जाते हैं। मसलन बच्चे का नरा (नाल) जब किसी गन्दे चाकू से काटा जाता है या जब कोई गन्दा धागा उसमें बांधा जाता है तो घाव जहरीला हो जाता है और बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है। बहुतसे बच्चों की अकाल मृत्यु इस प्रकार हो जाती है। नौजवान आदमियों को भी टिटेनस की बीमारी हो सकती है, यदि उनके शरीर पर के किसी घाव या चोट में गन्दी धूल प्रवेश कर जावे। इसलिये घावों को सावधानी से साफ करना तथा कपड़े से उनपर मरहम पट्टी करना जरूरी है। अगर किसी घाव पर गन्दी धूल या मिट्टी पड़ गई हो, तो उसपर टिंचर आयडिन लगा देना चाहिये और अगर यह दवा न मिल सके तो घाव को मेथिलेटेड स्प्रिट से या देहाती शराब से धोडालना चाहिये और यदि येभी न मिलें तो साफ नीम की पत्ती को पानी में खौलाकर उसी पानी से घाव को खूब साफ धो डालना चाहिये। यदि किसी बच्चे के शरीर पर कहीं खरोंच लग जाय या चमड़े पर कोई घाव हो जाय तो उस भाग को साफ पानी से धोकर सुखा लेने के बाद टिन्चर आयडिन लगा देना चाहिये या थोड़ासा बोरिक पाउडर उसपर भुरक देना चाहिये। इससे घाव पकेगा नहीं। यदि चमड़े पर फोड़ा हो जाय तो उसे गन्दे चाकू या सुई से नहीं खोलना व खुरेदना चाहिये जैसा कि लोग अक्सर

किया करते हैं। चाकू या सुई को पहिले पानी में उबाल डालना चाहिये या आग पर रखकर गरम कर लेना चाहिये। फोड़े को खोलने के बाद मवाद को निचोड़ डालो और फिर टिचर आयडिन लगाओ और साफ सूती कपड़े का एक छोटा टुकड़ा फोड़े के ऊपर रखकर उसको साफ कपड़े से बांध दो जिससे कि गर्द उसके अंदर न जाने पावे। कोई भी घाव धोने के लिये लाल दवा का पानी बहुतही अच्छा होता है।

बड़े खुले कच्चे घाव के लिये यह इलाज ठीक होगा कि एक प्याला पानी में एक बड़े चम्मचभर नमक डाल दो। इस घोल में या एक प्याला पानी में एक चाय के चम्मचभर टिचर आयडिन मिलाकर उसके घोल में साफ कपड़े भिगोकर दो या तीन तह घाव के ऊपर जमा दो। इससे बड़ा फायदा होगा।

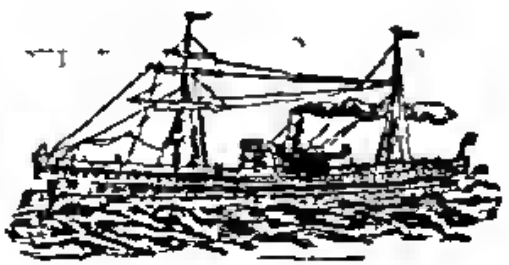

परिच्छेद ३८

"आंखो का आना"

सब प्रकार की आंखों की बीमारी लगनेवाली होती है और तौलिये, रूमाल, साबुन आदि के द्वारा ये एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाती है। इसलिये अगर कुटुम्ब के किसी भी व्यक्ति की आंख आ जावे, तो कोई भी उसके तौलिये, साबुन इत्यादि का उपयोग न करे।

मक्खियों से भी यह बीमारी एक दूसरे को हो जाती है। इसलिये मक्खियों को बच्चों की आंख से दूर रखना चाहिये। आंख आने की दवा बिलकुल ही सरल है। फिटकरी या सोहागा या बोरिक एसिड साफ उबलते हुये पानी में घोले फिर ठण्डा होने पर प्रत्येक तीन या चार घंटे के बाद आंख में बूंद बूंद डाले। आरगिरोल सलूशन आजकल बहुत उपयोग में लाया जाता है और किसी भी दवा बेचने वाले के यहां मिल सकता है। अगर इन दवाइयों में से कोई भी न मिल सके तो नमक घुला हुआ पानी या लाल दवा को काम में लाओ। आंखों को साफ पानी से धोना भी बहुत फायदा करता है। यदि पलकों पर रोहे पड़ जायं तो डाक्टर को दिखाना बेहतर होगा जिससे कि रोग का इलाज ठीक तौर से हो सके।

परिच्छेद २९

"रोग लगने के दूसरे ज़रिये"

पहिले कहा जा चुका है कि रोग के कीटाणु मनुष्य के शरीर में कई तरीक़ों से जैसे हवा, भोजन, पानी, मैल, मक्खियां और कीड़ों के काटने के जरिये घुस जाते हैं। कीड़ों के काटने के बारे मे बतलाया जा चुका है कि चूहे के पिस्सू के काटने से प्लेग और एनोफील मच्छड़ के काटने से मलेरिया होता है। पारीवाला बुखार जुओं द्वारा एक मनुष्य से दूसरे को लगता है और पागल कुत्ते या लड़ैया य स्यार के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। सांप के काटने में और दूसरे कीड़ों के काटने में यह भेद है कि दूसरे कीड़ों के काटने से रोग के कीटाणु शरीर के अंदर घुसते हैं और सांप के काटने से खुद जहर घुसता है। रोगों का लगना दूसरे तरीक़ों स भी हो सकता है अर्थात छूने से जैसे कि माता की बीमारी, गर्मी, सुज़ाक और कोढ़ वगैरह में होता है। इन बीमारियों में से कुछ का वर्णन आगे के सफों में किया जायगा।

परिच्छेद ४०

"हाइड्रोफोबिया" याने पागल कुत्ते आदि के काटने से पैदा हुई बीमारी.

यह भयानक रोग पागल कुत्ते या पागल स्यार व लड़ैये के काटने से होता है।

यदि किसी को कुत्ता काटे तो पहिले यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि कुत्ता पागल है या नहीं। यदि वह यहाँ वहाँ झपटता रहा हो और जो आदमी रास्ते में मिले उसे काटे तो उसके पागल होने में कोई शक नहीं। अगर ऐसा दिखाई दे कि वह कोनों में छिपता है अथवा लार टपकाता है अथवा मुश्किल से निगल सकता है या काटने की कोशिश करता है तो सम्भव है कि वह पागल हो। कुछ पागल कुत्तों के शरीर में मरोड़ या ऐंठन पैदा हो जाती है और कुछ को पिछले पावों से लकवा लगना शुरू हो जाता है बाद को उनके गले को लकवा मारता है जो कि उनके भूंकने की आवाज बदल जाने से जाहिर हो जाता है और उनको खाने में भी तकलीफ होने लगती है। यदि कोई कुत्ता किसी को काटे तो चाहे वह कुत्ता ऊपरी तौर पर निरोगी मालूम पड़े तौभी उसे बंद जगह में बांध रखना चाहिये जिससे कि वह दूसरे मनुष्यों को या कुत्तों को न काटने पावे। उसे दस दिन तक खिलाने पिलाने में देख रेख करते रहना चाहिये। यदि इस समय के बाद भी वह

निरोग रहे तो उसके काटे हुए मनुष्य को हाइड्रोफोबिया होने का कोई डर नहीं, परंतु यदि दस दिन के अंदर कुत्ता बीमार हो जाय तो शक करना चाहिये कि कुत्ता पागल होगा और काटे हुए मनुष्य को एकदम सबसे पासवाले ऐसे अस्पताल में जाना चाहिये जहाँ पागल कुत्ते के काटने का इलाज किया जाता हो। यह इलाज आजकल बहुत से अस्पतालों में होता है। उदाहरणः— मध्यप्रांत में इसका इलाज मेयो हास्पिटल नागपूर, विक्टोरिया हास्पिटल जबलपूर और मेन हास्पिटल रायपूर, अकोला और हुशंगाबाद में होता है।

इलाज आरम्भ करने के पहिले रोगियों को नीचे लिखी बातों पर खयाल कर लेना बेहतर होगा :—

(१) पागल होने के दस दिन से ज्यादा पहिले कोई जानवर जहरीला नहीं होता।

(२) कुत्ते के काटने पर इलाज की तभी जरूरत होती है जब कि उसके दांत चमड़े के भीतर धंस गये हों या उसकी लार किसी ताजे घाव या खरोंच पर लग गई हो।

(३) कुत्ते काटने के दो महीने बाद जहर का डर बहुत कम हो जाता है।

(४) अगर यह तय हो जाय कि इलाज कराना जरूरी है, तो सबसे नजदीक की अस्पताल में जहां कुत्ते काटने का इलाज होता हो, वहाँ पहुँच जाना चाहिये।

(५) अगर कुत्ता जाना हुआ नहीं है और उसका पता नहीं लग सके तो बेहतर होगा कि फौरन किसी अस्पताल में इलाज कराने चले जाओ।

(६) अगर काटनेवाला जानवर मार डाला गया हो तो उसका भेजा किसी ढोर अस्पताल को भेज देना चाहिये, जिससे कि उसकी जांच की जा सके। लेकिन अगर तुम्हें उसके पागल होने का शक हो तो भेजे की जांच होने तक मत ठहरो—क्योंकि जांच के नतीजे से पूरा पता शायद न लग सके।

यदि तुम्हें शक हो कि तुम्हें किसी पागल कुत्ते या स्यार (लडैये) ने काटा है तो तुरंत किसी डाक्टर के पास जाना चाहिये और फिर ऊपर बतलाये हुये किसी अस्पताल में जाना चाहिये। यदि कोई डाक्टर न मिल सका तो घाव को खूब धोकर कारबोलिक एसिड से जलादेना चाहिये। यदि कारबोलिक एसिड भी न मिल सके तो पोटेश परमैंगनेट (कुएं में डालनेवाली लाल दवा) के दानों से काम लिया जा सकता है। परंतु इसका असर उतना नहीं होता, जितना कि कारबोलिक एसिड का। घाव जलाते वक्त हरएक दांत के निशान को अलग अलग जलाना चाहिये और इसका ख्याल रखना चाहिये कि जलाने वाली दवा घाव के सब किनारों से छूकर घाव की तली तक पहुँच जाये।

ऊपर बतलाये हुए अस्पतालों का इलाज प्रायः ७ से १४ दिन तक चलता है। यह घाव के साधारण या अधिक विषैले होने पर निर्भर है अर्थात दांत चमड़े के अंदर घुस गये हैं या कि खरोंच पर केवल उनकी लार लग गई है। ४००) सालाना से कम आमदनी वाले मनुष्यों का इलाज मुफ्त में किया जाता है और उनके आने जाने का रेल किराया स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बरदाश्त करती है। ७५) माहवार से कम तनख्वाह वाले सरकारी नौकरों को भी कुछ रियायत दी जाती है।

यदि घायल औरतों या १६ साल से कम उम्र के बच्चों के साथ एक मददगार जावे तो सरकार या म्युनिसिपेलटी या डिस्ट्रिक कौंसिल उसका भी खर्च बरदाश्त करती है। जिन लोगों को इस मुफ्त रियायत की दरकार हो, उन्हे अपनी तहसील के तहसिलदार के पास या म्युनिसिपेल्टी अथवा डिस्ट्रिक कौंसिल के सेक्रेटरी या हेल्थ आफिसर के पास जाना चाहिये। इन अफसरों के पास उन सब तफसीलों की रिपोर्ट करना जरूरी होती है कि जिससे अंदाज़ किया जावे कि काटने वाला कुत्ता पागल था या नहीं। जैसे किस तरीक़े से कुत्ते या लडैये ने लोगों को काटा, उस काटने वाले जानवर को निगरानी में रखा या मारडाला या उसका क्या हुआ और कुल जमा कितने मनुष्यो को उस पागल जानवर नें काटा, इत्यादि।

परिच्छेद ४१

"सर्प दंश"

हिंदुस्थान में हर साल क़रीब बीस हज़ार जानें सांप के काटने से जाया होती हैं। लेकिन अगर लोगों को यह मालूम हो जाय कि सांप से किस तरह बचना चाहिये और किसी मनुष्य के काटे जाने पर क्या करना चाहिये तो यह मृत्यु संख्या बहुत घटाई जा सकती है। हिंदुस्थान में बहुत प्रकार के सांप होते है परंतु इनमें से केवल सैंतीस जाति के ज़हरीले होते हैं और उनमें से भी सात जाति के आम तौर पर पाये जाते है। हर शख्स को सांपों की ज़हरीली जातियों की पहिचान सीखना चाहिये क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सांप के काटने पर केवल डरके मारे ही आदमी बेहोश हो जाता है चाहे उसे काटनेवाला सांप गैर ज़हरीला क्यों न हो।

ज़हरीले और गैरज़हरीले सापों के काटने के घावों में फर्क होता है। यदि घाव को गौर से देखने पर दो दांत के निशान मालूम पड़ें, तो समझना चाहिये कि सांप ज़हरीला था पर यदि घाव में कई दातों के गाढ़े निशान हों, तो सांप जरूर गैर ज़हरीला होना चाहिये।

ज़हरीले सांप वालें घाव का खास लक्षण यह होता है कि काटने के थोड़ी देर बाद ही तेज़ जलन होती है। घाव लाल होने लगता है और खून बहने लगता है और सब हिस्सा सूजकर नीला

पड़ जाता है मनुष्य को नशा सा मालूम पड़ता है और नींद आने लगती है। टांगो में विचित्र सनसनी मालूम होती है और कभी कभी मनुष्य को कै होने लगती है। निगलने की और बोलने की शक्ति नष्ट होकर सांस धीरे धीरे बंद हो जाती है। चंद जातियों के सांप के काटे हुये मनुष्य एकदम बेहोश हो जाते हैं। उनका शरीर ठण्डा हो जाता है, खूब पसीना निकलता है, नाड़ी कमजोर हो जाती है और अक्सर मुंह से और गुदाद्वार से खून निकलता है।

सर्पीले देशों में रहनेवालों को निम्नलिखित उपाय बर्तना चाहिये। हमेशा खाटपर सोओ। यदि रातको बिस्तर छोड़ने की जरुरत पड़े तो पहिले रोशनी जलाओ और पैर नीचे रखने के पहिले इतमीनान करलो कि फर्श पर आसपास कोई सांप तो नहीं है। रात के समय खासकर बरसात में कभी भी बगैर जूतों के और बगैर रोशनी के बाहर मत जाओ।

अपने मकानों के नजदीक घास और घनी झाड़ी मत उगने दो, क्योंकि उनमें सांप छिप सकते हैं। यदि मुमकिन हो, तो अपने मकान के आसपास कम से कम एक गज की चौड़ाई में कंकड़ बिछाओ क्योंकि सांप खुरदरी जगह पर से जाना पसंद नहीं करते। अपने मकानों में चूहे और मेंडक न आवे इसकी कोशिश करो, क्योंकि इन्हें खाने के लिये सांप घर के भीतर आ जाते हैं। अपने घर के अंदर या आंगन में कूड़ा कर्कट या अन्य अंगड़-खंगड़ जमा मत करो।

यदि दुर्भाग्य से किसी मनुष्य को सांप काट ले तो डाक्टर को फौरन बुलाओ। उनके आने के पहिले नीचे लिखी हुई कार्रवाई

करो। घाव के तीन इंच ऊपर सुतली, रूमाल, या दूसरा मजबूत कपड़ा बांध दो और उस पट्टी में एक लकड़ी डालकर और उसे ऐंठ कर इतना कस दो कि उस स्थान पर खून की दौड़ान बंद हो जावे। फिर एक चाकू से कई खड़े नश्तर कर दो (आड़े नश्तर कभी न करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से खून की नसें कट जाने का भय रहता है) फिर घाव में पोटेशियम परमेंगनेट (लाल दवा जो कुओं में पानी साफ करने के लिये डाली जाती है) रगड़ दो इस हिकमत से फायदा उठाने के लिये हमेशा पास में एक डिब्बी में पोटेश परमेंगनेट और एक नश्तर रखना चाहिये। ऐसी डिब्बी कोई भी दूकान में चार छः आने में मिल सकती है। यदि पोटेशियम परमेंगनेट पास में न हो, तो एक तेज चाकू से घाव करो और उसके आसपास का मांस काटकर अलग कर दो फिर घाव को लाल अङ्गार से या गरम लोहे से या खौलते हुये तेल से जला दो। यदि जहर चढ़ने का कोई चिन्ह आध घंटे में नजर न आवे तो पट्टी को थोड़ा ढीला कर दो नहीं तो उसके नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ जायगा।

यदि मरीज का शरीर ठण्डा होने लगे, तो उसका सिर नीचे रखो और टांगों को धड़ से समकोण पर मोड़कर रखो। दोनों हाथों और पैरों में नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी लपेटो और हृदय के ऊपर राई का पलस्तर रखो। जबतक कि शरीर पर रखने के लिये गरम पानी की बोतलें न तैयार हो जावें, तबतक पिसी हुई सोंठ और राई से शरीर पर मालिश करना चाहिये। मरीज के लिये कम से कम एक दर्जन गरम पानी की बोतलों की जरुरत पड़ती है। मरीज को कम्मल से ढांक कर रखना चाहिये और उन्हें शराब

कभी न देना चाहिये। नौसादर चूना बराबर मिलाकर सुंघाने से फायदा होता है। उसे पंद्रह मिनट के अंतर से दो तीन चाय के चम्मच भर गरम शोरबा, गरम गरम दूध या गरम चाय देना चाहिये।

हवा को मत रोको और मरीज को मत हिलने दो, उसे पूरा आराम करने दो। यदि स्वांस कम होती हुई मालूम पड़े तो जिस तरह से डूबे हुये मनुष्य को सांस दिलाई जाती है उस तरह से मरीज को सांस दिलाना चाहिये। इस्पेसिफिक सिरम की पिचकारी यदि काटने के बाद फौरन लगाई जावे, तो नाग और अन्य जहरीले सांपों का जहर दूर करने के लिये अचूक दवा है। हमेशा डाक्टर की मदद लेना चाहिये और जबतक वह न मिल सके ऊपर बताई हुई तरकीबें काम में लाना चाहिये।

परिच्छेद ४२

" संभोग जनित बीमारियां "

आतशक (गरमी) और प्रमेह (सूजाक) संभोग जनित रोग कहलाये जाते हैं क्योंकि ये स्त्री से पुरुष को और पुरुष से स्त्री को अपवित्र संभोग द्वारा लग जाते हैं। जब दो ऐसे व्यक्तियों में जिनमें एक रोगी है संभोग होता है, तब रोगी व्यक्ति के शरीर के अणो से निकल कर इन बीमारियों के अत्यंत तेज कीटाणु दुसरे व्यक्ति की जननेंद्रिय के मुलायम चमड़े पर फैल जाते है। जबतक ये काटाणु चमड़े की सतह पर रहते हैं, तबतक आसानीसे उचित ' एंटीसेप्टिक ' (शुद्ध करनेवाली दवा) द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, परंतु ज्योंही ये शरीर के अंदर घुस जाते है त्योंही ये इतनी तेजी से चलते फिरते हैं तथा बढ़ते हैं कि जबतक कोई जोरदार दवा पिचकारी द्वारा खून में न पहुँचाई जावे तबतक वे मारे नहीं जा सकते। इस लिये " इलाज की अपेक्षा रोक अच्छा होता है " और रोक का एक मात्र अचूक उपाय यह है कि रोगी व्यक्तिके साथ संभोग कदापि न करे। परंतु चूंकि यह जानना कि अमुक व्यक्ति रोगी है या नहीं बहुत कठिन है इस लिये धर्म, सदाचार और स्वास्थ्य की दृष्टिसे यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में पवित्र रहे। परंतु यदि किसी व्यक्ति को रोग लग ही जावे तो उसे तबतक ब्रम्हचर्य से रहना चाहिये, जबतक कि वह बिलकुल निरोग न हो जावे। इन बीमारियों के विषय में चंद बातें नीचे लिखी जाती हैं।

आतशक (गर्मी)

आतशक का पहिला लक्षण यह है कि संभोग के बाद प्रायः चार पांच सप्ताह के अंदर इंद्रिय पर फुन्सी या फुड़ियां होती हैं। यह रोग संभोग करने के समय से कमसे कम १० दिन या अधिक से अधिक ९० दिन के बाद जाहिर होता है। फुंसी से लाल फोड़ा हो जाता है जो छूने में सख्त होता है। पहिली फुंसी के निकलने के प्रायः ६-७ सप्ताह बाद शरीर पर तांबे के रंग के समान फुसियां निकल आती हैं। साथ ही साथ जांघों में गिल्टियां उठ आती हैं। ६ से ८ सप्ताह के पश्चात इसके कीटाणु स्वतंत्र रूप से शरीर में दौरा करते हैं और प्रत्येक अवसर पर अपना असर डालते हैं। चमड़ा, हड्डी, गांठ (जोड़) आँखें इत्यादि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके सिवाय इसके और दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं: जैसे बुखार तेजी के साथ आ जाना, चमड़े के ऊपर बहुत से दाने उठ आना, मुंह में छाले पड़ जाना, गला फट जाना जिससे आवाज भर्रा जाती है, इत्यादि। जब इसकी तीसरी अवस्था पहुँच जाती है तब शरीर के विविध भागों पर गहरे घाव हो जाते हैं और वे पक कर फूट जाते हैं। अक्सर नाक और तालू गल जाते हैं और उनकी जगह पर बड़े बड़े छिद्र रह जाते हैं।

अंधेपन के मुख्य कारणों में आतशक भी है। यह रोग मस्तिष्क पर भी चोट करता है। स्त्री और पुरुष दोनों की जननेंद्रियों पर तो यह चोट करता ही है जिससे या तो स्त्री-पुरुष दोनों की संतान-उत्पादन शक्ति नाश हो जाती है या अगर गर्भ रहा भी तो अक्सर बगैर पूरे दिन हुये गिर जाता है।

आजकल आतशक की सबसे अधिक संतोष जनक दवा

" सालवर्सन " है जो " ६०६ " नम्बर के नाम से प्रख्यात है। परंतु इसका उपयोग डाक्टर द्वारा ही हो सकता है। इसलिये ज्यों ही रोग का पता लगे त्योंही किसी अच्छे डाक्टर से सलाह लेनी चाहिये।

गोनोरिया, प्रमेह या सूज़ाक

यह रोग संभोग के प्रायः तीन से सात दिन के अन्दर शुरु होता है। इसके लक्षण ये हैं:—

खुजली, मूत्रनली में जलन या चुभता हुआ दर्द और पेशाव करते समय पीड़ा, मूत्रनली से पीप के समान पानी निकलना जिसका रंग पीलापन लिये हुये सफेद होता है। यह पहिले पतला होता है फिर गाढ़ा होते जाता है।

माकूल इलाज होने पर यह लगभग दो महीने में अच्छा हो सकता है। मरीज को यथा-शक्ति शांत रखना चाहिये, उसे निम्बू का रस मिला हुआ पानी खूब पीना चाहिये।

रोग ग्रसित भाग को दिनमें तीन बार गरम पानी में डुबाना चाहिये जिससे दर्द शांत हो और वह भाग साफ हो जावे।

सूज़ाक के असर से बाद को कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। खासकर आंखों और जोड़ों पर इसका बहुत खराब परिणाम होता है जिससे कि मनुष्य अंधा और लूला भी हो सकता है। कभी कभी इससे पेशाव की नली का छेद बंद हो जाता है जिससे कि पेशाव निकलने में बहुत तकलीफ होती है।

परिच्छेद ४२

"बचपन में बच्चों की मृत्यु"

यद्यपि पहिले लिखे गये स्वास्थ्य के उसूलों को अच्छी तरह समझ कर तथा उन के मुआफिक़ चलकर गांव के लोग बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं, तथापि उनको यह समझ लेना चाहिये कि चंगेपन की बुनियाद बचपन ही में डाली जा सकती है। इस लिये यह जरूरी है कि बच्चा पैदा होते ही उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाय। बच्चों की ठीक प्रकार से रक्षा कैसे की जाय यह ग्रामीणों को सिखाने के वास्ते सरकारने प्रांत भर में 'शिशु-मंगल केंद्र' और 'ग्रामीण शिशु पालन गृह' खोल रखे हैं। ग्रामीणों को, खास कर स्त्रियों को, चाहिये कि वे इन केंद्रों में जावें और बच्चों का ठीक ठीक पोषण और पालन कैसे किया जाता है यह सीखें। बच्चे बढ़कर मोटे ताजे होकर चंगे रहें इस के वास्ते यह जरूरी है कि गर्भवती स्त्रियों की कम से कम गर्भ के आखिरी महीने में अच्छी तरह से हिफाज़त की जावे। प्रसव ठीक प्रकार से कराने के लिये किसी उत्तम अनुभवी दाई को नियुक्त करना बहुत जरूरी है, क्यों कि इस संबंध में सरकारी रिपोर्टों से पता लगता है कि देश की कुल मृत्यु संख्या की ५४ प्रतिशत मृत्युएं एक से लेकर पांच साल की अवस्थावाले बच्चों में होती है। इनमें से ३३ प्रतिशत बच्चे एक वर्ष से कम अवस्था में मर जाते हैं और फिर इनमें १० प्रतिशत एक हफ्ते के अंदर ही मर जाते हैं, ७ प्रतिशत एक महीने से अधिक नहीं जीते, ८ प्रतिशत ६ महीने के अंदर

मर जाते हैं और दूसरे ८ प्रतिशत अपने जन्म की प्रथम वर्षगांठ देखने नहीं पाते।

शिशुओं में अधिकांश मृत्युयें जचकी के वक़्त मैलेपन के सबब, ठीक प्रकार से बच्चों को कैसे दूध पिलाना यह न जानने की वजह व उसी तरह उनकी देखरेख की लापरवाही के कारण होती हैं। इनमें से प्रत्येक विषय के ऊपर आगे संक्षेप में कुछ हिदायतें लिखी जावेंगी।

परिच्छेद ४४

"प्रसवपीडा" ज़चकी

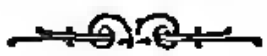

पूरे दिनों की जचकी स्वाभाविक क्रिया है और उसमें जचा और बचा दोनो को बहुत कम ख़तरा रहता है, परंतु जचकी का बग़ैर ख़तरे के होना गर्भिणी की कैसी हिफ़ाजत की गई इस पर निर्भर है। इसलिये गर्भिणी की अच्छी हिफ़ाजत करना चाहिये और नीचे लिखी हुई सावधानियों को वर्तना चाहिये।

(१) गर्भिणी को पौष्टिक भोजन अच्छी मात्रा में मिलना चाहिये।

(२) उसे ख़ूब हवादार कमरे में सोना चाहिये।

(३) उसे रोज़ साफ़ पानी ख़ूब पीना चाहिये।

(४) उसे रोज़ मेहनत करना चाहिये, नहीं तो उसकी पेशियां कमजोर हो जावेंगी और जचकी के वक़्त कठिनाई होगी।

जब प्रसव का समय नजदीक आने लगे, तो जिस कमरे में जचकी कराना हो उसे साफ़ कर रखना चाहिये और नीचे लिखा हुआ सामान इकट्ठा कर लेना चाहिये।

(१) साफ़ रूई, (२) १० इंच चौड़े और ४ फ़ुट लम्बे मज़बूत सूती कपड़े के कुछ टुकड़े जो जचकी के बाद जच्चा के पेडू पर पट्टी की तरह बांधने के काम आवेंगे, (३) कुछ पुराने कपड़े जो अच्छी तरह उबाले हुये और धुले हुये हों, (४) थोड़ा

बोरिक एसिड पाऊडर,(५) डोरे के टुकड़े (६) साफ कैंची और (७) थोड़ा आरगिरोल सोल्यूशन।

ज्योंही प्रसव का समय आवे, त्योंही एक खाटपर गर्भिणी का बिस्तर बिछा देना चाहिये उसपर कुछ अखबारों के पन्ने या मोम-कपड़ बिछाकर ऊपर चद्दर बिछा देना चाहिये। खून सोखने के लिये बिस्तर पर पुराने मैले कपड़ों का इस्तेमाल हरगिज न करना चाहिये। प्रसव नजदीक होने के लक्षण ये हैं:-पेडू का नीचे को झुक जाना, कुछ हल्कापन मालूम होना, बार बार पेशाब करने की हाजत व इच्छा होना, जननेन्द्रिय से पानी बहना और फिर पीड़ा होना। सच्ची पीरें १५ से ३० मिनट तक के बराबर बराबर अंतर पर उठती हैं और ज्यों ज्यों बच्चे का वक्त नजदीक आता है वे बहुत जल्दी जल्दी उठने लगती हैं। प्रसव में मदद देने के लिये सीखी हुई नर्स को बुलाओ। यदि नर्स न मिल सके तो सर्टिफिकेट याफ्ता दाई को लगाना चाहिये। बगैर शिक्षा पाई हुई मैली कुचैली, दाई को लगाना खतरनाक है। बहुत से बच्चे बचपन में इसी कारण जाया हो जाते हैं, कारण कि अशिक्षित दाइयां सफाई के साथ प्रसव करा नहीं सकतीं, जिस से बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं और बहुतसी माताएं भी बीमार पड़ जाती हैं और उन्हें जच्चगी के बाद बुखार हो आता है।

पीरों के समय बार बार पेशाब करना चाहिये। यदि पिछले ६ या ८ घंटों में पाखाना न हुआ हो तो उस स्त्री को हल्का गरम "एनिमा" देना चाहिये जिस से आंतड़ी साफ हो जावे। इस गर्म स्नान भी कराना चाहिये और इस समय बाहरी जननेन्द्रिय के पास के भाग को साबुन और गरम पानी से अच्छी प्रकार धोना चाहिये।

पहिली पीरों के समय माता इच्छानुसार बैठ या लेट सकती है। जब पीरें तेज हो जावें तब उसे बिस्तर पर लेटी ही रहना चाहिये और टांगें भिकोड़ लेना चाहिये। ऐसे वक्त खड़े या बैठे रहने से माता को हानि पहुचती है और इस तरीके से बच्चे को साफ रखना असंभव होता है।

नर्स या दाई को अपनी भुजायें और अपने हाथ सावधानी से साफ कर लेना चाहिये और अगर संभव हो, तो अपने हाथों को फिनाइल के पानी से अथवा लाल दवा से धो लेना चाहिये। हाथ टिहुनी तक खुले रहना चाहिये। प्रसव के समय उसे अपने हाथों को गन्दी वस्तुओं को छूकर मैले न होने देना चाहिये। यदि धोखे से कोई मैली चीज छू जाय, तो उसे अपने हाथों को फिर फौरन साफ करनेवाली किसी दवा से धो डालना चाहिये। नाखूनों को कतरके उनके भीतर का मैल बिलकुल साफ कर लेना चाहिये। सिर्फ गरम पानी और साबुन से हाथ धो डालना काफी नहीं होता। हाथों को और नाखूनों को एक छोटे ब्रुश से साफ करना चाहिये। पोशाक बिलकुल साफ होनी चाहिये। और एक साफ बड़े कपड़े को उपरने के तौर पर पहिनना बेहतर होता है।

जचकी के वक्त इस ख्याल से कि बच्चा जनने में मदद मिलेगी स्त्री को कोई दवा मत दो। उसे दवाकी कोई जरूरत नहीं होती और बगैर दवा के वह बेहतर रहेगी। स्त्री के पेडू को रस्सी या चद्दर से मत बांधो। ऐसा करने से बजाय मदद के रुकावट होती है। नर्स या दाई को जननेन्द्रिय मार्ग में अंगुलियां नहीं डालना चाहिये। क्यों कि ऐसा करने से स्त्री को जहर लग जाता है और उसे 'दूध का बुखार' होता है। 'पानी की थैली' के फटने के बाद

बच्चे का सिर जननेन्द्रिय मुख से निकलता हुआ दिखेगा। यदि बच्चे की बैठक हस्बमामूल है तो उसका चहरा नीचे की तरफ़ याने मां की पीठ के तरफ़ रहेगा और सिर का चंदेवा पहिले बाहर निकलेगा। उस स्थान से यदि सिर बहुत जल्द बाहर निकले तो वह जगह बुरी तरह फट जावेगी। इसलिये ज्योंही सिर नज़र आवे, त्योंही उस पर उंगलियां रख दो और हर पीर पर ज़ोर से नीचे को दबाओ। इस तरीक़े से बच्चे का सिर उसकी छाती पर झुक जाता है और जननेन्द्रिय द्वारसे अधिक सरलता से निकल सकता है। इस तरीक़े से सिर के बाहर निकलने में कुछ मिनटों की देर भी हो जाती है। पीरों के अंतरकाल में पेशियां ढीली हो जाती हैं। जब वे ढीली रहें सिर को बाहर निकल आने दो। इस तरीक़े से इन्द्रिय के फटने का खतरा कम हो जाता है।

सिर के बाहर निकल आने के बाद अक्सर धड़ थोड़ी देर के बाद निकलता है। ज्योंही सिर बाहर निकल आवे, त्योंही उस की गर्दन पर उंगलियां फेर कर देखो कि नाड़ा गर्दन पर लिपटा तो नहीं है। यदि वह गर्दन पर लिपटा है और उसमें जान नहीं है, तो बच्चे को फ़ौरन बाहर निकाल लेना चाहिये। यदि नाड़ा गर्दन पर है तो दाई थोड़ी घुनकी हुई साफ़ कपास से या साफ़ चिन्धी से बच्चे की आँखें पोंछकर साफ़ कर देवे। बच्चे का मुंह भी पोंछ देना चाहिये और खोल देना चाहिये।

जब बच्चा पैदा हो जावे, तब उसे फ़लालैन या दूसरे नरम कपड़े के टुकड़े से लपेट दो। उसके चेहरे पर खून के धब्बे मत रहने दो दाई को चाहिये कि जल्दी से बच्चे की आंखों में १० प्रतिशत वाले आरगिराल सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालकर उन्हें धो

देवे। यदि आरगिराल न होवे, तो आंखों में बोरिक एसिड सोल्यूशन डालकर धोना चाहिये। हज़ारों बच्चे पैदायश पर इस तरह आँखें न धोई जाने के कारण अंधे हो जाते हैं।

ज्योंही जचकी हो जावे, त्योंही दाई के मददगार को चाहिये कि स्त्री के पेड़ू पर एक हाथ रखे और बच्चेदानी को पकड़ ले। वह पेड़ू में टटोलने से कड़ी गांठ के मुआफ़िक़ मालूम पड़ती है। उसे हल्के हल्के दबाओ। हाथ को एक क्षण भी मत हटाओ क्योंकि दबाने से खाली बच्चे दानी सिकुड़ जाती है और खून का बहाव रुक जाता है।

ज्योंही नाड़े में नब्ज़ चलना बंद हो त्योंही उसे बांधकर काट देना चाहिये। इस काम के वास्ते तैयार किये हुये क़ीते के दो टुकड़ों का इस्तैमाल करो। इन दो टुकडों और कैंची को पहिले एक बर्तन में रखकर कई मिनटों तक उबाल लेना चाहिये। जबतक उनका इस्तैमाल का समय न आवे, तबतक उन्हें उसी गरम पानी में पड़े रहने देना चाहिये। नाड़े को होशियारी से खूब कसकर बांधो। बग़ैर कई मिनटोंतक उबाले हुये औज़ार से कभी नाड़े को न काटो। बग़ैर उबाली हुई चीजों को नाड़ा बांधने और काटने के काम में लाने से ही बच्चे के शरीर में ज़हरीले रोग के बीज घुस जाते हैं जो कभी कभी धनुष्टङ्कार रोग पैदा कर देते हैं।

ज्योंही नाड़ा कट जाय, त्योंही उसपर कुछ बोरेसिक एसिड भुरक दो और उबालकर तैयार किये हुये कपड़े को उसके डंठुए पर रख दो। डंठुए को कपड़े के बीच के छेद में पिरो दो और कपड़े को डंठुए के ऊपर मोड़ दो और कपड़े को स्थान में रखने के लिये बच्चे के शरीर पर पट्टी बांध दो। जचकी के बाद बच्चे को

गरम सूखी जगह में दाहिनी करवट पर लिटाकर तबतक के लिये रख दो जबतक कि माता की हिफाजत पूरी न हो जावे। बच्चे की पैदायश के थोड़ी देर बाद कनहरी निकल आवेगी। नाड़े के छोड़ को पकड़कर मत खींचो और नाड़े में झटका मत बांधो। ऐसा ख्याल करना गलत है कि नाड़ा मां के बदन में फिर खिंच जावेगा और उसे हानि पहुंचावेगा।

दाई की मददगार को जो बच्चेदानी को पकड़े हो उसे चाहिये कि मजबूती के साथ न कि ज्यादा ताकत से उसे दबाती रहे। ऐसा करने से खून बहना रुकता है और कनहरी के निकलने में मदद मिलती है।

ज्योंही कनहरी निकल आवे त्योंही पेड़ू पर एक मोटे कपड़े का १५ इंच चौड़ा पट्टा कसकर लपेट देना चाहिये और उसे सेफ्टी-पिन से या छोरपर लगे हुये बंदों से बांध देना चाहिये। यह पट्टा पेड़ू पर दबाव डालने में एक कमरबंद का काम करता है। ज्योंही बच्चा नहा धोकर और कपड़े पहिनकर तैयार हो जावे उसे दूध पीने के लिये माता के स्तन से लगा देना चाहिये क्योंकि जैसे जैसे वह दूध खींचेगा वैसे वैसे ही बच्चादानी सिकुड़ेगी और सख्त हो जावेगी। ऐसे होने से बच्चेदानी से खून निकलना बंद होता है। पेड़ू पर पट्टी बांधने के पहिले सब बिगड़े हुये कपड़ों और बिस्तर को अलग कर देना चाहिये और स्त्री के शरीर के जिन जिन भागों में खून लग गया हो उन सब को गरम पानी से अच्छी तरह साफ कर देना चाहिये। इसके बाद शोषक रुई या उबाले हुये कपड़े की कई तह करके एक गद्दी बनाकर स्त्री की जननेन्द्रिय पर रखकर उसे एक लंगोट (पट्टी) से बांध देना चाहिये। यह लंगोट

(पट्टी) सेफ्टी–पिनों से पेड़ूवाले पट्टे में सामने और पीछे टांक देना चाहिये।

स्त्री को कई दिनों तक बिस्तर पर लेटे हुये आराम कराना चाहिये। लंगोट और गद्दी को बार बार बदलना चाहिये और बाहरी जननेंद्रिय को भी बार बार धोना चाहिये।

स्त्री को प्रसव के ६–८ घंटे बाद पेशाब उतरना चाहिये यदि इस काल के पश्चात् उससे पेशाब न करते बने तो एक बड़े से तौलिये की कई तह करके गरम पानी में भिगाकर और निचोड़ कर मूत्रेन्द्रिय के ऊपर के भागपर रखना चाहिये। बच्चा होने के दूसरे दिन स्त्री को पायखाना होना चाहिये। यदि न हो तो जुलाब देना चाहिये।

प्रसव के बाद माता साधारण भोजन कर सकती है। एक दो दिन तक ठण्डा भोजन और ठण्डा पानी न पीना अच्छा होता है। माता को अच्छी तरह पका हुआ पौष्टिक भोजन जैसे भात दलिया, अंडे, हल्की रोटी, आलू, मछली, पके फल इत्यादि देना चाहिये।

मामूली तौर पर पैदा होते ही बच्चा चिल्लाता है और सांस लेने लगता है। यदि वह न चिल्लावे और सांस न लेवे, परंतु चुपचाप पड़ा रहे या सिर्फ कमजोर सिसकियां लेवे तो उसे फौरन सांस लिवाना चाहिये। सांस लिवाने के लिये जो कुछ किया जाय, फौरन किया जावे। पहिले बच्चे के मुंह और गले को उंगली में साफ पतला कपड़ा लपेटकर साफ कर देना चाहिये। फिर अंगूठे और उँगली पर कपड़ा रखकर उसकी जीभ को पकड़कर आहिस्ते

आहिस्ते १ मिनटमें १० बार के हिसाब से खींचना चाहिये। जब यह क्रिया चल रही हो उस समय किसी से बच्चे के चूतडों पर या छाती पर ठण्डे पानी में भिगोये हुये कपड़े से थप्पड लगवाओ। इन हिक्मतों से अक्सर बच्चा सांस लेने लगता है। ज्योंही सांस लेना शुरू हो जावे त्योंही बच्चे को आंच से सेके हुये गरम कपड़े में लपेट दो।

यदि ऊपर दी हुई तरकीबें दो मिनट तक जारी रहने पर भी बच्चा सांस न लेवे, तो नाड़े को फौरन काटकर बांध देना चाहिये और (रेसापायरेशन) नकली तरीके से सांस लिवाने का प्रयोग करना चाहिये, जैसे पानी में डूबे हुये मनुष्य के साथ किया जाता है। याने उसकी भुजायें ऊपर नीचे खींच के नकली सांस लिवाना चाहिये। भुजाओं का संचालन बहुत वेगसे एक मिनट में दस बारह बार से अधिक न होना चाहिये। बच्चे को उसके अंदर लिटा सकने लायक काफी बड़ा बर्तन जिसमें कम से कम १०५ डिग्री फैरनहाइट गरम पानी भरा हो तैयार रखना अच्छा होता है। जल्दी आशा न छोड़ना चाहिये। यदि सजीवता का कोई भी चिन्ह मौजूद हो तो आधे घंटे से अधिक समय तक नकली सांस की क्रिया जारी रखना चाहिये।

देहातों में बहुधा स्त्रियां अपढ़ होती हैं और वे अपने मासिक धर्म के आदि और अंतकी तारीखोंका कोई हिसाब नहीं रखतीं और इस लिये वे प्रसव काल की तारीख का मोटा अंदाज भी नहीं लगा सकतीं। जो स्त्रियां हिसाब लगा सकती हैं उन्हें यह ज्ञान रोचक होगा कि गर्भ की म्याद, २७३ से २८० दिन की होती है जो करीब करीब नौ महीने १० दिन के बराबर है। बच्चा किस

तारीख को पैदा होगा इसका हिसाब लगाने की सबसे अच्छी तरकीब यह है कि जिस तारीख को आखिरी मासिक धर्म हुआ हो उस तारीख से ९ महिने गिनकर फिर ७ रोज और जोड़ दिये जायं। जैसे यदि मासिक स्नान की आखिरी तारीख ५ जनवरी हो तो बच्चा १२ अक्तूबर के लगभग होगा।

परिच्छेद ४५

'बच्चों की हिफ़ाज़त'

पहिले कहा जा चुका है कि जचकी के वक़्त मैले कुचैलेपन से ही अक्सर बच्चों की मौत हुआ करती है। वक़्त पर और ठीक तरीक़े से न खिलाने पिलाने से या भारी भोजन देने से भी उनकी मृत्यु होती है। आमतौर पर बच्चा दिन में कई बार रोता है और इससे उसके बदन की पेशियों को कसरत हो जाती है इस लिये माताओं को यह उचित नहीं है कि बच्चों को हरबार रोने पर दूध पिलाने की आदत डाल लें। केवल बंधे वक़्त पर ही दूध पिलाना चाहिये। पहिले २-३ मास तक बच्चों को दो दो घंटे में दूध पिलाना चाहिये इससे अधिक बार नहीं। आख़िरी बार रात के करीब १० बजे दूध पिलाना चाहिये और फिर रात्रि में बिलकुल नहीं। प्रायः स्त्रियों की आदत पड़ जाती है कि व बच्चों को रात्रि में कई बार दूध पीने देती हैं। इससे मां की नींद टूटती है और बच्चे को भी नुक्सान होता है। यदि बच्चा नियमित समयों के बीच में रोवे, तो उसे थोड़ा अच्छी तरह उबाला हुआ कुनकुना पानी पिलाना चाहिये खासकर गर्मियों में। मां को अपने स्तन कई बार स्वच्छ पानी से धोकर साफ़ रखना चाहिये। ६ से ८ मास तक की उम्र के पहिले बच्चे को मा के दूध के अलावा और कुछ नहीं खिलाना चाहिये। ८ मास की उम्र हो जाने पर बच्चे को केवल पतली लपसी (गेहूं के आटे की गाय या बकरी के दूध में बनाई हुई)

खिलाना चाहिये। जबतक ठोस पदार्थ चबाने के लिये बच्चे के दांत न निकल आवें तबतक उसे ठोस भोजन नहीं देना चाहिये। संतरों का रस बहुत मुफीद होता है और रोज दिया जा सकता है यदि वह न मिल सके तो उसकी जगह पके हुये टुमेटो (टमाटर मारूभटा, भेदरा, अथवा विलायती बैंगन) का रस भली भांति दे सकते हैं।

यदि मां बच्चे को दूध न पिला सकती हो, तो गाय का या बकरी का ताजा दूध दिया जा सकता है। एक सप्ताह से कम उम्र के बच्चे के लिये १ पाव दूध आधा पाव उबाला हुआ पानी और सवा तोला चूनेका पानी मिलाओ और सवा तोला गुड़ या शक्कर अच्छी तरह घोलकर रख लो, यह एक दिन तक के लिये काफी होगा। बच्चे को जीवन के प्रथम ३–४ सप्ताह हर दो घंटों में लगभग १ छटाक दूध चाहिये। दो महीने से ६ महीने तक के शिशु को एक दफे में अढ़ाई से साढ़े तीन छटाक तक दूध देना चाहिये। यदि दूध पिलाने वाली बोतल का उपयोग किया जावे तो इस बात का ध्यान रहे कि बोतल हमेशा साफ रहे। हर बार काम में लाने के पहिले रबड़ की घुंडी निकालकर बोतल को भीतर बाहर से बिलकुल साफ धो लेना चाहिये। खाने पिलाने में गलती करने से बच्चे को बार बार पतले दस्त होने लगेंगे, उसके दस्त में आंव रहेगी और उसमें से दुर्गंध निकलेगी। जब ऐसा हो तब एक दिन के लिये साधारण पोषण बंद कर दो और बच्चे को भात के मांड और उबाले हुये कुनकुने पानी के अलावा कुछ मत दो।

बुरे पोषण से पेट का दर्द भी उठ आता है। पेट और अतड़ियां वायु से भर जाती हैं और पेट सख्त हो जाता है। प्रायः

गरम पानी देने से और पेडू पर गरम कपड़े की सेंक से शूल मिट जाता है।

जीवन के प्राथमिक सप्ताहों में तन्दुरुस्त शिशु ज्यादातर सोता ही रहता है; इसलिये उसके वास्ते नरम बिस्तर लगाना चाहिये और बच्चे से मक्खियों को दूर रखने के लिये उसे जालीदार मसहरी के टुकड़ों से ढांक देना चाहिये। मक्खियों के कारण आंखें उठ आती हैं। सोते समय बच्चे को सिर से नहीं उढ़ाना चाहिये क्योंकि उसे बहुतसी ताजी हवा की जरूरत होती है। चेचक अर्थात शीतला हजारों बच्चों के प्राण हर लेती है, इसलिये जितनी जल्दी हो सके बच्चे को "टीका" लगवा देना चाहिये। जब बच्चा पांच छः महीने का हो तब दांत निकलते समय उसे कोई कड़ी और साफ चीज चबाने को देना चाहिये।

बच्चे को मैली जगह में न लेटने दो। वह अक्सर जमीन से कचरा उठाकर मुंह में रख लेता है, जिससे दस्त लगने का रोग हो जाता है अथवा कृमि (छोटे २ कीड़े या जंतु) पड़ जाते हैं। बच्चों को नरम कपड़े पहिनाना चाहिये और अधिक सर्दी और अधिक गर्मी से बचाना चाहिये।

परिच्छेद ४६

" स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियम "

यह पिछले परिच्छेदों में समझाया जा चुका है कि रोग किन कारणों से उत्पन्न होते हैं और लोग उनसे कैसे बच सकते हैं, स्वास्थ्य के नियम क्या हैं और उनके अनुसार चलने और छूत से बचने से मनुष्य अपनी तंदुरुस्ती और योग्यता कैसे क़ायम रख सकता है। लेकिन गांववाले अपढ़ होते हैं और अपनी पुरानी आदतें बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनता में ज़ोरदार आंदोलन आरम्भ किया जावे जिससे कि वे जागृत हो जायं और उनके रहन सहन तथा रहने के स्थानों की उन्नति की जाय। यह पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है कि वे इस काम को स्वयं अपने हाथों में लें और अपने गिरे हुये भाइयों को उठाने का प्रयत्न करें जिससे कि वे उत्तम और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। गावों में तंदुरुस्ती क़ायम रखना कुछ मुश्किल नहीं है। घर में उजेला होने की, नालियों को साफ़ रखने की और मैले को दूर फेंकने इत्यादि की समस्यायें नगरों के समान ग्रामों में नहीं होतीं। ग्रामों में केवल यह आवश्यकता है कि लोग शारीरिक स्वच्छता की आदत डालें और अपने घर के आसपास खूब सफाई रखें। इस संबंध में गांव वालों को नीचे लिखी हुई हिदायतों पर चलना चाहिये।

(१) मकानों को बनाते समय उनकी कुर्सी ऊंची उठाओ और उनमें काफ़ी दरवाज़े और खिड़कियां रखो और उनका छत ऊंचा बनाओ।

(२) घरों को साफ सुथरा रखो, सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, बल्कि आंगन और वाड़ी में भी सफाई रखो।

(३) सब कूड़ा करकट हटा करके खात के गड्ढे में डालो। यह गड्ढा घर से दूर होना चाहिये।

(४) रहने के कमरे में मवेशियों को दूर रखो।

(५) रोज नहाकर साफ कपड़े पहिनो।

(६) रसोई घर और वर्तन साफ रखो।

(७) खाने की चीजों को खूब से बचाओ।

(८) घर के आसपास के गड्ढे जिनमें पानी भरा रहता है पूर दो।

(९) जहाँ से लोग पीने के लिये पानी लाते हों वे कुंए स्थान साफ रखो अर्थात कुये तथा तालाबों के पानी को अशुद्ध होने से बचाओ।

उपरोक्त स्वच्छता के नियमों के अतिरिक्त बड़े बड़े डाक्टरों ने नीचे लिखी हिदायतें आदमियों की निजी आदतें सुधारने के लिये दी हैं जिससे कि वे बहुत दिनों तक जीकर चंगे बने रह सकते हैं तथा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

(१) जल्दी सोओ और जल्दी सुबह उठो।

(२) प्रत्येक दिन कम से कम दो सेर साफ ठण्डा पानी पीओ। पानी पीने के लिये सबसे अच्छा वक्त होता है रात को या सुबह उठने के बाद या आधा घंटा खाना खाने के पहिले जब कि पेट खाली हो। पानी कोठे को साफ

रखता है। यह जहरीली वस्तुओं को शरीर से निकाल देता है और अंग के स्नायुओं को नष्ट होने से बचाता है।

(३) सादा भोजन करो जिसमें तरकारी और फल बहुत मात्रा में हों। गेंहू की रोटी और दूध बहुत ताक़तवर चीजें हैं।

(४) दांतों को स्वच्छ रखने की हमेशा फ़िक्र रखो।

(५) हफ़्ते में दो दिन रात को खाना न खाओ।

(६) अपने भोजन को खूब चबाकर खाओ।

(७) खूब सोओ, गहरी नींद लो।

(८) गहरी सांस लेने का अभ्यास करो और किसी न किसी प्रकार का व्यायाम अवश्य नियमानुकूल करो।

(९) फ़िक्र मत करो।

(१०) प्रति दिन अपने मनोरंजन के लिये कोई न कोई काम जरूर करो।

(११) नवजवानों का साथ करो, क्योंकि युवावस्था अपने जवानी के अभंग को फैलाती है।

(१२) शराब पीने से, फ़िजूल दवा लेने मे और ख़र्च से हमेशा बचे रहो।

परिच्छेद ४७

" आकस्मिक आपत्तियां और तुरत सहाय्य "

देहात में जो भी घटनायें रोज होती हैं, तो भी वहां डाक्टरी मदद आसानी से नहीं मिलती। इस लिये यह बहुत जरूरी है कि हर गांव में कोई शख्स ' तुरत सहाय्य ' देने का जाननेवाला रहे। परंतु यह विषय ऐसा है कि किसी विशेषज्ञ की ही शिक्षा द्वारा उत्तम प्रकार से सीखा जा सकता है। तुरत सहाय्य के मूल तत्वों की शिक्षा बालचरों को ही दी जाती है और यह आंदोलन प्रोत्साहन देने योग्य है। फिर भी चंद आम बातें ऐसी हैं जिनको हर शख्स आसानी से सीख सकता है और वे नीचे लिखे मुताबिक हैं:—

(१) मुंदी चोटें:—जब कोई शख्स गिर जाता है या उसके शरीर के किसी भाग में चोट लगती है, तब अक्सर बगैर चमड़ा फटे हुये उसके नीचे का मांस घायल हो जाता है जिसे मुंदी चोट कहते हैं। ऐसी हालत में फौरन खूब ठण्डा पानी लगाना चाहिये अथवा बहुत गरम पानी में रूमाल निचोड़कर चोट लगे हुए भाग पर लगाना चाहिये। कपड़े को बार बार गरम पानी में भिगा कर लगाता जावे जब तक कि दर्द कम न हो जावे।

(२) चमड़ा छिल जानेवाली या कट जाने वाली चोटें:— जब चमड़ा छिल जावे अथवा थोड़ा कट जावे तब दवाई का एक अच्छा तरीका यह है कि फोहे में थोड़ा टिंक्चर

(५) दांत का दर्द:—जब दांत के अंदर कोई खोखली दर्द करती हो, तो पहिले उसमें से झूठन साफ करके उस छिद्र में लौंग का तेल या कपूर या सज्जी भर दो।

(६) जलने या झुलसने से घाव:—यदि घाव खफीफ है तो उसे ठण्डे पानी में डुबाना एक अच्छा उपचार है। २० मिनिट तक डुबा रखने के बाद घाव पर वेजलीन या शहद या बराबर भाग में मिश्रित अंडे की सफेदी और उबाले हुये गरी के तेल का मिश्रण चुपड़ो।

यदि घाव भारी हो, तो कपड़े को काटकर हटा दो, फिर घावपर ऐसी पट्टियां रखो जो हमेशा बोरिक एसिड अथवा नमक के घोल से भीगी हुई रहें। छालों को मत फोड़ो। जले हुये आदमी अक्सर सदमें या अचानक हृदय पर धक्के के कारण तक्लीफ पाते हैं। इस सदमें का इलाज उत्तेजक औषधियों द्वारा होना चाहिये जैसे ब्रांडी, और रोगी को पूरा आराम देना चाहिये।

(७) बिच्छू का दंश:—काटने के स्थान पर चमड़े को गहरे तक कोंचो। एक दर्जन या उससे भी अधिक छेद कोच दो। फिर चमड़े को पानी से भिगाकर उसपर "परमेंगनेट आफ पोटेश' (लाल दवा) के कुछ कण भुरक दो और कुछ मिनटो तक उसे ऐसा ही रहने दो। कहा जाता है कि काटे हुये हिस्से पर आक (मदार) का दूध मलने से भी फायदा होता है

(८) जहर खा जाना:—पहिले इस बात का पता लगाओ कि किस प्रकार का जहर अंदर गया है। सिवाय इन

मौक़ों के जब कि तेज़ाब के समान जलानेवाले ज़हर खाये गये हों, पहिला काम यह है कि मरीज़ को क़ै (उलटी या वमन) कराई जावे। इसके कई तरीके हैं। मरीज़ के गले को उंगली से गुदगुदाओ या उसे पिसी हुई राई या निमक घोला हुआ कुनकुना पानी पिलाओ फिर निरनिराले ज़हरों के लिये। नीचे लिखी हुई दवाइयां करो:—

नोट:—यदि मरीज़ फौरन क़ै न करे तो वमनकारक दवाई दस दस मिनिट के अंतर से देते रहना चाहिये जबतक कि क़ै खूद न हो जावे।

नं	ज़हर का नाम	लक्षण	उपचार
(१)	एलकोहल [शराब]	मरीज़ का चेहरा होना, चमड़ा सूखा, नाड़ी और स्वांस तेज़, पेशियोंमें कंपन, अचेतनता।	मरीज़ को चेहरे पर ठण्डे पानी के छींटों से जगाना, वमनकारक गरम चाय देना नौसादर और चूने का मिश्रण सुंघाना।
(२)	भांग, गांजा या चरस	मरीज़ पहिले उत्तेजित फिर उसनींदा और चेहरा, पुतलियाँ फैली हुई होना।	वमनकारक गरम चाय, शरीर में गर्मी पहुँचाना, आम की गुठली पानी में घिसकर देना।

नं.	ज़हर का नाम	लक्षण	उपचार
(३)	अफीम	उंघाई आना, आंख की पुतलियां बहुत छोटी, सांस धीमी और गहरी [लम्बी], चमड़े पर चिपचिपा पसीना, सांस में अफीम की वास आना।	नमक और पानीसे कै कराना, गरम चाय खूब पिलाना, परमेंगनेट आफ़ पोटेश का घोल १ बोतल पानी में १० ग्रेनवाला पिलाना, मरीज को चेहरे और शरीर पर गीले अंगोछे से थपड़ियां लगाकर जगाते रहना और उसे बीच बीच में पैदल चलाना, दो तीन बार दो माशा हींग भी देना।
(४)	धतूरा	गले में खुश्की निगलने में तकलीफ़ और प्यास, सिर में चक्कर, लड़खड़ाना लाल चेहरा हो जाना।	कै होने की दवा जैसे नमक पड़ा हुआ कुनकुना पानी और उत्तेजक जैसे ब्रांडी, भटा (बैंगन) पानीमें पीसकर देना
(५)	कुचला	बदन में जोर की मरोड़ें और पीठ का कमानीदार होना, दंतोड़ी बंधना, आंख के गोले आगे आना पुतलियाँ बढ़ी हुई, स्वांस में कष्ट, नाड़ी कमजोर और तेज।	वमनकारक एक बोतल गरम पानी में १० ग्रेनवाला परमेंगनेट आफ़ पोटेश का घोल, गाढ़ी चाय या घी और मिश्री मिश्रित गरम दूध देना।

नं.	ज़हर का नाम	लक्षण	उपचार
(६)	संखिया (आर्सेनिक)	लगातार कै और दस्त, पिंडलियों में दर्द और ऐंठन, मरीज थकित और बेहोश। नोटः—संखिया खा जाने के लक्षण हैजे के लक्षणों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं।	[१] कुनकुने नमकीन पानी से जल्दी जल्दी कै होने में मदद दो। [२] दूध, ब्रांडी और जैतून का तेल दो। [३] नकली सांस और पैरों की सेंक।
(७)	पिसा हुआ कांच	पेट में दर्द, दस्त लगना और पाखाना रक्त मिश्रित और कांचकर होना।	स्थूल भोजन जैसे रोटी और आलू खूब खिलाओ और फिर कै करवाने की दवा।
(८)	मिट्टी का तेल	मुंह और गले में जलन, तेज प्यास, शिथिलता और बेहोशी, सांस से मिट्टी के तेल की बू आना।	कै कराने की दवा, ब्रांडी, शरीर और पैरों में सेंकाई।
(९)	पारा	कै और दस्त, जीभ सफेद सी, शिथिलता,	आटा और पानी, फिर कै कराने की दवा, निम्बू और ब्रांडी।

परिच्छेद ४८

"चंद घरेलू दवाइयाँ"

ऊपर कहा जा चुका है कि किसी भी बीमारी के होने पर किसी होशियार डाक्टर की सहायता फौरन हासिल करना चाहिये। मर्ज को बढ़ने देना और जब वह हाथ के बाहिर हो जावे तभी डाक्टर को बुलाना भूल है। देरी करने से अक्सर जान का खतरा रहता है और खर्च के लिहाज से भी मर्ज की प्रारम्भिक दशा में जब कि वह सादे इलाज से जल्द अच्छा किया जा सकता है, डाक्टर की सलाह लेना सस्ता पड़ता है। यदि डाक्टर का सहायता आसानी से न मिल सके तो नीचे लिखे हुये नुस्खे जो क़ाबिल इत्मिनान हैं, आजमाये जा सकते हैं। दूर देहात में लोगों को देशी दवाइयों पर अब भी बहुत विश्वास है और वे आम तौर पर बहुत से रोगों पर लाभदाई होती हैं। उनमें यह खूबी है कि वे सस्ती और सुलभ होती हैं। नीचे लिखे हुये नुस्खों में जिन दवाईयों का जिक्र है वे सावधानी से चुनी गई हैं। बहुधा उन्हें सब लोग पहिचानते हैं और उनके गुण भी समझते हैं, इस लिये थोड़ी विद्या-वाले देहाती लोग भी इन नुस्खों को तैयार करने में ग़लती नहीं करेंगे। इतना होने पर भी यह भली भांति समझ लेना चाहिये कि कोई भी नुस्खा कैसा अच्छा क्यों न हो वह सब क़िस्म की प्रकृति व तासीर के लोगों पर या रोग की सभी हालतों में एकसा फायेद-मंद नहीं हो सकता। इस लिये किसी जानकार की सलाह हमेशा लेना उचित होता है, परंतु डाक्टर के आने तक ये नुस्खे जरूर बेखतरे अमल में लाये जा सकते हैं।

"अफरा या शूल के लिये"

[अ]	नौसादर	३ तोला
	सेंधा नमक	१ तोला
	काली मिर्च	आधा तोला

बारीक पीसकर मिलाओ, दो माशे की दिन में तीन खुराक लो।

[ब]	सोंठ	१ माशा
	हर्र	४ माशा
	काला नमक	४ माशा
	थोड़े गरम पानी के साथ	४ माशा लो।
[स]	सेनामुकी	२ तोला
	चिरायता	४ तोला
	अदरक	आधा तोला

काढ़ा बनाकर पीओ।

(२) "मंदाग्नि के लिये"

[अ]	पीपर	१ तोला
	सोंठ	१ ,,
	अजवाइन	१ ,,
	सौंफ	१ ,,
	हर्र	१ ,,
	आंवला	१ ,,
	सेंधानमक	१ ,,

पीसकर मिलाओ और हर भोजन के पश्चात् एक तोला भर लो।

[ब] जीरा मिलाकर गाय के दूध का ताजा मठा पियो।

[स] सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हर्र, बहेड़ा, आंवला, सेंधानोन, अजवाइन, बराबर बराबर लेकर पीस लो, फिर चूरन के बराबर वजन में गुड़ मिलाकर गोलियां बना लो। दिन में दो दफ़े एक एक गोली खाओ।

३) "शूल के लिये,,

[अ]	काला नोन	२ माशा
	सोंठ	४ ,,
	हर्र	८ ,,

पीसकर मिलाओ और थोड़े कुनकुने पानी के साथ लो।

[ब]	काली मिर्च	१५ माशा
	अजवाइन	१५ ,,
	पीपल	१५ ,,
	हर्र का छिलका	२ तोला
	कालानोन	१० ,,
	भुंजा सोहागा	१६ माशा

पीसकर मिलाओ और तीन बार निम्बू के रस में सानकर सुखाओ और रोज ४ माशा खाओ।

[स] अजवायन और जीरा बराबर बराबर मिलाकर थोड़े नमक के साथ खाओ।

(४) दस्त के लिये

[अ]	अनार का छिलका	१ तोला
	लौंग दसवां हिस्सा	

दस गुने पानी में काढ़ा बनाकर खाली पेट दो दो घंटे से पीओ। इसके बाद अंडी का तेल एक खुराक पीओ।

[ब]	खैर (कत्था)	१ तोला
	तेजपात	१ ,,
	पलाश की गोंद	१ ,,

दिन में दो खुराक पाव तोला की लो।

[स] अधपके बेल के फल को मही आंच में भूनो और बीज फेंककर गूदे में शहद को मिलाकर खाओ।

(५) आंव रक्त (आंव या पेचिश) के लिये

[अ] ईसबगोल के बीज पावतोला थोड़े पानी में १५ मिनट तक फुलाओ। फिर उस लबाब को दिन में दो तीन बार चबाओ।

[ब] बराबर बराबर अधभुनी सौंफ और सोंठ और शक्कर मिलाकर दिन में दो तीन बार दो दो तोला खाओ।

[स] सफेद जीरा १ तोला और बेर की हरी पत्ती १ तोला एक छटाक पानी में पीसो और पिओ।

(६) संग्रहिणी

[अ] लगभग एक सप्ताह तक रोगी को बिस्तर पर रखे और उसे सिर्फ दूध या मठा दो। जैसे जैसे उसकी पाचन शक्ति बढ़ती जावे, उसे हरी भाजी तरकारी खाने को दो।

[ब] थोड़े पानी के साथ बेल का १ तोला गूदा लेकर ६ माशा तुलसी के साथ पीस डालो और पिओ।

(७) बवासीर

[अ] बकाइन के बीजे का गूदा–१ तोला, सौंफ दो माशा इनको बारीक पीसो और गुड़ के साथ मिलाओ तथा छः छः माशा दिन में दो बार खाओ।

[ब] हरसिंगार की पत्तियां लो और उसमें काली मिर्च मिलाकर पानी में पीस डालो।

[स]	रसौंत	५ तोला
	कलमी शोरा	५ ,,

मूली के पानी में एक साथ पीसकर एक छोटी बेर के बराबर गोली बना डालो। दो गोली सुबह और शाम लो, पहिले कब्जियत को दूर करो अर्थात् समय पर ' मल-मूत्र ' को त्याग करो।

पाखाने के बाद एक पिचकारी या एनिमा से साफ़ पानी अंतड़ियों में डालो इससे नीचे का सब मल इत्यादि साफ़ हो जायगा। उसके बाद मल त्यागने के गुप्तांग के आसपास का भाग खूब धोकर साफ करो।

(८) हैज़ा

[अ]	अफ़ीम	१ रत्ती
	कपूर	२ ,,
	काली मिर्च	२ ,,
	हींग	२ ,,
	सोंठ	२ ,,

इन सब को पीसकर मिलाओ और मूंग के दाने के बराबर गोलियां बनाओ और एक एक गोली दिन में छः बार दो।

[ब] देशी कपूर
सत्त अजवाइन
पीपरमेंट के कन

तीनो वस्तुयें समान भाग लेकर मिलाओ और जब वह पिघल जावें अर्थात द्रव रूप में हो जावें तो ४-४ या ५-५ बूंद दिन में तीन बार दो।

(९) जुलाब

[अ] अरंडी का तेल पीया जावे तो एक हलका विश्वासनीय जुलाब होगा। बच्चों के लिये २ तोला से अधिक की खुराक न दी जाय।

[ब] जमालगोटे का तेल बहुत सख्त जुलाब है, इसमें थोड़ा मक्खन या मीठा तेल मिलाकर लेने से हितकारी होगा। एक बार में दो तीन बूंद से अधिक नहीं लेना चाहिये। जमालगोटे का तेल गर्भवती-स्त्री को देना बिलकुल मना है।

(१०) कृमि

[अ] वायविड़ंग ६ माशे पीसकर थोड़ा शहद मिलाकर पीओ।

[ब] कच्चे नारियल का पानी थोड़ा शहद मिलाकर पीओ।

[स] सीताफल के पत्तों के अर्क को पिलाने से कृमि मर जाते हैं।

(११) इन्फ्लुएंजा और खांसी

[अ]	अदरक	१ तोला
	पीपरमूल	१ ,,

मुलैठी	१	तोला
काकड़ सिंगी	३	,,

इन सब को पीसकर शहद में मिलाओ और एक अष्टमांश तोला दिन में तीन बार लो।

[ब] आधा तोला समुद्रफल का बीज, १ तोला पीपरमूल का चूर्ण, अडूसा के पत्तियों का रस १ तोला और थोड़ासा शहद इन सबको मिलाकर खाने से खांसी जुकाम इत्यादि दूर हो जावेंगे।

[स] मुद्दती खांसी—कफ

मुलैठी	१	भाग
कालीमिर्च	१	,,
बबूलकी गोंद	१	,,
सेंधा नमक	१	,,

इन सब को पीसकर एक में मिला लो और अष्टमांश तोले की ३ गोली प्रतिदिन खाओ।

(१२) खांसी

[अ]	सौंफ	१	तोला
	मीठी लकड़ी	१	,,
	बादाम	१	,,
	मुनक्का	३	,,
	दालचीनी	१	,,

इन सबको पीसकर १ तोला में १२ गोलियां बनाओ और २-१ गोली दिन में दो बार लो।

[घ]	काली मिर्च	१ तोला
	पीपरमूल	१ ,,
	अनार की छाल	२ ,,
	पुराना गुड़	८ माशा
	जवाखार	६ ,,

बारीक पीसकर छोटी गोलियां बनाओ।

[ङ] कालीमिर्च के चूर्ण में काली तुलसी के पत्ती का रस मिलाओ।

(१३) दमा

[अ] कभी कभी आनेवाले दमा के लिये सफेद धतूरा की डठल और सूखी पत्तियों के धुए को निगलना अर्थात् मांस लेना बहुत लाभकारी होता है।

[ब] भृङ्गी की जड़ कूटकर गूदा बनाओ और उसको अदरक और गरम पानी में मिला कर दे दो।

[स] भटकटइया की जड़ और अडूसा का काढ़ा बनाओ और थोड़ासा शहद मिलाकर दे दो।

(१४) तिल्ली

[अ] पपइया का फल कच्चा या पका सिरके के साथ खाना लाभदायक है।

[ब] कलमी शोरा, सोहागा, फिटकरी, मेंधा नमक, आमा-हल्दी, अजवायन इनको चूर्ण करके निबू के रस में तीन बार और तीन बार अदरक के रस में पीसकर बेर के बराबर गोलियां बनावे और एक गोली प्रति-दिन दो बार देवे।

[स] कुनेन की गोलियां लगातार खाते रहो।

(१५) मलेरिया जोडी का बुखार और एक्तरा

सब से बढ़कर दवा कुनेन है। इसको खाने के पहिले एक बार हलका जुलाब लेना चाहिये। निम्न लिखित घरेलू दवाइयां भी लाभ प्रद हैं—

[अ] धनिया और सोंठ के चूर्ण को नीम की छाल के काढ़े में मिलाओ और पिओ। इससे बुखार कम होता जाता।

[ब] तुलसी चार पत्ती, बबूल चार पत्ती, अजवायन ४ माशा इनका काढ़ा बनाओ और ठण्डा होने पर रोगी को बुखार आने के पहिले पिलाओ।

[स] दूध ३ तोला, दही ३ तोला, शहद २ तोला, तुलसी की पत्तियों का अर्क ४ माशा, काली मिर्च का चूर्ण २ रत्ती, इनको मिलाकर उसमें से दो खुराक बुखार आने के पहिले खा जाओ।

१६ दाद

[अ] सोहागा और सिंघाड़ा के चूर्ण को नीबू के रस में मिलाकर लगाओ।

[ब] माजूफल ६ माशा, चूना ९ माशा, कत्था ९ माशा, मुर्दारसंग ९ माशा, गंधक ९ माशा, सोहागा ९ माशा, पीस कर नीबू के रस म गोला बनाओ। जब आवश्यक हो तो थोड़े से पानी में पीसकर लगा दो।

[स] तरोटा की जड़ और पत्तियों को नीबू के रस में मिलाकर लेप बनाओ और उसको दाद पर लगा दो।

(१७) खुजली

[अ] चार तोला जीरा को पीसकर १५ तोला सिंदूर में मिलाओ और उसको अलसी के तेल में फेंटकर लगाओ।

[ब] गंधक २ तोला, कमेला २ तोला, अलसी के तेल में मिलाकर लगाओ।

[स] मदार या आक की पत्तियों का रस एक सेर, हल्दी २० तोला को २ सेर पानी में उबालो जबतक कि यह आधा न हो जाय, तब उसमें आधा सेर अलसी का तेल डाल दो और उबालते जाओ जबतक कि सब पानी भाफ बनकर उड़ न जावे। छान लो और ठण्डा करके उस तेल को लगाओ।

(१८) बिमाई के लिये

[अ] बिमाई को धोकर सब धूल साफ कर दो और बड़ का दूध भर दो।

[ब] मोम, गेरू, घी, गुड़ और राल का मलहम बनाकर लगाओ।

(१९) आंख के दर्द के लिये

[अ] फिटकरी का घोल कई बक्त आंख में डालो।

[ब] भूनी फिटकरी, पठानी लोध, आंवा हल्दी, रसौत अफीम और इमली की पत्ती का लेप बनाकर पलकों पर लगाओ।

[स] फिटकरी २ माशा, जस्ता फूल २ माशा, कपूर १ माशा और नीला थोथा १० तोला गुलाब जल में घोलो। तीन दिन तक रखने के पश्चात् आंखों में कुछ बूंदें छोड़ो।

(२०) दंत मंजन

[अ] बबूल की छाल और जड़ को जलाकर कोयला बनाओ, उसे पीसकर थोड़ा नमक मिलाओ।

[ब] फिटकरी दो तोला, नमक १ तोला, माजूफल २ फल कपूर आधा तोला, बारीक खड़िया ५ तोला मिलाकर पीसो।

[स]

हर्र का छिलका	४ भाग
सोंठ	१ ,,
पीपर	१ ,,
बायविड़ंग	१ ,,

पीसकर मिलाओ और बादाम के छिलके का कोयला बराबर बराबर भाग में मिलाओ।

(२१) खुज़ाक के लिये

[अ]

कत्था	६ माशा
रसौत	६ ,,
हर्रा की छाल	६ ,,
अफीम	५ ,,
नीला थोथा	१ रत्ती

इनका डेढ़ सेर पानी में अर्क उतारकर मूत्रनली को पिचकारी से धोओ।

[घ] राल और मिश्री का चूरन बनाकर १० माशा गाय के दूध के साथ १५ दिन खाओ।

[स]	मुनी फिटकरी	२ माशा
	गोखरू	४ ,,
	शोरा कलमी	२ ,,
	इलायची	२ ,,
	खांड शक्कर	४ ,,

चूरन बनाकर चार चार माशा दिन में तीन बार गाय के दूध के साथ खाओ।

(२२) "वीर्य स्तंभ के लिये"

[अ] किवांच के बीज २ माशा और गोखरू २ माशा आधा सेर दूध में जबतक उसका आठवां हिस्सा न रह जाय उबालो फिर थोड़ा शहद मिलाकर खाओ

[ब]	अकरकरा	तीन माशा
	तुखमरीहा	दो तोला
	सफेद कंद	आधा तोला

चूरन बनाकर तीन माशा दूध के साथ खाओ।

[स]	बीबीकंद	आधा तोला
	लौंग	,,
	इलायची	,,
	असगंध	,,

दूध और शहद के साथ सेवन खाओ।

(२३) पाक

गावों में अमीरों को पाक खाने का शौक होता है। दो प्रकार के रुचिकर पाकों के नुस्खे नीचे दिये जाते हैं।

मूसली पाक

(अ) सफेद मूसली १ पाव और स्याह मूसली १ पाव को बारीक पीसकर ४ सेर दूध में पकाकर खोवा कर लो। इसे १ पाव घी मे भूनो, फिर जायफल, लौंग, केसर, जटामांसी, किवाच के बीज, तेजपात, इलायची, नागकेसर, सोंठ, पीपर, जायपत्री, छोटी हर्र और निसोथ एक एक छटाक लेकर बारीक पीसो और कपड़छान करके खोवे में मिलाओ, फिर ३ सेर शक्कर की चाशनी बनाकर खोवे में मिलाओ और आधा सेर बदाम, आधा सेर पिस्ता, दो गोला गरी और एक पाव चिरौंजी मिलाओ। जब सब ठण्डा हो जावे तब २॥ तोले के लड्डू बांध लो। सवेरे शाम पावभर दूध के साथ एक लड्डू खाओ।

गोखरू पाक

(ब) गोखरू आधा सेर, खोवा आधा सेर, घी आधा सेर, नागरमोथा १ तोला, केसर १ तोला, खसखस १ तोला, तालमखाना १ तोला, इलायची १ तोला, नागकेसर १ तोला, पीपर १ तोला, चंदन १ तोला, कपूर १ तोला, शक्कर तीन सेर।

गोखरू को बारीक पीसकर खोवे में मिलावो और घी में भूनो। दूसरी चीजों को भी बारीक पीसो और भुने हुये गोखरू

और खोवे मे मिलाओ। राब के समान शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें खोवा छोड़ दो और एक एक पाव बादाम, पिस्ता, चिरोंजी वगैरह मेवा मिलाओ। ठण्डा होनेपर ढ़ाई ढ़ाई तोले के लड्डू बना लो और उनपर चांदी का वर्क लपेट लो। पावभर दूध के साथ दिन मे दो दफे दो लड्डू खाओ।

परिच्छेद ४९

" गावों में रोगियों की सेवा सुश्रूषाकी योजना "

जांच करने से पता लगता है कि गावों में बहुधा साधारण प्रकार की बीमारियों तथा चोटों से लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। वास्तव में, इन साधारण रोगों तथा चोटों के लिये अधिक विद्वान चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं है। इस कारण यदि गावों ही में ऐसी तकलीफों के दूर करने का कोई उपाय हो सके, तो गांववालों को दूर के अस्पतालों में जाने की असुविधा न उठानी पड़े। यह योजना बहुत विस्तृत नहीं होनी चाहिये, जिससे मौजूदा अस्पतालों के काम का मुकाबला न हो; किंतु वे उनके सहायक हो। मध्यप्रांत में इस प्रकार का प्रबंध कई जगहों में पहिले से चालू है और मध्यप्रांत के ग्रामोत्थान बोर्ड ने एक पत्रिका प्रकाशित की है जिसका नाम " भारतवर्ष के ग्रामों के लिये रोगियों की प्राथमिक सेवा शुश्रूषा की योजना " है। इसमें इसके कार्यक्रम का विस्तृत वर्णन है। इस योजना में केवल एक ऐसी स्त्री की आवश्यकता होती है जो कि यदि अवैतनिक नहीं तो थोड़ेसे वेतन पर ग्रामीण रोगियों की सेवा शुश्रूषा का भार ले सके। वह काफी होशियार होनी चाहिये और एक ऊंचे घर की होकर पढ़ी लिखी होनी चाहिये। असिस्टेंट मेडिकल आफीसरों को चाहिये कि वे गावों में जाकर ऐसी स्त्री को होम नार्सिंग अथवा घरेलू चिकित्सा में एक दो दिन तालीम दें जिससे कि वह घाव इत्यादि के साफ करने में तथा घावों पर मलहम पट्टी करने और खुजली आदि अन्य चर्म रोगों की चिकित्सा करने में प्रवीण हो जावे। उसको यह हिदायत होनी चाहिये

कि वह खूब सफाई रखे और जब किसी रोगी की तीमारदारी करना हो तो अपने हाथों को एन्टी सेप्टिक साबुन से धो ले। उसको भलीभांति स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिये कि वह कोई ऐसे काम को अपने हाथ में न ले जो कि उसकी शक्ति के बाहर हो। उसे मिडवाइफ तथा दाई के काम को कभी नहीं छूना चाहिये। उसको निम्नलिखित सामान अवश्य देना चाहिये और उसे बतला देना चाहिये कि सिवाय बुखार की दवा के (अर्क चिरायता) या दस्तावरी दवा के (एपसम साल्ट) कोई भी दवाइयां जो कि उसको दी गई हों पीने के लिये किसी रोगी को न दे। उसको साफ साफ बतला देना चाहिये कि उबाला हुआ पानी स्वच्छ होता है और बिना उबाले हुये पानी में लाल दवा डाल देने से वह साफ हो जाता है। उसे यह भी बतला देना चाहिये कि पट्टियों को उबाल डाले और उन को धूल से बचाये रखे। वह अपने औजारों को ज़मीन पर पड़े हुये न छोड़ दे, बल्कि उनको किसी तश्तरी के किनारे से उढ़का दे या किसी ग्लास के ऊपर रख दे। औजारों को ऐसी रूई से पोंछना चाहिये जो कि लाइसोल में भिगोई गई हो, नहीं तो उन औजारों को दियासलाई की आंच के ऊपर रखना चाहिये, यदि वे किसी गंदी चीज से छू गये हों। किसी असिस्टेंट मेडिकल आफीसरको चाहिये कि वह सब बातें उसी स्थान पर उसको समझा दे और उसके सामने कुछ रोगियों की चिकित्सा भी करे। इस प्रकार की शिक्षा दी जाने के बाद उस स्त्री के काम की जांच कई बार करना चाहिये। सामान के खरीदने के लिये पैसा या तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल दे या ग्रामपंचायत या कोई परोपकारी दानशील सज्जन दे। अफसरों द्वारा जाँच की सुविधा के लिये तथा सुप्रबंध के लिये यह बेहतर होगा कि ऐसे गांव इस काम के लिये

चुने जायं जिनमें ग्रामपंचायतें हों और जहां कर्मचारीगण सरलता से जा सके। गांव के मुखियों को इस काम में दिलचस्पी दिलाई जाय और इसकी उन्नति तथा निरीक्षण के लिये उनको प्रोत्साहित किया जाय। निम्नलिखित सम्मान का प्रबंध होना चाहियेः—

१ एक टीन का संदूक जिसमें सब सामान रक्खा जा सके। यह सस्ते में किसी बाजार में खरीदा जा सकता है। या एक मामूली मिट्टी के तेल का पीपा कुछ आनों में संदूकनुमा बनाया जा सकता है। टीन की लंबाई की ओर से दो टुकड़ों में काटकर इसमें कब्जा व सांकल कुंडा ताले के लिये लगाने से अच्छी संदूक बन जायगी।

२ दो या तीन छोटे टीन के कटोरे जिनमें गंदी पट्टियां इत्यादि रखी जायंगी।

३ दो या तीन इनेमलके कटोरे जिनमे साफ पट्टियां तथा घाव के धोने का घोल रखा जा सकता है।

४ एक टीन की तश्तरी जिसपर सब औजार रखे जा सकें।

५ एक चिमटी।

६ एक बोथड़ी छुरी जिससे मलहम इत्यादि फैला सकें।

७ बिना कलफ के मोटे कपड़े का एक थैला, मलहम पट्टी के चिथड़ों को उबालने के लिये।

८ एक आंख में दवा डालने की कांच की नली।

९ एक आंख धोने की कांच की पिचकारी।

१० एक कैंची।

११ एक बड़ी डेगची मय ढक्कन के।

१२ एक साबुन रखने का डब्बा और एक नाखून साफ़ करने का ब्रुश।

१३ एक छोटा टीन का संदूक मय ढक्कन के जिसमें कि ड्रेसिंग करने की पट्टियां रखी जा सकें।

१४ एक पिंट के प्रमाण की बोतल जिसमें गोल्डन लोशन रखें।

१५ तीन या चार तौलिया।

१६ औषधियां नीचे लिखी हुई इतने प्रमाण में कि प्रायः सालभर चल सकें। इनकी कीमत यदि इकट्ठी ली जाय तो १०) या उससे कम वार्षिक खर्च पड़े।

१	टिंक्चर आयडिन	२ पौंड (१ सेर)
२	बोरिक एसिड पाउडर	१॥ ,,
३	पोटेश परमेगनेट क्रिस्टल्स (लाल दवा)	१॥ ,,
४	अंजुएंटम एसिड बोरिक	२॥ ,,
५	,, जिंक आक्साइड	२॥ ,,
६	,, सल्फर (जो गांव में बन सकता है)	॥ पौंड
७	,, हाईड्रार्ग्राइ आक्साइड फ्लेवा (पीला मलहम)	॥ पौंड
८	,, एप्सम साल्ट	६ ,,

९ पोटारगल यदि बिना रंग का न मिल सके, तो नहीं रखना चाहिये, क्योंकि उससे आयोडिन का धोखा हो सकता है।

१० सल्फर आयन्टमेंट (गंधक का मलहम) और गोल्डन लोशन प्रत्येक गांव में उस स्त्री के द्वारा या सस्ते में बन सकता है। इसक.

उपाय नीचे दिया जाता है। गोल्डन लोशन विशेषकर खुजली के लिये लाभप्रद है।

"गोल्डन लोशन खुजली के लिये"

बुझाया हुआ चूना	१० तोले
ग्राउंड सल्फर (गंधक का चूर्ण)	१० ,,
पानी	१ सेर २ छटाक

इन सब को उबालो जबतक कि १० छटाक पानी न रह जाय और जब इसका इरौनाल हो, तो उसी के बराबर गरम पानी में मिला दिया जाय।

"गंधक का मलहम"

आधा छटाक मामूली बाजार के गंधक को पीसकर बहुत बारीक चूर्ण करो और उस में ४॥ छटाक घी या वेजलीन या कोई दूसरी साफ चर्बी मिलाओ। कोई इनेमल का या चीनीमिट्टी का बर्तन काम में लाओ।

ये दवाइयाँ इकट्ठी किसी जिम्मेदार तथा मान्य कर्मचारी के पास रखी जायँ और आवश्यकतानुसार प्रतिमास दी जावें।

अन्य सामानः—

१. एक शुद्धकारी साबुन।
२. दो गज सस्ता कोरा कपड़ा पट्टी बांधने के लिये।
३. दियासलाइयाँ।
४. लाइसोल या फिनाइलः— औजारों या कटोरों इत्यादि को शुद्ध करने के लिये।
५. दो गज सबसे सस्ता कलधुला कपड़ा पट्टी रखने के लिये।

निम्न लिखित हिदायतें नर्स (ग्राम की स्त्री चिकित्सक) के लिये दी जाती हैं।

लाइसोल का घोल बनाना:—

५ या ६ बूंद लाइसोल को प्रत्येक दो छटाक गरम पानी में मिला दो। (अर्थात् एक चाय के कपभर पानी में)

लाल दवा का घोल:—

एक लोटे भर गरम पानी में एक या एक से अधिक कण डाल दो जब तक कि पानी का रंग हलके गुलाबी रंग का न हो जाय।

बोरिक का घोल:—

बोरिक एसिड पाउडर १० ग्रेन लो (अंगूठे और दो उंगलियों द्वारा) २ चुटकी भर और उसको १ छटाक गरम पानी में डाल दो, जब तक कि घुल न जाय।

चिरायता का अर्क बनाना:—

आधा तोला चिरायता लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर डालो और उसका एक बर्तन में रखो। चार छटाक उबलता हुआ पानी उसमें डाल दो और बर्तन को ढांक दो। १५ मिनट तक ऐसा ही रहने दो। जब गरम ही रहे तब एक स्वच्छ कपड़े से उसको निचोड़ो, आधा छटाक अर्क (काढ़ा) तीन या चार दफे दिन में दो।

नियम:—यह बेहतर होगा कि अर्क चिरायता रोज ताजा बनाया जाय।

आई हुई आंखों का इलाजः —

रूई के उतने खंड जितने की आवश्यकता हो गरम बोरिक घोल में डालो, उनमें से एक गीला खंड चिमटी से निकालो और अपनी हथेली पर रखो और उसी से आंख को साफ करो। फिर पहिले की तरह चिमटी से दूसरा खंड निकालो और अर्क को आंख में निचोड़ दो और उसी खंड से आंख को फिर पोंछ दो।

पीला मलहम आंख में लगानाः —

थोड़ासा मलहम अपने हाथ के अंगूठे के नाखून के सिरे पर ले लो नीचे की पलक को बाहर खींचो और उसके अंदरूनी भाग पर यह मलहम लगा दो। आंख बंद कर दो और आहिस्ता से उस पलक को आंख की पुतली पर रगड़ो।

फुड़ियों का इलाज

साबुन और गरम लाल दवा के घोल से धोओ। यदि पपड़ी हो तो उसे अलग कर दो। फिर बोरिक मलहम को उस पर चुपड़ दो, फिर उस पर एक टुकड़ा पट्टी का फैला दो और लपेट कर बांध दो।

फोड़े का इलाज

गेहूं के आटे का पुल्टिस दिनभर में एक बार लगाओ जब तक कि फोड़ा फूट न जाय। तब गरम लाल दवा के घोल से धोओ। उस पर जस्ते का मलहम लगाओ। और उस पर पट्टी बांध दो।

खुजली का इलाज

साबुन और बहुत गरम पानी से धोओ। पपड़ियों को अलग कर दो, एक एनेमल के बर्तन में एक या दो छटाक गोल्डन लोशन डाल दो और उसमें उतना ही गरम पानी मिला दो। एक पट्टी

६ इंच लम्बी और ६ इंच चौड़ी इस मिश्रित घोल में डुबा दो और इस पट्टी से खुजली के स्थान को रगड़ो और बाद को सूख जाने दो।

नोटः—मामूली तौर से तीन दिन का इलाज उन कीड़ों को मारने के लिये काफी है जिससे कि मर्ज पैदा होता है।

मरीज के कपड़ों को रोजाना उबालकर धो डालना चाहिये। मलेरिया या कब्जियत के मरीजों को पहिले पहल एप्सम साल्ट देना चाहिये। नौजवान के लिये अर्थात १४ साल से ऊपर की अवस्थावालों के लिये एक छटाक गरम पानी में पाव छटाक एप्सम साल्ट डालने से एक खुराक दवा बन जायगी। यह दवा प्रातःकाल देना चाहिये।

नोटः—इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने से विदित होगा कि जो स्त्री ग्रामीण नर्स का काम करने को तैयार हो वह नीचे लिखी हुई छोटी मोटी बीमारियों व तकलीफों को आसानी के साथ दूर कर सकती है।

१. मुन्दी चोट, घाव, मोच, फोड़ा फुंसी, जलन इत्यादि इनके इलाज की विधि के लिये ४७ वां परिच्छेद देखो।

२. आंख आना। इस के इलाज की विधिके लिये ३८ वां परिच्छेद देखो।

३. बुखार। इस के लिये पहिले एपसम साल्ट देकर फिर चिरायते का काढ़ा पिलाना चाहिये। जूड़ी बुखार के इलाज की विधि के लिये ३५ वां परिच्छेद देखो।

४. खुजली, दाद व अन्य चर्म रोग। इन का इलाज इस परिच्छेद में बतलाई हुई विधि के अनुसार और परिच्छेद ४८ के नुस्खे नंबर १६ व १७ के मुताबिक होना चाहिये।

लेकिन याद रहे कि जब तक नर्स इलाज की विधि ठीक तौर पर सीख न ले तब तक किसी का इलाज हाथ में न ले।

भाग चौथा

"अर्थ व्यवस्था और उद्योग"

परिच्छेद ५०

"दिग्दर्शन"

खेती के संबंध में "माली हैसियत" की सुधार करने के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनपर विचार करना लाज़मी होता है, जैसे पूंजी का इकट्ठा करना, पैदावार का बढ़ाना व उसका दूसरे मुल्कों में बेचना व सरकारी रुपये के दूसरे देशों के सिक्कों के मुकाबले में भाव का ज्ञान इत्यादि। परंतु इस विभाग में इन सवालों पर विचार करने का इरादा नहीं है, ये बातें अर्थशास्त्रियों के लिये हैं। गांव का बाशिंदा तो सिर्फ यह जानना चाहता है कि उसकी खेती की क्रियाओं के लिये व दीगर जरूरियात के लिये पैसा कैसे इकट्ठा हो और उसके आमद और खर्च का पांसग कैसे बराबर हो। इस विभाग में चंद परिच्छेद सिर्फ यह बतलाने के लिये शामिल किये जायंगे कि किसान अपने क़र्ज़ का बोझ किस तरह घटा सकता है। उसकी पहिली कोशिश तो यह होना चाहिये कि जहां तक बने कर्ज से बचे और यदि इस कर्ज लेने की जरूरत ही आपड़े तो उसे कम से कम ब्याज पर ले। सरकार से या कोआपरेटिव्ह सोसाइटियों से क़र्ज़ लेने में अक्सर सुगमता होती है। लेकिन कितना ही कम ब्याजी कर्ज क्यों न हो उसकी अदाई कदापि न हो सकेगी जबतक कि क़र्ज़ लेनेवाले कि आमदनीमें बचत न हो; और बचत होने के लिये

उसे किफायत से रहना चाहिये और अपना खाली वक्त कोई घरेलू सहायक दस्तकारी में लगाकर कुछ पैसा कमाना चाहिये।

इस मदके अंदर भी ग्रामोत्थान का काम करने वालों के लिये उपयोगी सेवा करने के लिये बड़ा मैदान है। नीचे कुछ कार्य बतलाये जाते है, जिनमें वे भाग ले सकते हैं।

(१) क़र्जों के कम करने या तारिफया करने के लिये पंचायतों का संगठन करना।

(२) किफायतशायरी करने के लिये, सस्ते ब्याज पर क़र्ज उठाने के लिये, शुद्ध बीज और खेती के औजार मोहैया करने के लिये, और सहयोगी बिक्री का इंतजाम करने के लिये कोआपरेटिव्ह सोसायटियां बनाने मे मदद करना।

(३) मौजूदा घरेलू दस्तकारियों की तरक्की करने में और नई नई दस्तकारियां शुरू करने में मदद देना।

(४) गांववालों को सहल सहल दस्तकारियां सीखने के रास्ते पर लगाना।

(५) गांव की पैदावार को सबसे ज्यादा मुनाफे पर बेचने का इंतजाम करना।

परिच्छेद ५१

"खेती की अर्थव्यवस्था"

इस मुल्क में किसानों के पास अक्सर कम रक़बे के खेत होते हैं जिनकी तरक़्क़ी के लिये न तो वे कोई क़ीमती योजनाओं को अमल में लाते हैं और यदि लाना भी चाहें तो काफी इंतज़ाम न होने की वजह से मजबूर रहते हैं। और अक्सर तो सुधार करने की प्रबल इच्छा ही नहीं होती, जिसके कारण खास खेती के लिये उन्हें ज्यादा पूंजी की चाह नहीं होती। फिर भी बैल, बीज, औज़ार वगैरह खरीदने के लिये, घर के खर्च और उत्सवों के लिये पैसे की जरुरत होती है जो कि उन्हें ज्यादातर उधार लेना पड़ता है। तकावी के अलावा जिसे वे सरकार से ले सकते हैं, बाकी पैसा उन्हें गांव के साहूकार ही देते हैं। कुछ साल पीछे जब फसलों का भाव अच्छा था काश्तकारों ने बड़ी बड़ी रकमें इस भरोसे पर उधार ले लीं कि वे उनकी खेती के मुनाफे से एक दो साल में अदा हो जावेंगी। लेकिन पिछले कुछ बरस से फसलें लगातार खराब हो जाती हैं और भाव भी बहुत मंदा हो गया है। नतीजा यह हुआ कि किसानों की अदाई होना मुश्किल हो गया और अब क़र्ज़ का बोझ इस क़दर बढ़ गया है कि किसानों की अकल में नहीं आता कि उससे कैसे छुटकारा मिले। इस क़र्ज़ के दबाव का उनके खेती पर भी अच्छा परिणाम नहीं होता। अव्वल तो ब्याज की रकम खेती की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा सोख लेती है जिससे जमीन की या गांव की तरक़्क़ी की बाद में रुकावट होती है।

दूसरे मक़रूज़ कास्तकारों को अपनी फ़सल साहूकारों को बेचना पड़ती है जिससे उनके माल की बिक्री करने की स्वतंत्रता छिन जाती है। अंत में नतीजा यह होता है कि कर्ज़दार किसानों की सारी जायजाद धीरे धीरे निकल जाती है या वे अपनी ज़मीन से बेदख़ल कर दिये जाते हैं जिससे कि उनकी एक मात्र जीविका का साधन बंद हो जाता है। यदि इस परिणाम को न पहुंचे हों तो भी चित्त को शांति नहीं रहती। बहुधा वे अपने साहूकार के पंजे में रहते हैं और यदि साहूकार गांव का मालगुज़ार भी हो तब तो क़र्ज़दार की हालत एक ग़ुलाम की सी हो जाती है। किसानों के मक़रूज़पन को हटाने का सवाल सरकार और कई विचारवान पुरुषों के ध्यानाधीन बहुत दिनों से है और सब इस बात पर सहमत हैं कि बाहरी मदद के अलावा किसान को ख़ुद भी इस बोझ से अपनी गर्दन निकालने का दृढ़ प्रयत्न करना चाहिये। उसे पहिले ब्याज की दर कम करने की कोशिश करना चाहिये और फिर मूल को घटाने की। ब्याज की दर अक्सर दो बातों पर मुन्हसर होती है, याने क़र्ज़ लेने वाले की साख कितनी है और वह क़र्ज़ की रक्षा के वास्ते कितनी जमानत दे सकता है। असल में जमानत से साख का ज्यादा महत्व है। यदि पहिले किसी कास्तकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया है या अदाई में ढीला हवाला किया है तो कोई उसे क़र्ज़ देने को तैयार न होगा सिवाय ऐसे ऊंचे ब्याज पर कि जिससे रक़म डूब जाने की जोखम भर जावे। यदि किसी किसान की जाती साख ज्यादा नहीं है तो उसे अपनी जायजाद रहन करके कम ब्याज का क़र्ज़ लेना चाहिये और ऐसी रक़म से ऊंचे ब्याज वाले क़र्ज़ को अदा कर देना चाहिये।

आजकल क़र्ज़ के पूरे अदाई का भरोसा साहूकारों को भी

नहीं रहा है इस लिये यदि कोई कर्ज़दार अपने कर्ज़ को थोड़े काल के अन्दर पटा देने की योजना निकाले तो साहूकार लोग बशर्ते कि अदाई का भरोसा हो, मूल को भी घटाने के लिये तैयार हो जाते हैं। यदि गांव के सियानों और साहूकारों की पंचायत की जाय तो मामला आसानी से तै हो सकता है और छूट मिल सकती है। कई प्रांतों में सरकार ने कर्ज़ समझौता बोर्ड खोल दिये हैं अथवा ऋणियों की भलाई के लिये क़ानून बना दिये हैं। इस से ऋण का बोझा कम कराने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिये।

परंतु कर्ज़ में छूट कितनी भी क्यों न की जावे जब तक कि कर्ज़दार किफ़ायत से रहन सहन नहीं करेगा तबतक वह अपना ऋण चुका नहीं सकेगा। इस लिये उसे चाहिये कि वह अपने ऋण की क़िस्तों की अदाई के लिये अपने मुनाफ़े का कुछ भाग धार्मिक कर्तव्य समझकर अलग रख दिया करे, और विवाह आदि उत्सवों में फ़िजूल खर्च करके सामाजिक रूढ़ी का दास न बने। उसे अपनी आय व्यय का तख़मीना पहिले से बना लेना चाहिये और उसकी सख़्त पाबंदी करना चाहिये। ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने कुछ आरामों का भी त्याग कर देना चाहिये और क़िस्तों को समय पर अदाई करके फिर से अपनी साख जमाना चाहिये। उसे अपने कर्ज़ के हिसाब पर कड़ी नज़र रखना चाहिये। ये शिकायतें बहुत फैली हुई हैं कि साहूकार अक्सर अज्ञान ऋणियों को अदाई न घटाकर या ब्याज बढ़ाकर या दूसरी बेईमानियों से ठग लेते हैं। इस लिये ऋणियों को चाहिये कि वे होशियार रहें, अपना हिसाब अच्छी तरह से समझ लिया करें और जो रकम दी जावे

उसकी रसीद हमेशा हासिल कर लिया करे। मामूली खर्चों के लिये जितना होसके कम कर्ज लेवें। जमीन की तरक्की के लिये, बीज के लिये या बैल खरीदने के लिये वह सस्ते व्याजदर सरकार से तकावी ले सकते हैं, इस लिये जहांतक हो सके इन कामों के लिये साहूकारों से कर्ज न लिया जावे।

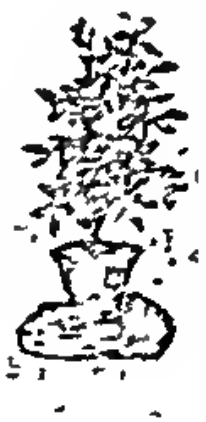

परिच्छेद ५२

"तक़ावी"

सरकार एग्रिकल्चरिस्ट्स लोन्स एक्ट (किसानों के क़र्ज़े का क़ानून) या लैंड इम्प्रूव्हमेंट लोन्स एक्ट (ज़मीन की तरक्की के के लिये क़र्ज़े का क़ानून) के अनुसार क़र्ज़ देती है। पहिले एक्ट के अंदर मुख्यतः आपत्ति में सहायता मिलने के लिये या खेती के कामों का खर्च चलाने के लिये क़र्ज़ दिये जाते हैं। वे इस इरादे से नहीं दिये जाते कि साहूकार की अगह ले ली जाय या कि सस्ते भाव से लेन देन किया जावे। कठिन समयों पर वे इस वास्ते दिये जाते हैं कि ज़मीन तैयार होने तक या फ़सल आनेतक किसान तक़ावी के ज़रिये अपनी गुज़र कर सकें। क़र्ज़े इस ग़रज़ से भी दिये जाते हैं कि किसान लोग सहायक धंधे कर सकें :— जैसे गुड़ बनाने, तेल पेरने, कपास ओटने, धान कूटने या खेती से ठेठ संबन्ध रखनेवाले किसी क़िस्म के दूसरे कामों के लिये छोटी छोटी कलों के खरीदने के लिये।

लैंड इम्प्रूव्हमेंट लोन्स के अंदर दिये जानेवाले क़र्ज़ों का अभिप्राय यह है कि खेतों के सुधार में उत्तेजन हो, याने तक़ावी उन कार्यों के लिये ही दी जाती है जिन से ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जावे या जिन से खेत मुस्तक़िल तौर पर अच्छे बन जावें।

इन दोनों प्रकार के क़र्ज़ों के बांटते वक्त इस बात का ख्याल किया जाता है कि बड़ी बड़ी रक़में चंद कारतकारों को न देकर सब

किसानों की ज़रूरतें थोड़ी थोड़ी पूरी हो जावें। इस लिये कोई भी किसान यह आशा नहीं कर सकता कि उसे इतनी ज्यादा रक़म मिल जायगी जिससे वह सारे क़र्ज़ को अदा कर सके। साधारणतः इन क़र्ज़ों के वसूली की क़िस्तें इस विचार से बांधी जाती हैं कि क़र्ज़ दी हुई रक़म के इस्तेमाल से ज्योंही काश्तकार को मुनाफ़ा हो वह फ़ौरन क़िस्त अदा कर दे। मसलन जो तक़ावी बीज, निदाई, खाद वग़ैरह के लिये दी जाती है, उसकी वसूली की तारीख़ अगली क़िस्त के साथ रखी जाती है। बैल खरीदने के लिये जो रुपया दिया जाता है उसकी वसूली क़रीब तीन साल में की जाती है। ओज़ार व कलें खरीदने के लिये क़र्ज़ों की वसूली खेती मुह. कमें की सिफ़ारिश के अनुसार क़रीब पांच साल में की जाती है। पुरानी पड़ित ज़मीन उठाने के लिये क़र्ज़ की वसूली क़रीब तीन साल में की जाती है और बांध वग़ैरह बनाने के लिये जो तक़ावी दी जाती है उसकी वसूली के लिये लम्बी क़िस्तें मुक़र्रर की जाती हैं जो बीस साल तक फैलाई जा सकती हैं।

साधारणतः हर प्रांत में ब्याज की दर जुदा जुदा होती है, पर अक्सर रुपया पीछे एक साल में चार या पांच पैसा तक ब्याज लिया जाता है, परंतु शर्त यह रहती है कि यदि मूल या ब्याज की कोई क़िस्त वक़्त पर अदा न की जाय तो ज़िलाधीश बतौर जुर्माना के ब्याज की दर बढ़ा सकता है। तक़ावी लेने के लिये अर्ज़ियां अपनी तहसील के तहसीलदार को बाला बाला दी जाना चाहिये; परंतु उन्हें पटवारी के मार्फ़त भेजना बेहतर होता है क्यों कि वह उनके साथ किसान की ज़मीन का ब्योरा नत्थी कर सकता है और यह भी देख लेता है कि अर्ज़ी में सब ज़रूरी बातें आ गई या नहीं।

बीज वगैरह के लिये क़र्ज कई उधार लेने वाले काश्तकारों की शामिल शरीक जमानत पर दिया जाता है और जमीन की तरफी ग्राते क़र्ज, जमीन की जमानत पर। सब सरकारी क़र्ज इस जरूरी शर्त पर दिये जाते हैं कि रक़म उसी काम में खर्च की जावे जिसके लिये वह उधार ली गई हो। यदि उस रक़म के किसी भी हिस्से का दुरुपयोग किया जाय तो पूरी रक़म मय ब्याज व खर्च के फौरन सरकारी जमा की बाकी की बतौर वसूल की जा सकती है। पटवारी और निगरानी करनेवाले अफ़सरों को देखना पड़ता है कि ये रक़में ठीक ठीक तरह खर्च की गई या नहीं और यदि उनका दुरुपयोग हुआ तो उसकी उन्हें रिपोर्ट करना पड़ती है।

किसान लोग अपने कर्ज के ब्याज को आसानी से जोड़ सकें या जांच कर सकें इस वास्ते तीन नक्शे इस परिच्छेद के साथ नत्थी किये जाते हैं।

तकावी कर्ज पर एक आना प्रति रु. की वर्ष या ६। रु. प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष के हिसाब से व्याज:—

मूलधन	१ महिनामें			२ महिनोंमें			३ महिनोंमें			६ महिनोंमें			९ महिनोंमें			१२ महिनोंमें		
	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.
१	०	०	१	०	०	२	०	०	३	०	०	६	०	०	९	०	१	०
२	०	०	२	०	०	४	०	०	६	०	१	०	०	१	६	०	२	०
३	०	०	३	०	०	६	०	०	९	०	१	६	०	२	३	०	३	०
४	०	०	४	०	०	८	०	१	०	०	२	०	०	३	०	०	४	०
५	०	०	५	०	०	१०	०	१	३	०	२	६	०	३	९	०	५	०
६	०	०	६	०	१	०	०	१	६	०	३	०	०	४	६	०	६	०
७	०	०	७	०	१	२	०	१	९	०	३	६	०	५	३	०	७	०
८	०	०	८	०	१	४	०	२	०	०	४	०	०	६	०	०	८	०
९	०	०	९	०	१	६	०	२	३	०	४	६	०	६	९	०	९	०
१०	०	०	१०	०	१	८	०	२	६	०	५	०	०	७	६	०	१०	०
२०	०	१	८	०	३	४	०	५	०	०	१०	०	०	१५	०	१	४	०
३०	०	२	६	०	५	०	०	७	६	०	१५	०	१	६	६	१	१४	०
४०	०	३	४	०	६	८	०	१०	०	१	४	०	१	१४	०	२	८	०
५०	०	४	२	०	८	४	०	१२	६	१	९	०	२	५	६	३	२	०
६०	०	५	०	०	१०	०	०	१५	०	१	१४	०	२	१३	०	३	१२	०
७०	०	५	१०	०	११	८	१	१	६	२	३	०	३	४	६	४	६	०
८०	०	६	८	०	१३	४	१	४	०	२	८	०	३	१२	०	५	०	०
९०	०	७	६	०	१५	०	१	६	६	२	१३	०	४	३	६	५	१०	०
१००	०	८	४	१	०	८	१	९	०	३	२	०	४	११	०	६	४	०
२००	१	०	८	२	१	४	३	२	०	६	४	०	९	६	०	१२	८	०
३००	१	९	०	३	२	०	४	११	०	९	६	०	१४	१	०	१८	१२	०
४००	२	१	४	४	२	८	६	४	०	१२	८	०	१८	१२	०	२५	०	०
५००	२	९	८	५	३	४	७	१३	०	१५	१०	०	२३	७	०	३१	४	०
१०००	५	३	४	१०	६	८	१५	९	०	३१	४	०	४६	१४	०	६२	८	०

तकावी क़र्ज़ पर एक आना तीन पाई प्रति रु० सालाना की दर से ब्याजः—

मूलधन	१ महीने में			२ महीनों में			३ महीनों में			६ महीनों में			९ महीनों में			१२ महीनों में		
	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.
१	०	०	१।	०	०	२॥	०	०	३॥	०	०	७॥	०	०	११।	०	१	३
२	०	०	२॥	०	०	५	०	०	७॥	०	१	३	०	१	१०॥	०	२	६
३	०	०	३॥	०	०	७॥	०	०	११।	०	१	१०॥	०	२	९॥	०	३	९
४	०	०	५	०	०	१०	०	१	३	०	२	६	०	३	९	०	५	०
५	०	०	६।	०	१	०॥	०	१	६॥	०	३	१॥	०	४	८।	०	६	३
६	०	०	७॥	०	१	३	०	१	१०॥	०	३	९	०	५	७॥	०	७	६
७	०	०	८॥	०	१	५॥	०	२	२।	०	४	४॥	०	६	६॥	०	८	९
८	०	०	१०	०	१	८	०	२	६	०	५	०	०	७	६	०	१०	०
९	०	०	११।	०	१	१०॥	०	२	९॥	०	५	७॥	०	८	५।	०	११	३
१०	०	१	०॥	०	२	१	०	३	१॥	०	६	३	०	९	४॥	०	१२	६
२०	०	२	१	०	४	२	०	६	३	०	१२	६	१	२	९	१	९	०
३०	०	३	१॥	०	६	३	०	९	४॥	१	२	९	१	१२	१॥	२	५	६
४०	०	४	२	०	८	४	०	१२	६	१	९	०	२	५	६	३	२	०
५०	०	५	२॥	०	१०	५	०	१५	७॥	१	१५	३	२	१४	१०॥	३	१४	६
६०	०	६	३	०	१२	६	१	२	९	२	५	६	३	८	३	४	११	०
७०	०	७	३॥	०	१४	७	१	५	१०॥	२	११	९	४	१	७॥	५	७	६
८०	०	८	४	१	०	८	१	९	०	३	२	०	४	११	०	६	४	०
९०	०	९	४॥	१	२	९	१	१२	१॥	३	८	३	५	४	४॥	७	०	६
१००	०	१०	५	१	४	१०	१	१५	३	३	१४	६	५	१३	९	७	१३	०
२००	१	४	१०	२	९	८	३	१४	६	७	१३	०	११	११	६	१५	१०	०
३००	१	१५	३	३	१४	६	५	१३	९	११	११	६	१७	९	३	२३	७	०
४००	२	९	८	५	३	४	७	१२	०	१५	१०	०	२३	७	०	३१	४	०
५००	३	४	१	६	८	२	९	११	३	१९	८	६	२९	४	९	३९	१	०
१०००	६	८	२	१३	०	४	१९	८	६	३९	१	०	५८	९	६	७८	२	०

सौ रूपये पर कई दरों से ब्याज :—

दिन और महीने	३ रु. सैकड़ा सालाना या ।) आ. महिना	४॥ सैकड़ा सालाना या ।=) महीना	६ सैकड़ा सालाना या ॥) महीना	६॥। सैकड़ा सालाना या ॥-) महीना	७॥ सैकड़ा सालाना या ॥=) महीना	९ सैकड़ा सालाना या ॥।, महीना	१२ सैकड़ा सालाना या १) महीना
१	० ० १	० ० २	० ० ३	० ० ४	० ० ४	० ० ५	० ० ६
२	० ० ३	० ० ४	० ० ६	० ० ७	० ० ८	० ० १०	० १ १
३	० ० ४	० ० ७	० ० ९	० ० १०	० १ ०	० १ ४	० १ ७
४	० ० ७	० ० ९	० १ ०	० १ ३	० १ ४	० १ ७	० २ २
५	० ० ८	० १ ०	० १ ४	० १ ६	० १ ८	० २ ०	० २ ८
१०	० १ ४	० २ ०	० २ ८	० ३ ०	० ३ ४	० ४ ०	० ५ ४
२०	० २ ८	० ४ ०	० ५ ४	० ६ ०	० ६ ८	० ८ ०	० १० ८
१	० ४ ०	० ६ ०	० ८ ०	० ९ ०	० १० ०	० १२ ०	१ ० ०
२	० ८ ०	० १२ ०	१ ० ०	१ २ ०	१ ४ ०	१ ८ ०	२ ० ०
३	० १२ ०	१ २ ०	१ ८ ०	१ ११ ०	१ १४ ०	२ ४ ०	३ ० ०
४	१ ० ०	१ ८ ०	२ ० ०	२ ४ ०	२ ८ ०	३ ० ०	४ ० ०
५	१ ४ ०	१ १४ ०	२ ८ ०	२ १३ ०	३ २ ०	३ १२ ०	५ ० ०
६	१ ८ ०	२ ४ ०	३ ० ०	३ ६ ०	३ १२ ०	४ ८ ०	६ ० ०
७	१ १२ ०	२ १० ०	३ ८ ०	३ १५ ०	४ ६ ०	५ ४ ०	७ ० ०
८	२ ० ०	३ ० ०	४ ० ०	४ ८ ०	५ ० ०	६ ० ०	८ ० ०
९	२ ४ ०	३ ६ ०	४ ८ ०	५ १ ०	५ १० ०	६ १२ ०	९ ० ०
१०	२ ८ ०	३ १२ ०	५ ० ०	५ १० ०	६ ४ ०	७ ८ ०	१० ० ०
११	२ १२ ०	४ २ ०	५ ८ ०	६ ३ ०	६ १४ ०	८ ४ ०	११ ० ०
१२	३ ० ०	४ ८ ०	६ ० ०	६ १२ ०	७ ८ ०	९ ० ०	१२ ० ०

परिच्छेद ५३

"सहयोग"

दूसरे स्थान में यह बतलाया जा चुका है कि इस देश में खेती की हालत पिछड़ी हुई है और कई कारणों से, किसानों पर क़र्ज़ इतना ज्यादा हो गया है कि जिससे उनकी बाढ़ मारी जा रही है। यह भी सब लोग मानते हैं कि उनकी दशा में उन्नति होने के लिये दो बातें निहायत जरूरी हैं। एक तो यह कि माकूल अर्थ व्यवस्था के लिये एक ऐसी योजना तैयार की जावे जिससे कि किसान को अपना क़र्ज़ पटाने के लिये और खेती का खर्च चलाने के लिये सस्ते ब्याज पर पैसा मिल सके, और दूसरी यह कि ऐसी हिक्मतें लगाई जावें कि जिससे वह अपनी जमीन से आज की बनिस्बत ज्यादा पैदा कर सके। इस दूसरे विषय में सरकारी खेती का मुहकमा यथोचित शिक्षा दे रहा है जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम भाग में दरशाया गया है। परंतु जबतक किसान को पूंजी इकट्ठा करने की सुगमता नहीं होगी उसकी खेती में सुधार होना मुश्किल है, क्यों कि पैसा बगैर कोई साधन ठीक नहीं उतरता। यदि किसान की जमीन ठीक तौरपर नहीं बनी है तो उसे तैयार करने के लिये पैसा चाहिये और यदि जमीन तैयार है तो भी उसमें ऊंचे प्रकार की खेती करने के लिये पैसा चाहिये। मुश्किल यह है कि अकेले काश्तकार की साख ज्यादा नहीं होती और साहूकार को ज्यादा जोखम होने के कारण वह सिर्फ महंगे ब्याज पर ही पैसा दे सकता है। इसके अलावा पैसे की

मनमानी सुगमता होना भी खतरनाक अस्त्र है जो अनाड़ी के हाथ में देने से उसका सर्वनाश कर सकता है। सुलभता के दुरुपयोग के लाखों उदाहरण मौजूद हैं। कई कारबार लोगों ने अपनी साख देकर रुपया उधार लेकर दूसरे कामों के लिए भारी भारी कर्जे उठा लिये हैं और अब उन के पास कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसके भरोसे वे अपनी खेती के खर्च के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें। किसी महाशय का सत्य कथन है कि अकेले एक काश्तकार को मनमानी सुलभता मिलना सरासर खतरनाक है और यही सुलभता अगर समूह के कई लोगों के साथ मिले जिससे कि उसके इस्तेमाल में सबकी नेक सलाह और निगरानी हो तो लाभकारी और ज्ञान बढ़ानेवाली होती है। सच है कि सहयोगी सुलभता ही की आजकल आवश्यकता है। कोआपरेटिव्ह सोसाइटीज़ यानी सहयोग समाओं से यही सामूहिक सुलभता का प्रबंध होता है। सब प्रकार की सहयोगी साख का मूल सिद्धान्त यही है क्यों कि यदि कुछ लोगों का समूह मिलकर शामिल शरीक ज़मानत दे तो उसके बल पर इके दुके मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा सस्ते ब्याज पर रकम मिल सकती है। परंतु सहयोगी साख और सामूहिक साख में बहुत फर्क होता है। सहयोग के मायने ये हैं कि चंद भले और ईमानदार आदमी मिल-कर एक ऐसा संगठन कायम करें जिससे एक दूसरे के कामोंकी सिर्फ निगरानी ही न हो बल्कि आपुसी मदद देकर सब को जुदा जुदा व एकत्रित लाभ हो। इस से ज़ाहिर होगा कि हालांकि किसी को-आपरेटिव्ह सोसाइटी का उद्देश सिर्फ कर्जा निकालना ही क्यों न हो तो भी उस में और शामिल शरीक जिम्मेदारी पर तकावी लेने वालों के सिद्धांतों में फरक है। सहयोगी समा बनाने में मुख्य विचार यह रहता है कि उसके सदस्य एक दूसरे को सहारा

देवें और फ़मखर्ची व स्वसहाय की उन्नति करके क़र्ज़दार सदस्यों को क़र्ज़ के बोझ से जल्द मुक्ति करें। बरअक्स इस के मामूली शामिल शरीक क़र्ज़ के लेन-देन में साहूकार को इस से कोई वास्ता नहीं होता कि क़र्ज़ की रक़म का सदुपयोग हुआ या नहीं। बल्कि उसे जबतक ब्याज समय पर मिलता जाता है और मौजूदा ज़मानत में कोई फ़रक़ नहीं पड़ता तबतक उसे क़र्ज़ा वसूल करने की कोई उजलत नहीं होती। सहयोगी क़र्ज़ में बैंक को देखना पड़ता है कि रक़म उपजाऊ काम में खर्च की जावे और ऋण का चुकता ठीक समय पर हो। दुर्भाग्य से पिछले दिनों में कई सहयोगी सभायें बनाते समय ऊपर लिखे हुये सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस कोआपरेटिव्ह मोहकमें के खुलने से देहातियों का वैसा फ़ायदा नहीं हुआ जैसे पहिले उम्मीद की गई थी। थोड़े काल से सरकारने बैंकों और सुसाइटियों पर ज़्यादा देख रेख करना शुरु किया है और कोई वजह नहीं है कि अब अच्छी तरह सहयोगी सभाओं को बनाने के सच्चे प्रयत्न में सफलता न मिले। सच पूछो तो कुछ काल पहिले की परिस्थिती से आज की परिस्थिती ज़्यादा अनुकूल है। लोगों के सामने पिछली असफलताओं के सबक़ मौजूद हैं। कई स्थानों में सरकार ने समझौता बोर्ड खोल रखे हैं। जिनके द्वारा क़र्ज़ का बोझ घटाकर सहनेलायक़ किया जा रहा है और लैंड मारगेज (रहेन जमीन) बैंक खोले जा रहे हैं जिनके द्वारा कम किये हुये क़र्ज़ का प्रबंध हो जाता है। यदि इन चीज़ों से मौजूदा क़र्ज़ का बोझ हलका हो जावे तो ऋणियों को चाहिये कि वे प्राथमिक सभायें क़ायम करके अपना उद्धार करें। ये सभायें शुरू में भले ही क़र्ज़े लेने के लिये बनाई जावें, परंतु उनका मुख्य ध्येय यह होना चाहिये कि क़र्ज़दारों को किफ़ायत-शायरी

का सबक़ सिखावें। सहयोगी सभायें कई प्रकार की होती हैं, जैसे ऋण विषयक और अऋण विषयक, कृषिविषयक और अकृषि-विषयक, पैदावार और बिक्री से संबंध रखनेवाली, ख़रीद फ़रोख़्त से संबंध रखने वाली, इत्यादि। हर प्रांत में कोआपरेटिव्ह सोसाइटिओं के रजिस्ट्रारों ने सहयोगी सभाओं के बनाने और चलाने के विषय में नियम और उपनियम बनाये हैं और ये नियम कोआपरेटिव्ह (सहयोगी) मुहकमों के किसी भी अफ़सर या बाला बाला रजिस्ट्रार से मिल सकते हैं इस लिये इस अध्याय में हर प्रकार की सभा के कार्य के सिद्धांतों को बताने का प्रयत्न नहीं किया गया। यदि ज़रूरतमंद लोग मुहकमें के अफ़सरों से अपनी ज़रूरतों पर बातचीत करें तो वे उन्हें बतला देवेंगे कि किस प्रकार की सभासे उनका काम निकल सकेगा। यहां इतना कह देना काफी होगा कि सच्चा सहयोग एक बेशक़ीमती चीज़ है जिससे जनता को बहुत लाभ हो सकता है। क्योंकि इसमें शक नहीं कि कई आदमी इकट्ठे होकर जिस काम को करेंगे उसमें सफलता अवश्य होगी, और किसानों की खेती, रोज़गार वो जीवन की बेहतरी का तो यह एक आसान तरीक़ा है।

परिच्छेद १४

"देशी दस्तकारी और धंधे"

कहा जाता है कि पुराने ज़माने में भारतवर्ष दस्तकारियों में बहुत बढ़ा चढ़ा था व अपने कारीगरों की क़ाबलियत के लिये प्रसिद्ध था। परंतु ग्यारहवीं सदी के बाद जो इस मुल्क में विदेशियों के हमले हुये उनसे हारकर यहां के उद्योग धंधों को बहुत नुकसान पहुंचा और पश्चिमी देशों में कलों का प्रचार होने से और भी धक्का लगा। कल द्वारा बने हुये माल का मुकाबला हाथों की बनी हुई चीजों के न कर सकने के कारण देहाती कारीगरों को खास तौर से चोट पहुंची। मशीनों से बना हुआ सूत सस्ता होने की वजह हाथ से सूत कातने की प्रथा करीब करीब बंद होगई और चर्खों का इस्तैमाल कम हो गया। मट्टी के तेल के उपयोग के कारण देशी तेल की घानियों का चलना कम हो गया। विदेशी रसायनिक रंगों के यहां आने से देशी रंगों का इस्तैमाल करीब करीब बंद ही हो गया। देहाती चमड़ा पकाने वालों की ज्यादा मांग नहीं रही क्योंकि विदेश के पके हुये चमड़े अच्छे और सस्ते होते हैं। विदेशी इनेमल और एल्युमीनियम के बर्तन, तांबे और पीतल के बर्तनों का स्थान ले रहे हैं और लोहे के हलों और दूसरे औजारों के बढ़ते हुये प्रचार से गांव के लुहारों और बढ़इयों के रोजगार में धक्का पहुंचा। इस तरह समष्टि रूपसे गांव के बहुतसे धंधे बेजान हो गये। बहुतसे कारीगर लोग बिचारे अपने धंधों को छोड़ कर मजदूरी करने पर मजबूर हो

गये हैं। इसमें शक नहीं कि इनमें-से थोड़े भाग्यवान व्यक्तियों ने शहरों में जाकर अपनी जीविका सुधार ली है, परंतु उन लोगों की हालत शोचनीय है जो कि अपने खानदानी पेशे को पकड़े हुये गांव में बैठे हैं। हाल की व्यापारिक मंदी ने कारीगरों की स्थिती और भी खराब कर दी है यहांतक कि सरकार और अर्थशास्त्रवेत्ता दोनों इस विचार में लगे हुये हैं कि गांव में रहने वालों को उबारने के लिये कड़ा प्रयत्न किया जावे। सर्व सम्मति यह है कि जैसे खेती में सुधार करना वांछनीय है वैसे ही ग्रामों के उद्योगों को फिर से जिलाने के लिये कुछ खटपट करना जरुरी है। इस विषय में पहिली बात यह है कि यदि किसान अपना फाजिल समय को काम करने में खर्च करे तो वह अपनी हालत जरुर सुधार सकता है। फाजिल समय कितना निकलता है यह स्थान स्थान की खेती पर अवलंबित है, परंतु अंदाज लगाया गया है कि मोटे हिसाब से बहुतेक किसानों को साल में कम से कम दो चार महिने बिल्कुल फुरसत रहती है सवाल यह है कि ग्रामिक इस खाली समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसा करें। इस विषय में गांव के धनी मानी पुरुषों को विचार करना चाहिये कि कोई नया उद्योग शुरु करने की या मौजूदा उद्योगों को पुष्ट करने की गुंजायश है या नहीं। मुमकिन है कि कोई यह सवाल पूछे कि क्या आजकल के मशीन द्वारा सस्ती चीजों के बनाये जानेवाले युग में घरेलु उद्योगों को सफलता हासिल करने की उम्मेद हो सकती है? इसका जवाब यह है कि अगर इंगलैंड, जर्मनी, जापान, इत्यादि उद्योगोन्नत देशों में बड़े बड़े कारखानों के होते हुये भी घरेलू उद्योग पनप रहे हैं तो कोई वजह नहीं कि भारतवर्ष में जो कि हमेशा से व्यक्ति संपादित अथवा कुटुम्ब संपादित घरेलू उद्योगों को देश रहा

है, परंतु उद्योगों का भविष्य अच्छा न हो। जरूरत सिर्फ यह है कि शुरू किये जाने वाले धंधों का चुनाव होशियारी से होना चाहिये और कोई नये धंधे के शुरु करने के पहिले जिन बातों पर ध्यान देना चाहिये उनमें से कुछ नीचे लिखी जाती हैं:—

(क) नये उद्योग में जिन जिन कच्चे मसालों की जरूरत हो वे उस स्थान में बहुतायत से और सस्ते दाम पर मिलना चाहिये।

(ख) स्थानीय उद्योग ऐसे चुने जावें कि जिन से बने हुए माल बड़े बड़े कारखानों में कच्चे मसाले के रूप में काम आवें: जैसे देहाती पकाये हुये चमड़े, चमड़े के कारखानों में काम में लाये जा सकते हैं, देहाती औटा हुआ अलसी का तेल पेंट और वार्निश के काम आ सकता है और कूटा हुआ हरी रंग के कारखानों में काम आता है। अथवा स्थानीय उद्योगों का बना हुआ माल कोई खाने की चीज होवे; जैसे मुर्गीखाने के पदार्थ, चटनियां, शर्बत, पापड़, इत्यादि। शहर के देहाती उद्योग द्वारा पैदा किये हुये माल की मांग बड़े मिकदार में हमेशा होना चाहिये।

(ग) माल ऐसा हो जो कि छोटे पैमाने पर बगैर कीमती मशीनें बैठाये हुए तैयार किया जा सके।

(घ) माल के लिये मांग उसी स्थान में या नदीक के स्थानों में हो, जिससे ढोने और बाजार ले जाने की तकलीफ न पैदा होवे।

(ङ) माल का बाजार नक़द होवे जिससे कि उधारी में लागत बहुत समय तक फंसी न रहे।

ऊपर बतलाई हुई परखों के अनुसार जिन उद्योगों से फ़ायदे की उम्मीद की जा सकती है वे ये हैं:—खेतीके औज़ारों का बनाना, हाथ करघों पर बुनना, छींट छापना, निवाड़ और रस्सी बनाना, दरी और क़ालीन बनाना, खाल पकाना व चमड़े की चीजें बनाना, साबुन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, तेल पेरना, लाख बनाना, खिलौने बनाना, छाते बनाना, मुर्ग़ियां पालना इत्यादि। इन धंधों में बने हुये माल की मांग अवश्य है, परंतु ध्यान रहे कि इनमें भी सफलता प्राप्त करने के लिये पूंजी, तजुर्बा और संगठन की ज़रूरत होती है। इनमें से यदि काम करने वाले की साख है और धंधे में सफलता की उम्मीद है तो पूंजीके इकट्ठा होने में देर नहीं लगती और गांववालों में व्यापार बुद्धि और संगठन शक्ति काफ़ी होती है। कठिनाई है सो सिर्फ़ नये धंधों की विधि सीखने की और उन के बारे में तजुर्बा हासिल करने की। सो यह कठिनाई भी ऐसी नहीं है कि जो क़ाबू में न लाई जा सके। इस बारे में कई जगह सरकारने कई धंधों के सिखाने का प्रबंध किया है और कई कारख़ाने वालों से इंतज़ाम किया है कि सरकार के भेजे हुये आदमियों को काम बतलाया जावे। सरकार और भी कई किस्मों की सहूलियतें देने को तैयार है। यदि इन सुविधाओं से लाभ उठाया जाय तो देहातवालों का बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस विषय में अपने अपने प्रांत के "डाइरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज़" से पत्र व्यवहार करने से इन सहूलियतों का ब्योरा मालूम हो जायगा और इतना ही नहीं बल्कि एक अफ़सर मौके पर जावेगा और मनोनीत उद्योग के संगठन में मदद करेगा। आगे के सफ़ों में चंद मामूली उद्योगों में सुधार करनेके बारे में सलाह दी जायगी।

परिच्छेद ५६

"दरी और कालीन बुनना"

दरी बुनने का काम संयुक्त प्रांत और पंजाब में बड़े पैमाने पर होता है और दूसरे प्रांतों में भी कई केंद्रों में काफी बड़े कारखाने हैं। धागों का सूत ज्यादा तर छे, दो और तीन नम्बर का होता है और दरी कपास का बना हुआ होता है और ताने का सूत छे से बीस नम्बर तक के तीन तागों को बटकर तैयार किया जाता है। दरी बुनने के काम में चतुर कारीगर आसानी से रुपया रोज कमा सकता है। सरकार कारीगरों को सलाह से मदद देने को तैयार है। मुख्य जरूरत यह है कि अच्छा सामान लगाकर और रंगने की अच्छी विधियें इस्तेमाल करके स्थानीय माल की उत्तमता को बढ़ाया जाय। सस्ते बाजारू रंगों के नासमझ इस्तेमाल ने मनोहर नकशों की सुंदरता का नाश कर दिया है। वनस्पतियों के अर्क और लाख के रंगों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा होता है। बरसों टिकनेवाली दरियों में पक्के और मौजूं रंग देने की जरूरत पर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है। सुधरी हुई 'फ्लाई शटल' के इस्तेमाल करने से दरियां बनाने की लागत का खर्च बहुत कुछ घटाया जा सकता है। कालीन बनाने में ऊन के फंदे बनाने के लिये और उन्हें ताने में बुन देने के लिये हुकदार सुई का इस्तेमाल करने से बहुत सी मेहनत बच जाती है। चाकीन छड़वाली खास किस्म की कपड़े की जाली पर हुकदार सुई से बुन करके छोटे छोटे धुस्से और आसनें सुभीते से बनाये जा सकते हैं। इस किस्म का काम औसत दर्जे का होशियार आदमी घर बैठे बना सकता है और इस धंधे में शुरू में लगनेवाली लागत (२०) रु० से अधिक नहीं होती।

परिच्छेद ५७

"निवाड और रस्सी बनाना"

इन दोनों धंधो मे उन्नति करने की बहुत गुंजाइश है। निवाड़ के लिये मांग अच्छी है और पुतलीघरों का मुकाबला भी नहीं है। परंतु निवाड़ बुनने को मुनाफेदार धंधा बनाने के लिये सुधरे हुए औजारों का इस्तेमाल करना लाजमी है। सरकार ने निवाड़ बनाने के लिये दो प्रकार के नये स्लेे (सांचे) प्रचलित किये हैं जिनसे छै छै निवाड़ एक साथ बुनी जा सकती हैं। इनमें से जो सादा सांचा है उसका दाम सिर्फ २५) रू० है। निवाड़ बनाने का काम ज्यादा मेहनत तलब नहीं होता और आसानी से सीखा जा सकता है। कपास के पुतलीघरों के पास रहनेवाले लोग उनसे रद्दी सूत खरीद सकते हैं और उससे सस्ती निवाड़ें तैयार कर सकते हैं।

देहातों में रस्सी बनाने का काम सिर्फ घरू जरूरत पूरी करने के लिये या अक्सर फुर्सत का वक्त काटने के लिये किया जाता है। नतीजा यह है कि हिंदुस्थान को जितनी रस्सी की जरूरत पड़ती है उसका करीब आधा हिस्सा बाहर देश से आता है। कई प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के रेशे जैसे कपास, अंबाडी, सन, बबेर और दूसरी घासें बहुतायत से होती हैं और कोई वजह नहीं है कि रस्सी बुनने के धंधे में उन्नति न की जाय। सरकार ने नए प्रकार की फिरकियां २) रु० दाम पर और रस्सी बांटने की मशीनें २५) रु० दाम पर प्रचलित की हैं। इनको मोल लेकर रस्सी बनाने के काम में उन्नति करना चाहिये।

परिच्छेद ५८

"खाल पकाना और चमड़े की चीज़ें बनाना"

कई प्रांतों में हाथ बुनाई के धंधे के बाद दूसरा नम्बर चमड़े के रोज़गार का है। इस रोज़गार में चमड़ा पकाना, उसको मुकम्मिल करना और उससे जूते, मोट इत्यादि चीज़ें बनाना शामिल है। बहुतसे गावों में वहाँ के चमार खुद चमड़े पकाकर गांव के इस्तेमाल के लायक़ चीज़ें तैयार करते हैं लेकिन खेद की बात है कि स्थानीय चमड़े के काम करनेवालों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। असलियत यह है कि जूते, तोबड़े, ज़ीन, रस्सी, मोट इत्यादि औसत गांव की ज़रूरतों को थोड़े से ही चमार आसानी से पूरा कर देते हैं और बाक़ी के चमार सिर्फ चमड़ा पकाने के रोज़गार से अपना पेट नहीं भर सकते क्यों कि उन्हें खाल चिल्लर खरीदना पड़ती हैं और वे दूसरी क़ौमों के थोक व्यापारियों का मुक़ाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा देहात की पकाई हुई खालें उत्तम दर्जे की नहीं होती। उसका नतीजा यह है कि मद्रास, कानपूर आदि शहरों से बहुतसा चमड़ा खरीदकर देहातों में भेजा जाता है।

चमारों और खटीकों के उद्धार के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि उन्हें खाल खींचने और सुखाने की नई से नई तरकीबें सिखाई जावें। खालें दो प्रकार की होती हैं, हल्की और भारी। भारी क़िस्म में भैंसों और बैलों की खाल आती हैं और हल्की में भेड़ बकरी, हिरन और मामूली जंगली जन्तुओं की। भारी खालों को

परिच्छेद ५१

मिट्टी के बर्तन बनाना

काँच, चीनी, मिट्टी और एल्यूमिनियमके बर्तनों के इस्तेमाल के बढ़ जाने से मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता, खासकर शहरों में, बहुत घट गई है। परंतु देहात में अभी भी पानी, गल्ला वगैरह रखने के लिये मिट्टी के बर्तनों की मांग अधिक है। उत्तर हिंदुस्थान में मिट्टी के बर्तन बेल बूटों से सजाये जाते हैं और कभी कभी उनपर पालिश रहता है जिससे उनमें पानी और तेल नहीं भिदता। मध्यप्रदेश में मिट्टी के बर्तन बहुधा सादे होते हैं क्यों कि यहां की मिट्टी कुम्हार के चाक के लिये ज्यादा अच्छी नहीं होती।

मिट्टी के बर्तनों के उद्योग में आसानी से उन्नति की जा सकती है। सब से पहिली जरूरत यह है कि हाथ से चलाये जाने वाले सादे चाक के बदले में पैर से चलाया जानेवाला सुधरा हुआ चाक इस्तेमाल किया जावे। मौजूदा चाक में कुम्हार का ज्यादा वक्त उस को बांस की लकड़ी द्वारा चलाते रहने में ही खर्च हो जाता है, फिर भी बर्तन पूरा होने के पहिले ही वह अक्सर रुक जाता है। पैर से चलाये जानेवाले चाक के साथ कुम्हार अपना सारा समय और ध्यान बर्तन को रूप प्रदान करने में लगा सकता है। ऐसे चके की कीमत ज्यादा नहीं होती और यदि कुम्हार उसे मेजपर नहीं लगाना चाहता तो वह जमीन की उंचाईपर ही जमाया जा सकता है, या एक गड्ढा खोदकर किया जा सकता है जैसा कि

परिच्छेद ६०

साबुन बनाना

साबुन बनाने की क्रिया ने हाल के वर्षों में बहुत कुछ तरक्की हासिल की है और हिंदुस्थान के बने हुये नहाने के साबुन विदेशी माल की जगह ले रहे हैं। बहुतसे स्थानों में घरेलू धंधे के रूप में भी साबुन बनाने का काम होता है परंतु यहां सस्ते कपड़ा धोने वाले साबुन ही बनाये जाते हैं। सभ्यता की प्रगति के साथ साथ साबुन का उपयोग भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस उद्योग में तरक्की करने की बहुत गुंजाइश है। उचित रूपसे संगठित किये जाने पर इसमें मुनाफा भी माकूल होता है। यदि किसी बढ़ते हुये शहर में यह उद्योग शुरू किया जाय तो ५००) रू. की लागत से १००) रू. माहवार की आमदनी होना मुमकिन है। साबुन बनाने के लिये सबसे अधिक उपयोगी वनस्पति तेल नारियल और महुवा के होते हैं जो इस देश में बहुतायत से मिलते हैं। साबुन बनाने की रीति बिलकुल सहल है और थोड़े से काल में ही आसानी से सीखी जा सकती है। गृहस्थी के साबुन दो प्रकार की क्रियाओंसे बनाये जाते हैं। ठण्डी क्रिया और गरम क्रिया। ठण्डी क्रिया द्वारा साबुन बनाना ज्यादा आसान होता है, परंतु यदि बराबर ध्यान न दिया जाय तो साबुन में अक्सर ज्यादा खार रह जाता है जो धोये जाने वाले कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छे साबुन की परख स्वाद लेकर की जा सकती है। यदि जबान पर रखनेमें वह तेज और काटनेवाला हो तो उसमें

कास्टिक खरीदते वक़्त ध्यान रखना चाहिये कि वह बढ़िया किस्म का है या नहीं। हवा लगनेसे कास्टिक पानी सोख लेता है और खराब हो जाता है इस लिये उसे बंद बोतल या बर्तन में रखना चाहिये। इस्तेमाल करते समय उसे पानी में डालकर घोल तैयार करना पड़ता है घोल बनाने के लिये काफी कास्टिक एक इनेमल चढ़े हुए लोहे के बर्तन में डालो और धीरे धीरे पानी छोड़ते जाओ और एक लकड़ी की डंडी (जो शीशम की हो तो अच्छा है) से जल्दी जल्दी चलाते जाओ फिर थोड़ासा घोल एक टेस्ट ट्यूब (कांच की नली) में डालकर उसमें "व्योम-हाइड्रोमीटर" नामक गाढ़ापन नापने का यंत्र छोड़ो। यह यंत्र उस घोल में तैरेगा और कोई डिग्री बतलावेगा। यदि यह डिग्री २४ से ज्यादा हो तो घोल में थोड़ासा पानी और छोड़ो। यदि यह २० या २४ से कम हो तो घोल में थोड़ासा कास्टिक और मिलाओ जबतक कि घोल काफी गाढ़ा न हो जाय। एक दफे गाढ़ेपन का ठीक अंदाज़ हो जाने से फिर दुबारा यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश घर पर भी कपड़े धोनेवाले सोडा या सज्जी मिट्टी और कच्चे चूने के साथ पानी में मिलाकर खास रीति से उबालकर तैयार किये जा सकते हैं और उसकी रीति भी आसानी से सीखी जा सकती है। लायक विद्यार्थियों के शिक्षा का प्रबंध करने के लिये सरकार हमेशा तैयार रहती है। ज़रूरत रखनेवाले विद्यार्थियों को अपने प्रांतके डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से पत्र व्यवहार करना चाहिये।

सफेदजीरा	॥ छटाक
राई	॥ ,,
पिसी हल्दी	१ तोला
नमक	१ पाव
और राई का तेल	२॥ सेर

सावधानी से आमों को चार चार फांकों में इस तरह काट कर रखो कि वे जुदा न होने पावें। गुठली निकाल दो। ऊपर लिखे हुये मसालों को तेल में थोड़ा भूनकर पीसकर मिलाओ और इस मिश्रण को गुठली के स्थान में भरदो और फांकों को दबादो। यदि फांकें ज्यादा खुल गई हों तो धागे से कसदो। भरे हुवे आमों को मट्टी या चीनी के बर्तन में एक दिनभर रखो और फिर इन सब पर राई का तेल छोड़कर इन्हें करीब १५ दिन तक धूप दिखाओ।

(२) मसालेदार आम का सोनचा—

१०० अधकचे आम लेओ। उन्हें छीलो और चार या छः टुकड़ों में काटकर गोटियां निकाल दो। फिर राई आध पाव, सोंठ १ छटाक, मेथी आधी छटाक, अजवाइन १ छटाक, हींग आधा तोला, कालीमिर्च १ छटाक, पीपर १ छटाक, जायफल १ तोला, लालमिर्च आधी छटाक, लौंग २ तोले, बड़ी इलायची ४ तोले, सफेद जीरा १ छटाक, काला जीरा २ तोला, दालचीनी १ तोला, धनिया आधा पाव, मेथा नमक आधा पाव, नमक ३ छटाक और हल्दी १ छटाक लेओ। नमक छोड़कर बाकी सब मसालों को थोड़े घी में भूनो और नमक के साथ पीस लो। इस सब मसाले को आम के टुकड़ों में मिलाकर घड़े में रखकर और उसका मुंह कपड़े से अच्छी तरह बांध कर पंद्रह दिन तक धूप में रखो यह स्वादिष्ट और हाजिम होता है।

सामान को पीस लो और पीसकर निब्बुओं के अंदर भर दो। फांकों को धागेसे कसकर दो दिन धूपमें रखो। फिर और १५० निब्बुओं का रस निचोड़ कर घड़े में निब्बुओं पर इस तरह छोड़ दो कि सब निब्बू रस से ढक जायं। एक हफ्ता धूप में रखो।

निब्बू के अचार तेल और शीरे में भी आमों की तरह बनाये जाते हैं।

(६) आमका मुरब्बा—

मुरब्बे के लिये कलमी आम या बेरेशे के आम अच्छे होते हैं— इस किस्म के हरे बढ़िया आम— १ सेर, शकर दो सेर, चूना ३ तोला, नमक ३ तोला जमा करो, आमों को पोंछ कर छीललो और गूदे को बारीक बारीक तराश लो। तराशी हुई फाकों को थाम की सींकसे गोद डालो। फिर चूने को पानी में घोलकर उस पानी मे आमों को दो घंटे तक पड़ा रहने दो फिर निकालकर उन्हें साफ पानी मे धोडालो और नमक में सानकर एक थाल में ढांक कर दो घंटे रखा रहने दो। फिर गरम पानी मे धोडालो और साफ पानी में उबालकर नरम करलो और पानी निथार डालो। बाद को शकर के पतले शीरे में छोड़कर पकाओ, जब तक कि शीरा गाढ़ा न हो जाय, ठण्डा हो जाने पर बोतलों में भरलो। स्वाद बढ़ाने के लिये आधा तोला छोटी इलायची, तीन माशे काली मिर्च, दो माशे केसर थोड़े से दूध में घोट कर शीरे में ठण्डा होने वक्त छोड दो।

(७) मुरब्बे, सेब, गाजर, और आंवला के भी बनाये जाते हैं।

मुरब्बे बनाने में इसबात की सावधानी रखना चाहिये कि शीरा अच्छी तरह बनाया जावे और चासनी ठीक गाढ़ेपन की हो। शीरा बनाने के लिये ३ सेर शकर और २ सेर पानी लेओ। सही

परिच्छेद ६२

"पापड़"

हिन्दुस्तानी घरों में पापड़ एक अति रुचिकर खाद्य पदार्थ होता है और शहरों में इसकी मांग अच्छी होती है। शहरों के नजदीक वाले गावों की स्त्रियां अपना फुर्सत का वक्त पापड़ बनाने में लगा सकती हैं। इनके बनाने की रीति सुप्रसिद्ध है। बहुधा ये उड़द और मूंग की दालों के बनाये जाते हैं और इनमें मसाले पसंद के मुताबिक छोड़े जाते हैं। चंद नुस्खे नीचे दिये जाते हैं।

(१) मूंग का पापड़—

मूंग की दाल पानी में फुलाओ और कई पानी में मीनकर फुकली (छिल्का) धो डालो। फिर पीसकर बारीक पीठी बनाओ। फिर धीरे धीरे सब में इतना बेसन मिलाओ कि वह सख्त हो जावे। बेसन मिली हुई पीठी को दो तीन घंटे तक गूंधो। अंदाज से नमक और जीरा मिलाओ। फिर लोइयां काटकर पतले पतले पापड़ बेललो।

(२) मूंग के पापड़ (दूसरी रीति)—

ऊपर के समान फुकली (छिल्का) साफ करो और दालें सुखा कर बारीक पीस लो। एक पाव आटे पीछे, एक तोला नमक एक तोला काली मिर्च, एक तोला अजवाइन और एक तोला सोडा खार मिलाओ। फिर थोड़े पानी में सानकर सख्त गूंधलो और पापड़ बेललो।

परिच्छेद ६३

"सिरका"

आजकल चटनियां और अचार बनाने के लिये और फलों और तरकारियों का अचार रखने के लिये सिरके की मांग बहुत है। यह फलों के रसों से बनाया जा सकता है, जैसे गन्ने का रस, खजूर का रस, द्राक्ष का रस और संतरों का रस। बनाने की रीति सरल है और नीचे लिखे मुताबिक है:—

मिट्टी के घड़े में १० सेर गन्ने का रस लेओ और उसे उबालपर लाओ। जब उफान आजाय, आंच से उतार लो और ठंडा होने पर छान लो। मिट्टी के घड़े में भरकर उसका मुंह बंद कर दो और गर्दन तक जमीन में गाड़ दो। दस पंद्रह दिनों में रस के ऊपर पपड़ी पड़ जावेगी। पपड़ी को छांटलो और फिर मुंह बंद करदो। कुछ दिनों में दूसरी पपड़ी बन आवेगी। उसे भी छांट लो। जबतक पपड़ी बनना बंद न हो इसी रीति को दुहराते जाओ। फिर सिरके को छानलो और इस्तेमाल के लिये बोतलों में भरलो।

प्रसंगों मे फंसे रहते हैं। यदि किसी गांव में इस क़िस्म के प्रश्न उपस्थित हों तो उन्हें अवश्य हल करना चाहिये। साथ ही साथ चंद और बातें नीचे बतलाई जाती हैं जो उत्साही कार्यकर्त्ताओं के ध्यान देने योग्य हैं:—

(१) सामाजिक सवालों का सुलझाना:—

जैसे बालविवाह आदि और क़ानूनी सामाजिक अनर्थों को रोकना और त्योहारों व तक़रीबों के अवसरों पर फ़िज़ूल खर्च बन्द करना तथा ज़ेवरों में अधिक रुपयों को गला देने की प्रथा को तोड़ना इत्यादि।

(२) धर्मादा और खैराती संस्थाओं का प्रबंध करना:—

(३) ग्राम पंचायतों का बनाना और उन्हें गांव के फ़ायदे के लिये काम में लगाना।

(४) सड़कों और अमि जगहों पर किये हुये नाजायज़ कब्ज़ों को हटाना।

(५) विस्तृत खेतों की चकबंदी करना।

(६) नीचे लिखे अनुसार प्राथमिक शिक्षा की तरक्क़ी करना:—

(अ) हाज़िरी बढ़ाकर।

(ब) शालाओं को कुशादा बनाकर।

(स) अनिवार्य शिक्षा को चालू करनेमें अधिकारियों को सहायता देकर।

(ड) शालाओं में खेले जानेवाले खेलों का संगठन करके।

काम करनेवालों और सहयोग देनेवालों को भी ऊपर लिखे मुताबिक सजा दी जा सकती है और यदि कोई नाबालिग ऐसी शादी करे तो उसके माता-पिता या वली को भी उसी मुताबिक सजा दी जा सकती है। इस लिये यह समझा देना चाहिये कि १४ वर्ष से कम की कन्या या १८ वर्ष के कम वर का विवाह करना जुर्म है और पुरोहित, वली और बातचीत तै करनेवाले सब ही को सजा हो सकती है।

इस मद में दूसरी बात जिसका संकेत ऊपर किया गया, वह है तकरीबों के अवसर पर कम खर्च करना। इस संबंध में खास जरुरत इस बात की है कि जनता के विचार बदले जावें जिससे कि अगर कोई आदमी किफायत से खर्च करे या बड़ा भोज न देवे या किसी सामाजिक मौके पर शान व शौकत में न पड़े तो उसे कंजूस समझकर जनता उसे नीची नजर से न देखे। उन्हें यह बतलाना चाहिये कि बड़प्पन अपनी हैसियत से बाहिर खर्च करने में नहीं होता बल्कि अच्छे कार्य करने से। एक कहावत है कि मूर्ख दावतें देते हैं और बुद्धिमान उनका मजा उठाते हैं। और भी सच कहा गया है कि बिगड़े हुए आदमी को गरीबी उतनी नहीं सताती जितनी कि झूठी इज्जत कायम रखने के लिये दिखावा करने में पीड़ा होती है। ऐसे लोग अक्सर क़र्ज़ लेकर भारी खर्च कर डालते हैं जिसकी चोट से उनका जीवन हमेशा के लिये दुःखमय हो जाता है।

[२] धर्मादा के प्रबंध और दान के नियमित करने के विषय में यह बतला देना चाहिये कि साधुओं को खिलाने, तीर्थयात्रा करने, मंदिर बनाने या अनियमित धर्मादा पर खर्च करने से सच्चा पुण्य

जाता है। इस क़ानून के अनुसार हर पुश्त में खेतों की पट्टियां पड़ती जाती हैं यहां तक कि कुछ काल के बाद चक इतने छोटे हो जाते हैं कि उनकी अलग अलग काश्त करने में कुछ मुनाफा नहीं होता, क्योंकि एक छोटे रक़बे के लिये क़ीमती औज़ार काम में लाना बेसूद होता है और उसमें मवेशियों के खाने के लिये घास, चारा, या कोई फ़सल बोने की गुंजाइश नहीं रहती। इन त्रुटियों को बंद करने का सिर्फ़ एक उपाय है और वह है चकबंदी।

[६] तालीम की तरक्की के बारे में कृषिविषयक शाही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फ़र्माया है कि खेती ही एक ऐसा धंधा है जिसमें कृषक का भाग्य-उदय उसकी निजी क़ाबलियत और बुद्धि पर अवलंबित होता है और जिसमें प्राथमिक शिक्षा सबसे अधिक लाभकारी होती है। इसकी वजह यह है कि और अन्य धंधों में काम काज करनेवालों का सारा जीवन उतना लिप्त नहीं होता जितना खेती में। इसलिये उन साहिबान की यह सिफ़ारिश है कि देहात में शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिये कि जिसका लोगों के दैनिक जीवन से घनिष्ट संबंध हो। क्योंकि जिस तालीम से किसानों के विचार उनके जीवन सम्बंधी बातों पर विशाल और विस्तृत होंगे उसीसे उनके धंधे को ठीक तौर पर चलाने में मदद मिलेगी। ऐसी तालीम से वे सिर्फ़ अधिक धन ही पैदा न कर सकेंगे बल्कि अपनी पुरानी तेहज़ीब की परिपाटी को बग़ैर तबदील किये उससे नये नये और ऊंचे दर्जे के आनन्द उठा सकेंगे। आजकल के शिक्षा विशारदों की भी यही राय है कि गावों में जो भी शिक्षण की योजना की जाय यदि वह ग्रामिणों की आर्थिक आवश्यकताओं से मुख्य सम्बंध नहीं रखती है तो वह अवश्य निरर्थक साबित होगी।

रहे कि अनिवार्य शिक्षा की योजनाओं के कामयाब होने के लिये यह लाजिम है कि स्थानीय संस्थायें उन योजनाओं को अमल में लाने के लिये माकूल उपनियम बनावें और कम्पलसरी एज्युकेशन एक्ट [अनिवार्य शिक्षा के क़ानून] के मुताबिक़ मुकर्रर किये हुये हाजरी के अधिकारी वर्ग अपनी जिम्मेदारी पूरी तौर पर बर्तें और नियम भंग करने वालों का चालान करने की मंजूरी देने में आगा पीछा न करें।

अदद (ड) "खेलों के संगठण" के बारे में यह बतलाना चाहिये कि ताक़तवर शरीर बनाने के लिये और उसे तन्दुरुस्त रखनेके लिये माकूल कसरत की ज़रूरत होती है। कसरत न करने से मांस पेशियां तरक्की नहीं करतीं और नरम रह जाती हैं, हाजमा बिगड़ जाता है और खून में बीमारियों के रोकने की शक्ति कम हो जाती है। कसरत करते समय दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है और सांस भी तेजी से चलती है जिससे प्राणवायु अधिक मात्रा में पहुंच कर खून को साफ करके शरीर के हरएक भाग में ज्यादा मिकदार में पहुंचाती है। शरीर स्वस्थ हुए बिना चित्त भी स्वस्थ नहीं हो सकता। अच्छी यादद्दास्त रखने के लिये, मेहनत से पढ़ सकने और बुद्धि के विकाश के लिये यह जरूरी है कि छात्रगण रोज़ कसरत करने का अभ्यास डालें। चुपचाप बैठकर कुछ देर तक सबक याद करने के बाद बच्चों की सांस कुछ धीमी हो जाती है और वे पूरी पूरी हवा नहीं खींच सकते। इसलिये कुछ घंटों की पढ़ाई के बाद बच्चों को थोड़ी छुट्टी देना चाहिये जिससे वे बाहर जाकर खेल सकें।

अदद (ई) इनाम—योग्य बालकों को इनाम बांटने के लिये काफी रकम का इकट्ठा करना मुश्किल बात नहीं है। गांव के

लोगों के लिये वह वातावरण अनुकूल नहीं होता । देहाती घर में माता-पिता मामूली तौर से खुद अपढ़ रहते हैं और अक्सर वे इतने गरीब होते हैं कि अपने बच्चों के लिये किताबें और रोचक साहित्य नहीं खरीद सकते । इस लिये वाचनालयों, पुस्तकालयों, स्त्री-कक्षाओं आदि को उत्तेजन देने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिये।

ऊपर के विवरण से जाहिर होगा कि उत्थान का काम करने वालों के लिये बहुत बड़ा मैदान खाली पड़ा है, और यह लाजमी नहीं है कि वे अपनी कार्रवाइयां ऊपर दी हुई बातों के अंदर ही परिमित रक्खें । कई और बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं । जैसे बच्चों को नागरिक शिक्षा देने में, देशभक्ति जगाने में, निःस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करने में, और जनता की भलाई की जिम्मेदारी सिखाने में लगा सकते हैं । इस भाग में सार्वजनिक रोचक विषयों के कुछ परिच्छेद भी शामिल किये जायेंगे ।

सरकारी रक्षा वो पैसे की मदद से वंचित रखना ठीक नहीं। इसलिये जन साधारण की शिक्षा का मुहकमा खोला गया और प्राथमिक शालाएं उसकी प्रबंधता में लाई गईं। लेकिन फिर भी तालीम के फैलाव का वेग बहुत धीमा रहा और शिक्षित जनों की संख्या इतमीनान के क़ाबिल नहीं बढ़ी, इसलिये जब समिति के नेताओं ने सरकार पर ज़ोर डाला कि वाह्य शिक्षा का क़ानून बनाया जाय जिससे कि शीघ्र ही सारी जनता शिक्षित हो जावे, सरकार ने जनता की मांग को क़ुबूल किया और अब वह जिस नीति से बद्ध है उसका वर्णन भूतपूर्व महाराजाधिराज पंचमजार्ज के शब्दों में यों है "कि देश भर में शालाएं व कालेज जगह जगह स्थापित किये जावें ताकि उनसे निकल कर देशभक्त, साहसी और उपयोगी नागरिक पैदा हों जो खेती में, दस्तकारी में और जीवन के दूसरे धंधों में कुशल हों, और विदेशियों से मुक़ाबिला कर सकें; साथ ही साथ विद्या के प्रचार से वे भारतीय घरों का जीवन अधिक आलोकमय बना सकें और विद्या अध्ययन के जितने लाभ हैं वे सब जनता को पहुंचा सकें।" इस नीति के अनुसार एक नया हुक्म जारी किया गया कि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूलों के द्वारा की जाय, लेकिन जहाँ बोर्ड की आर्थिक दशा खराब होने के कारण स्कूलों का उचित प्रबंध न हो सके वहाँ एडेड स्कूल खोले जावें जिनके खर्च के लिये सरकार कुछ सहायता दे। इस प्रकार अब भिन्न भिन्न तरह के स्कूल खुल गये हैं। और सरकारें और शिक्षा विशेषज्ञ लोग ऐसी शिक्षा पद्धति की खोज में लगे हुए हैं कि जो शिष्यों के जीवन और परिस्थिति के अनुकूल हो। परंतु जबतक ग्रामीण लोग खुद दिली सहयोग देकर स्कूलों को सफल न बनावेंगे, तबतक अकेली सरकार कितनीही प्रयत्न क्यों न

को यह भी समझाना चाहिये कि गुरू उनके बच्चों के भाग्य का बहुत कुछ बनाने व बिगाड़नेवाला होता है। और उन्हें देखना चाहिये कि उसका व्यवहार सहृदय हो, और वह अपने शिष्यों के चरित्र संगठन और मनोबल से सच्ची दिलचस्पी लेता है या नहीं। उसे अपने हरएक शिष्य से जानी-पहिचान करना चाहिये और अपने सदाचार का आदर्श भी उनके सामने रखना चाहिये क्यों कि बच्चों पर उनके गुरू का बहुत असर पड़ता है।

साथ ही साथ यह न भूल जाना चाहिये कि शिक्षक भी एक गृहस्थ होता है, न कि सन्यासी। उसे भी जीविका पैदा करके अपने कुटुम्ब की परवरिश करनी पड़ती है। यदि उसे अच्छी तनख्वाह न दी जावे या वक्तपर न दी जावे, यदि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जावे या उसे बार बार तबादला करके सताया जावे या उसकी शक्तियां राजनैतिक या दूसरे अवांछनीय कामों में लगाकर बांट दी जावें तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अच्छी तरह अपना काम कर सकेगा। ग्रामीणों को चाहिये कि वे स्थानीय संस्थाओं में भेजे हुए अपने प्रतिनिधियों पर जोर डालें कि वे देखें कि शिक्षकों के साथ मनुष्यता का बर्ताव किया जावे।

यदि विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकगण एक दूसरे की फिक्र करें तो निस्संदेह ग्रामीण शिक्षा का सवाल हल हो जावेगा और जिस मतलब से ग्रामशालायें खोली गई हैं, वह हासिल हो जावेगा।

नोटिफाइड एरिया की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और स्वतंत्र लोकल बोर्ड इसी विशेष अभिप्राय के लिये सभा बुलाकर प्रस्ताव पास करके प्रांतीय सरकार को अर्जी देवे कि वह उनकी सरहद भर में या किसी हिस्से में सब या खास खास वर्गों पर या जातियों पर बाध्य शिक्षा का क़ानून लागू कर देवे। यदि प्रांतीय सरकार इस अर्जी को मंजूर कर लेवे तो मुक़र्रर सरहद के अंदर रहनेवाले और मुक़र्रर वर्गों या जातियोंवाले ऐसी उम्र के जो ६ वर्ष से कम न हों और १४ वर्ष से ज्यादा, हरएक बालक और बालिका के लिये प्राथमिक स्कूल में भर्ती होना अनिवार्य होगा और उसके मातापिता का फ़र्ज़ होगा कि वे उसे स्कूल में हाज़िर करावें। यदि कोई माता या पिता इस फ़र्ज़ की अदाई नहीं करे तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराये जाने पर जुर्माने की सज़ा का भागी होगा। पहिले जुर्म में दो रूपये तक और यदि कोई शख्स जानबूझकर अपने या दूसरे के वास्ते ऐसे बालक या बालिका को मेहिन्ताने पर या बग़ैर मोहिन्ताने के इस तौर पर काम में लगावे कि उसकी उचित प्राथमिक शिक्षा में विघ्न पड़े तो वह भी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराये जाने पर पच्चीस रूपये तक जुर्माने का भागी होगा। यह बात देखकर अफ़सोस होता है कि यद्यपि यह एक्ट बहुत समय से जारी है तो भी अभी तक उससे पुरा फ़ायदा नहीं उठाया गया और अभी तो बहुत से स्थानों में एक्ट लागू भी नहीं किया गया है।

ग्रामोत्थान के कार्य कर्ताओं को यह समझलेना चाहिये कि देहाती हिस्सों की उन्नति बहुत कुछ उसी हद तक होगी जिस हद तक प्राथमिक शिक्षा हर घर में पहुंचाई जावेगी और जिस तरह गांव के स्कूल से फ़ायदा उठाया जावेगा। इस लिये उन्हें चाहिये कि वे अपने स्थान के नेताओं से आग्रह करें कि वे बाध्य प्राथमिक शिक्षाओं के फैलाने में ज्यादा दिलचस्पी लें और उसके क़ानून के अमल को अबसे ज्यादा प्रभावशाली बनावें।

(१४) शिक्षित माताएँ अपनी सन्तान की रुचि स्कूल छोड़ने के बाद भी पुस्तकों की ओर रख सकती हैं जिससे कि स्कूल में हासिल की हुई विद्या व्यर्थ नहीं जाती।

नई पुत्री शालायें खोलने के विषय में दानी प्रकृति के लोगों से प्रार्थना की जावे कि शुरू में प्राइवेट स्कूल खोलें और बाद में सरकार से और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से आर्थिक सहायता की दरख्वास्त करें। सरकार से ग्रांट बहुधा तीन तीन साल के लिये दिये जाते हैं जो स्कूल के सालाना खर्च के एक तिहाई भाग को पूरा करने के लिये काफी होते हैं। इसके अलावा पुत्रियों को शिक्षा की योजना देने के हेतु, कई प्रान्तों में विशेष ग्रांट देने के नियम बने हुये हैं, जिन का ब्योरा डाइरेक्टर ऑफ स्कूल्स को पत्र भेजकर दर्याफ्त कर सकते हैं।

स्त्री शिक्षा में गृह-कर्तव्य शास्त्र की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। कन्या पाठशालाओं में इस विषय पर बहुधा ठीक प्रबन्ध नहीं होता, इसलिये माताओं को चाहिये कि वे गृह प्रबंध की शिक्षा कन्याओं को समय मिलने पर देती रहें। देहातों में भी बहुतसी मातायें पढ़ी लिखी न होने पर भी गृह-प्रबंध में दक्ष होती हैं। आजकल गार्हस्थ्य शास्त्र पर बहुतसी पुस्तकें भी मिलती हैं। पढ़े लिखे देहाती इन किताबों को बुलाकर गांव की कन्याओं की शिक्षा का उचित प्रबंध कर सकते हैं। इस विषय का पाठ्यक्रम नीचे लिखे मुताबिक होना चाहिये:—

(१) गुड़ियों के खेल सिखलाना और गुड़ियों का बनाना।

(१४) भजन गाना और धार्मिक कथायें सीखना।

(१५) चौक पूरना, पूजा की विधि जानना व व्रत--उपवास के दिनों की विधि का ज्ञान होना।

(१६) घर सजाना।

(१७) चित्र-कला और रंगीन काम सीखना।

(१८) गाना, बजाना सीखना।

(१९) चिट्ठी पत्री लिखना सीखना।

(२०) घरके आमदनी व खर्च का ठीक ठीक हिसाब रखना।

ऊपर का पाठ्यक्रम हरएक स्थिति के गृहस्थ को शायद लागू न हो, परन्तु इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी शिक्षा कन्याओं को आमतौर पर लाभदायक होनी चाहिये।

परिच्छेद ६८

गांव की स्कूल कमेटी

देहात के प्राथमिक स्कूल प्रायः डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों के खर्च से चलते हैं और ये कौन्सिलें समय समय पर उनके इंतज़ाम और शासन के लिये अपनी मातेहती में स्कूल बोर्ड मुक़र्रर किया करती हैं। इनके सदस्य कुछ तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेम्बरों में से और कुछ बाहरी लोगों में से चुने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मातेहती में लोकलबोर्ड भी स्कूल कमेटियां मुक़र्रर कर सकते हैं और ये स्कूल कमेटियां बोर्ड की निगरानी में स्कूलों का इंतज़ाम करती हैं। व्यवहार में लोकलबोर्ड स्कूल कमेटियों के मेम्बर का चुनाव डिप्टी इंस्पेक्टर और रूरल और तहसीलदार से सलाह लेकर करते हैं। इन कमेटियों के कर्तव्य ये हैं:—

(१) कमसे से कम महीने में एकबार इकट्ठे मिलकर स्कूल का मुलाहिज़ा करना और अपनी कार्रवाई एक किताब में दर्ज करना। तनहा मुलाहिज़े [अकेले निरीक्षण] यकायक करना चाहिये जिससे पता चले कि शिक्षक लोग अपना काम बराबर करते हैं या नहीं।

(२) हाज़री बराबर रखवाना, नियमों का पालन करवाना, फीस के क़ायदों के मुताबिक़ फ़ीस मुक़र्रर करना और फीस वसूली से आई हुई रक़म के खर्च की जांच करना।

(३) बेक़ायदा काजानवाला बातों को और जगह की तंगी वग़ैरह की रिपोर्ट लोकलबोर्ड के पास भेजना।

(४) स्कूल के शिक्षकों को छोटी छोटी छुट्टियां देना ।

(५) कटनी वगैरह की वजह स्कूल कब बंद किया जाय इसकी सलाह देना ।

(६) यह देखना कि स्कूल स्वच्छ रखा जाता है या नहीं और शिष्यों को स्वच्छता सिखलाई जाती है या नहीं ।

(७) यह देखना कि सब जाति और धर्म के शिष्यों के साथ एकसा बर्ताव होता है या नहीं ।

(८) यही देखना कि बच्चों की तन्दुरुस्ती पर बराबर ध्यान दिया जाता है और वे बराबर खेल कूद में भाग लेते हैं या नहीं ।

(९) यह देखना कि पीने के पानी में कोई दोष न होने पावे ।

(१०) हर तरह की तरक्कियों के निस्बत सलाह देना ।

यदि स्कूल कमेटी के सदस्य ऊपर बतलाये अनुसार अपना कर्त्तव्य पूरा करते रहें तो कोई वजह नहीं कि उनके स्कूलों के नतीजे अच्छे न निकलें । आजकल अक्सर मास्टर लोग खुद मुख्तार छोड़ दिये जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि या तो वे अपना काम करने में ढीले या लापरवाह हो जाते हैं या अपना ध्यान ऐसी बातों में लगाने लगते हैं जिनसे स्कूल की उन्नति का कोई संबंध नहीं रहता । गांववालों को ध्यान रखना चाहिये कि मास्टर लोग जनता के मुलाजिम होते हैं और उनकी तनख्वाहें उन करों से दी जाती हैं जो जनता से वसूल होता है । इस लिये उनका फर्ज है कि वे इसकी देखरेख करें कि मास्टरों की लापरवाही या नालायकी से उनके बच्चों का वक्त नष्ट न होने पावे ।

(३) खाने की तम्बाकू:—

ऊंचे दर्जे की तेज लाल तम्बाकू के पत्ते आधा सेर लेओ। उनको मसलकर नसें अलग कर दो और धूल छान दो। फिर पत्ती को आधा पाव गुलाबजल में भिगाओ और छाया में सुखालो। फिर केसर ४ रत्ती, जायफल और जावित्री तीन तीन माशा, इलायची, लौंग, गुलाब के फूल की पत्ती, पांदरी छः छः माशे और मिल सके तो कस्तूरी दो रत्ती लेओ और एक एक तोला घुमाया हुआ चूना और कत्था और करीब २० पत्ते पान भी लेओ। इन सबको पीसकर चूरन बनालो और सबको आधा पाव गुलाबजल में भिगाओ और उसमें तम्बाकू भी हाथों से मलकर छाया में सुखा लो और डब्बे में बंद करके रख लो।

(४) बालों में डालने का तेल:—

खालिस तिल्ली का या गरी का तेल एक सेर लेओ। उसमें नीचे दी हुई चीजें भिगाओ।

चंदनचूरा	१ पाव
पांदरी	१ छटाक
कपूर	१ छटाक
गुलाबकी पत्ती [पंखड़ी]	१ छटाक

बंद बोतल या एल्यूमिनियम के बर्तन में रखकर १५ दिन तक धूप में रखो या कपूर को छोड़कर बाकी चीजें दो दिन तक पानी में भिगाकर उस पानी और कपूर को तेल में मिलाओ। इसे एक बंद बर्तन में रखो और ढक्कन पर गीली मिट्टी थोप दो। फिर बर्तन को ६ घंटे धीमी आंच पर गरम करो। दूसरे दिन ठण्डा हो जाने पर फलालैन या स्याहीसोख कागज से छान लो। यदि तेल को रंगीन

बनाना हो तो थोड़ीसी पिसी हुई सुपारी की जड मिलादो । सब चीजें मिलाने के पेश्तर तेल को पिसे हुये कोयले से छान लेना बेहतर होगा । इससे उसकी बू निकल जाती है और बाद को कीट भी नहीं जमती ।

(५) बाल धोने का मसालाः —

कपूर एक तोला और चौकिया सोहागा २ तोला लेओ । दोनों को महीन चूर्ण कर तीन छटाक पानी में उबालो । ठण्डा होने पर इस पानी से बाल धोवे । इससे खुश्की रफा हो जाती है और बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं ।

(६) तांबूल बहारः —

छोटी इलायची के दाने, जायफल और मुलहटी छः छः माशे लेकर बारीक पीसकर कपड़छान कर लो और एक पाव इत्र की गाद में मिलाकर खरल करो । यदि पतली हो तो थोड़ा अरारोट मिलाओ । इत्र की गाद कन्नौज से आठ आना सेर के भाव से मंगाई जा सकती है ।

(७) अबीरः—

यह एक लाल बुरादा होता है जो होली के त्योहार पर बहुत इस्तैमाल किया जाता है । इसे बनाने के लिये थोडा लाल रंग पानी में घोल लो और एक सेर अरारोट में मिला दो । सूखने पर इस्तैमाल करो ।

(८) सुराहीः—

गांव के कुम्हार से कहो कि तैय्यार-की-हुई मिट्टी में एक सेर रेतीली मिट्टी या रेत और थोडे पानी में घोला हुआ एक सेर नमक मिलावे । इस तरह तैय्यार की हुई मिट्टी से बनाई हुई सुराहियां गर्मी में पानी को खूब ठण्डा रखती हैं ।

(९) मोम रोगन:—

बकरी की चर्बी	आध सेर
मधुमक्खी का मोम	१ पाव
कपूर	१ तोला
तारपीन का तेल	१ बोतल

पहिली तीन चीजों को धीमी आंच पर गरम करो। जब मिलकर एक दिल हो जायं, आंच से उतार लो और फिर तारपीन मिलाओ।

(१०) लकड़ी के सामान के लिये पालिश:—

एक बोतल मेथिलेटेड स्प्रिट में दो छटाक लाख छोड़ दो। बोतल में काग लगा कर दो घंटे तक धूप में रखो जिससे कि लाख घुल जाय। पालिश, चिन्धी से लगाओ और बोतल को हरदफे हिलाओ। यदि सामान को मेहगनी रंग देना हो तो पालिश में एक चमच किरमिजी मिट्टी या खूनखरावी मिला लेओ।

परिच्छेद ७१

"परहेज़गारी"

हिन्दी में एक गंवारी कहावत है कि "कौड़ियां खर्च करके जूतियां खाना यह मज़ा शराबखोरी में देखा"। इसमें शक नहीं कि शराब पीने से अक्सर दुराचार और झगड़े पैदा होते हैं, जिनके कारण ऐसी बेइज्ज़ती होती है जो कभी कभी जूते खाने से भी बदतर होती है। कुछ साल पहिले फ्रांस के चंद नामी डाक्टरोंने यहां की अधिक मृत्युसंख्या के कारणों की खोज करते समय इस बात का पता पाया कि शराब खोरी उसका मुख्य कारण है अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि "शराब पीने की आदत से मनुष्य अपने स्वाभाविक स्नेह खो बैठता है और पुत्र, पति या पिता की हैसियत की ज़िम्मेदारियां भूल जाता है। इसके कारण मनुष्य अपने धन्धे में अयोग्य हो जाता है। कई बड़ी बीमारियों का भी मुख्य कारण शराबखोरी ही है।"

खोज करने से यह भी पता चला है कि बहुतसे मनुष्य, स्त्री संभोग के हेतु थोड़ी देर की उत्तेजना के लिये शराब पीते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि शराब के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे स्तम्भन शक्ति या सच्ची ताक़त पैदा हो सके। शराब एक बहुत तेज़ जहर है जिसके पीने से शरीर ज़हरीला हो जाता है और बुद्धि पर भी बुरा असर होता है। इसमें शक नहीं, थोड़ीसी शराब पीने के बाद कुछ मिनटों तक अक्ल ज्यादा तेज़ मालूम पड़ती है और विचारधारा अधिक स्वतंत्रता से बढ़ती है, परंतु शराब का

मात्रा ज्यादा होने पर दिमाग़ बेहोश होने लगता है और कभी कभी तो उससे भला बुरा समझने की ताक़त ही जाती रहती है।

शराब के व्यवहार में लोग अक्सर यह दलील पेश करते हैं कि यदि शराब वाकई खराब चीज़ हो तो हिंदुस्थान में आये हुए यूरोपियन लोगों पर जो करीब करीब रोज शराब पीते हैं कोई बुरा असर क्यों नहीं होता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ये लोग ठण्डी आबहवा के रहनेवाले हैं और उनकी काठी हम लोगों की बनिस्बत ज्यादा मज़बूत होती है और यह कि वे लोग शराब हिसाब से पीते हैं, पुष्ट भोजन करते हैं और मेहनत करते हैं फिर भी उन लोगो को शराब से नुक्सान पहुंचता ही है हालांकि दूर से देखने वालों को उसका पता नहीं चलता। गरम देशमें रहने वाले हिन्दुस्थानियों पर शराब का असर बहुतही खराब होता है। थोड़े ही काल सेवन के बाद उनकी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। उनका गुर्दा कमज़ोर हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, और मौत नज़दीक आ जाती है। सिर्फ शराब से ही ये सब बुरे नतीजे नहीं होते बल्कि हरएक नशा उतनाही मुज़िर व खराब होता है। अफीम से क़ब्जियत पैदा होती है और दिमाग़ और अंतड़ियों पर असर पड़ता है। चरस और गांजा से फेफड़े सूख जाते हैं और उनके अधिक इस्तेमाल से मनुष्य पागल हो जाता है। हिन्दुओं के पुराणों के अनुसार समुद्र के मंथन से जो शराब निकली वह राक्षसों के हिस्से में दी गई थी उसका असली मतलब यह है जो लोग जानबूझकर नशे से अपना नैतिक स्वभाव बिगाड़ते हैं वे राक्षसों की श्रेणी में हैं।

यदि लोग शराब पीने की आदत छोड़ दें तो उनको ही फ़ायदा न होगा किन्तु जनता का रुपया जो फिलहाल आबकारी

मुहकमा क़ायम रखने में खर्च होता है बच जावेगा और उसका सद्उपयोग हो सकेगा।

शराब की आदत तोड़ने के लिये खास जरूरत यह है कि उसकी इच्छा को दमन करने का पक्का इरादा कर लिया जाय और नशा करनेवाले लोगों की संगत छोड़ दी जाय। घर के अंदर शराब न घुसने दे और प्रण करले कि शराब की दूकान पर कभी न जायंगे। साथ ही साथ खुली हवा में रहने का अभ्यास करे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि वह हमें इस बुरी चीज से बचनेका बल देवे। जो लोग सच्चे दिल से ईश्वर से मदद मांगते हैं उन्हें वह ज़रूर मदद देता है।

परिच्छेद ७२

"गावों में जानमाल की हिफ़ाज़त"

इस परिच्छेद में कुछ युक्तियां बतलाई जावेंगी जिनके मुताबिक पुलिस को जरायम के पता लगाने और रोकने में मदद देकर जनता अपने जानमाल की रक्षा कर सकती है।

पहिली बात यह है कि जुर्म होने की रिपोर्ट पुलिस को फौरन की जाना चाहिये। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा ४४ के मुताबिक जनता का फर्ज़ है कि वह सबसे नज़दीक के मैजिस्ट्रेट या पुलिस अफ़सर को चद जरायम के होने की या उनके करने के इरादे की इत्तला फौरन देवे। इन जरायम की परिभाषा नीचे लिखे मुताबिक है:—

मजमा-खिलाफ़-क़ानून का मेम्बर होना, बल्वा करना, क़त्ल, सरका-बिलजब्र, डकैती, आग के जरिये नुक़सान पहुंचाना, और रात को नक़बज़नी करना। इसके अलावा उसी कानून की दफा ४५ के अनुसार हर गांव के मुखिया, पटेल, व मुक़द्दम पटवारी व कोटवार, ज़मीन के मालिक या किसान का फर्ज़ है कि वह नीचे लिखे वक़ूओं के बारे में कोई भी ख़बर जो मिले उसकी इत्तला फौरन पास के मजिस्ट्रेट या थानेदार को देवे:—

[१] अपने गांव में किसी ऐसे शख्स का मुस्तक़िल या क़ायम मुकाम रहना जो चोरी का माल लेने व बेचने के लिये बदनाम हो।

[२] किसी ऐसे शख़्स का गांव में किसी जगह जाना या गुज़रना जिसे वह जानता है या शक करता है कि वह ठग, सरक़ा-बिलजब्र करनेवाला, भागा हुआ क़ैदी या इश्तिहार शुदा फ़रारी मुलज़िम है।

[३] अकस्मात, अस्वाभाविक या मुतशक्की मौत।

यदि जनता जानबूझकर ऐसी इत्तला न देवे तो इस बात पर ताज़ीरातहिंद की १७६ और २०२ दफ़ाओं के मुताबिक़ उसे सज़ा दी जा सकती है। यदि गांव के पुलिस पटेल या मुकद्दम को इत्तला दे दी जाय तो काफ़ी है। वह उसे थाने तक पहुंचा देगा। यदि वह ग़ैरहाज़िर हो तो फ़ौरन खुद थाने में जाकर इत्तला देना चाहिये या चिट्ठी भेज देना चाहिये। रिपोर्ट में देरी होने की वजह तहक़ीक़ात बहुधा निरर्थक हो जाती है।

जब पुलिस तुम्हारे गांव में किसी मामले में तहक़ीक़ात करने आवे तो उसे हर तरह से मदद देना चाहिये। यदि तुम चश्मदीद गवाह हो तो जितना तुम्हें याद हो पूरा पूरा और सच्चा बयान करो। न तो भूली हुई बातों को कल्पना से पूरी करो और न तहक़ीक़ात करनेवाले अफ़सर को देखकर घबड़ाओ। ऐसा न करो कि अपनी समझ के मुताबिक़ सिर्फ़ ज़रूरी बातों का ही बयान दो, क्योंकि मुमकिन है कि तुम जिस बात को छोटी सी समझते हो वह असल में बड़ी ज़रूरी निकले। जरायम की तफ़्तीश के निस्बत नीचे लिखी हुई बातों पर ग़ौर करना चाहियेः—

जिस जगह जुर्म हुआ हो वहां देखो कि कोई पैर के निशान हैं या नहीं यदि हैं तो उन्हें आसपास चक्कर खींचकर रक्षित रखो जिसमें बाद में आने जाने वालों के निशानों के साथ गड़बड़ न

हो। निशान न बिगड़ें इस वास्ते उन्हें घमेलों से या टोकनियों से ढांक देना चाहिये। यदि मुजरिम कोई औजार, कपड़े, जूते वगैरह छोड़ गया हो तो उन्हें हिफाजत से रखो। वक्ये की जगह के दृश्य के रूप को बिलकुल न बदलना चाहिये, न किसी चीज को उसकी जगह से हटाना चाहिये क्योंकि अक्सर उस चीज के बनिस्बत उसका स्थान ज्यादा जरूरी होता है और किसी चीज को जगह से हटा देने पर फिर ठीक उसी जगह उसी हालत में रखना मुश्किल हो जाता है। जुर्म की तफ़तीश में उंगलियों के निशानों का अक्सर बहुत बड़ा भाग हुआ करता है। इसलिये मुजरिम की छुई हुई किसी चीज को बड़ी सावधानी से हाथ लगाना चाहिये जिससे उसकी उंगलियों के निशानात बिगड़ने न पावें। यदि जुर्म होने के पहिले कोई अजनबी शख्स, खासकर भिखारी, तुम्हारे घर आया हो तो इसकी इत्तला दो। मुजरिम लोग अक्सर भिखारियों के वेष में आकर घर के अंदर बाहर का हाल देख जाते हैं और रात-भर ठहरने की इजाजत लेकर अपने ऊपर दया करने वालों को लूट लेते हैं। इस मतलब के लिये वे अपनी स्त्रियों से भी अक्सर काम लेते हैं। यदि तुमसे पूछा जाय कि तुम किस पर शक करते हो तो सिर्फ दुश्मनी के कारण किसी का नाम मत लो। जो माल खो गया हो उसकी जितनी पूरी फेहरिस्त बना सको जल्द बना लो और हर चीज़ को शनाख्त करने के जो जो निशानात हों उनका हवाला दे दो। जिस तरह से जुर्म किया गया हो उसका पूरा पूरा हाल बतलाओ। यदि गांव में या आसपास कोई अजनबी शख्स देखा गया हो या गांव का ही कोई आदमी ज्यादा रात को फिरता हुआ नजर आया हो या गांव के कोई बदमाश या जरायम पेशा क़ौम के शख्स के यहां कोई दोस्त या रिश्तेदार मेहमानी करने आये हों तो

इन बातों की इत्तला दो। मुजरिमों को खोज निकालने के काम में पुलिस की मदद करो। पड़ोस में खोज करने के लिये टोलियां बनाओ। यदि तहक़ीक़ात के काम में आने लायक किसी बात का पता पुलिस के लौट जाने के बाद लगे तो उसकी इत्तला देने में मत हिचकिचाओ। पुलिस अफ़सरों को हुक्म है कि जनता से ली हुई-मदद के लिये वे खुलेहाथों इनाम देवें।

जन साधारण को यह बात नहीं मालूम है कि किसी मुजरिम से अपनी या अपने माल की रक्षा करते समय यदि मुजरिम को चोट पहुँचाई जाय तो उसके लिये कानून उसे माफी देता है। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा ९७ कहती है कि हर शख्स को नीचे दिये हुये अधिकार हैं:—

[१] इन्सान के जिस्म पर होने वाले जुर्मों से अपना जिस्म या किसी और का जिस्म बचाना।

[२] चोरी, सरक़ाबिलजब्त, बदमाशी या बेजा मदाख़लत की परिभाषा में आनेवाले कोई जुर्म की कोशिस से अपनी या और की कोई भी मनक़ूला और ग़ैर मनक़ूला जायदाद को बचाना। मगर दफ़ा ९९ ताज़ीरात हिंद कहती है कि अगर हाकिमों से मदद लेने का मौक़ा मौजूद हो तो चोट पहुंचाकर रक्षा करने का अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये और हर हालत में उतनी ही चोट पहुंचाने का अधिकार होता है जितनी कि बचाव के लिये निहायत ज़रूरी हो।

ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा ५९ जनता को गिरफ्तारी की ताक़त देती है। वह कहती है कि कोई भी ग़ैरसरकारी शख्स किसी

भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जिसने उसकी राय में कोई भी बेइमानी और दस्तन्दाजी पुलिसवाला जुर्म जैसे क़त्ल या क़त्ल की कोशिश, चोरी, सरक़ाविलजब्र, डकैती, नक़बजनी या चोरी वग़ैरह करने के इरादे से मकान में बेजा मदाखलत किया हो। या जो इश्तिहारी मुजरिम हो। गिरफ्तार किये हुये शख्स को फ़ौरन पुलिस अफ़सर के हवाले कर देना चाहिये या पास के थाने में ले जाना चाहिये।

उपर बतलाई हुई दफ़ायें जनता को खुद के बचाव के लिये व मुजरिमों के गिरफ्तार करने के लिये बहुत काफी अख्त्यार देती हैं। जनता को याद रखना चाहिये कि देखते हुये जुर्म का होने देना या मुलजिम को न पकड़ना बुज़दिली बतलाता है। उन्हें चाहिये कि ऊपर बतलाये हुये अधिकारों को खुद पूरी तौर से बरतें। यदि मुजरिमों को मालूम हो गया कि फ़ला गांववाले अपने जिस्म व माल की निडर होकर हिफाज़त करते हैं तो वे उस गांव से दूर ही रहेंगे क्योंकि "टेढ़ जान शंका सब काहू"। यह भी याद रखो कि यदि तुम्हें किसी जुर्म करनवाले को चोट पहुंचानी पड़ी हो तो सच्चा सच्चा हाल पुलिस को बतला दो जिससे उन्हें मुलज़िम को खोजने में मदद मिले।

ऊपर बतलाई हुई युक्तियां मुजरिम को पकड़ने के लिये लाभकारी हैं, परंतु जनता पुलिस का जुर्म के रोकने में भी बहुत मदद कर सकती है। यह सब कोई जानते हैं कि इलाज से एहतियात बेहतर होती है इसलिये उन्हें चाहिये कि वे:—

(१) पुलिस को गांव में गश्त करने में मदद देवें और जब पुलिस न मिले तो खुद ही इसका इंतजाम करें।

(२) गांव से बदमाशों की इजाज़त लेकर या बिला इजाज़त ग़ैरहाज़िरी होने की रिपोर्ट करें। इसी तरह गांव के मुतशुभा या जाने हुये बदमाशों का खासकर जरायम पेशावाली जातियों के गिरोहों का आन और गांव के बदमाशों और चोरी का माल लेनेवालों के यहां रिश्तेदारों और अजनबी आदमियों के आने की फौरन पुलिस को इत्तला करें।

(३) गांव के मुजरिमों पर निगरानी रखें और उन्हें काम देकर सुधारने की कोशिश करें। कई जगहों मों मुजरिमों को सुधारने का मौक़ा ही नहीं मिलता याने कोई उन्हें काम नही देता जिससे उन्हें मजबूरन फिर जुर्म करके जीना पड़ता है।

(४) मुजरिम के जुर्म करने के इरादे या तैयारी की घात पर पुलिस को इत्तला देवें।

(५) पुलिस को ऐसे शख्श के बारे में इत्तला देवें जिसके रोजी का कोई ज़ाहिरा ज़रिया न हो या जो लूटने नक़बजनी करने, चोरी करने या चोरी का माल लेने काआदी होने के लिये बदनाम हो, जिससे कि पुलिस उनपर ज़मानत की कार्रवाई कर सके।

यह याद रखना चाहिये कि पुलिस की तादाद महदूद होती है और हर जगह उसका मौजूद रहना ग़ैरमुमकिन है। इसलिये पुलिस को हर तरह से मदद देना लोगों के फायदे की ही बात है। जनता के प्रति पुलिस का क्या कर्तव्य होना चाहिये इसके बारे में सरकार की नीति यह

रही है कि पुलिस का काम जनता की सहमति से होवे, कि अमनचैन रखने और जुर्म को दबाने के कार्य में जनता का सहारा लिया जावे, कि जनता पुलिस को अपना मित्र समझे न कि शत्रु। यदि जनता ऊपर बतलाये हुये तरीके के मुआफिक पुलिस के साथ सहयोग करे तो जुर्म और मुजरिमों के सम्हालने के कार्य में बहुत बड़ी तरक्की हो जावेगी। आजकल पुलिस को अच्छी तरह समझाया जा रहा है कि वह जनता की नौकर है न कि मालिक, लेकिन नौकर से ठीक तौर पर काम लेने में भी सावधानी की जरूरत होती है।

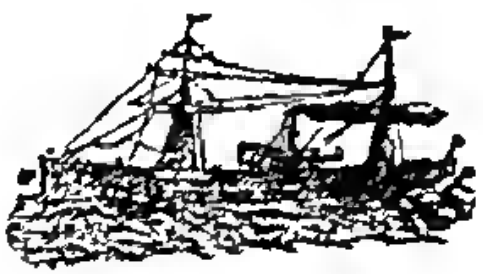

परिच्छेद ७३

" आय कर (इनकम् टैक्स) "

" आय कर " के नाम से ही विदित है कि यह आमदनी पर का टैक्स है। सन १९२२ के इनकम् टैक्स एक्ट में आमदनी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। यद्यपि उसमें यह बतलाया है कि किस किस किस्मों की आमदनी पर टैक्स लिया जा सकता है और किसपर नहीं। मोटे तौर पर यह टैक्स ६ तरह की आमदनी पर लगाया जा सकता है:—

(१) वेतन [तनख़ाह] (२) सेक्योरिटी का ब्याज (३) जायदाद याने इमारतें व ज़मीन जिसका कि टैक्स देने वाला मालिक है परंतु जिसको वह अपने व्यवसाय के काम में नहीं लाता। (४) रोज़गार (५) किसी पेशे से आमदनी और (६) दीगर ज़रिये। इस एक्ट के अनुसार निम्न लिखित आमदनियों पर टैक्स नहीं लगता (१) ख़ैराती व धार्मिक संस्थाओं की आमदनी (२) स्थानीय संस्थाओं मसलन म्युनिसिपैल्टी व डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की आमदनी (३) प्राविडेंट फंड के लिये जो सेक्युरीटीज़ ख़रीदी गई हों उनका ब्याज (४) बीमा से प्राप्त मुरल रकम (५) बेची हुई पेनशनों से प्राप्त रकम तथा प्राविडेंट फंड की एकत्रित रक़म (६) ऐसी अचानक आमदनी जो अपने पेशे या रोज़गार से न प्राप्त हुई हो जैसे लाटरी की आय (७) कृषिआय (८) अपनी नौकरी की दौरान में जो ख़ास रक़म बतौर भत्ते के विशेष खर्च की पूर्त्ति के लिये मिली हो।

यह टैक्स प्रत्येक वर्षगत अप्रेल से मार्च तक की आमदनी पर लिया जाता है या उस वर्षकी आमदनी पर जो कि गत आर्थिक वर्ष के अंदर किसी तारीख को समाप्त हुआ हो (जैसे कि दिवाली) और जिसका बराबर हिसाब रखा हो।

टैक्स देनेवाला वह व्यक्ति है जो कि क़ानून के मुताबिक़ टैक्स का देनदार हो।

मसलनः—

(१) हरएक कमाऊ आदमी।

(२) हिंदू शामिलशरीक खानदान।

(३) रजिष्ट्री शुदा या गैर रजिष्ट्री शुदा फर्म या दुकान।

(४) कंपनियाँ।

शामिल शरीक हिन्दू परिवार के किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाते समय उसके शामिल परिवार के आय के हिस्से पर ख्याल नहीं किया जाता।

उदाहरण तौर पर यदि सामूहिक परिवार का कोई व्यक्ति वकील हो तो उससे केवल निजी आमदनी पर व्यक्ति की हैसियत से टैक्स लिया जावेगा और उसके सामूहिक परिवार की आमदनी पर अलग टैक्स लगेगा।

सन १९०२ का इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ टैक्स के आधार, टैक्स लगाने की रीति तथा साधन का वर्णन करता है। और कितनी रक़म पर किस हिसाब से कितना टैक्स लगाया जाय यह निश्चित अकार से नहीं बतलाता। यह तफ़सील फाइनेन्स एक्ट द्वारा हर-

साल निश्चित की जाती है जो कि अखिल भारतीय कौंसिल में प्रतिवर्ष पास किया जाता है। इन्कमटैक्स प्रत्येक वर्ष सरकार की शमन आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं।

यह टैक्स बचत [याने आमदनी से खर्च निकालकर] पर नहीं लगाया जाता परंतु इनकमटैक्स देनेवालों के सालाना मुनाफे व लाभ पर। इन्कमटैक्स कानून यह नहीं बतलाता कि लोग किस प्रकारसे अपने मुनाफों का हिसाब रखें। इस लिये यह जरूरी है कि हिसाब तफसीलवार रखा जावे जिससे इनकमटैक्स देनेवाले की आमदनी का ब्यौरा साफ साफ मालूम हो जाय, और वही तरीका हरसाल क़ायम रखना चाहिये। यदि हिसाब ठीक प्रकार से न रखा गया तो इनकम टैक्स अफसरों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे जिस प्रकार से अच्छा समझें उसी प्रकार से उनकी आमदनी का हिसाब लगावें और अक्सर ऐसा होता है कि असली मुनाफे से अधिक आमदनी पर टैक्स लगा दिया जाता है। इस लिये यह आवश्यक है कि आमदनी खर्च के हिसाब में गलती या ग़फलत न हो।

एक्ट के अनुसार यह लाजमी नहीं है कि टैक्स देनेवाला खुद दफ्तर में हाजिर हो। उसे पूर्ण अख्तियार है कि वह एक्ट की रूसे चलाई हुई किसी कार्रवाई में अपने तरफ से कोई प्रतिनिधि भेजे। कोई भी आदमी जिसको कि वह अपनी ओर से तहरीरी अख्त्यार देवे उसका प्रतिनिधि हो सकता है। परंतु एक्ट द्वारा आज्ञापित जिन नक़शों और हलफनामों को टैक्स देनेवाला भेजे उनपर उसके स्वयं हस्ताक्षर होना चाहिये।

यदि तेहक़ीक़ात के बाद किसी इनकमटैक्स अफसर ने कोई टैक्स निश्चित किया तो उसे मुक़र्रर समय के अंदर दे देना चाहिये,

वरना इनकमटैक्स देनेवाले को जुर्माना के बतौर अधिक रकम देनी पड़ती है। यह अधिक रक़म निश्चित टैक्स की बराबरी तक हो सकती है। इस लिये जो टैक्स लगाया जाय वह मंजूर न हो तो रुपया बक़ पर जमा करके अधिक टैक्स के विरुद्ध अपील करना चाहिये।

यह अपील इनकमटैक्स अदा करने के नोटिस मिलने के ३० दिन के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के इजलास में करना चाहिये। अपील एक निश्चित फार्म के ऊपर होती है और इनकमटैक्स के नोटिस की मांग को अपील के साथ नत्थी कर देना चाहिये।

सब इनकमटैक्स अफसरों को हिदायत दी गई है कि वे अपील की दरखास्तें लेकर असिस्टेंट कमिश्नर के पास भेज दें। एक्ट के ३० वीं दफा के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर के विरुद्ध अपील चंद हालतों में कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स के यहां हो सकती है।

उन आदमियों को जिनकी आमदनी ३०,०००) रू. सालाना से अधिक है सुपरटैक्स भी देना पड़ता है जो कि इनकम् टैक्स के अलावा होता है।